लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४५, १९६०/१८८२ (शक)

[१६ से २६ अगस्त १९६०/२५ श्रावण से ४ भाद्र १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

ग्यारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४५ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

द्वितीय माला, खंड ४५—अंक ११ से २०—१६ से २६ अगस्त, १९६०/२५ श्रावण से ४ भाद्र, १८८२ (शक)

अंक ११—मंगलवार, १६ अगस्त, १९६०/२५ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९२, ३९४ से ३९७, ४०० से ४०७, ४०९, ४१० और ४१२ १२५९—८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९३, ३९८, ३९९, ४०८, ४११ और ४१३ से ४३७ १२८५—१३००

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१७ से ७९७ १३००—१३३७

निधन सम्बन्धी उल्लेख १३३७

जानकारी का प्रश्न १३३७

सभा पटल पर रखे गये पत्र १३३८

राज्य सभा से सन्देश १३३८

समवाय (संशोधन) विधेयक—

(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन १३३९

(२) संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य १३३९

बाट तथा माप के प्रमाप (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित कार्य मंत्रणा समिति १३३९

तिरेपनवां प्रतिवेदन १३३९

वर्ष १९६०-६१ के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग (रेलवे) १३३९—४७

सभापति तालिका १३४७

वर्ष १९५७-५८ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगें १३४८—५५

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था (स्थिति, उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार) विचार करने का प्रस्ताव १३५६—७१

खंड २ से ५, अनुसूची और खंड १ पारित करने का प्रस्ताव १३७०—७१

प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १३७१—७४

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा के नये टोकन कार्ड १३७४—७७

दैनिक संक्षेपिका १३७८—८५

अंक १२—बुधवार, १७ अगस्त, १९६०/२६ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ४३९ से ४४६, ४४८ से ४५० और ४५२ १३८७—१४०७

	पृष्ठ
अल्प सूचना प्रश्न संख्या	१४०८-१४०९
प्रश्नों के लिखित उत्तर --	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३८, ४४७, ४५१ और ४५३ से ४८५	१४०९--२८
अतारांकित प्रश्न संख्या ७९८ से ८१६ और ८१८ से ९०७	१४२८--७५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१४७६
राज्य सभा से सन्देश .	१४७७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में आंत्रशोथ (गेस्ट्रो-एन्ट्रेराइटिस) महामारी	१४७७-७८
सदस्य के निरोध के बारे मे वक्तव्य .	१४७८--८०
दक्षिण पूर्व रेलवे पर लाइन टूटने के बारे में वक्तव्य	१४८०
समिति के लिये निर्वाचन--	
केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड	१४८१
विधेयक--पुरस्थापित--	
(१) विनियोग (संख्या ३) विधेयक , १९६०	१४८१
(२) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६०	१४८१-८२
प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन (संशोधन) विधेयक--	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	१४८२--९४
राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव .	१४९५--१५११
दैनिक संक्षेपिका .	१५१२--१५१९
अंक १३--गुरुवार, १८ अगस्त, १९६०/२७ श्रावण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर --	
तारांकित प्रश्न संख्या ४८६ से ४९१ और ४९३ से ५००	१५२१--४३
प्रश्नों के लिखित उत्तर --	
तारांकित प्रश्न संख्या ४९२ और ५०१ से ५३६ . .	१५४४--६२
अतारांकित प्रश्न संख्या ९०८ से १००३ और १००५ से १०१९	१५६३--१६११
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१६१२-१३
राज्य सभा से सन्देश . .	१६१३
वर्ष १९६०-६१ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) के बारे में विवरण	१६१४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
सड़सठवां प्रतिवेदन . .	१६१४
तालचेर की हडीधुआ कोयला खान में दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	१६१४-१५

	पृष्ठ
विधेयक-पुरस्थापित——	
(१) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (दशमिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक	१६१५
(२) भारतीय मजदूर संघ (संशोधन) विधेयक	१६१५
विधेयक पारित——	
(१) विनियोग (संख्या ३) विधेयक	१६१५–१६
(२) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक	१६१६
पलाई सेन्ट्रल बैंक के मामलों के बारे में .	१६१७
सभा का कार्य	१६१७–१८
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन—— के बारे में प्रस्ताव	१६१८––४२
नागा पहाड़ियां और तुएनसाग क्षेत्र के बारे में प्रस्ताव	१६४३—६७
दैनिक संक्षेपिका . .	१६६८—७६

अंक १४—शुक्रवार, १९ अगस्त, १९६०/२८ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या ५३८ से ५४१, ५४३ से ५४५, ५४६ से ५५१ और ५६३ . . .	१६७७—१७००
प्रश्नों के लिखित उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या ५३७, ५४२, ५५२ से ५६२ और ५६४ से ५७७	१७००—१७१३
अतारांकित प्रश्न संख्या १०२० से १०९५ . .	१७१३––१७४९
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	१७५०
सभा का कार्य . . .	१७५०
प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन (संशोधन) विधेयक . .	१७५०––६४
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	१७५०—५६
खंड २ से १० और १—पारित करने का प्रस्ताव . . .	१७५६—६५
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति .	१७६५—७७
सड़सठवां प्रतिवेदन	१७७७
सदस्य की गिरफ्तारी——	
आय की अधिकतम सीमा के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	१७७८—१८०४
समाचार पत्रों द्वारा समाचारों तथा विचारों के प्रसार के बारे में संकल्प कल्प	१८०४—०७
कार्य मंत्रणा समिति——	
चौवनवां प्रतिवेदन	१८६०
दैनिक संक्षेपिका	१८०८—१३

अंक १५--शनिवार, २० अगस्त, १९६०/२९ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५७८ से ५८२, ५८८ से ५९१, ५९३ और ५९४ . १८१५--३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५८३ से ५८७, ५९२ और ५९५ से ६१७ १८३६--५२

अतारांकित प्रश्न संख्या १०९६ से १२०० १८५२--९६

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८९६

राज्य सभा से सन्देश १८९६-९७

कांगो में लियोपोल्डविल--हवाई अड्डे पर संयुक्त राष्ट्र कमान में तैनात भारतीय चालक वृन्द से सम्बन्धित घटना के बारे में वक्तव्य . १८९७-९८

पलाई बैंक के बारे में वक्तव्य १८९९--१९०१

सभा का कार्य १९०२

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति--

इक्कीसवां प्रतिवेदन . १९०२

तारांकित प्रश्न संख्या ४४० के उत्तर की शुद्धि १९०२--३

समिति के लिये चुनाव--

केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड १९०३

कार्य मंत्रणा समिति--

चव्वनवां प्रतिवेदन . . . १९०४

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . १९०४--४८

मत विभाजन के परिणाम की शुद्धि १९४८

कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण तथा चिन्ह लगाना) संशोधन विधेयक विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में १९४८--५४

खंड २ और १--पारित करने के लिये प्रस्ताव १९५४

निष्क्रांत हित (पृथक्करण) संशोधन विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में १९५५

दैनिक संक्षेपिका १९५६--६३

अंक १६--सोमवार, २२ अगस्त, १९६०/३१ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६१८, ६१९, ६२१ से ६२५, ६२७, ६३०, ६३२, ६३३, ६३७, ६३८, ६४१, ६४३, और ६४५ से ६४७ १९६५--९०

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६२०, ६२६, ६२८, ६२९, ६३१, ६३४, ६३५, ६३६, ६३९, ६४०, ६४२, ६४४ और ६४८ से ६५१ . १९९१--९७

अतारांकित प्रश्न संख्या १२०१ से १२६७ . १९९७--२०२८

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २०२८

सभा पटल पर रखे गये पत्र २०२८

वित्तीय समितियां १९५९-६० (एक समीक्षा)--सभा पटल पर रखा गया--

बाल विधेयक २०२९

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन और साक्ष्य-- सभा पटल पर रखे गये २०२९

सदस्य की रिहाई २०२९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

काली मिर्च के वायदे के सौदे . २०२९-३०

निष्क्रांत हित (प्रथक्करण) संशोधन विधेयक--स्थगित २०३०

तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव २०३०--६६

पलाई सेंट्रल बैंक के बन्द किये जाने के बारे में चर्चा २०६६--७६

दैनिक संक्षेपिका २०७७--८२

अंक १७--मंगलवार, २३ अगस्त, १९६०/१ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६५२ से ६५६, ६५९ से ६६२, ६६६, ६६७, ६७०, ६७३ और ६७४ . . . २०८३--२१०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६५७, ६५८, ६६३ से ६६५, ६६८, ६६९, ६७१, ६७२ और ६७५ से ६८५ २१०७--१६

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६८ से १३६२ २११६--५६

सभा पटल पर रखे गये पत्र २१५७

राज्य सभा से सन्देश २१५७

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--

राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया २१५८

तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव . २१५८--२२००

पलाई सेंट्रल बैंक के बारे में चर्चा २२०१--११

दैनिक संक्षेपिका . २२१२--१७

पृष्ठ

अंक १८—बुधवार, २४ अगस्त, १९६०/२ भाद्र, १८८२ (शक)

मौखिक प्रश्नों के उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८६ से ६९७ २२१९–४६

लिखित प्रश्नों के उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९८ से ७४८ . २२४६–७२
१३६३–१४६०

अतारांकित प्रश्न संख्या . . . . . २२७२—२३१२

निधन सम्बन्धी उल्लेख . . . २३१२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अड़सठवां प्रतिवेदन . २३१२

अनुपस्थिति की अनुमति . . २३१२–१३

तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव २३१३—६१

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २३६२—६८

अंक १९—गुरुवार, २५ अगस्त, १९६०/३ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर–

तारांकित प्रश्न संख्या ७४९ से ७६५ २३६९—९१

प्रश्नों के लिखित उत्तर–

तारांकित प्रश्न संख्या ७६६ से ७९६ . . . २३९१—२४०५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४६१ से १५२६ और १५२८ से १५४४ २४०५–३८

सभा पटल पर रखा गया पत्र . . . २४३८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

उड़ीसा में बाढ़ २४३८–४२

तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव २४४२–९९

समिति के लिये निर्वाचन के बारे में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड २४९९

दैनिक संक्षेपिका २५००

अंक २०—शुक्रवार, २६ अगस्त, १९६०/४ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर–

तारांकित प्रश्न संख्या ७९७ से ८०३, ८०५ से ८०८ और ८१० २५०७–३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर–

तारांकित प्रश्न संख्या ८०४, ८०९ और ८११ से ८२३ २५३०–३६

अतारांकित प्रश्न संख्या १५४५ से १६३० २५३६–७२

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २५७२

सभा पटल पर रखे गये पत्र २५७२

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

बांसपानी में लोहे की खानों के बन्द होने की आशंका २५७३

सभा का कार्य २५७३–७४

तृतीय पंचवर्षीय योजना को रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव २५७४—८३

निष्क्रान्त हित (पृथक्करण) संशोधन विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव २५८४—९७

खण्ड १ से ३—पारित करने का प्रस्ताव . २५९६–९७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अड़सठवां प्रतिवेदन २५९७

विधेयक पुरस्थापित—

१. विधि-व्यवसायी (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा १४ तथा १५ का संशोधन) [श्री हेमराज का] . २५९७

२. विधान परिषद (रचना) विधेयक, १९६० [श्री श्रीनारायण दास का] . . . २५९८

३. भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० (नई धारा ३०२ का रखा जाना) [श्री अजित सिंह सरहदी का) २५९८

४. हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा २३ का संशोधन) [श्री अजित सिंह सरहदी का] २५९८

५. जल तथा वायु को दूषित करने से रोकना (संघ राज्य क्षेत्रों में) विधेयक १९६० [श्री झूलन सिंह का] . २५९८-९९

६. खान (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा १२, ६४ आदि का संशोधन) [श्री झूलन सिंह का] . २५९९

७. कारखाना (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा ९क का रखा जाना) [श्री झूलन सिंह का] . २५९९

८. श्रमिक दुरुपयोग (निषेध) विधेयक, १९६० [श्री झूलन सिंह का] २५९९–२६००

सामाजिक प्रथाय (व्यय में कमी) विधेयक [श्री झूलन सिंह का]

—वापिस लिया गया—

परिचालित करने का प्रस्ताव २६००—०९

वृद्धावस्था में विवाह पर रोक विधेयक [श्री मोहन स्वरूप का]—

विचार करने का प्रस्ताव २६०९—१५

दैनिक संक्षेपिका २६१६—२१

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GMGIPND—LS III—1031(Ai)LSD—28-9-60—135

लोक-सभा

गुरुवार, २५ अगस्त, १९६०

३ भाद्र, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अणु शक्ति संयंत्र

+

†*७४९. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री कोडियान :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री आसर :
श्री विभूति मिश्र :
श्री सैं० अ० मेहदी :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रस्तावित अणु शक्ति संयंत्र के निर्माण में हाथ बटाने के लिये अन्य देशों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). पश्चिमी तट पर स्थापित किये जाने वाले पहले अणु शक्ति संयंत्र में कुछ विदेशों ने रुचि जरूर दिखाई है । परन्तु पक्के प्रस्ताव (आफ़र) संयंत्र की आकार क्षमता आदि के सम्बन्ध में पूरी जानकारी (एन्क्वायरी स्पेसिफिकेशन) दिये जाने पर ही प्राप्त हों सकेंगे ।

† तूल अंग्रेजी में

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** किन देशों से ये प्रस्ताव मिले हैं ?

†**श्री सादतअली खां :** इन देशों में से कुछ देश कनाडा, फ्रांस, जापान, इंग्लैंड तथा अमरीका हैं।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या सरकार ने इन प्रस्तावों पर विचार कर लिया है; और यदि हां, तो इन में से सबसे अच्छा कौन सा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** कौन सा प्रस्ताव ?

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** अणु शक्ति संयंत्र के निर्माण में सहयोग देने के विदेशी प्रस्ताव ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हमें अभी कोई प्रस्ताव नहीं मिला है । वे केवल जांच कर रहे हैं। हम ने अभी उन से कोई प्रस्ताव नहीं मांगा है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या यह प्रस्ताव अणु शक्ति संयंत्र के निर्माण के लिए वित्त की व्यवस्था करने के हैं अथवा अणु शक्ति संयंत्र के लिए मशीनें देने के बारे में हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने बताया कि उनका सहायता देने का विचार है और अभी प्रस्ताव नहीं मिले हैं ।

†**श्री सादत अली खां :** मामले की जांच की जा रही है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** वित्त का कोई प्रश्न ही नहीं है । मेरे साथी ने कई देश बताये । इन में से एक देश रूस के साथ भिन्न प्रकार से बातचीत की जायेगी । आण्विक मामलों में हमारे अमरीका तथा रूस दोनों से गहरे सम्बन्ध हैं । जहां तक मुझे याद है, अभी तो वित्त का कोई प्रश्न नहीं उठा है; परन्तु कनाडा-भारत रिएक्टर के समान इस में भी कभी वित्त का प्रश्न उठ सकता है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या पहले अणु शक्ति संयंत्र में प्रविधिक सहयोग के बारे में प्रस्ताव मिले हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** सारा प्रश्न ही उसके बारे में है । जाहिर है कि माननीय सदस्य प्रश्न को समझ नहीं रहे हैं ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या दो अंग्रेज विशेषज्ञ---श्री मिलर तथा श्री लिंडसे---अणु संयंत्र की आवश्यकताओं की स्थान पर जांच के लिए भारत आये थे; तथा यदि हां, तो क्या उन्होंने कोई प्रतिवेदन अथवा सुझाव सरकार को दिया था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** कितने ही विशेषज्ञ आते हैं तथा जाते हैं । मैं इन दो अंग्रेज विशेषज्ञों के बारे में कुछ नहीं जानता हूं ।

†**श्री दी चं० शर्मा :** क्या यह सच नहीं है कि हमारे देश में अणु शक्ति संयंत्र की प्रविधिक जानकारी है और यदि नहीं तो क्या कमी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** अभी हम ने कोई अणु शक्ति केन्द्र नहीं बनाया है । यह पहला केन्द्र होगा । कनाडा-भारत रीएक्टर को छोड़ कर शेष रीएक्टर हम ने स्वयं बनाये हैं । अभी तक शक्ति केन्द्र नहीं बना है तथा मैं यह भी नहीं जानता कि प्रविधिक जानकारी होने पर भी क्या हमारे देशवासी एसा केन्द्र बना पायेंगे क्योंकि प्रविधिक जानकारी एक बात है तथा शक्ति केन्द्र बनाना दूसरी बात है ।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : हमारे अणु शक्ति संयंत्र में नेच्युरल यूरेनियम काम में लाया जायगा जबकि अमरीका और रूस में एनरिच्ड यूरेनियम काम में लाया जाता है। इसलिए क्या अमरीका और रूस हमारे देश में संयंत्र बनाने के बारे में अधिक उत्सुक नहीं हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरु** : वे दोनों ही बहुत उत्सुक हैं।

दंडकारण्य क्षेत्र में आदिवासियों का पुनर्वास

+

†*७५०. { **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** :
श्री प्र० के० देव :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य क्षेत्र में कृषि योग्य बनायी गयी कुछ भूमि अब तक स्थानीय आदिवासियों को पुनर्वास के लिये दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी भूमि दी गयी है और कहां पर ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) और (ख). फरशगांव में २०३ एकड़ भमि तथा उमरकोट में २,६२० एकड़ भूमि दण्डकारण्य विकास प्राधिकार ने बस्तर और कोरापुट के जिला अधिकारियों को आदिवासियों में बांटने के लिये दे दी है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या यह भूमि वास्तव में आदिवासी परिवारों में वितरित की गई है तथा यदि हां, तो अब तक कितने परिवारों को भूमि मिल चुकी है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर**: इस भूमि के वास्तविक आवंटन के बारे में दण्डकारण्य प्राधिकार के पास जानकारी उपलब्ध नहीं हैं। परिवारों में भूमि का आवंटन ज़िला अधिकारी ही करेंगे।

†**श्री प्र० के० देव** : इन आदिवासियों को प्रति परिवार कितने एकड़ भूमि दी गई है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : हमने लगभग ७ एकड़ की एक जोत बनाई है और हम किसी भी शरणार्थी परिवार को ७ एकड़ से अधिक भूमि नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि राज्य सरकारों ने भी यही मान बना रखा है।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या दण्डकारण्य में आदिवासियों में भूमि का आवंटन करने का कोई आधार बनाया गया है और जब उड़ीसा में आदिवासियों को लगभग २००० एकड़ भूमि दी गई है तब मध्य प्रदेश के आदिवासियों को केवल २०० एकड़ भूमि क्यों दी गई ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : आवंटन का आधार यह है कि खेती के योग्य बनाई गई ज़मीन का २५ प्रतिशत भाग आदिवासियों को दिया जायेगा। मध्य प्रदेश में आदिवासियों को केवल २०० एकड़ भूमि इसलिए दी गई क्योंकि मध्य प्रदेश, फरशगांव पहली कालोनी थी जिस में खेती के योग्य बनाई गई भूमि के २०० एकड़ का आवंटन किया गया है। क्योंकि दण्डकारण्य विकास प्राधिकार मध्य प्रदेश में और अधिक ज़मीन को खेती के योग्य बना रहा है, आदिवासियों को और भूमि दी जाती रहेगी।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : परन्तु वहां पर अभी तक केवल ८०० एकड़ भूमि का कृष्यकरण हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री महन्ती** : आदिवासियों को भूमि देने का काम दण्डकारण्य परियोजना का ही है तब दण्डकारण्य विकास प्राधिकार, कार्यक्रम के इस भाग की क्रियान्विति के बारे में अपनी जिम्मेदारी से उन्मुख क्यों होता है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : दण्डकारण्य विकास प्राधिकार तथा राज्य सरकारों ने मिल कर यह व्यवस्था की है। राज्य सरकार का अपना आदिम जाति विभाग बहुत पहले से आदिम जातियों के प्रश्न पर विचार कर रहा है। हमारा तो केवल इतना काम है कि पुनर्वास भूमि का २५ प्रतिशत आदिम जातियों में आन्तरिक वितरण के लिये संबंधित राज्य सरकारों को दे दें।

†**श्री हेडा** : क्या आदिवासियों अथवा शरणार्थियों के लिये अलग कालोनी बनाई गई हैं अथवा मिले जुले गांव बनाये हैं ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मिले जुले गांवों का प्रश्न ही नहीं उठता है। आदिवासियों को हम खेती योग्य बनाई गई भूमि के २५ प्रतिशत के आधार पर भूमि दे रहे हैं। यह आदिम जाति सलाहकार तथा आदिम जाति की जनता पर ही निर्भर करता है कि अपने गांव अलग बनायें अथवा इसके लिये अलग आवंटन करें। हम आदिम जातियों में भूमि के आन्तरिक वितरण में किसी भी प्रकार से कोई भाग लेना नहीं चाहते हैं।

†**श्री जगन्नाथ राव** : प्रत्येक आदिम जाति परिवार को किस प्रकार की वित्तीय सहायता दी गई है ?

†**श्री पू० शे० नाश्कर** : दण्डकारण्य विकास प्राधिकार ने यह प्रस्ताव किया है कि भूमि के इस आवंटन के अतिरिक्त प्रत्येक आदिवासी परिवार को मकान बनाने के लिये और खेती के औजार खरीदने के लिये धन दिया जायेगा तथा ८०० वर्ग गज का जमीन का टुकड़ा मकान बनाने के लिये दिया जायेगा।

†**श्री जगन्नाथ राव** : कितनी राशि है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : हम आदिम जाति के गांवों अथवा मकानों के रूप को अथवा जीवनयापन के तरीकों को किसी प्रकार भी बदलना नहीं चाहते हैं। विस्थापित व्यक्तियों के लिये बनाये गये गांवों से यह एकदम भिन्न प्रकार के होते हैं। हमें उस क्षेत्र के आदिम जाति विशेषज्ञों ने यही सलाह दी थी। मैं यह एकदम नहीं बता सकता कि राशि कितनी होगी परन्तु पशु आदि समेत लगभग ८०० रुपये से १,००० रुपये तक होगी और इस के साथ साथ मकान बनान के लिये जमीन और धन भी दिया जायगा।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या फरशगांव में अब तक केवल ८०० एकड़ भूमि ही खेती के के योग्य बनाई गई है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : आप के आदेशों के अनुसार मैंने दण्डकारण्य के बारे में विस्तृत रिपोर्ट माननीय सदस्यों में परिचालित कर दी है। उस में स्पष्टतः बताया गया है कि हम ने २०,००० एकड़ भूमि पर से पेड़ काट दिये हैं और १४,०००–१५,००० एकड़ भूमि का कृष्यकरण कर दिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१

+

†*७५१. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री पांगरकर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ९ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रबन्धकों के आपसी झगड़ों के कारण बन्द हो जाने वाले अथवा परिसमापित होने वाले कारखानों को हाथ में लेने के उद्देश्य से, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत और अधिक अधिकार प्राप्त करने का प्रश्न किस प्रक्रम पर है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मामला अभी विचाराधीन है ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : इस प्रकार के उद्योगों को हाथ में लेने में किस प्रकार की कठिनाइयाँ सामने आ रही हैं । ?

†**श्री मनुभाई शाह** : केवल यह कठिनाई है कि सम्पत्ति विशेष का मामला एक बार न्यायालय में जाने के बाद सरकार का उस में हस्तक्षेप तथा अन्य कोई काम करने से न्यायालय का अपमान हो जायेगा ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : इस के बारे में विधान कब तक पुरस्थापित किया जा रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हम भी इसी मामले पर विचार कर रहे हैं कि क्या मूल सिद्धान्तों को भंग न करते हुए यह संभव होगा कि सरकार रोज़गार, आर्थिक विकास तथा उत्पादन के हितों के कारण अधिनियम में संशोधन कर सकती है ।

†**महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या मसुलीपटम के राष्ट्रीय रसायनों का प्रबन्ध इस संस्था में वित्तीय कठिनाइयों के कारण सरकार अपने हाथ में ले रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी नहीं ।

पटसन उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड

+

†*७५२. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री नेकराम नेगी :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २८ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १८१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पटसन उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मजूरी बोर्ड के गठन तथा इस के निर्देश पदों के बारे में एक सरकारी संकल्प आज जारी किया जा रहा है । उस की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १]**

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : विवरण में बताया गया है कि यूनियनों द्वारा उठाये गये मजूरी के प्रश्नों के अतिरिक्त बोर्ड उन की अन्य मांगों पर भी विचार करेगा । ये अन्य मागें क्या हैं ?

†**श्री आबिद अली** : इन मांगों को यूनियनों के प्रतिनिधि बतायेंगे ।

†**श्री तंगामणि** : सात आदमियों की समिति में दो स्वतंत्र सदस्य किस आधार पर शामिल किये गये हैं ? यह अर्थशास्त्री हैं अथवा इन को मजूरी बोर्ड का पहला कोई अनुभव है ?

†**श्री आबिद अली**: कलकत्ता में हुए त्रिदलीय सम्मेलन में किये गये निर्णयों के आधार पर इस बोर्ड का गठन किया गया है । स्वतंत्र सदस्यों में से एक इस सभा के सदस्य हैं तथा दूसरे डी० लिट० तथा विधि की उपाधि-प्राप्त एक अर्थशास्त्री हैं । यह दिल्ली जन प्रशासन संस्था में वरिष्ठ गवेषणा अधिकारी हैं ।

†**श्री मोहम्मद इलियास** : गत वर्ष माननीय श्रम मंत्री ने चर्चा के दौरान में बताया था कि मजूरी बोर्ड के गठन के बाद अन्तरिम सहायता के प्रश्न पर सहानुभूति से विचार किया जायगा । क्या सरकार इस सम्बन्ध में भी विचार करेगी ?

†**श्री आबिद अली** : यह बात निर्देश पद में शामिल कर ली गई है ।

†**श्री तंगामणि** : निर्देश पद से यह पता लगता है कि अन्तरिम सहायता आदेश आज से दो महीनों के अन्दर जारी किया जायेगा । क्या सरकार बतायेगी कि पंचाट अन्तिम रूप से कब प्रकाशित किया जायेगा क्योंकि यह उद्योग एक अथवा दो क्षेत्रों में ही है ?

†**श्री आबिद अली** : अवधि को सीमा निर्धारित कर देना उचित तथा संभव नहीं होगा । हम नहीं जानते कि दोनों पक्ष कितने गवाह प्रस्तुत करेंगे, कितनी गवाहियां होंगी । माननीय सदस्य कृपा कर के इस के बारे में हमारी सहायता करें हम जरूर अवधि को सीमा निर्धारित कर देंगे ।

बर्मा में भारतीय

\+

†*७५३. { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) बर्मा में बस हुए भारतीयों को धीरे-धीरे हटाने की समस्या के बारे में क्या भारत सरकार ने कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हाँ, तो किस प्रकार की ;

(ग) क्या एक ऐसा विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा जिस में यह बताया गया हो कि अब तक कितने व्यक्ति हटाये गये हैं और उन्हें हटाये जाने के पहले उन के पेशे क्या थे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या ये हटाये गये व्यक्ति भारत वापस आ रहे हैं अथवा आने के लिये उत्सुक हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस विषय में भारत सरकार की क्या नीति है ?

विदेश उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) से (ङ). प्रश्न में जो बातें उठाई गई हैं, उन से बर्मा की स्थिति के वे प्रमुख पहलू जुड़े हुए हैं, जिन का सम्बन्ध बर्मा के सरकारी, वाणिज्य-सम्बन्धी तथा अन्य कार्यालयों में गैर-बर्मियों को हटा कर बर्मी राष्ट्रिकों को लाने से है। ज़ाहिर है कि गैर-बर्मियों में भारतीय लोग भी आ जाते हैं। भारत सरकार ने जो कदम उठाये हैं, और गैर-बर्मी राष्ट्रिकों के प्रति बर्मा सरकार की नीति के सम्बन्ध में उस का जो दृष्टिकोण है, उन का उल्लेख संसद् में उठाये गये सवालों के जवाब में कई मौकों पर किया जा चुका है। जो आंकड़े मांगे गये हैं, उन्हें इकट्ठा करना व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि भारतमूलक लोग बर्मा भर में बिखरे हुए हैं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या मंत्री महोदय को यह पता है कि उन भारतीयों की भी जो अंग्रेज़ों के ज़माने से ही बर्मा में बस चुके थे जमीन छीनी जा रही है और उन को विस्थापित किया जा रहा है ? और यदि ऐसा है तो इतने अर्से तक क्या भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई प्रयत्न नहीं किया ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : बर्मा मे भूमि विधान तथा अन्य अधिनियमों के कारण हमारे राष्ट्र-जनों को कठिनाई हो रही है। परन्तु क्योंकि बर्मा सरकार ने इन को निष्पक्षत: लागू किया है इसलिये हमारा उन से बातचीत करना बेकार है । फिर भी जिन मामलों में हमारा दूतावास हस्तक्षेप कर सकता था हम ने उन में हस्तक्षेप किया है और भारतीय राष्ट्रजनों को सहायता पहुंचाई है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या मंत्री महोदय को यह पता नहीं है कि जो भारतीय बर्मा में बस चुके थे, उन पर ही अधिकतर यह प्रहार हो रहा है, और उन की भूमि और उन की जायदाद छीन कर उन्हें विस्थापित किया जा रहा है ? अगर सरकार के ज्ञान में यह बात नहीं है तो मैं बता रहा हूं कि मैं बर्मा गया था और मुझे मालूम हुआ है कि वहां ऐसा हो रहा है ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : सवाल यह है कि जो कानून बनता है वह खास तौर से भारतीयों के खिलाफ है या सब जनता के, और क्या उस में भारतीय भी शामिल हैं ? अगर सब उस में आ जाते ह तो फिर हमारा कहना कि हिंदुस्तानियों के साथ रियायत करो, कठिन हो जाता है । लेकिन यह अक्सर होता है कि कानून एकसां बनता है। कानून ऐसा बनता है जिस में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, लेकिन उस के अमल में अक्सर वह बात आ जाती है। तो उस में फिर एक एक केस को लेना पड़ता है। कानून का विरोध हम नहीं कर सकते ।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या भारत सरकार इस बात की तह में गई कि ऐसा कानून बनाने की बर्मा सरकार को आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस लिये पड़ी, जैसे हमारे यहां लैंड रिफार्म हुए ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो हिन्दुस्तानी दो पुश्त से या तीन पुश्त से वहां आबाद हैं और उन की सन्तानें वहां बढ़ रही हैं, उन सब को वहां नागरिकता के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं या नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जो बर्मा के नागरिक बन सकते हैं वह वैसा कर सकते हैं। बहुत से व्यक्तियों ने बर्मा की नागरिकता प्राप्त करने के योग्य होते हुए भी व्यक्तिगत कारणों से ऐसा करने के लिए आवेदन पत्र नहीं दिए हैं।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : जिन भारतीय राष्ट्रजनों को जबरदस्ती बर्मा से निकला जा रहा है उनको भारत में पुनर्वासित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ऐसा अभी अवसर नहीं आया है।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या यह सच है कि बर्मा के बहुत भारतीय राष्ट्रजनों ने भारत आने की इच्छा प्रकट की है। यदि हां, तो उनको बसाने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी नहीं। बहुत से आदमियों ने ऐसी इच्छा व्यक्त नहीं की है। हमने कोई कार्यवाही नहीं की है तथा हमारा कोई कार्यवाही करने का विचार भी नहीं है।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : अभी प्रधान मंत्री जी ने कहा कि कानून के मसले में कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक उन की नजर में कितने ऐसे केसेस आये और कितने केसेज में उन्होंने स्टेप लिया।

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह मैं कैसे बतलाऊं? यह व्यक्तिगत रूप से होता रहता है। हमें पूरी तौर से मालूम भी नहीं होता है। रोज का काम है हमारी एम्बैसीज का। मैं आप को बतलाऊं, वहां जमीन दो किस्म की है। एक तो कुछ जमाना हुआ, शायद ५० या ६० वर्ष हुए, कुछ लोग बिहार से ले जाये गये थे .....

डा० राम सुभग सिंह : हमारे यहां के लोगों ने १४ गांव जियाबाड़ी के क्षेत्र में बसाये हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : आप समझिये कि बर्मा में उन्होंने एक छोटा सा टुकड़ा बिहार का बना दिया था। वह तो एक है जियावाड़ी में। दूसरी जमीन जो असली झगड़े की बात है वह बहुत कुछ लेन देन के सिलसिले में हिन्दुस्तानियों के हाथ में आ गई, चेट्टी लोगों के। उन्होंने कर्जे दिये, कर्जे अदा नहीं हुए, मार्गेजेज हुए और जमीन उन के हाथों में आ गई। यह दो अलग अलग चीजें हैं।

सेठ गोविन्द दास : अभी प्रधान मंत्री जी ने कहा कि इस तरह के कानूनों को अमल में लाने में ही ज्यादातर दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे कानूनों का जो अमल अब तक किया गया उस में सिर्फ हिन्दुस्तानियों के ही खिलाफ़ वह अमल हुआ या दूसरे लोगों के खिलाफ भी हुआ, और क्या इस सम्बन्ध में हमारे दूतावास से कोई रिपोर्टें हमारी भारत सरकार को मिलीं? और अगर मिलीं, तो उस की कार्रवाई का कोई नतीजा निकला?

श्री जवाहरलाल नेहरू : दो तीन सवालों के जवाब तो मैं ने दिये। माननीय सदस्य ने सुना नहीं। मैं इसी का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं और फिर दिये देता हूं कि जहां तक कानून का सवाल है उस में किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अमल में यह होता रहता है व्यक्तिगत रूप से। एक बात यह भी है कि आम तौर से सवाल होता है कि किस के पास ज्यादा जमीन है। अगर हिन्दुस्तानी के पास ज्यादा जमीन है तो उस की तरफ आंख उठती ही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : प्रधान मंत्री ने १२ अगस्त को सभा में बताया था कि बर्मा में नागरिकता प्राप्त करने के बारे में भारतीयों के लगभग २४,७०० आवेदन पत्र लम्बित हैं। दोनों देशों में मैत्री होने के कारण इन भारतीयों को बर्मा में नागरिकता शीघ्रता से क्यों नहीं मिल पा रही है तथा इन व्यक्तियों को उन अधिकारों से वंचित क्यों रखा जा रहा है जो उनको विस्थापित व्यक्ति के रूप में मिलने चाहिएं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। यह मित्रता के अभाव का सवाल नहीं है। मैं समझता हूं कि यह दोनों ओर कार्यकुशलता के अभाव का प्रश्न है क्योंकि जो व्यक्ति आवेदन पत्र देते हैं वे भी आगे कार्यवाही ठीक तरह से नहीं करते।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि बर्मा सरकार ने ठहरने के अनुमति पत्रों तथा नागरिकता अधिकार प्रमाणपत्रों के संबंध में कठोर नियंत्रण लगाये हैं और बहुत फीस रखी है, जिसके कारण बहुत देर हो जाती है। क्या बर्मा से भारतीयों के निष्कासन का यह भी एक कारण है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह फीस तो जो बर्मा के नागरिक नहीं हैं उन सभी व्यक्तियों से ली जाती है।

†**श्री हेम बरुआ** : ठहरने के अनुमति पत्र के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए ५० रुपये फीस रखी है। नागरिकता अधिकार देने में देर होती है। बड़ी भारी समस्या है।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : इसका दूसरा पक्ष भी है। बहुत से व्यक्ति जो बर्मा के नागरिक बन सकते हैं वह नागरिक बनने के लिए आवेदन पत्र नहीं भेजते हैं। बर्मा सरकार का ही कसूर नहीं है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं मानता हूं कि ५० रुपये बहुत होते हैं। परन्तु निष्पक्षता होने पर आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। हमने उन्हें इसके बारे में बताया है और वह इस पर विचार कर रहे हैं।

इंडोनेशिया से भारतीय व्यापारियों का निर्वासन

†*७५४. { **श्री वारियर** †:
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडोनेशिया की सरकार ने कुछ भारतीय व्यापारियों को, आर्थिक विनियमों का उल्लंघन करने पर, इंडोनेशिया से निर्वासित करने के लिये कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

मोटरगाड़ियों के टायरों की कीमतें

+

†*७५५. { **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटरगाड़ियों के टायरों की कीमतों पर पुनर्विचार करने के प्रश्न के बारे में कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) मोटरगाड़ियों के टायरों की वर्तमान कीमतें पिछली बार कब निर्धारित की गयीं थीं;

(ग) देश में मोटरगाड़ियों के टायरों की वर्तमान आवश्यकता अनुमानतः कितनी है ; और

(घ) आजकल कितने टायर उपलब्ध हो सकते हैं?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां । टायर बनाने वालों को ३ प्रतिशत तक मूल्य बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है ।

(ख) अक्तूबर, १९५५ ।

(ग) लगभग १३,७३,००० टायर ।

(घ) लगभग १३,३८,००० टायर ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : टायरों की अल्पकालीन कमी के कारण व्यापारी जो अनुचित लाभ उठाते हैं उसको रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा इन कार्यवाहियों का क्या असर हुआ है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हम ने अनुमानित कमी से ज्यादा टायरों का आयात कर लिया है तथा आदेश दे दिये हैं कि रुपये की मुद्रा वाले देशों के द्वारा ५०,००० टायरों का आयात किया जाये । इन में से बहुत से टायर आ चुके हैं और वितरित किये जा चुके हैं । इसके अतिरिक्त बड़े नगरों तथा नगरीय क्षेत्रों की टायर व्यापारी संस्थाओं से इसका विज्ञापन करने को कहा गया है । माननीय सदस्य ने समाचारपत्रों में निश्चित रूप से देखा होगा कि टायर खरीदने वालों से कहा गया है कि वह संस्था से इसके बारे में बातचीत करें और उनको टायर उपलब्ध होने पर निर्धारित मूल्य पर मिल जायेंगे ।

श्री० मु० तारिक : क्या यह बात हकूमत के इल्म में आई है कि खास तौर पर ट्रक्स के टायर, छोटी गाड़ियों के टायर वगैरह बहुत ज्यादा दामों पर बाज़ार में मिलते हैं ? और क्या यह बात भी हकूमत के इल्म में आई है कि जिन लोगों के पास एजेंसी है, वे खुद ब्लैकमार्किटिंग करते हैं ?

श्री मनुभाई शाह : ऐसी बात कुछ नहीं है । जो शार्टेज है, वह ओवर-आल शार्टेज है । ट्रक्स, छोटी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां वगैरह के जो टायर्स हैं, उनका उत्पादन तकरीबन साढ़े तेरह लाख है और जो डिमांड है वह तकरीबन चौदह लाख है और थोड़ी सी शार्टेज है । इस शाटज को भी काफी हद तक मीट किया गया है और आजकल, कई महीनों से जो पोजिशन है, वह काफी संतोषजनक है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : सरकार टायर की कमी को कब तक दूर करने की आशा करती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : हम ने दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगभग २५ लाख टन टायर बनाने का लक्ष्य रखा है । लगभग २२ से २३ लाख टायरों के निर्माण की सामर्थ्य के लाइसेंस दे दिये गये हैं । आवश्यक होने पर हम इन लक्ष्यों को और बढ़ा देंगे क्योंकि पहले अनुभवों से पता लगा है कि ऐसी वस्तुओं की मांग हमारे अनुमान से अधिक बढ़ती है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : जहां तक मुझे स्मरण है पिछले साल माननीय मंत्री जी ने कहा था कि एक टायर की फैक्ट्री बैठ रही है और अगले साल से टायर्स की शार्टेज नहीं रहेगी । मैं जानना चाहता हूं कि उस फैक्ट्री के उत्पादन की दिशा में क्या काम हुआ है और अभी तक हम इस सम्बन्ध में काफी आगे क्यों नहीं बढ़ सके हैं और जो ये टायर्स के दाम बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कोई चैक क्यों नहीं होता है ?

श्री मनुभाई शाह : ऐसी बात मैंने नहीं कही थी । यह बात जरूर सही है कि एक नई फैक्ट्री के लिए नहीं बल्कि चार नई फैक्ट्रीज़ के लिए एप्रूवल दी गई है । एक बल्लभगढ़ के अन्दर आ रही है, दूसरी मद्रास के अन्दर आ रही है, तीसरी कलकत्ता में आ रही है और एक कोई आंध्र रिजन में आ रही है । इन सब फैक्ट्रीज़ में उत्पादन शुरू हो जाने के बाद टायर्स के मामले में, जैसे अभी मैंने बताया है, तीसरे प्लान के जो टारगेट्स हैं, वे पूरे हो जायेंगे और शार्टेज नहीं रहेगी । हमारी कोशिश यही है कि उत्पादन की जितनी शक्ति बढ़ सके, बढ़ाई जाये और फारेन एक्सचेंज की पोज़िशन को देखते हुए जितने इम्पोर्ट किये जा सकते हों, उतने किये जायें ।

†**श्री जीनचन्द्रन** : क्या सरकार जानती है कि भारी लारी के टायर ७०० रुपये से १००० रुपये तक बेचा जा रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं माननीय सदस्य का बड़ा आभारी हूंगा यदि वह ऐसा कोई मामला हमें बतायें जिसका उन्हें पता हो क्योंकि पिछले ४ महीनों से हम स्थिति का बड़ी उत्सुकता से अध्ययन कर रहे हैं । विभिन्न नगरीय क्षेत्रों की टायर व्यापारी संस्थायें बड़ा सुन्दर काम कर रही हैं ।

†**श्री जयपाल सिंह** : जब फायर स्टोन सार्थ के सहयोग से बरेली में कारखाना बन जायेगा उस समय रबड़ आदि के लक्ष्यों पर उसका क्या असर पड़ेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : उस में रबड़ के टायर नहीं बनेंगे । उसमें केवल रबड़ बनेगी ।

†**श्री जयपाल सिंह** : परन्तु रबड़ के निर्माण का टायरों के निर्माण पर भी असर पड़ेगा । क्या रबड़ के उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : केवल रबड़ का ही प्रश्न नहीं है । ज्यूं ज्यूं टायरों की मांग बढ़ती गई हम इस में अधिक धन लगाते गये । हमें आशा है कि विदेशों से मशीनों तथा संयन्त्रों का आयात होने पर हम तीसरी योजना के तीसरे वर्ष में टायरों के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता से भी अधिक टायरों का उत्पादन करने लगेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मोटर गाड़ी उद्योग सम्बन्धी समिति

+

†*७५६. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री अ० मु० ता क :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री आस :
श्री मोहम्मद इमाम :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री आचार :
श्री सरजू पांडेय :
श्री राम कृष्ण रेड्डी :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री तंगामणि :
श्री न० म० देव :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ४ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १२९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोटर गाड़ी उद्योग सम्बन्धी तदर्थ समिति की रिपोर्ट की जांच करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). सरकार ने मोटर गाड़ी उद्योग सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन की जांच पूरी कर ली है और उसकी विभिन्न सिफारिशों पर लिये गये निर्णयों को शीघ्र घोषित कर दिया जायेगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : निर्णयों की घोषणा कब तक कर दी जायेगी तथा क्या इन निर्णयों की जांच कोई अन्तर मंत्रालय विभाग भी करेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सभी प्रकार की जांच पूरी हो चुकी है और मैं आशा करता हूं कि आठ अथवा दस दिनों में सरकार के निर्णयों को सभा में रख दिया जायेगा ।

सेठ गोविन्द दास : जहां तक मोटरों का सम्बन्ध है क्या मंत्री जी को यह बात मालूम है कि कई बार यह बात कही गई है कि इस देश में छोटी मोटरें बनाने का भी प्रयत्न चल रहा है, जिन की कीमत ५ और ६ हजार रु० के बीच में होगी । क्या इस सम्बन्ध में भी कोई विचार किया जा रहा है कि अगर ऐसी छोटी मोटरें बनने वाली हैं तो वे कब तक बन जायेंगी और कब तक हम को मिल सकेंगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मनुभाई शाह : छोटी मोटरें बनाने की भी पूरी कोशिश चल रही है और सरकार का जो निर्णय सभा की मेज पर रखा जायेगा उस में इस के लिये भी सरकार का निर्णय जाहिर किया जायेगा ।

श्री म० ला० द्विवेदी : छोटी कार के सम्बन्ध में पहले सरकार ने ५००० रु० के मूल्य का अनुमान लगाया था, उस के बाद उसे ६००० रु० का कर दिया और अब सुना है कि साढ़े छः हजार रु० कर दिया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि बगैर कारों के बने ही इन दामों में घटा बढ़ी सरकार किस तरह से करती है और इस सम्बन्ध में कब तक आखिरी फैसला हो जायेगा और कारखाना कब से चालू हो जायेगा ?

श्री मनुभाई शाह : जैसे सदस्य श्री ने पहले सवाल के बारे में बहुत सी बातें कहीं वैसे ही इस सवाल के बारे में भी कहा । सरकार ने जो नोटिफिकेशन जाहिर किया था उस में ५,००० रु० से ७,००० रु० तक दाम जाहिर किया था । कभी उस ने ५,००० रु० क्लेम नहीं किया और कभी ७,००० रु० क्लेम नहीं किया । इस लिये हमें हकीकत को ले कर ही चलना चाहिये । छोटी कार के ऊपर जो सोच विचार हो रहा है वह इसी प्राइस रेन्ज के अन्दर हो रहा है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : दूसरा प्रश्न मेरा यह था कि कारखाना कब तक बैठ जायेगा ।

श्री मनुभाई शाह : क्या डिसीजन किया जा रहा है, इस के लिये आप को इन्तजार करना पड़ेगा ।

†**श्री मोहम्मद इमाम :** हम ने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि बंगलौर में हाल कारों का निर्माण उचित मूल्य पर करने जा रहा है और यह कारें शीघ्र ही बाज़ार में आ जायेंगी । क्या यह वक्तव्य यही सही है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं किया है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** मेरा एक निवेदन है कि जब इस प्रश्न को इतने अधिक माननीय सदस्यों ने पूछा था तो माननीय मंत्री को सात दिन और रुक कर प्रश्न का उत्तर देना चाहिए था जिससे पूरी जानकारी हमें मिल जाती और दूसरा प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं रह जाती ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं माननीय सदस्य के विचारों से सहमत हूं । अगला प्रश्न ।

बागान मजदूर

†*७५७. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय, काफी और रबड़ बागानों के अतिरिक्त अन्य बागानों के कर्मचारियों की रोजगार सम्बन्धी स्थिति के बारे में कोई तथ्यान्वेषी जांच करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस जांच समिति के निर्देश पद क्या होंगे ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) रोजगार के प्रतिरूप का पता लगाने के लिए एक तथ्यान्वेषी जांच की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) श्रम और रोज़गार मंत्रालय इसकी जांच करेगा। कोई अलग समिति इस काम के लिए नहीं बनाई गई है।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या जांच पूरी हो चुकी है ? यदि हां, तो प्रतिवेदन कब तक मिल जायेगा ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : जांच की प्रश्नावलि जारी कर दी गई है। मैं आशा करता हूं कि जांच एक वर्ष से अधिक समय तक नहीं होगी।

†**श्री काशीनाथ पाण्डे** : क्या इस में गन्ना मज़दूरों की रोज़गार स्थिति पर भी विचार होगा।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : जांच का यह उद्देश्य नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा बाग़ान अधिनियम १९५१, १९५८ में स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय के अनुसार हो जाये।

†**श्री तंगामणि** : क्या यह जांच समिति इलायची के बाग़ानों में रोज़गार पर भी विचार करेगी ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : जी नहीं। इस समय हमारा बाग़ान अधिनियम, चाय, काफ़ी, रबड़ तथा सिंकोना पर लागू है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि भारतीय चाय बाग़ान संस्था ने सरकार को यह ज्ञापन भेजा है कि चाय बाग़ानों में रोज़गार परिवार के आधार पर होगा और पत्नी और बच्चों की आय पर भी ध्यान दिया जायेगा? यदि हां, तो क्या सरकार जांच में इस बात पर भी विचार करेगी ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : यह एक दम अलग प्रश्न है। मैं स्थिति बताता हूं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने एक अभिसमय स्वीकार किया है जिस के अनुसार कृषि उत्पादन जैसें गन्ना, केला, नारियल आदि भी बागान उद्योग में आ जाते हैं जबकि हम ने चाय काफी रबड़ और सिन्कोना इन चार उत्पादों को बाग़ान उद्योग में रखा है। हमें अभिसमय के अनुसार काम करना है और इसीलिये जांच की जा रही है।

नेपाल में भारतीय

+

†*७५८. { **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल सरकार ने दो भारतीय राष्ट्रजनों को नेपाल से निर्वासित कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हज़ारिका)** : (क) जी हां।

(ख) इस का पता लगा है कि धन बहादुर सिंह तथा राम लाल पांडे को नैपाली भाषा के विरुद्ध आन्दोलन करने के कारण तथा स्थानीय वर्गों को भड़काने के कारण निर्वासित कर दिया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या हमारी सरकार ने कोई जांच की थी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : नेपाल में हुई घटनाओं की जांच नैपाल सरकार ही कर सकती है ।

†**श्री आसर** : क्या यह सच है कि नैपाल में भारत विरोधी भावनायें बढ़ रही हैं क्योंकि वहां पर साम्यवादी जान बूझ कर ऐसा प्रचार कर रहे हैं और यदि हां तो क्या हमारी सरकार ने नैपाल सरकार का ध्यान इस भारत-विरोधी प्रचार की ओर दिलाया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह बड़ा मुश्किल सवाल है । इन लोगों ने नैपाल-तराई इलाके में कई स्कूल तथा कालिज बना लिये हैं और इस प्रकार स्थानीय राजनीति में हिस्सा लेना शुरू कर के, भारतीय साम्प्रदायिक राजनीति वहां पर फैलाई है जिस पर नैपाली अधिकारियों ने आपत्ति की । उन्हों ने नैपाली भाषा तथा हिन्दी के बारे में भी एक विवाद उठाया है । नैपाल सरकार ने उन की इन साम्प्रदायिक कार्यवाहियों को पसंद नहीं किया और उन से नैपाल छोड़ देने को कहा ।

अच्छी किस्म की चीजों का निर्माण

†*७५९. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सामान्य सुविधा दुकानें (कामन फैसिलिटी शाप) अथवा विस्तार केन्द्र खोलने का है ताकि गांवों के दस्तकार अच्छे तरीके सीख सकें और अधिक अच्छी किस्म की चीज़ों का निर्माण कर सकें ; और

(ख) यदि नहीं, तो उन्हें आधुनिक परिस्थितियों के अनुरूप अच्छे तरीकों का प्रशिक्षण देने के लिये और क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जी हां । ऐसे कई केन्द्रों में काम शुरू हो चुका है और अधिक केन्द्र बनाने का विचार है ।

†**श्री हेम राज** : क्या इस प्रकार के केन्द्र प्रत्येक खण्ड में बनाये जायेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : आप सच कह रहे हैं ।

सेठ गोविन्द दास : क्या इस प्रकार के संगठन कुछ राज्यों में भी हो रहे हैं और अगर हो रहे हैं तो कहां और क्या इस सम्बन्ध में सरकार कुछ राज्यों को भी लिख रही है ?

श्री मनुभाई शाह : ये सब राज्यों में ही तो हो रहे हैं क्योंकि यूनियन टैरिटरीज़ जैसा माननीय सदस्य को मालूम है, बहुत थोड़ी हैं । वह हर एक ब्लाक में फैला हुआ है। इतने सैंटर हैं, इतने बोर्ड हैं कि अगर मैम्बर साहब किसी पर्टिकुलर एरिया के लिये, किसी पर्टिकुलर बोर्ड के लिये, खादी या स्माल स्केल या हैंडीक्राफ्ट या कायर, मुझे बतायें तो मैं उन को जरूर इनफार्मेशन सप्लाई करूंगा ।

†**श्री मू० चं० जैन** : क्या इन केन्द्रों के लिये विपणन सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां । सच यह है कि लघु उद्योग विस्तार सेवा में छः से नौ महीने के लिये विपणन प्रशिक्षण की क्लासें लगाई जाती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हेम राज : यह केन्द्र चलते फिरते केन्द्र होंगे अथवा स्थायी केन्द्र होंगे ?

†श्री मनुभाई शाह : यह स्थायी केन्द्र हैं परन्तु चलते फिरते कारखाने भी बनाये हैं। सभा को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि पिछले चार बर्षों में हम ने लघु उद्योगों में ३४,००० युवकों को प्रशिक्षित किया है अर्थात् बाग़बानी में ४७८ युवक, अम्बर चर्खा समेत खादी में ३,८२,००० युवक, ग्रामोद्योगों में ५०,२७७ युवक तथा अन्य व्यापारों में २,००० से अधिक युवक ।

†श्री वेंकटा सुब्बैया : क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि आन्ध्र प्रदेश में प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था खण्डवार न कर के ज़िलेवार की गई है ? यदि हां, तो क्या स्थानीय दस्तकारों को प्रशिक्षण के लिये ज़िला मुख्य कार्यालय में जाने में असुविधा नहीं होगी ?

†श्री मनुभाई शाह : ठीक है। वर्तमान व्यवस्था सीमित होने के कारण हम सभी तहसीलों तथा विकास खण्डों में यह व्यवस्था नहीं कर पाये हैं। परन्तु तीसरी योजना में इन विस्तार सेवाओं का विस्तार होने पर लगभग प्रत्येक खण्ड में यह व्यवस्था कर दी जायगी ।

†सेठ गोविन्द दास : किन किन राज्यों में यह काम हो रहा है, यह मैं जानना चाहता हूं ।

†श्री मनुभाई शाह : हिन्दुस्तान के सब राज्यों में, सब जिलों में ।

पेकिंग रेडियो द्वारा भारत-विरोधी प्रचार

+

†*७६० { श्री प्र० के० देव :
श्री रामेश्वर टांटिया :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेकिंग रेडियो से सुनियोजित रूप से भारत-विरोधी प्रचार किया जा रहा है जिस में विशषत: हमारे प्रधान मंत्री द्वारा लन्दन में किये गये भाषणों पर टीका टिप्पणी की जाती है ; और

(ख) क्या पेकिंग रेडियो ने केरल में, कृषि-सुधारों की आवश्यकता को और उछाला और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संकल्पों का प्रचार किया ; और

(ग) इस भारत-विरोधी प्रचार का प्रतिवाद करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) पेकिंग रेडियो के यह प्रसारण मुख्यत: दिल्ली में शिनहुआ के संवाददाता द्वारा भेजे गये समाचारों के आधार पर होते हैं। संवाददाता के कार्यों की बहुत दिनों तक जांच करने के बाद, भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि उस के द्वारा भारत से लगातार एकपक्षीय तथा विद्वेषपूर्ण समाचार भेजे जाने के कारण चीन-भारत संबंधों पर कुप्रभाव पड़ रहा है। संवाददाता को इस प्रकार के संवाद भेजने के बारे में चेतावनी दी गई थी परन्तु उस ने इस चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया । और तब उस का वीसा रद्द करने का निर्णय किया गया ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

सरकार भारत में सामान्य प्रचार के द्वारा इस प्रचार का विदेशों में प्रतिरोध करने के संबंध में कार्यवाही कर रही है ।

†**श्री प्र० के० देव** : क्या सरकार भारत-चीन मैत्री संस्था तथा साम्यवादी मित्रों का सहयोग प्राप्त करने के बारे में विचार कर रही है जिस से यह लोग चीन सरकार को बतायें कि उन को हमारे आन्तरिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जी नहीं । हमें ऐसा विचार अभी नहीं सूझा है ।

†**श्री प्र० के० देव** : क्योंकि न्यू चाइना न्यूज़ एजेन्सी के प्रतिनिधि यह सब समाचार पेकिंग रेडियो को भेजते हैं तो क्या सरकार न्यू चाइना न्यूज़ एजेन्सी की सेवाओं को हमेशा के लिये समाप्त करने के बारे में विचार कर रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है । इस प्रकार के व्यक्ति को अमान्य व्यक्ति माना जाता है । मेरी जानकारी के अनुसार उनका कार्यालय बन्द हो चुका है । यदि वह नया कार्यालय खोलना चाहेंगे तो उसमें नये व्यक्ति आयेंगे और तब हम अलग से इस प्रश्न पर विचार करेंगे ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : उन का केरल में हमारे कृषि सुधारों की आलोचना करना क्या आन्तरिक हस्तक्षेप नहीं है और क्या इस के बारे में पेकिंग सरकार को कोई विरोध पत्र भेजा गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस विषय की उन्हों ने बड़ी कड़ी आलोचना की है ।

†**श्री त्यागी** : क्या चीन में भारत के समाचारपत्रों के संवाददाताओं को घूमने फिरने की तथा चीन के मामलों के समाचार भेजने की उतनी ही स्वतंत्रता है जितनी भारत में चीनी संवाददाताओं को है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरे विचार में चीन में भारतीय समाचारपत्र का कोई संवाददाता नहीं है । कुछ समय पहले एक भारतीय समाचारपत्र ने संवाददाता भेजना चाहा था परन्तु उसको वीसा नहीं दिया गया । इसका यह मतलब नहीं है कि वह सभी संवाददाताओं को अनुमति नहीं देते हैं । उस व्यक्ति को वीसा नहीं दिया गया था । मैं समझता हूं उसके बाद किसी ने आवेदन पत्र ही नहीं भेजा ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : इस प्रचार को दबाने के लिए तथा अपने प्रचार संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या सरकार संयुक्त राष्ट्र और इंग्लैण्ड में नया सूचना केन्द्र बनाने के संबंध में विचार कर रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य क्या चाहते हैं । क्या माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि हमें वहां के अपने वर्तमान केन्द्रों में सुधार करना चाहिये क्योंकि वहां केन्द्र भी हैं । यदि ऐसी बात है तो यह केवल एक सुझाव है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : जिस प्रकार शिनट्टुआ के संवाददाताओं को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई क्या उसी प्रकार हमने अपने आकाशवाणी के संवाददाता को वहां पर भेजने की चीन सरकार से अनुमति नहीं मांगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हमने आकाशवाणी के संवाददाता को वहां भेजने के संबंध में कभी नहीं सोचा क्योंकि सामान्यतः हम उनको देश से बाहर नहीं भेजते हैं।

†**श्री महन्ती :** न्यू चाइना न्यूज़ एजेन्सी तथा पेकिंग रेडियो दोनों चीन में सरकार द्वारा नियंत्रित हैं और यही भारत विरोधी प्रचार में लगी हुई हैं तब सरकार ने इसके बारे में चीनी सरकार को क्या कोई विरोध पत्र भेजा है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं समझता हूं कि उनके संवाददाताओं को वापस भेज देना ही सबसे कड़ा विरोध है।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये ऊनी खादी की वर्दियां

+

†*७६१. **श्री रा० च० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ऊनी खादी की वर्दियां देने के प्रश्न पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारें में सरकार ने क्या निश्चय किया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) और (ख). जी, नहीं। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से उपयुक्त प्रकार की ऊनी खादी के संभरण के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होने पर एक अन्तिम निश्चय किया जायेगा। इस बारे में सरकार आयोग के साथ विचार विमर्श कर रही है

†**श्री रा० च० माझी :** निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** उन्होंने पहले हमें छः नमूने भेजे थे। उनमें से एक हमारे नमूने के अनुसार था। हमने उनको भारतीय मान संस्था के दो नमूने भेजे हैं ताकि वे क्वालिटी बढ़िया बना सकें। हम आयोग से बातचीत कर रहे हैं।

सेठ गोविन्द दास : क्या सरकार को यह बात मालूम है कि ऊनी और सब प्रकार की खादी इस समय करीब पांच करोड़ रुपये की ऐसी पड़ी है जो बिक नहीं रही है और क्या सरकार इसके बारे में कुछ विचार कर रही है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** यह प्रश्न ऊनी खादी के बारे में है। जहां तक सरकार द्वारा खादी की खरीद का सम्बन्ध है, इसमें वृद्धि होती रही हैं। वर्ष १९५९–६० में हमने १,०३,५४,००० रुपये की खरीदारी की।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या सरकार ने इस बारे में कोई निश्चय कर लिया है कि चतुर्थ श्रेणी के सब कर्मचारियों को, चाहे वे स्थायी हों या अस्थायी, ये खादी की वर्दियां दी जायें ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** जहां तक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये सूती वर्दिया का प्रश्न है, यह सब खादी की हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या खादी और ऊनी खादी के बारे में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से कोई ठेका किया गया है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : जहां तक ऊनी खादी का सम्बन्ध है, हम खादी आयोग के साथ बातचीत कर रहे हैं क्योंकि पहले तो नमूनों का तय होना है। जहां तक सूती खादी का सम्बन्ध है, हमने खादी आयोग के साथ दरों के बारे में ठेका किया है।

†**श्री यादव नारयण जाधव** : इन कपड़ों की किस्म और मूल्य की मिल के बने ऊनी कपड़े से क्या तुलना है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

सेठ गोविन्द दास : जहां तक सरकार के भिन्न-भिन्न महकमों का सम्बन्ध है, अभी कितने ऐसे महकमे हैं जहां पर खादी का उपयोग नहीं हो रहा है और क्या इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि ऊनी और सब प्रकार की खादी दूसरे महकमों में भी इस्तेमाल की जाये ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : इस बारे में एक पृथक् प्रश्न पूछा जाये।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या सरकार खादी की वर्दियों को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तक ही सीमित न करके पदाधिकारियों को भी खादी की वर्दियां देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? ये वर्दियां उच्च श्रेणी के कर्मचारियों को भी क्यों न दी जायें ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : उच्च श्रेणी के पदाधिकारियों को वर्दियां नहीं दी जाती हैं।

दंडकारण्य में नलकूप[1]

\+

†*७६२. { **श्री संगण्णा** :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री दंडकारण्य में नलकूपों के बारे में २५ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २५०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ८६ नलकूपों के खोदने में असफलता मिलने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या इन नलकूपों के लिये, जिनकी सफलतापूर्वक खुदाई नहीं की जा सकी, ठेकेदारों अथवा अन्य व्यक्तियों को कुछ अदायगी की गयी है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) क्षेत्र में पानी वाली सतह मिलने की अनिश्चितता।

(ख) जी, नहीं। यह कार्य विभागीय तौर पर किया गया था।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : इन छ : नलकूपों में से, जिनके खोदने में असफलता मिली, दण्डकारण्य के उड़ीसा भाग में कितने कुएं असफल रहे?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : मेरे पास वह जानकारी नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Bore wells.

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** एक पूर्व प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया था कि कोरापुट जिले में ६९ नलकूपों की मंजूरी दी गई है। क्या मैं जान सकता हूं कि उनमें से कितने नलकूप बनाये गये हैं ?

†**श्री पू० शे० नास्कर :** उत्तर यह दिया गया था कि तब तक खोदे गये २०२ कुओं में से ११६ में सफलता मिली। परन्तु मेरे पास यह आंकड़े नहीं हैं कि कोरापुट और बस्तर जिले में कितने नलकूपों में सफलता मिली है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** उन स्थानों में जहां नलकूप असफल रहे हैं, स्थानीय जनता को और शरणार्थियों को पीने के पानी का संभरण करने के लिये क्या वैकल्पिक उपाय किये गये हैं ?

†**श्री पू० शे० नास्कर :** पीने के पानी के लिये गहरे पक्के कुएं तालाब और जलागम क्षेत्रों में बांध बनाने की व्यवस्था है।

अंदमान द्वीप में कार्मिक संघ

†*७६३. **डा० राम सुभग सिंह : क्या श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान के लोक-निर्माण विभाग और वन विभाग के दो औद्योगिक विवाद, जिनको सम्बन्धित कार्मिक संघों ने न्याय-निर्णयन के लिये सौंपने के लिये भेजा था, बहुत समय से स्थानीय प्रशासन के समक्ष विचाराधीन हैं ;

(ख) क्या उनको न्याय-निर्णय के लिये सौंपने में विलम्ब हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**श्रम, रोजगार और योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) लोक-निर्माण विभाग सम्बन्धी विवाद को न्याय-निर्णयन के लिये एक श्रम-न्यायालय को सौंपा गया है और वन विभाग सम्बन्धी विवाद को संघ के प्रधान ने समाप्त कर दिया है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†**डा० राम सुभग सिंह :** इन मामलों के बारे में अधिकारियों को कब पता चला ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** निश्चित तिथि के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता परन्तु मुख्य आयुक्त के साथ बातचीत १४ जुलाई को असफल हो गयी और उसके तत्काल बाद यह श्रम न्यायालय को निर्देशित किया गया।

†**श्री जोकीम आल्वा :** अन्दमान की जनता का अपना-अपना तरीका है और वे भारत के तरीके से अप्रभावित हैं। क्या श्रम मंत्रालय उस जनता की आवश्यकताओं के बारे में विशेष ध्यान दे रहा है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** जहां तक संगठित श्रमिकों का सम्बन्ध है, वे अन्दमान में दो से तीन हजार तक हैं। वे मुख्यत: वन उद्योग में नियोजित हैं और उन पर सब श्रम कानून लागू होते हैं। जहां तक विशेष ध्यान का सम्बन्ध है, श्रम मंत्रालय का एक विशेष पदाधिकारी वहां जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** : हमें बताया गया है कि न्याय-निर्णयन के लिये निर्देशित दो विवादों में से एक संघ के प्रधान ने वापस ले लिया। दूसरे विवाद का क्या हुआ ? यह अभी भी लम्बित है या निपटा दिया गया है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : एक संघ द्वारा वापस ले लिया गया है और दूसरा श्रम न्यायालय में लम्बित है ।

चाय उद्योग के लिये अनुसन्धान संस्था

†*७६४. { **श्री इ० मधुसूदन राव** : **श्री सुबोध हंसदा** : **श्री नेक राम नेगी** : **श्री रा० चं० माझी** :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ८ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १३७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दूअर्स में एक मूलभूत चाय अनुसंधान संस्था और चाय अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने के बारे में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : यह एक विशाल योजना है, जिस में ६२ लाख रुपये व्यय होंगे। इसलिये सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि क्या गवेषणा का यह कार्य वर्तमान गवेषणा संस्थाओं में कम खर्चे पर नहीं हो सकता है। निर्णय करने के पूर्व प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : इस से पहिले एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा था कि इन दोनों संस्थाओं के लिये अनावर्ती व्यय क्रमशः ३७.५ लाख और १० लाख होगा। इस समय माननीय मंत्री ने कहा है कि यह एक बड़ी योजना है जिस में लगभग ६२ लाख रुपया व्यय होगा। इस प्रश्न का कितना भाग दूअर्स द्वारा और कितना भाग सरकार द्वारा दिया जायेगा ?

†**श्री कानूनगो** : सारा व्यय सरकार को देना होगा, क्योंकि दूअर्स के संसाधन भी सरकार के ही संसाधन हैं ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : इस समय भी यही उत्तर दिया गया है कि दोनों योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि योजनाओं पर अन्तिम निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री कानूनगो** : ये दोनों एक प्रकार की योजनायें हैं। एक बुनियादी गवेषणा की और दूसरी बुनियादी गवेषणा के पश्चात होने वाली व्यावहारिक गवेषणा की ।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : इस मामले में चाय बोर्ड ने क्या सिफारिश की है ?

†**श्री कानूनगो** : चाय बोर्ड ने यह सिफारिश की है कि इस व्यय पर एक संस्था की स्थापना कर दी जाये ।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : क्या चाय बोर्ड ने इस प्रयोजन के लिये कुछ राशि भी निर्धारित की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो :** उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं है ।

†**श्री हेम बरूआ :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये योजनायें बहुत बड़ी हैं और सरकार ने इनके सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया है, क्या सरकार वर्तमान प्रयोगिक केन्द्रों यथा जोरहाट के टोकलोई केन्द्रों को वित्तीय सहायता देना या उनका विस्तार करना चाहती है ?

†**श्री कानूनगो :** टोकलोई संस्था से, जो एशिया की सर्वोत्तम संस्थाओं में से एक है, वित्तीय सहायता की प्रार्थना की गई है, विशेषज्ञों की एक समिति उस पर विचार कर रही है ।

†**श्री नारायण स्वामी :** क्या नीलगिरि में स्थित, दक्षिण भारत के यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन से सम्बन्धित कुछ अधिकारी इस पर गवेषणा कार्य कर रहे हैं ?

†**श्री कानूनगो :** जी हां, दक्षिण भारत में एक गवेषणा संस्था है, सरकार उसकी सहायता कर रही है ।

†**श्री हेम बरूआ :** मैं एक बात नहीं समझ सका । सरकार दो संस्थाओं की स्थापना करना चाह रही है, एक बुनियादी गवेषणा के लिये और दूसरी सामान्य गवेषणा के लिये । क्या ये दोनों काम एक ही संस्था में नहीं हो सकते हैं ?

†**श्री कानूनगो :** इस योजना के प्रवर्तकों का विचार है कि ये दोनों संस्थायें पृथक् हों ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** अन्य वस्तु समितियां गवेषणा संस्थाओं पर धन व्यय कर रही हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि चाय बोर्ड को ऐसा करने से क्यों रोका गया है ?

†**श्री कानूनगो :** उसे रोका नहीं गया है । यह संस्था गवेषणा करने और उसे लोकप्रिय बनाने में धनराशि व्यय कर रही है । उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

पत्तनों पर अखबारी कागज के कारखाने

†*७६५. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० चं० माझी :
श्री नेक राम नेगी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बन्दरगाहों में आयात किये गये गूदे (पल्प) से अखबारी कागज बनाने के कारखाने खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). जी हां । आयात की हुई लुगदी से अखबारी कागज बनाने की दो योजनायें स्वीकृत की जा चुकी हैं, सम्बन्धित फर्म, मशीनों के विदेशी संभरणकर्त्ताओं से बातचीत आरम्भ कर चुके हैं ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** इस काम के लिये कौन से बन्दरगाह चुने गये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** एक महाराष्ट्र में है और दूसरी फर्म ने अभी कारखाने के स्थान का निश्चय नहीं किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुबोध हंसदा :** इन दोनों संयंत्रों की स्थापना में अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** प्रत्येक परियोजना का अनुमानित व्यय ६ करोड़ रुपये है ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी :** मैं जानना चाहता हूं कि शाहडोल के इलाके में जो एक कागज के कारखाने का ठेका दिया गया है, उस का क्या हुआ ।

श्री मनुभाई शाह : वह चल रहा है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : बांस बेच रहा है ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** ये कारखाने विशेषतः बन्दरगाहों मे क्यों स्थापित किये गये हैं, जब कि देश के भीतरी भाग में अधिक सुविधायें प्राप्त हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** कि बहुत अधिक बेकार जल बहाना होता है । यदि कारखाने को देश के भीतरी भाग में स्थापित किया जाय तो इससे लाखों एकड़ खेती की जमीन खराब होने का अंदेशा है । लुगदी का आयात किया जायेगा अतः उसे बन्दरगाहों पर ही तैयार करना अधिक सरल होगा । इस कारखाने को स्थापना बम्बई शहर में नहीं हो रही है । इसके लिये रत्नागिरि या कोलाबा जिले में कोई स्थान चुना गया है ।

†**श्री यादव नारायण जाधव :** महाराष्ट्र में इस कार्य के लिये कौन सा स्थान चुना गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** उन्होंने अभी कोई स्थान नहीं चुना है । उन्होंने रत्नागिरि और कोलाबा में कोई स्थान बताया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सीमेंट की कमी

†*७६६. **श्री मोहम्मद इलियास :**
श्री अरविन्द घोषाल :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री राम गरीब :
श्री प्र० गं० देब :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश के विभिन्न नगरों में सीमेंट की कमी आ गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) और (ख). बढ़ते हुए निर्माण कार्यों को देखते हुए सीमेंट की मांग जो एक समय गिर गई थी, पुनः बढ़ गई है इसका अधिक प्रभाव शहरों तथा बड़े नगरीय क्षेत्रों में हुआ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रूस जाने वाले राष्ट्रपति के दल में पत्र-प्रतिनिधि

*७६७. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री आसर :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब राष्ट्रपति जून-जुलाई, १९६० में सोवियत रूस की यात्रा पर गये थे तो उस समय भारतीय समाचार-पत्रों के कुछ प्रतिनिधि उन के साथ गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा जिसमें यह बताया गया हो कि वे कौन-कौन थे, किन-किन समाचार-पत्रों के प्रतिनिधि थे और वह समाचार-पत्र किस भाषा में कहां से प्रकाशित होता है; और

(ग) किस आधार पर वे पत्र-प्रतिनिधि चुने गये थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २]**

(ग) समाचार-पत्रों के प्रतिनिधि, प्रतिनिधि समाचार-पत्र संस्थाओं द्वारा सुझाये गये नामों में से चुने जाते हैं। चुनते समय अंग्रेजी और भारतीय भाषा के समाचार-पत्रों के बीच संतुलन की भी कोशिश की जाती है। इस बात का भी प्रयत्न किया जाता है कि उन प्रतिनिधि पत्रकारों को भी बारी बारी से मौका दिया जाये जो पहले कभी न गये हों।

हालांकि अब तक पत्रकारों, संवाददाताओं और सम्पादक तथा समाचार-पत्रों के अन्य प्रतिनिधियों का चुनाव बड़ी सावधानी से विचार करने के बाद किया गया है, फिर भी यह महसूस किया जाता है कि आगे ऐसी पार्टियों के साथ केवल समाचार-पत्रों के मान्यता प्राप्त संवाददाता ही भेजे जायें। पत्रकारों के भेजने का उद्देश्य यह नहीं है कि उन्हे विदेश की सैर करायी जाये। उन्हें बाहर भेजने का उद्देश्य यह है कि वे अपने समाचार-पत्रों को उपयुक्त रिपोर्टें भेजें कि विदेशों में राष्ट्रपति या प्रधान मंत्री का किस प्रकार स्वागत किया गया। यह महसूस किया जाता है कि यह केवल वही संवाददाता कर सकते हैं जिनका मुख्य कार्य इस प्रकार की रिपोर्ट भेजना है। दूसरे देशों में भी सामान्यतः यही प्रथा है।

दिल्ली में छोटे पैमाने के उद्योग

†*७६८. **पंडित डा० ना० तिवारी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरानी दिल्ली में यातायात के दबाव को कम करने की दृष्टि से छोटे पैमाने के उद्योगों को पुरानी दिल्ली के घनी आबादी वाले क्षेत्रों से हटा कर शहर के बाहर खुले इलाकों में ले जाने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थानान्तरण पर कितना खर्च आयेगा और इन्हें किस स्थान पर ले जाया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

दिल्ली नगर निगम ने, वर्तमान औद्योगिक बस्ती श्रृंखला के दक्षिण में ९०० एकड़ के क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है । प्रस्ताव यह है कि वहां के अधिकांश विकसित प्लाट ऐसे उद्योगों के लिये सुरक्षित रहेंगे जो कि इस समय दिल्ली की गहन बस्तियों के भीतर, जो उनके उपयुक्त स्थान नहीं हैं, स्थित हैं । इसका विवरण यथा नकशा, एलाटमेंट की नीति, इत्यादि पर निश्चय किया जा रहा है । अभी इस बात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि उद्योगों को उस क्षेत्र में स्थानान्तरित करने पर कितना व्यय होगा ।

सरकारी उपक्रम

†*७६९. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी उपक्रमों को (१) अपने प्रशासन को त्रुटिहीन और दोष-रहित बनाने, और सभी स्तरों पर उपयुक्त अधिकार एवं शक्ति का प्रत्यायोजन करने तथा (२) अपने उत्पादों के लिये मूल्य-नीति निर्धारित करने के लिये कोई निर्देश दिये हैं; और

(ख) क्या सरकारी उद्योग क्षेत्र के उपक्रमों को यह बताया गया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में उनसे क्या आशा की जाती है और क्या उनसे कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि वे इस सम्बन्ध में अनुमानत: कितना योगदान कर सकेंगे ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अधिकारों के प्रत्यायोजन और कीमतों के निर्धारण की नीति के सम्बन्ध में कोई औपचारिक निदेश नहीं दिये गये हैं । सरकार द्वारा समय समय पर भेजे गये परपत्रों और परियोजनाओं समायोजन समिति की चर्चायों में उत्तरवर्ती स्तरों में प्राधिकारों का प्रत्ययोजन कर प्रशासन को अधिक कुशल बनाने की आवश्यकता पर जोर डाला गया है । जहां कीमतों के निर्धारण के सम्बन्ध में उन्होंने सरकार के अनुदेश मांगे हैं, वहां तत्सम्बन्धी मन्त्रालयों ने उस प्रश्न पर चर्चा की है और बोर्डों को तदनुसार सलाह दे दी गई है । सरकारी क्षेत्रों की परियोजनाओं से कीमतों सम्बन्धी ऐसी नीति बरतने की आशा की जाती है कि उनसे एक ओर वाणिज्यिक स्तर पर उनका कार्य प्रवर्तन और कुशलता बढ़े और दूसरी ओर राष्ट्रीय संसाधनों की भी वृद्धि हो ।

(ख) सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं ने तीसरी योजना के कार्यक्रम बना लिये हैं । सरकारी क्षेत्र के कारखानों के विस्तार कार्यक्रमों के सम्बन्ध में तीसरी योजना के मसविदे से जो इस समय संसद् के सम्मुख है माना जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कांगो में भारतीय

†*७७०. **श्री स० अ० मेहदी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगो में अभी हाल ही में हुई गड़बड़ में भारतीय स्त्रियों और बच्चों को कांगो से निकल जाने के लिये बाध्य किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वैदेशिक कार्य मन्त्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां):** (क) और (ख). कांगो की अव्यवस्थित हालतों के कारण, वहां के अधिवासी एशिया निवासियों ने अपने स्त्री बच्चे अस्थायी रूप से, सुरक्षा के कारणों से कांगो के बाहर वहां के निकटवर्ती देशों और भारत में भेज दिये हैं। दो भारतीय राष्ट्रीय नैरोबी में आये थे अब वे कांगो वापस जाना चाहते हैं। पांच भारतीय राष्ट्रिकों के तो परिवार, पुर्तगीज अंगोल के लुआंडा स्थान में चले गये थे। उनमें से एक परिवार नैरोबी आ चुका है और भारत प्रस्थान करने की तैयारी में है। दूसरा परिवार भी नैरोबी भेजा जाने वाला है। तीन भारतीय स्त्रियां और दो बच्चे ब्रुसेल्स की राह से भारत आ रहे हैं।

हिन्दी समाचार पत्रों की कतरनें

*७७१. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी के समाचार पत्रों में विभिन्न मन्त्रालयों और विभागों के बारे में जो सुझाव, शिकायतें और समाचार छपते हैं क्या उनकी कतरनें भेजने की वही व्यवस्था है जो अंग्रेजी समाचार-पत्रों के लिये है; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उस के क्या कारण हैं और अंग्रेजी और हिन्दी के समाचार-पत्रों की कतरनें भेजने की एक सी व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) और (ख). सरकारी कार्य के बारे में समाचार-पत्रों में जो खबरें आती हैं, उनको जानने के लिये प्रेस इनफारमेशन ब्यूरो कई भाषाओं में और काफी संख्या में समाचार-पत्रों को देखती है। ३२ अंग्रेजी दैनिक और ६३ हिन्दी (जिसमें ३६ दैनिक, ८ साप्ताहिक और १९ और समाचार-पत्र हैं) रोज देखे जाते हैं। हिन्दी समाचार-पत्रों से टीकाएं, खबरें और सम्पादक के पत्र जो महत्व के होते हैं, वह अलग अलग मन्त्रालयों को दिये जाते हैं। हिन्दी समाचार-पत्रों की कटिंग, उन्हीं मन्त्रालयों इत्यादि को भेजी जाती हैं जो उनकी मांग करते हैं।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग

†*७७२. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मन्त्रालय का केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग डाक और तार विभाग के मकान बनाने के कार्य को पूरी तरह सम्भाल नहीं सका ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या केवल डाक और तार विभाग के निर्माण कार्यों के लिये कोई अलग शाखा खोलने का विचार है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में डाक और तार विभाग की क्या मांग है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण, विभाग, डाक तथा तार विभाग के वर्तमान कार्यक्रम को क्रियान्वित कर सकता है, तथापि भविष्य में उनके बढ़े हुए कार्यक्रम को पूरा करने के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अग्रेतर वृद्धि करने की आवश्यकता होगी ।

(ख) संचार मंत्रालय के कथनानुसार उनके विस्तृत कार्यक्रम को पूरा करने के लिये डाक तथा तार विभाग का काम करने के लिये लोक निर्माण विभाग की पृथक् शाखा की स्थापना की जा रही है ।

(ग) संचार मन्त्रालय ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर की अध्यक्षता में एक पृथक् शाखा खोलने की मांग की है । ये डाक तथा तार विभाग के घनिष्ठ सम्पर्क में काम करेंगे तथा उन्हें केवल इसी विभाग का काम दिया जायेगा ।

भविष्य निधि से रुपया निकालना

†*७७३. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना, १९५२ के पैरा ६८ (ग) के अन्तर्गत औद्योगिक कर्मचारियों के लिये राज्य-सहायता प्राप्त गृह निर्माण योजना के लिये भविष्य निधि से रुपया उन्हीं मामलों में निकाला जा सकता है जिनमें रुपये का भुगतान सहकारी समितियों अथवा राज्य सरकारों को किया जाना हो; और

(ख) क्या यह सच है कि यदि नगर सुधार न्यास (सिटी इम्परूवमेंट ट्रस्ट) अथवा स्थानीय निकाय (लोकल बाडीज़) औद्योगिक कर्मच रियों के लिये राज्य सहायता प्राप्त गृह निर्माण योजनाओं से सम्बद्ध हों तो कर्मचारियों की भविष्य निधि से रुपया निकालने की अनुमति दे दी जाती है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां ।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि योजना की कंडिका ६८–ख के अधीन राशि तभी वापस ली जा सकती है जब नगर सुधार प्रन्यास या स्थानीय निकाय कर्मचारी भविष्य निधि योजना के सदस्यों को भूमि बेचने को तैयार हों ।

कार्यालयों का दिल्ली से स्थानान्तरण

†*७७४. **श्री ब्रजराज सिंह :**
श्री जीनचन्द्रन :

क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में सरकारी कार्यालयों के लिये स्थान की कमी की समस्या को हल करने के लिये केन्द्रीय सरकार के कितने कार्यालयों को राजधानी से देश के अन्य भागों में ले जाया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन कार्यालयों के दिल्ली से बाहर ले जाये जाने के परिणामस्वरूप कार्यालयों के लिये अब तक कितना स्थान उपलब्ध हुआ है ;

(ग) १९६०–६१ के वित्तीय वर्ष में किन किन सरकारी कार्यालयों को दिल्ली से बाहर ले जाया जायेगा; और

(घ) १९६०–६१ के वित्तीय वर्ष में राजधानी से कार्यालयों को बाहर ले जाने के फलस्वरूप कार्यालयों के लिये कितना स्थान उपलब्ध होगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) १९५८ से ११ ।

(ख) लगभग ९५००० वर्ग फीट ।

(ग) श्रम और रोजगार मन्त्रालय का कृषि श्रम जांच विभाग । वर्ष १९६०–६१ के अवशेष भाग में किसी अन्य कार्यालय को दिल्ली के बाहर स्थानान्तरित करने का निश्चय नहीं किया गया है ।

(घ) १५ सितम्बर १९६० तक २०७४२ वर्गफीट (इसमें उत्तर रेलवे की १६८४३ वर्ग फीट जगह भी शामिल है) ।

बम्बई में प्रशिक्षित अध्यापक-प्रशासक

†*७७५. **श्री तंगामणि** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में प्रशिक्षित सभी अध्यापक-प्रशासकों को विभिन्न राज्यों में काम पर लगा लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल संख्या कितनी है; और

(ग) अभी और कितने राज्यों में ऐसे व्यक्ति नियुक्त किये जाने हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां ।

(ख) तेंतालीस ।

(ग) पांच ।

कांगो की स्थिति

†*७७६. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री तंगामणि :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगो गणराज्य ने अपने इलाके से बैल्जियम की सशस्त्र सेनाओं को हटाने के लिये अपने प्रयत्नों में भारत सरकार से सहायता देने के लिये कहा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या कांगों में अभी हाल ही में हुई घटनाओं को दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार अफ्रीकी एशियाई देशों द्वारा अपनी राष्ट्रीय प्रभुता की रक्षा के लिये और इस इलाके में शान्ति और सुरक्षा को होने वाले खतरे के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही की जाने की दिशा में कोई कदम उठाने के बारे में सोच रही है ; और,

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राजनयिक प्रतिनिधि द्वारा कार का विक्रय

†*७७७. **श्री अ० मु० तारिक :**
श्री प्र० गं० देव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल ही में एक राजनयिक प्रतिनिधि ने अपनी १९६० के माडल की शेवरलेट मोटरकार ८०,००० रु० में बेची है ;

(ख) क्या इस संबंध में भारत सरकार की पूर्व-अनुमति ले ली गयी थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) सरकार को ज्ञात है कि कूटनीतिज्ञों द्वारा १९६० माडल की तीन शैवरलट कारें बेची गईं तथापि उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि उनके लिये कितनी कीमत ली गई ।

(ख) इन तीनों कारों को बेचने की अनुमति ले ली गई थी, ये कारें कूटनीतिज्ञों द्वारा भारत में उनकी पदावधि समाप्त होने पर बेची गई थीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दण्डकारण्य क्षेत्र में कारखाने

†*७७८. **श्री चिन्तामिण पाणिग्रही** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास औद्योगिक निगम ने दंडकारण्य क्षेत्र में कारखाने खोलने का निश्चय किया है ; और

(ख) क्या निगम ने दंडकारण्य में बसे पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों को उस इलाके में कारखाने खोलने के लिये ऋण दिये हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) पुनर्वास उद्योग निगम ने दंडकारण्य में उद्योग की स्थापना की अभी तक कोई योजना स्वीकृत नहीं की है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तान में भारतीय डाकू

†*७७९. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** १६ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १५३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गंगानगर पर छापा मारने वाले भारतीय डाकुओं को लौटाने और उनके द्वारा लूटी गयी सम्पत्ति को भारत सरकार के हवाले करने के सम्बन्ध में पाकिस्तान के साथ हो रही बातचीत में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : पाकिस्तान सीमान्त के पुलिस अधिकारियों ने १२००० के मूल्य की सम्पत्ति वापस दे दी है । उनसे लूटी गई सम्पत्ति का अवशेष भाग भी वापस करने को कहा गया है । उन्होंने कहा है कि इस मामले में जिन डाकुओं की साजिश थी उन्हें पाकिस्तान सेना न्यायालय दण्डित कर चुका है और वे उस देश में लम्बी कैद की सजा भुगत रहे हैं ।

कुटीर उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग

†*७८०. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री हेम राज :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री नेक राम नेगी :
श्री रा० च० माझी :
श्री तंगामणि :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ४ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ७२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने इस बीच कुटीर उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योगों सम्बन्धी जापानी प्रतिनिधिमण्डल की रिपोर्ट पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह किस परिणाम पर पहुंची है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). अन्तर्मंत्रालय समिति द्वारा जापानी प्रतिनिधिमंडल के प्रतिवेदन पर विचार किया गया । समिति की सिफारिशों पर सरकार अपना निर्णय करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सिक्किम में रेडियो स्टेशन

*७८१. श्री म० ला द्विवेदी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिक्किम में रेडियो स्टेशन स्थापित करने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : सिक्किम सरकार के साथ इस विषय पर अभी बात चीत चल रही है ।

राज्य व्यापार निगम

†*७८२. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी एक खास चीज़ का व्यापार करने वाली फर्मों में से कुछ एक को राज्य व्यापार निगम का व्यापारिक सहयोगी बनाने के लिये किस आधार पर चुना जाता है ; और

(ख) क्या चुनाव करते समय सम्बन्धित व्यापार संघों से सलाह ली जाती है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) विभिन्न फर्मों से आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं । उनकी वित्तीय परिपक्वता और व्यावसायिक ईमानदारी के संबंध मे विश्वास होने पर फर्मों को उनकी वस्तुओं के लिये पंजीयित कर लिया जाता है ।

(ख) जी, नहीं ।

कोयला खान में दुर्घटना

†*७८३. श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २९ मई, १९६० को राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की हजारीबाग जिले में स्थित वाचरा कोयला खान के विकास सैक्शन की गैलरी की छत के गिर जाने से पांच खनिकों की मत्यु हो गयी और एक घायल हो गया ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्यौरा क्या है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां ।

(ख) छत से पत्थरों के बहुत बड़े टुकड़े २·२५ मीटर की ऊंचाई से गिरे और चौरास्ते में लगे हुए मजदूरों को एक गेंग के ऊपर पड़े, जिसके परिणामस्वरूप पांच व्यक्ति मारे गये और एक को गम्भीर चोटें आईं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उर्वरकों का निर्माण

†*७८४. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० के० देव :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री नागी रेड्डी :
श्री वें० प० नायर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अमरीका के सहयोग से उर्वरकों का निर्माण करने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा चुका है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). यह निश्चय किया गया है कि तीसरी योजना के दौरान विदेशी पूंजी के सहयोग से भारतीय फर्मों के द्वारा कुछ उर्वरक कारखाने खोलने की इजाजत दी जाय । कुछ भारतीय फर्म अमेरिकी फर्मों के सहयोग से ऐसे संयुक्त उपक्रम प्रारम्भ करने की संभावनाओं पर विचार कर रही हैं । औद्योगिक अनुज्ञप्तियां जारी करने के लिये आवेदन आने पर गुणावगुणों के आधार पर प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा ।

बर्मा से निष्क्रमण करने वाले भारतीयों के दावे

†*७८५. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा पर जापान का अधिकार होने के समय बर्मा से निष्क्रमण करने वाले भारतीयों को उस समय भारत स्थित बर्मा सरकार को अपने नुक्सान आदि के दावे देने के लिये कहा गया था ;

(ख) यदि हां, तो इन निष्क्रान्त व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति करने के सम्बन्ध में अब तक क्या किया गया है और वर्तमान सरकार की इस सम्बन्ध में क्या नीति है ; और

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रजनों के दावों का निपटारा करने के लिये भारत सरकार ने उनकी ओर से बर्मा सरकार से अनुरोध किया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री हजारिका)** : (क) जी हां । ऐसे व्यक्तियों से अपने दावों का, बर्मा द्वारा १९४६ में नियुक्त युद्ध क्षति दावा आयोग के सम्मुख प्रस्तुत करने को कहा गया था ।

(ख) और (ग). भारत सरकार द्वारा ब्रिटेन और बर्मा की सरकार को इसके पूर्व अभ्यावेदन भेजे जा चुके हैं । जहां तक भारत सरकार को ज्ञात है बर्मा सरकार ने पिछले युद्ध के दौरान बर्मा में हुई क्षति के लिये किसी को प्रतिकर नहीं दिया है । इस बीच भारत सरकार दावेदारों को यह सलाह दे रही है कि प्रतिकर देने का निर्णय बर्मा सरकार के ऊपर निर्भर करता है, यदि वे इस मामले को बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें सीधे बर्मा की सरकार को लिखना चाहिये ।

†मूल अंग्रेजी में

तिब्बत में जोरावरसिंह की समाधि का विध्वंस

†*७८६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि चीनी सैनिकों ने मान सरोवर के निकट तकलाकोट में लद्दाख-विजेता डोगरा सेनापति जोरावर सिंह की समाधि को ध्वंस कर दिया है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : सरकार इस संबंध की, कि चीनी सेनाओं ने सेनापति जोरावर सिंह के स्मारक को ध्वस्त किया है, पुष्टि करने या उसका निराकरण करने की स्थिति में नहीं है ।

योजना आयोग में कार्य पद्धति का अध्ययन

†*७८७. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के काम की मात्रा और कार्य पद्धति का कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) किफ़ायत करने और कार्य कुशलता बढ़ाने के सम्बन्ध में यदि इस अध्ययन का कोई परिणाम निकला है तो वह क्या है;

(ग) यदि ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया तो क्या अब ऐसा करने का कोई विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)**: (क) और (ख). १९५८ में योजना आयोग के पुनर्गठन के सिलसिले में, उसके विभिन्न विभागों के कार्यभार पर सावधानी से विचार किया गया । योजना आयोग तथा मंत्रालयों को दुहरा काम न करना पड़े, इस उद्देश्य से कुछ मंत्रालयों से परामर्श किया गया । पुनर्गठन वर्तमान कर्मचारियों की संख्या के अन्दर ही किया गया । योजना आयोग के कामों को अच्छे तरीके से किये जाने के लिये जो विशेष अध्ययन किये गये थे उनसे भी लाभ उठाया गया ।

(ग) और (घ). उत्पन्न नहीं होते हैं ।

वृत्त-चित्र

†*७८८. **श्री तंगामणि** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री वर्ष १९५९ में और वर्ष १९६० की पहली छिमाही में बनाये गये वृत्त-चित्रों के नाम बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन में से कितने चित्रों को विदेशों में प्रचार के लिये भेजा गया है;

(ख) इन वृत्त-चित्रों को कितना पसन्द किया गया है; और

(ग) क्या किसी वृत्त-चित्र को बहुत उपयोगी और अद्वितीय माना गया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : फिल्मस डिवीजन द्वारा १९५९ और १९६० के पहिले अर्द्धांश में बनाये गये प्रलेखचित्रों के नाम बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३]**

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) विवरण में उल्लिखित फिल्मों में से ५८ को विदेश प्रचार के लिये स्वीकृत किया गया। इन फिल्मों की प्रतिलिपियां या तो विदेश स्थित भारतीय मिशनों में भेजी जा चुकी हैं या निकट भविष्य में भेजी जायेंगी।

(ख) विदेशों में वृत्त-चित्रों के प्रदर्शन का सामान्यतः अच्छा स्वागत हुआ है। हाल में उनके प्रदर्शन की मांग बढ़ी है। कुछ देशों में उनको टेलीविज़न पर भी दिखाया गया है।

(ग) हमारे कई प्रलेख चित्र उच्च कोटि के और विशिष्ट माने गये हैं। कुछ प्रलेख चित्रों को अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म मेलों में पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

ग्यांत्से में भारतीय व्यापार अभिकरण की इमारत

†*७८९. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** ४ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्यांत्से, तिब्बत में भारतीय व्यापार अभिकरण की इमारत के निर्माण के सम्बन्ध में चीनी सरकार से होने वाली बातचीत और पत्र-व्यवहार समाप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). जी नहीं। हम अब भी चीनी अधिकारियों से उस भूमि का पट्टा बनाने के सम्बन्ध में पत्र व्यवहार कर रहे हैं। पट्टा मिल जाने पर एजेन्सी की इमारत का निर्माण आरम्भ कर दिया जायेगा।

रेयन निर्मित वस्तुओं का निर्यात

†*७९०. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री नेक राम नेगी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २८ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १७९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेयन-निर्मित वस्तुओं का निर्यात करने के लिये एक निगम स्थापित करने के प्रस्ताव पर इस बीच कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). यह निर्णय कर लिया गया है कि फिलहाल रेयन निर्मित वस्तुओं के निर्यात का कार्य करने के लिये निगम बनाने की आवश्यकता नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजघाट में महात्मा गांधी का स्मारक

*७९१. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजघाट में महात्मा गांधी का स्मारक बनाने के लिये मंजूरी दे दी गई है;

(ख) निर्माण-कार्य पर कितना खर्च होने का अनुमान है; और

(ग) उपरोक्त स्मारक का निर्माण-कार्य सम्भवत: कब आरम्भ होगा ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) और (ख). जी, हां। इस परियोजना की प्रावस्था—१ की, जिस पर ३९.०४ लाख रुपये व्यय होने का आकलन (ऐस्टिमेट) है, स्वीकृति दे दी गई है। बहुत मोटे तौर पर, दूसरी प्रावस्था पर लगभग २१.१५ लाख रुपये व्यय होने की सम्भावना है।

(ग) लट्ठेदार नींवों (पाइल फाउंडेशन्स) का काम, जो इस वर्ष मई के प्रारम्भिक दिनों में शुरू किया गया था, आधे से अधिक पूरा हो भी चुका है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा मोटर गाड़ियों के टायरों का आयात

†*७९२. **श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १४ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १०९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम ने मोटर गाड़ियों के टायरों का निर्यात कहां से और किस से किया था;

(ख) इन में से कितने टायर वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा खरीदे गये हैं;

(ग) क्या इन टायरों के सम्बन्ध में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) राज्य व्यापार निगम द्वारा चीन, जीकोस्लावेकिया और रूस से टायरों के आयात की व्यवस्था की गई है। कुछ टायर पोलेंड, इटली और जापान से भी आयात किये जायेंगे।

(ख) वास्तविक उपभोक्ताओं को लगभग १०,००० टायर दिये जा चुके हैं।

(ग) जी, हां। चीन में निर्मित टायरों के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें आई हैं।

(घ) वास्तविक उपभोक्ताओं ने यह शिकायत दी है कि वे टायर निश्चित मीलों तक चलने के पूर्व ही फट गये।

तिब्बत के शरणार्थी

†*७९३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि तिब्बत के शरणार्थियों को लद्दाख में कारगिल-लेह सड़क पर काम करने के लिये लगाया गया हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : जी, हां। कारगिल-लेह सड़क में ७०० तिब्बती शरणार्थी काम कर रहे हैं।

नि:शस्त्रीकरण

†*७९४. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री कालिका सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को 'शिखर सम्मेलन' की असफलता के पश्चात सोवियत रूस के प्रधान मंत्री की ओर से नि:शस्त्रीकरण के सम्बन्ध में कोई सन्देश प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इसकी सूचना सोवियत रूस की सरकार को दे दी गयी है ?

†वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी, हां। शिखर सम्मेलन के असफल होने के पश्चात सरकार को, रूस के प्रधान मंत्री की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसके साथ निरस्त्रीकरण सम्बन्धी रूसी प्रस्तावों का पाठ भी था।

(ख) सरकार उन प्रस्तावों को सामान्य रूप से रचनात्मक और निरस्त्रीकरण समस्या के हल के लिये सहायक समझती है।

(ग) कोई औपचारिक संदेश नहीं भेजा गया। तथापि प्रधान मंत्री ने एक प्रैस सम्मेलन में निरस्त्रीकरण के प्रति इस दृष्टिकोण की व्यापक प्रसंशा की।

तिब्बत में भारती व्यापारी

†*७९५. डा० राम सुभग सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिब्यत में कितने भारतीय व्यापारियों के माल को उन के व्यापार संस्थाओं में बन्द कर दिया गया है;

(ख) तिब्बत में उनके सामान और अचल सम्पत्ति का मूल्य अनुमानत: कितना है; और

(ग) सरकार ने उनको अपना माल, आस्तियों और अचल सम्पत्ति को बेचने के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिये क्या कार्यवाही की है अथवा कर रही है ?

†वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) :(क) और (ख). सरकार के पास इस सम्बन्ध में नवीनतम आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) ये सुविधायें चीन के तिब्बती प्रदेश के लिये मांगी गई हैं, अत: इस सम्बन्ध में सहायता देना चीनी अधिकारियों पर निर्भर करता है। भारत सरकार ने चीन की सरकार को अभ्यावेदन भेजा है, तथापि हम अपने प्रयत्नों से अपने व्यापारियों की कठिनाइयों को दूर नहीं कर पाये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

हांडीधुआ कोयला खान में दुर्घटना

†*७९६. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के तालचर नामक स्थान पर हांडीधुआ कोयला खान में छत गिर जाने के परिणामस्वरूप एक खनिक की मत्यु हो गयी और अन्य बहुत से लोग घायल हो गये ;

(ख) क्या खान की खतरनाक स्थिति की ओर खनन निरीक्षणालय (माइनिंग इंसपेक्टोरेट) का ध्यान बहुत पहले दिलाया गया था; और

(ग) यदि हां, तो खनन निरीक्षणालय ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की थी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) एक ड्रैसर मारा गया और दूसरे को हल्की चोटें आईं ।

(ख) जी हां ।

(ग) २५ जून १९६० से कोयला उठाना, बंध के निर्माण तक डूबने के भय से, रोक दिया गया था । इसके साथ खम्भे (पिलर) गिराने का काम भी रोक दिया गया था ।

जाली पासपोर्ट

†१४६१. { **श्री पांगरकर** :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या प्रधान मन्त्री १२ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पासपोर्ट धांधली सम्बन्धी जांच पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां ।

(ख) एक मामला जिसमें ५० व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त थे, विशेष पुलिस प्रतिष्ठान द्वारा न्यायालय को भेजा जा चुका है और दूसरा मामला जिसमें ४४ व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त हैं, शीघ्र ही न्यायालय को भेजा जाएगा ।

पाकिस्तानियों द्वारा अपहृत भारतीय

†१४६२. { **श्री पांगरकर** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० वर्ष के पूर्वार्ध में बंगाल-पूर्व पाकिस्तान सीमा पर कितने भारतीय राष्ट्रजन पाकिस्तानियों द्वारा भारतीय सीमा से उठाये गये थे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनमें से अब तक कितने भारतीय छोड़ दिये गये हैं ; और

(ग) शेष को छुड़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) साठ।

(ख) चवालीस।

(ग) इस मामले में पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत हो रही है।

लिखाई और छपाई के कागज का निर्माण

†१४६३. श्री प्र० के० देव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लिखाई और छपाई के कागज के निर्माण के लिये सालाई उड, उल्ला घास और काना घास का रसायनिक गूदा बनाने का नया तरीका निकाला है;

(ख) क्या हमारे वर्तमान कागज कारखानों में इसी प्रकार का तरीका प्रयोग में आता है;

(ग) यदि हां, तो किन मिलों में; और

(घ) यदि नहीं, तो इस का कारण क्या है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). वन अनुसंधान संस्था ने जो जांच की है उस से पता चला है कि सालाई वुड (बोसवेलिया सेराटा), उल्ला घास (थेमेडा अरुंडिनेशिया) और काना घास (सचारुम मुंजा) ये सब भारतीय कागज मिलों में काम में आने वाले रसायन गूदा के पुराने तरीके के द्वारा लिखाई और छपाई का कागज बनाने के लिये उपयुक्त हैं। इन कच्चे मालों का गूदा बनाने का कोई नया तरीका नहीं निकाला गया। सालाई का सिरपूर पेपर मिल, सिरपूर-कागज नगर (आन्ध्र प्रदेश) में, उल्ला का स्टार पेपर मिल, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) और काना का श्री गोपाल पेपर मिल, यमुना नगर (पंजाब) में कुछ मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। सलाई का बड़ी मात्रा में राष्ट्रीय अखबारी कागज तथा कागज मिल, नेपा नगर (मध्य प्रदेश) में प्रयोग किया जा रहा है।

(घ) उपरोक्त की दृष्टि से यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

एलीफेंट घास से कागज

†१४६४. श्री प्र० के० देव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून स्थित वन अनुसन्धान संस्था ने एलीफेंट घास से लिखाई और छपाई का कागज तैयार करने के बारे में जांच की है;

(ख) यदि हां तो क्या देश के कागज के मिल लिखाई और छपाई का कागज बनाने के लिये इस घास के गुद्दे का उपयोग कर रहे हैं;

(ग) क्या वाणिज्यिक आधार पर और बड़े पैमाने पर इस घास के उपयोग की कोई सम्भावना है; और

(घ) यह घास देश के किन भागों में बहुतायत से मिलता है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). जी हां।

(घ) केरल राज्य में।

---

†मूल अंग्रेजी में

भूटांग घास से कागज

†१४६५. श्री प्र० के० देव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन अनुसन्धान संस्था, देहरादून ने भूटांग घास (सचारम पोरसरम) से लिखाई और छपाई का कागज तैयार करने के बारे में जांच की है;

(ख) यदि हां तो क्या देश के कागज मिल लिखाई और छपाई का कागज बनाने के लिये इस कच्चे माल का प्रयोग करते हैं ;

(ग) क्या यह घास देश में बड़ी मात्रा में मिलता है ; और

(घ) क्या देश के किसी भाग में इस घास को लगाया जा रहा है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग). भूटांग घास भारत के किसी भी पेपर मिल में स्थायी रूप से प्रयोग में नहीं आता, परन्तु श्री गोपाल पेपर मिल, सीमित, युमुना नगर (पंजाब) ने लिखाई और छपाई का कागज बनाने के लिये इस का प्रयोग करने की दृष्टि से इस घास को बोना आरम्भ किया है ।

(घ) असम राज्य में ।

क्राफ्ट तथा लपेटने का कागज

†१४६६. श्री प्र० के० देव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन अनुसन्धान संस्था ने मुड़ी हुई चीर की लकड़ी से क्राफ्ट और लपेटने का कागज बनाने के बारे में अनुसन्धान किया है ;

(ख) यदि परिणाम उत्साहवर्धक है, तो क्या सरकार मुड़ी हुई चीर की लकड़ी से क्राफ्ट और लपेटने का कागज बनाने के लिये हिमालय प्रदेश में कागज का कारखाना स्थापित करने का विचार रखती है ; और

(ग) क्राफ्ट तथा लपेटने के कागज की देश को कितनी वार्षिक आवश्यकता है तथा हमारे देशी पेपर मिल कितना ऐसा कागज वर्ष में तैयार करते हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). लपेटने का कागज बनाने के लिये सल्फेट तरीके से मुड़ी हुई चीर से गूदा तैयार करने के लिये वन अनुसन्धान संस्था के प्रयोगशाला में किये गये प्रयोगों के परिणाम उत्साहवर्धक हैं । तथापि सरकार का इस समय हिमालय प्रदेश में कागज का कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) क्राफ्ट और लपेटने के कागज की कुल वार्षिक आवश्यकता लगभग ६०,००० टन है और १९५९ में ५७,५३१ टन देश में तैयार किया गया था ।

लिखाई, छपाई और लपेटने का कागज

†१४६७. श्री प्र० के० देव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन अनुसन्धान संस्था ने नीलगिरि पहाड़ियों के टहनीदार नीले हीरे वृक्षों से लिखाई, छपाई और लपेटने का कागज बनाने के सम्बन्ध में जांच की है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है; और

(ग) क्या सरकार टहनीदार और नीले हरे वृक्षों से कागज बनाने के लिये नीलगिरि में एक पेपर मिल स्थापित करने का विचार करती है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) दोनों प्रकार की लकड़ियां तीनों प्रकार के कागजों के लिये उपयुक्त हैं ।

(ग) जी, नहीं । टहनीदार और नीली गोंद वाले वृक्षों की मात्रा इस समय इतनी पर्याप्त नहीं है कि उनके भरोसे छोटे से छोटे आर्थिक आकार का एक पेपर मिल खोला जा सके ।

सरकारी उपक्रमों में कर्मचारी

†१४६८. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २२ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १३१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में कुल ५०० रुपये मासिक और अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या के बारे में अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकारी की सेवाओं से क्रमशः कितने कितने कर्मचारी लिये गये हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : सूचना पहले से एकत्रित की जा चुकी है परन्तु इसका परीक्षण किया जा रहा है और यथा शीघ्र तैयार होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

आंध्र प्रदेश में रिलेइंग स्टेशन

†१४६९. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री २८ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २७९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आंध्र प्रदेश की सरकार ने विशाखापटनम या विजयानगरम में एक रिलेइंग स्टेशन की स्थापना करने की सिफारिश की है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : जी, हां । राज्य सरकार ने विजयानगरम में एक ट्रांसमिटर लगाने का सुझाव रखा है । तथापि यदि उस क्षेत्र में एक ट्रांसमिटर लगाने का फैसला होता है, तो वास्तविक स्थान का निर्णय सब बातों को ध्यान में रख कर प्रविधिक मन्त्रणा के आधार किया जाएगा ।

तेलुगु में गांधीजी के ऐलबम का प्रकाशन

†१४७०. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री २८ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २७९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या महात्मा गांधी के ऐलबम को तेलुगु में प्रकाशित कराने के बारे में क्या प्रगति हुई है और उत्तर दिये जाने के पश्चात् तेलुगु में प्रकाशन के लिये कौन सी नई पुस्तकों को अनुमोदन किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) तेलुगु में महात्मा गांधी का ऐलबम अभी तैयार नहीं हुआ है। २८ अप्रैल, १९६० के पश्चात् प्रकाशित तथा १९६०–६१ के प्रकाशन कार्यक्रम में सम्मिलित पुस्तकों की सूची संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ४]

फैक्टरी कर्मकरों के लिये भविष्य निधि

†१४७१. श्री श० च० गोडसोरा : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टिसको, टेलको, जेमको, टिनप्लेट कम्पनी वायर प्रोडक्ट (इन्द्र सिंह), इण्डियन ट्यूब कम्पनी, जमशेदपुर, इण्डियन केबल कम्पनी लिमिटेड, जमशेदपुर और आई० सी० सी० लिमिटेड घाटसिला तथा बिहार के सिंघभूम जिले में मुसाबानी चैबासा सीमेंट फैक्टरी में अस्थायी रूप में कितने मजदूर काम कर रहे हैं ; और

(ख) इन फैक्टरियों में ऐसे अस्थायी मजदूरों की संख्या कितनी है जिन्हें भविष्य निधि में रुपया जमा करवाने नहीं दिया जाता ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) ११४२६, (मुसाबानी चैबासा सीमेंट फैक्टरी को छोड़ कर, जिसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं)।

(ख) ७,५२४ (उपरोक्त फैक्टरी को छोड़ कर) मजदूरों ने अभी निधि के सदस्य बनने के लिये अर्ह होने वाली सेवा की अवधि पूरी नहीं की है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो अर्ह हो गया है, निधि के लाभों से वंचित नहीं रखा गया है।

सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों में धन विनियोजन

†१४७२. श्री दिनेश सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री सभा पटल पर यह दर्शाने वाला विवरण रखने की कृपा करेंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना अवधि के आरंभ से ३१ मार्च, १९६० तक, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में, जिनमें आर्डीनेंस फैक्टरियां शामिल हैं, सरकार ने कितना धन प्रति वर्ष लगाया है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : चूंकि अपेक्षित सूचना में बहुत ब्यौरा मांगा गया है, इसमें बहुत समय और खर्च होगा। सरकार की बहुविध कार्रवाइयां हैं और उन से संबंधित वित्तीय उपबंध आदि प्रति वर्ष संसद् में प्रस्तुत किये जाने वाले वार्षिक आयव्ययकों में दिये जाते हैं और प्रतिवर्ष इन उपक्रमों के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा अन्य प्रकाशनों में प्रकाशित किये जाते हैं। बहुत सी परियोजनाएं विभागीय आकार पर चलाई जाती हैं। इसलिये यदि माननीय सदस्य किसी उपक्रम विशेष या उपक्रम वर्ग का संकेत करें, तो उन्हें आवश्यक सूचना देने का प्रयत्न किया जाएगा।

पंजाब में हाथ से बनाये कागज का निर्माण

†१४७३. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १४ मार्च १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १०६१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में किन स्थानों पर हाथ से कागज बनाया जाता है और क्या वहां कच्चा माल उपलब्ध होता है ; और

(ख) क्या जेलों में भी यह योजना आरंभ करने की संभावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) (१) ओखल (जिला होशियारपुर), (२) राजपुरा (जिला पटियाला) और (३) अम्बाला शहर। कच्चा माल इन स्थानों पर मिल जाता है।

(ख) इस योजना को जेलों में भी जारी करने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है।

मध्यम आय वर्ग आवास योजना

†१४७४. श्री अरजू पाण्डेय : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार को मध्यम आय वर्ग आवास योजना को कार्यान्वित करने के लिये निधि दी जा चुकी है; और

(ख) योजना के अन्तर्गत अब तक कितनी प्रगति हुई है?

†निर्माण आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) ३४ लाख रुपये की राशि, योजना के अन्तर्गत १९६०–६१ के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को आवंटित की गई है तथा जीवन बीमा निगम को अधिकार दिया गया है कि वह यह राशि राज्य सरकार को दे दे।

(ख) जून १९६० के अन्त तक राज्य सरकार ने योजना के आरंभ से, लोगों (सहकारी संस्थाओं) को ऋण देने के लिये उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक को ४१.६० लाख रुपये की रकम मंजूर की है और अर्ह लोगों के लिये किराये के मकान बनाने के लिये स्थानीय निकायों को १९.४० लाख रुपये की और राशि मंजूर की गई है। सहकारी बैंक समिति ने ५९ मकान बनाने के लिये लोगों को ९.१२ लाख रुपये के ऋण मंजूर किये, जिन में से २ मकान तैयार हो चुके हैं और १३ बन रहे हैं। स्थानीय निकाय मकान बनाने के लिये आवश्यक प्रबंध कर रहे हैं।

तांबा रीरोलिंग मिल

†१४७५. श्री अरजू पाण्डेय : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८–५९ में उत्तर प्रदेश में तांबा रीरोलिंग मिलों के लिये कोई लाइसेंस जारी किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किन को; और

(ग) इस चुनाव का क्या आधार था?

†उद्योग उपमंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). १–४–५८ से ३१–३–५९ के नीचे ऐसा कोई लाइसेंस नहीं दिया गया।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां

†१४७६. श्री अरजू पाण्डेय : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न औद्योगिक बस्तियों में कितनी प्रगति हुई है?

†उद्योग उपमंत्री (श्री मनुभाई शाह) : विवरण संलग्न है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

विवरण

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक बस्तियों में की गई प्रगति

कानपुर : ७६ शैड पूरे हो चुके हैं और आवंटित कर दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त १८ शैड जो अभी बन रहे हैं वे भी आवंटित कर दिये गये हैं। १४ शैडों को बिजली दी गई है और ८६ शैडों में जल व्यवस्था हो चुकी है। २२ शैडों में लोग आ गए हैं और १४ ने कार्य आरंभ कर दिया है।

आगरा : ११५ शैड बन रहे हैं। इन में १०१ में ढांचे डाले गये हैं, ६ में ढांचे डलने वाले हैं और ५ की नींव तैयार है। आगरा बिजली संभरण कम्पनी ३३० किलोवाट बिजली सितम्बर, १९६० तक देने का प्रबंध कर रही है। जल संभरण की स्थिति यह है कि ओवर हैड तालाब का काम पूरा हो चुका है और प्रयोग किया जा चुका है। जल के कनेक्शन दिये जा रहे हैं। ६१ शैड अस्थायी तौर पर आवंटित किये गये हैं, यद्यपि पूरे नहीं हुए, ५४ और का अभी आवंटन करना है।

वाराणसी : १८ शैड प्रायः तैयार हैं। शैडों के आवंटन के लिये प्रार्थना पत्र प्राप्त हो चुके हैं और ये शीघ्र ही आवंटन किये जायेंगे।

देहरादून : ३० शैड प्रायः पूर्ण हो चुके हैं और आवंटित कर दिये गये हैं।

लखनऊ : १८ शैड बन रहे हैं और इनके ढांचे ढंक दिये गये हैं। आवंटन के लिये प्रार्थना पत्र प्राप्त हो चुके हैं और शीघ्र ही आवंटन किया जाएगा।

नैनी (इलाहाबाद) : लक्ष्य ३४ शैडों का था और यह पूरा हो चुका है। ३२ में लोग आ चुके हैं।

मलाया में भारतीय

†१४७७. श्री डी० चं० शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय कितने भारतीय राष्ट्र जन मलाया संघ में रहते हैं?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : १९५९ के अन्त तक मलाया में ६९६१८६ भारतीय राष्ट्रजन थे।

दण्डकारण्य परियोजना का खर्च

†१४७८. { श्री चिंतामणि पाणिग्रही :
श्री अजीत सिंह सरहदी :

क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य परियोजना पर ३१ जुलाई, १९६० तक कुल कितना धन खर्च किया गया था ; और

(ख) प्रति एकड़ कृष्यकरण की लागत का अनुमान लगाया गया है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जून, १९६० के अन्त तक ३,९६,०१,९३८ रुपये ।

(ख) जी, हां । कच्चे अनुमान के अनुसार प्रति एकड़ कृष्य करण की लागत २५० रुपये से ३०० रुपये तक होगी ।

बालिमेला में विस्थापित लोगों को बसाना

†१४७९. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कोरापूत जिले में बालिमेला में विस्थापित लोगों को बसाने के लिये मलकनगिरि से बालमेला तक कच्ची सड़क सुधारने के लिये कोई राशि मंजूर की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि मंजूर की गई थी ; और

(ग) क्या सड़क सुधारी जा चुकी है ?

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य-मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (ग) . बालिमेला खण्ड के सर्वेक्षण की एक अग्रिम योजना फरवरी, १९५७ में मंजूर की गई थी । मंजूरी में अन्य बातों के साथ मलकनगिरि और बालिमेला के बीच वर्तमान १८ मील लंबी सड़क को सब मौसमों में काम आने वाली सड़क बनाने के लिये ४,४०,६८० रुपये मंजूर किये गये थे । वास्तविक सर्वेक्षण के पश्चात् कच्चे अनुमान के आधार पर मंजूर की गई राशि अपर्याप्त पाई गई और प्रस्ताव प्रविधिक जांच पड़ताल के लिये उड़ीसा सरकार को वापिस भेज दिया गया । नई मंजूरी दिये जाने से पूर्व, सड़क कार्यक्रम दण्डकारण्य विकास प्राधिकार द्वारा आरंभ किया गया । अब इस सड़क को उस क्षेत्र की सामान्य विकास योजना के अंग के रूप में बनाने का विचार है ।

जैपुर (उड़ीसा) में औद्योगिक बस्ती

†१४८०. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री २० अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३२६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले में जैपुर में औद्योगिक बस्ती स्थापित करने की व्यापक योजना तैयार कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) यह अभी बनाई जा रही है । आशा है कि मौनसून के पश्चात विकास कार्य आरंभ होगा ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दण्डकारण्य क्षेत्र में मकानों के डिजाइन

†१४८१. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य क्षेत्र में विस्थापित लोगों के लिये शरणार्थी मकानों का मूल डिजाइन तैयार किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस मूल डिजाइन का क्या स्वरूप है ; और

(ग) दण्डकारण्य क्षेत्र में अब तक इस मूल डिजाइन के कितने मकान बनाये जा चुके हैं ?

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (ग). दण्डकारण्य में बसने वालों के लिये मकान पिछली ऋतु में अनुमोदित डिजाइन के अनुसार बनाये जा चुके हैं। ऐसे १६२ मकान पूरे हो चुके हैं और ३६७ बन रहे हैं। दण्डकारण्य विकास प्राधिकार ने अब एक नये मूल डिजाइन को अनुमोदन किया है, जिस में ६०० वर्ग फुट ढका क्षेत्र होगा जब कि पहले डिजाइन में यह ४४० वर्ग फुट था। डिजाइन में यह उपबंध है कि शीघ्र निर्माण के लिये देशी सामान का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, तथा सस्ती और आसान मरम्मत हो तथा उपयुक्त लागत हो। इस मूल डिजाइन के अनुसार मकानों का निर्माण वर्षा के पश्चात आरंभ होगा।

दण्डकारण्य क्षेत्र में खेती

†१४८२. श्री विश्वनाथ पाणिग्रही : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दण्डकारण्य क्षेत्र में जुगारी बस्ती में शरणार्थियों को दी गयी जमीन में विभाग ने गत वर्ष खेती की ; और

(ख) क्या यह सच है कि धान के बजाय, पटसन और अरहर दाल बोयी गयी और वह फसलें असफल रहीं ?

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) (क) और (ख). भूमिका कटाव और जंगलों का बढ़ाव रोकने के लिए विभाग ने इस जमीन में खेती की। वर्षा से पहले बांध की कमी के कारण धान न बोया जा सका। पटसन, धनीया और हरहर बोया गया। बोआई के बाद जमीन बस्ती वालों को दी गयी और फसलें खराब नहीं रहीं।

जनता कालेज, त्रिपुरा

१४८३. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता कालेज, धर्मनगर, त्रिपुरा, को कोई प्रलेखीय (डाक्युमेंटरी) चल-चित्र बेचे गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उन चल-चित्रों की कीमत क्या थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी, हां। जनता कालेज के प्रिंसिपल को चित्रपट विभाग, बम्बई ने १६ मिलीमीटर की २१ डाक्युमेंटरी फिल्में बंगला भाषा में भेजीं।

(ख) केवल १,९५५.०० रुपये।

---

†मूल अंग्रेजी में

बिजली से चलने वाले अनधिकृत करघों का सर्वेक्षण

†१४८४. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ४ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ७३६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस देश में बिजली से चलने वाले अनधिकृत करघों का सर्वेक्षण पूरा करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : भारत के सभी राज्यों में कपड़े के और कपड़े के अलावा दूसरे बिजली से चलने वाले अनधिकृत करघों की संख्या के बारे में अब तक की प्रगति बताने वाला विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५]

ऊंची श्रेणी का नमक तैयार करना

†१४८५. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ९ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ८९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में क्षार उद्योग के लिए ऊंची श्रेणी का नमक तैयार करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): १. वाशरी तथा सोडियम सल्फेट उत्पादन संयंत्र, जिसे सांभर झील में लगाने का विचार है, सप्लाई करने वाले जर्मन व्यापारियों ने अभी हाल में संशोधित मूल्य बताये हैं जिन पर हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी लिमिटेड विचार कर रही है ।

२. मंडी में, मुख्य शैफ्ट १०४ फीट और सहायक शैफ्ट ७६ फीट गहरा गाड़ दिया गया है । मुख्य शैफ्ट के ९० फीट की गहराई पर नमक का भंडार पाया गया है ।

३. पश्चिम बंगाल, मद्रास और आन्ध्र प्रदेश में नमक कारखाने स्थापित करने के लिये प्रारम्भिक आंकड़े इकट्ठे किये गये हैं । ऊंची शुद्धता का नमक तैयार करने के यांत्रिक तरीके लागू करने के बारे में नमक के वरिष्ठ फ्रांसीसी इंजीनियर की विशेषज्ञ राय प्राप्त करने का विचार है ।

घड़ियां तैयार करना

†१४८६. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री नेक राम नेगी :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २० अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घड़ियां तैयार करने के सम्बन्ध में जापान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये क्या भारतीय शिल्पिकों का इस बीच चुनाव हो चुका है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

एडवर्ड टेक्सटाइल मिल्स

†१४८७. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ४ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १७२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एडवर्ड टेक्सटाइल मिल्स की अधिक अच्छी कार्यप्रणाली के लिये जांच समिति की सिफारिशों पर सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूगो) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा १८क के अधीन मिल को अपने अधिकार में ले लेने के लिये अधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया है ।

दण्डकारण्य क्षेत्र

†१४८८. { श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री संगण्णा :

क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य क्षेत्र में सड़कें बनाने के लिये १४९ लाख रुपये की स्वीकृत धनराशि में से कितनी रकम ३१ जुलाई, १९६० तक खर्च की गई है ;

(ख) इस क्षेत्र में कितने मील नई सड़कें बनाई गई हैं ; और

(ग) अब तक कितने मील की वर्तमान सड़कों में सुधार किया गया है ?

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जून १९६० के अन्त तक १०,१६,६९२ रुपये ।

(ख) अमरावती से उमेरकोट तक २२ मील की नई सड़क का काम जारी है ।

(ग) कुल ३२५ मील की वर्तमान सड़कों में सुधार हो रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगिक बस्तियों की स्थापना

†१४८९. { श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में १९६०-६१ और १९६१-६२ में नई औद्योगिक बस्तियां चालू करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इन दो वर्षों में कितनी नई औद्योगिक बस्तियां चालू करने का विचार है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). दूसरी पंचवर्षीय योजना में १०० औद्योगिक बस्तियों पर पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है । इस के अलावा पिछड़े और अविकसित क्षेत्रों में १९६०-६१ में और २० औद्योगिक बस्तियां स्थापित करना अभी हाल में स्वीकार कर लिया गया है । आनुषंगिक उद्योगों के लिये बंगलौर में १९६०-६१ में और एक औद्योगिक बस्ती कायम करना मंजूर कर लिया गया है ।

१९६१-६२ में अनेक औद्योगिक बस्तियां, तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के अनुसार, स्थापित करने का विचार है । जो बस्तियां अब कायम की जायेंगी उन की संख्या अभी तय नहीं हुई है ।

उड़ीसा में ग्रामीण आवास विभाग[1]

†१४९०. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या निर्माण, आववास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने ग्रामीण आवास परियोजनायें योजना के अधीन मार्ग दर्शन और शिल्पिक मंत्रणा देने के लिये ग्रामीण आवास विभाग कायम किया है ; और

(ख) उड़ीसा में इस योजना के अधीन अब तक कितनी परियोजनायें कायम की गई हैं ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार ने आवास परियोजनायें कायम करने के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में २०० गांवों को चुना है । ३० जून, १९६० तक के प्रगति विवरण के अनुसार, इन में से १०७ गांवों में ऋण मंजूर करने का काम शुरू हो गया है ।

केन्द्रीय सुगम संगीत परिश्रवण बोर्ड

१४९१. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सुगम संगीत के लिये एक केन्द्रीय परिश्रवण बोर्ड की स्थापना की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : नियम निश्चित कर लिये गये हैं और बोर्ड की स्थापना शीघ्र ही कर दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Rural Housing Cell.

नई दिल्ली में कार्यालय भवन का निर्माण

१४९२. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली के बंगला नं० १ की जगह पर एक कार्यालय भवन बनाने की प्रस्थापना के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उस पर संभवत: कितना खर्च किया जायेगा ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) और (ख). प्रस्तावित भवन के नक्शे नये सिरे से तैयार किये जा रहे हैं, जिन में क्लर्कों तथा अन्य कर्मचारी वर्ग के लिये अलग अलग कमरों के बजाय बड़े बड़े हाल बनाने की व्यवस्था होगी, जिस से अधिक फर्शी क्षेत्रफल (फ्लोर एरिया) प्राप्त हो सके। इस पर होने वाले सम्भावित व्यय का पता तब चलेगा, जबकि नक्शों और आकलन (ऐस्टिमेट) को अन्तिम रूप दिया जा चुकेगा।

सरकारी कार्यालयों के लिये स्थान

१४९३. श्री म० ला द्विवेदी : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में सरकारी कार्यालयों के लिये कुछ इमारतें किराये पर ली हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) सरकार इन इमारतों का प्रति वर्ष कितना किराया देती है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : आस्ति निदेशक (डायरेक्टर ऑफ़ ऐस्टेट्स), नई दिल्ली के नियंत्रण में विद्यमान स्थान के सम्बन्ध में जानकारी निम्नलिखित है :

(क) हां ।

(ख) ३६ ।

(ग) १६,९६,७२३ रुपये। एक इमारत का किराया अनन्तिम (अन्तिम रूप से तय न हुआ —प्रौविज़नल) है ।

हिमाचल प्रदेश में विस्थापित व्यक्ति

१४९४. श्री पद्म देव : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले में पश्चिम पंजाब के कितने विस्थापित व्यक्ति हैं ;

(ख) इन विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये कितनी जमीन काम में लाई गई और उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई ; और

(ग) ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्हें अभी तक पूरी तरह बसाया नहीं जा सका है ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) हिमाचल प्रदेश में लगभग ३ ००० विस्थापित व्यक्ति या स्थूल रूप से ६ ०० परिवार हैं। इन की ज़िलावार संख्या उपलब्ध नहीं है ।

(ख) छोटे शहरी ऋण तथा वजीफों पर १,२४,७४५ रुपये खर्च हुए और १३७५ एकड़ निकासी कृषि भूमि दी गई ।

(ग) हिमाचल प्रदेश में अब विस्थापितों के पुनर्वास सम्बन्धी कोई समस्या शेष नहीं है ।

दिल्ली में छोटे पैमाने के उद्योग

†१४९५. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में दिल्ली में छोटे पैमाने के उद्योगों के और अधिक विकास की कोई योजनायें हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वह योजनायें किस प्रकार की हैं और इस प्रयोजन के लिये विदेशी केन्द्रों से किस प्रकार के सहयोग की संभावना है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). दिल्ली अधिकारियों को छोटे पैमाने के उद्योगों के उद्योगपतियों से कई योजनायें प्राप्त हुई हैं और वे उन योजनाओं के गुण दोषों के आधार पर उन्हें स्वीकार करते हैं। छोटे पैमाने के उद्योगों की बहुत कम योजनाओं में विदेशी सहयोग की बात है।

शिल्पिक कर्मचारी

†१४९६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अगस्त, १९६० को विभिन्न रोजगार दफ्तरों की सूची पर कितने शिल्पिक कर्मचारी थे; और

(ख) १९६० में अब तक कितने शिल्पिक कर्मचारियों को रोजगार दफ्तरों के जरिये रोजगार मिला ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) ३०-६-६० को १,२८,६०४ । १ अगस्त, १९६० तक के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि जानकारी केवल तिमाही-तिमाही इकट्ठी की जाती है।

(ख) जनवरी से जून, १९६० तक १९,९५९ ।

कागज का गूदा

१४९७. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कागज का गूदा और उस की अन्य चीजें बनाने के कारखाने खोलने में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस पर कितना खर्च हुआ है;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) इस क्षेत्र में कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया; और

(घ) उन्हें किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में कागज़ के गूदे के लिये कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया था। फिर भी देश में कागज की मिलें २,८०,००० टन गूदा तैयार कर रही हैं।

कागज़ और गत्ते के उत्पादन के लिये ३,५०,००० टन का लक्ष्य निश्चित किया गया था और आशा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्त तक यह पूरा हो जायगा।

(ख) ठीक आंकड़े मालूम नहीं हैं। फिर भी अनुमान है कि द्वितीय योजना की अवधि के अन्त तक कुल विनियोजन लगभग रु० ४५ करोड़ हो जायेगा।

(ग) फारेस्ट रिसर्च इन्स्टीटयूट, देहरादून की सोल्यूलोज़ तथा कागज शाखा में अब तक ९ व्यक्ति प्रशिक्षित किये गये हैं। उक्त संस्था में इस समय १२ व्यक्ति प्रशिक्षण पा रहे हैं।

(घ) जिस किस्म का प्रशिक्षण दिया गया वह इस प्रकार है :—

(१) कागज के गूदे और कागज टेक्नोलाजी में एफ० आर० आई० (डी० एफ० आर० आई०) कोर्स का डिप्लोमा।

(२) कागज के गूदे और कागज टेक्नोलाजी में उच्च कोर्स।

(३) कागज के गूदे और कागज टेक्नोलाजी में छः महीने का कोर्स।

दिल्ली में खादी उद्योग का विकास

१४९८. श्री नवल प्रभाकर : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन खादी उद्योग का विकास करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): जानकारी देने वाला एक विवरण साथ में नत्थी है।

विवरण

दूसरी योजना की अवधि में (३१-३-१९६० तक) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने दिल्ली में खादी उद्योग के विकास के लिये रु० ७०·११ लाख की राशि बांटी थी। इस में से रु० ४४·९६ लाख अनुदान के रूप में और रु० २५·१५ लाख की शेष राशि ऋण के रूप में दी गई थी। २२·२६ लाख वर्ग गज़ खादी तैयार की गई और खुदरा बिक्री रु० १३१·३३ लाख की हुई थी। कुल १२,९०० लोगों को काम दिया गया था। १,४६५ अम्बर चर्खे बनाये गये थे जिन में से ९३६ बांट दिये गये थे।

दिल्ली में अम्बर चर्खा केन्द्र

†**१४९९. श्री नवल प्रभाकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में दिल्ली में कितने अम्बर चर्खा केन्द्र खोले गये;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनमें से कितने सफलतापूर्वक चल रहे हैं; और

(ग) सरकार दिल्ली जेल के अम्बर चर्खा केन्द्रों ने क्या प्रगति की है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) ३१ मार्च, १९६० तक दिल्ली में ७० अम्बर चर्खा केन्द्र खोले गये हैं।

(ख) ६४ अम्बर चर्खा केन्द्र सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं।

(ग) ३० मई, १९६० तक दिल्ली जेल में क्रमश: २१४ और १२ कैदियों को अम्बर चर्खे पर कताई और बुनाई का प्रशिक्षण दिया गया था।

पश्चिमी प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये आयात लाइसेंस

†१५००. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी प्रदेश में और खासकर पंजाब में अधिक उत्पादन की सुविधायें देने के लिये १९५९ और १९६० में अब तक छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये गये आयात लाइसेंसों का मूल्य बढ़ गया है; और

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार की वृद्धि हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) छोटे पैमाने के उद्योगों को जारी किये गये आयात लाइसेंसों के मूल्य और संख्या, दोनों में ही वृद्धि हुई है। आयात लाइसेंस प्रत्येक प्रदेश के आधार पर नहीं दिये जाते। इसलिए पश्चिमी प्रदेश के लिए लाइसेंसों सम्बन्धी आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) अक्तूबर, १९५९–मार्च, १९६० में छोटे पैमाने के उद्योगों को जारी किये गये आयात लाइससों का मूल्य और उनकी संख्या अक्तूबर, १९५८–मार्च, १९५९ में जारी किये गये लाइसेंसों के मूल्य और संख्या के क्रमश: डेढ़ और तीन गुने अधिक हैं।

पंजाब में कर्मचारियों की शिक्षा

†१५०१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पंजाब में कर्मचारियों की शिक्षा का कोई केन्द्र खोला गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: शीघ्र ही पंजाब में एक केन्द्र खोलने की व्यवस्था हो रही है।

सिन्धी विस्थापित व्यक्ति

†१५०२. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिन्धी शरणार्थियों को पाकिस्तान में उनकी जमीनों के ऐवज में उन्हें दी गयी जमीनों के किसी भी भाग के सम्बन्ध में उन्हें स्थायी अधिकार नहीं दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका कारण क्या है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

लघु उद्योग सेवा संस्था

†१५०३. **श्री हेमराज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में कितनी लघु उद्योग सेवा संस्थाएं खोली जाने वाली हैं; और

(ख) किन किन राज्यों में और कहां कहां पर उन्हें खोलने का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). १९६० में केवल एक लघु उद्योग सेवा संस्था खोलने का निश्चय किया गया है । यह संस्था नवीन गुजरात राज्य के लिये होगी और वह अहमदाबाद में होगी ।

मध्यपूर्व में एकीकृत कमान

†१५०४. **श्री कालिका सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि ब्रिटेन के प्रतिरक्षा मंत्रालय ने २५ जनवरी, १९६० को यह घोषणा की थी कि मध्यपूर्व में एक एकीकृत कमान बनाया जायगा;

(ख) क्या इस कमान के उत्तरदायित्व के क्षेत्र में पाकिस्तान शामिल है;

(ग) क्या भारत सरकार ने आवश्यकता की स्थिति में सहयोग के लिए ब्रिटिश मध्यपूर्व कमान से सम्पर्क रखा है; और

(घ) क्या केन्द्रीय संधि संगठन के तत्वावधान में मध्यपूर्व में पाकिस्तान और ब्रिटेन का, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से, एकीकृत कमान है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां ।

(ख) नहीं; किन्तु इस कमान के कार्यों में केन्द्रीय संधि संगठन के लिए, पाकिस्तान जिसका एक सदस्य है, आपातकालीन समर्थन शामिल है ।

(ग) नहीं ।

(घ) नहीं ।

रेंड़ में अल्यूमिनियम संयंत्र

†१५०५. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २८ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २८०४ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान अल्यूमिनियम कारपोरेशन, लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में स्थित रेंड़ में अपने संयंत्र में अल्यूमिनियम के उत्पादन में इस बीच क्या प्रगति की है;

(ख) क्या कोई सहायता या सुविधायें भारत सरकार से मांगी गयी हैं या उसके द्वारा दी गयी हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). भारत सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन लाइसेंस पहले ही जारी कर दिया है, पूंजी लगाने की इजाजत दे दी है और विदेशी सहयोग की शर्तें मंजूर कर ली हैं। वाशिंगटन के आयात-निर्यात बैंक ने उस फर्म को ऋण देना स्वीकार कर लिया है। साज सामान के आयात के लाइसेंसों के लिये जब जब आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तब तब वे जारी किये जाते हैं। फर्म ने काम शुरू कर दिया है और लाइसेंस की शर्तों के अनुसार नया उपक्रम संभवतः १९६२ तक स्थापित हो जायगा।

दिल्ली की योजना का प्रचार

१५०६. श्री नवल प्रभाकर : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रचार करने के लिये क्या उपाय किये हैं ; और

(ख) इस पर प्रतिवर्ष कितना खर्च होता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) दिल्ली प्रशासन पुस्तिकाओं, फोल्डरों और इश्तिहारों, प्रदर्शनियों, विद्यार्थियों, श्रमिकों और ग्रामीणों में सभाओं के आयोजनों; देहाती और शहरी क्षेत्रों में योजना सप्ताहों के मनाने और सूचना केन्द्रों के माध्यम से योजना का प्रचार करता है। फिल्मों के प्रदर्शन के लिये क्षेत्रीय प्रचार की चलती-फिरती टुकड़ियों को लैस किया जा रहा है।

(ख) द्वितीय योजना की अवधि में हुआ वार्षिक व्यय इस प्रकार है :—

वर्ष	धनराशि (रुपयों में)
१९५६–५७	३,१००
१९५७–५८	११,५७०
१९५८–५९	४३,१२६
१९५९–६०	१६,४६९

चाय पुनारोपण योजना[1]

†**१५०७. श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये चाय सम्बन्धी कार्यकारी दल ने चाय के पुनारीपण योजना के सभी पहलुओं पर इस बीच पूरी तरह से विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई योजना अब तैयार की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो वह किस प्रकार की है और उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). चाय के पुनारोपण के सम्पूर्ण प्रश्न पर जिसमें उसके लिये वित्त की व्यवस्था भी शामिल है, सरकार मुस्तैदी से विचार कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Tea Replantation Scheme

पौलेंड में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला

†१५०८. **श्री म० रा० कृष्ण :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत में तैयार किया गया इंजीनियरी का माल पौलैण्ड में पोजनान में आयोजित वार्षिक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेल में प्रदर्शित किया गया था; और

(ख) पौलैण्ड में इस मेले के लिये भारत से कौन कौन सी चीजें चुनी गयी थीं।

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां।

(ख) पोजनान मेला, १९६० में भारतीय इंजीनियरी माल की निम्नलिखित वस्तुएं प्रदर्शन के लिये रखीं गयी थीं।

(१)	साइकिल . . .	३
(२)	सिलाई की मशीनें . .	४
(३)	टेबल पंखे . . .	४
(४)	बिजली की मोटर (५ हार्स पावर)	१
(५)	स्टेनलैस इस्पात का माल .	३२ चीजें

पनीर का उत्पादन

†१५०९. **श्री प्र० के० देव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में व्यापारिक पैमाने पर पनीर का उत्पादन करने की कोई योजना है;

(ख) क्या हम पनीर विदेशों से मंगाते हैं और यदि हां, तो उसमें कितनी विदेशी मुद्रा प्रतिवर्ष लगती है;

(ग) क्या कालिम्पोंग में तैयार किया गया पनीर विदेशों से मंगाये गये पनीर के जितना ही अच्छा होता है

(घ) यदि हां, तो क्या कालिम्पोंग स्थित केन्द्र का विस्तार करने या देश के विभिन्न भागों में पनीर तैयार करने वाले वैसे ही केन्द्र चालू करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो वे कहां कहां चालू किये जायेंगे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां, २० टन प्रति मास प्रति संयंत्र के लिये लाइसेंस जारी किया गया है।

(ख) १९५८, १९५९ और १९६० (मई, १९६० तक) १४,३२,००० रुपये, ८,३६,००० रुपये और २,१९,००० रुपये का पनीर विदेशों से मंगाया गया था। तैयार माल में कच्चे माल की मात्रा के १० प्रतिशत तक निर्यात वृद्धि योजना के अधीन आयात किया जा सकता है और इन आयातों में विदेशी मुद्रा की जितनी रकम खर्च होती है उसकी भरपाई तैयार माल के निर्यात से काफी अधिक हो जाती है।

(ग) से (ङ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

'गीत रामायण' पुस्तक

†१५१०. **श्री आसर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'गीत रामायण' पुस्तक का पहला संस्करण बिक चुका है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस पुस्तक की बहुत अधिक मांग है; और

(ग) यदि हां, तो इसका दूसरा संस्करण कब प्रकाशित होगा ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). जी हां।

(ग) इस पुस्तक का दूसरा संस्करण सम्भवतः अक्तूबर, १९६० तक प्रकाशित हो जायगा।

ऊनी माल का निर्यात

†१५११. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊनी माल का निर्यात बढ़ाने के लिये मार्गोपाय ढूंढने के उद्देश्य से विदेशों में कोई शिष्टमण्डल भेजने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो किस खास किस्म के ऊनी माल विदेशी बाजारों में बिकने की सम्भावना है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां।

(ख) किस ढंग का ऊनी माल विदेशों में अधिक भेजा जा सकता है यह मालूम करना भी शिष्टमण्डल का एक उद्देश्य होगा।

अन्दमान द्वीप समूह में श्रम-विवाद

†१५१२. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **श्रम तथा रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, विकास विभाग और लोक निर्माण विभाग कर्मचारी संघ के बीच समझौते की कोई कार्यवाही समझौता पदाधिकारी, अन्दमान द्वीप समूह, द्वारा की जानी है; और

(ख) क्या उस डिवीजन के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर मालिक की हैसियत से कार्यवाही के लिये स्वतः उपस्थित रहने से इंकार करते हैं और क्या कोई मालिक ऐसी कार्यवाही में अपना प्रतिनिधि या मनोनीत व्यक्ति भेज सकता है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) समझौता कार्यवाही २८ जून, १९६० को समाप्त हो गयी थी।

(ख) कोई मालिक जो विवाद का एक पक्ष हो, कार्यवाही में उपस्थित रहने के लिये अपने प्रतिनिधि को मनोनीत कर सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

काफी बोर्ड के कर्मचारी

†१५१३. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २८ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २८५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट के विरुद्ध काफी बोर्ड की उच्चतम न्यायालय में अपील के बारे में आगे और क्या कार्यवाही हो चुकी है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : अपील अभी विचाराधीन है ।

छोटे पैमाने के उद्योग

†१५१४. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पिछड़े तथा अल्प विकसित क्षेत्रों में लघु उद्योग आरम्भ करने के लिये उद्यमी नवयुवकों को ऋण देने के लिये साधारण अंश पूंजी बनाने की सरकार की क्या कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : लघु उद्योग बोर्ड ने यह सिफारिश की है कि सरकार छोटी औद्योगिक संस्थाओं के साधारण अंश खरीदे और इस बात की विशेष सिफारिश की है कि जो अंश प्रविधिक रूप से अर्हत व्यक्तियों द्वारा चलाये जाते हैं उनके साथ बड़ी उदार शर्तें रखी जायें । सरकार इस योजना के विवरण पर विचार कर रही है ।

हावडा में उत्पादन तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी नमूने का केन्द्र

†१५१५. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री नेक राम नेगी :
श्री रा० चं० माझी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा (पश्चिमी बंगाल) में लघु उद्योगों के उत्पादन तथा प्रशिक्षण के नमूने के केन्द्र की योजना व उसका प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कुल कितना व्यय होगा ; और

(ग) क्या परियोजना का निर्माण आरम्भ हो गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). हावड़ा में उत्पादन तथा प्रशिक्षण के नमूने के केन्द्र की लागत का अनुमान लगाया जा रहा है । भूमि के विकास तथा भवनों के निर्माण पर लगभग ४० लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है । शीघ्र ही निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा ।

तालकटोरा क्लब, नई दिल्ली

†१५१६. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में तालकटोरा क्लब के कब्जे में जो भूगृहादि आदि हैं क्या वे सरकार के हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उन भूगृहादि के लिये क्या किराया लिया जाता है ;

(ग) क्या तालकटोरा क्लब के पास जो भूगृहादि हैं क्या वह उसे दूसरों को किराये पर उठा सकता है;

(घ) क्या यह सच है कि कुछ वर्षों से क्लब रसोईघर को तथा कुछ अन्य भागों को किराये पर उठाये हुये हैं;

(ङ) यदि हां, तो किरायेदार से क्लब का मासिक किराया लेता है;

(च) क्या कुछ समय पूर्व क्लब ने अपना नाट्य हाल आदि किराये पर उठा दिया था और सरकार को उसे वापिस लेने में बड़ी कठिनाई हुई; और

(छ) क्लब के भूगृहादि के भागों को किराये पर उठा कर क्लब जो आय कर रहा है क्या उसका कुछ भाग वह सरकार को दे रहा है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी हां ।

(ख) ये भूगृहादि १ रुपया मासिक किराये की दर पर १९२७ में क्लब को दिये गये थे । बिजली और पानी का व्यय क्लब सीधे नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी को दे देता है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) क्लब ने सदस्यों के फायदे के लिये एक भोजन व्यवस्थापक को उस का कुछ भाग दे दिया है ।

(ङ) यह कहा जाता है कि क्लब भोजन व्यवस्थापक से मेज कुर्सी आदि का किराया तथा बिजली और पानी का खर्चा लेता है । उस से कोई किराया भी लिया जाता है अथवा नहीं इस की जांच की जा रही है ।

(च) जी हां—१९५१ में ।

(छ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उड़ीसा में नये रेडियो स्टेशन

†१५१७. **श्री सूपकार :**
श्री प्र० के० देव :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री संगण्णा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में सम्भलपुर और कोरापुट में दो नये रेडियो प्रसारण केन्द्र खोलने का विचार है ; और

(ख) ये केन्द्र कब तक स्थापित कर दिये जायेंगे और काम करना आरम्भ कर देंगे ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** :(क) और (ख). इस समय सरकार देश में कई स्थानों पर मीडियम वेव के कई ट्रांसमीटर तथा रिसीविंग केन्द्र स्थापित करने का विचार कर रही है ताकि लोग दूर-दूर रेडियो सुन सकें । मीडियम वेव के ट्रांसमीटर लगाने की योजना पर

---

†मूल अंग्रेजी में

विचार करने के साथसाथ इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि सम्बपुलर और कोरापुट जिलों में ट्रांसमीटर लगाना ठीक होगा या नहीं । ट्रांसमीटर तृतीय पंचवर्षीय योजना में काम करना शुरू कर देंगे ।

शरणार्थी बस्तियों का विकास

†१५१८. श्री अरविन्द घोषाल : क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९-६० में शरणार्थी बस्तियों के विकास के लिये पश्चिमी बंगाल को कोई धनराशि नियत की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि स्वीकार की गई थी और अब तक कितनी धनराशि कितनी बस्तियों पर व्यय की गई है ?

†**पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख) विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में विकास कार्य पर व्यय करने के लिये १९५९-६० के दौरान पश्चिमी बंगाल की सरकार को ८३.०० लाख रुपये की राशि नियत की गई थी । पश्चिमी बंगाल की सरकार ने उस वर्ष ३७.७८ लाख रुपये व्यय किये । २४ बस्तियों पर यह व्यय किया गया ।

कृत्रिम क्लोरोफिल

†१५१९. **श्री मती इला पालचौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान २ जुलाई, १९६० के 'पायनियर' में प्रकाशित इस खबर की ओर आकर्षित किया गया है कि जर्मनी के रासायनिकों ने कृत्रिम तरीके से क्लोसेफिल के उत्पादन का ढंग निकाला है ;

(ख) क्या इस नये आविष्कार का ब्यौरा जानने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

कपड़े का निर्यात

†१५२०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि एशिया के बाजारों में भारतीय कपड़े की खपत कम होती जा रही है और गत वर्ष की प्रथम तिमाही में निर्यात में जो लगभग ३६ प्रतिशत की कमी आई थी उस से इस वर्ष की प्रथम तिमाही में कुल निर्यात में २५ प्रतिशत की कमी आ गई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: हां, श्रीमान् । यद्यपि भारत से १९५९ की प्रथम तिमाही में १६३० लाख गज कपड़े के निर्यात के मुकाबले १९६० की इसी अवधि में १९५० लाख गज

---

†मूल अंग्रेज़ी में

कपड़े का निर्यात हुआ किन्तु एशियाई देशों को निर्यात ६१० लाख गज से ५०० लाख गज रह गया। इस प्रकार एशियाई देशों को निर्यात का प्रतिशत ३७.५ प्रतिशत से घट कर २५.९ प्रतिशत रह गया

औद्योगिक भवनों का †तल-क्षेत्रफल

†१५२१. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना कालों में बनाई गई औद्योगिक इमारतों का कुल कितने वर्ग फुट तल-क्षेत्रफल है ;

(ख) संबंधित योजना कालों में कौन-कौन से उद्योगों ने सब से अधिक वर्ग फुट जमीन घेरी तथा किन किन क्षेत्रों में ; और

(ग) क्या भारत सरकार उद्योगों के विकास की दर का अध्ययन करने के लिये तल क्षेत्रफल के कोई आंकड़े रखती है जैसाकि इस के लिये इंग्लैंड में किया जाता है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग) कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि सरकार उद्योगों द्वारा घेरे गये क्षेत्रफल के आंकड़े नहीं रखती है ।

बंसद्रोनी-चकदाहा योजना

†१५२२. **श्री मोहम्मद इलियास** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जून, १९६० में बंसद्रोनी-चकदाहा योजना की पुनर्वास तथा विकास समिति से कोई याचिका प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मांगे क्या हैं :

(ग) क्या सरकार ने उन की मांगों पर विचार कर लिया है; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ।

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी हां ।

(ख) अभ्यावेदन में निम्नलिखित प्रार्थनायें की गई हैं : —

(१) बस्ती में विकास कार्यों का निष्पादन ;

(२) और अधिक पुनर्वास ऋणों का दिया जाना ;

(३) बस्ती के विस्थापित व्यक्तियों को नौकरी देने के लिये बीच के उद्योगों की स्थापना ।

(ग) और (घ) जनवरी १९५७ में विकास कार्यों के लिये २.५९ लाख रुपये मंजूरी दे दी गई थी और जुलाई, १९६० में २.८१ लाख रुपये की पुनरीक्षित रूप से मंजूरी दी गई । जहां तक विकास कार्यों की कार्यान्विति का सम्बन्ध है, यह पश्चिमी बंगाल की सरकार का कर्तव्य है कि वह उपरोक्त (ख) में संख्या (२) और (३) के बारे में उचित कार्यवाही करे । पश्चिम बंगाल की सरकार के पास से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं । इस के बारे में समिति को भी बता दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

'Floor space

कोएक्सियल तार का उत्पादन

१५२३. डा० राम सुभग सिंह : क्या वाणिज्य तथा **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कोएक्सियल तार केबल्स, का उत्पादन आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में तार का उत्पादन होगा ; और

(ग) देश में तार की वर्तमान मांग में से कितने प्रतिशत मांग इस उत्पादन से पूरी होगी ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां ।

(ख) दोहरी पाली में ६०० मील लम्बे कोएसिक्सयल केबिल ।

(ग) सौ प्रतिशत ।

तुकेरग्राम में भूमि

†**१५२४. श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि आसाम के कछार में तुकेरग्राम में कुछ भूमि पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की है ;

(ख) क्या यह सच है कि यह भूमि अब बंजर पड़ी है ; और

(ग) क्या उस भूमि को प्राप्त करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) नहीं, श्रीमान् ।

जम्मू तथा काश्मीर के समाचारों का आकाशवाणी द्वारा प्रसारण

†**१५२५. श्री राम जी वर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेडियो श्रोताओं ने नई शिकायतें की हैं कि जम्मू तथा काश्मीर के समाचार ठीक से प्रसारित नहीं किये जाते ; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों से समाचार एकत्र करने के लिये सरकार क्या प्रबन्ध करना चाहती हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख) जम्मू तथा काश्मीर की पूरी खबरें देने के लिये उपयुक्त व्यवस्था है । आकाशवाणी का अपना पत्रकार भी है । रेडियो श्रोताओं से इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है ।

कनाडा भारत रियेक्टर

१५२६. श्री पहाड़िया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में दूसरे आणविक रियेक्टर (भट्टी) के लिये, जो हाल ही में चालू किया गया है, कनाडा से क्या सहायता प्राप्त हुई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कनाडा के वैज्ञानिक कितने समय तक इस रियेक्टर पर कार्य करेंगे, और

(ग) इस रियेक्टर से कितने यूनिट बिजली पैदा की जायेगी ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु) : (क) अप्रैल १९५६ में कनाडा सरकार और भारत सरकार के बीच जिस करारनामे पर हस्ताक्षर किये गये थे, उसके अनुसार कनाडा रिएक्टर के डिज़ाइन, उसकी व्यवस्था, सहायक उपकरण और उसके निर्माण की देखरेख के लिये जिम्मेदार है। दरअसल रिएक्टर की इमारत बनाने और रिएक्टर तथा उसका सहायक उपकरण खड़ा करने का काम भारतीय कर्मचारियों ने कनाडियों की देखरेख में किया है। भारत ने भी स्वतन्त्र रूप से कई सहायक सुविधाएं तैयार की हैं जैसे :—समुद्रीजल को भीतर खचने का प्रबन्ध, ४०० फुट ऊंचा एक एक्ज़ास्ट स्टंक, ८,५०,००० गैलन पानी का आपतकालीन तालाब, संलग्न प्रयोगशाला, राड कटिंग ब्लाक और वर्कशाप आदि में इस प्रायोजना में कुल खर्च का अनुमान १० करोड़ रुपये है जिसमें से भारत का हिस्सा ५.७० करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, कनाडा द्वारा अल्मूनियम और तांबे की व्यवस्था किए जाने के फलस्वरूप जिस प्रत्यंश (काउंटरपार्ट) निधि की स्थापना की गई थी उसका एक भाग कनाडा ने देना स्वीकार कर लिया है। इससे वह आन्तरिक खर्च पूरा किया जा सकेगा जिसकी जिम्मेवारी भारत सरकार की है।

(ख) आजकल इस प्रायोजना पर कनाडा के १४ व्यक्ति रिएक्टर चलाने का कार्य कर रहे हैं क्योंकि जब तक पूरी तरह रिएक्टर चालू नहीं हो जाता तब तक कनाडा ही इसे चलाने का जिम्मेदार है। आशा है कि नवम्बर १९६० में यह काम हो जायगा।

(ग) यह रिएक्टर इस तरह नहीं बनाया गया है कि इससे बिजली पैदा हो सके।

भारत-पाकिस्तान सीमांकन

†१५२८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** २५ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १११० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गुज्जल ग्राम से सतलुज के किनारे तक भारत-पाकिस्तान के २० मील लम्बी भूमि के सीमांकन में और क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: इस क्षेत्र में सीमांकन का काम पूरा हो चुका है।

विशाखापटनम् में उर्वरक कारखाना

†१५२९. **श्री रामा रेड्डी** :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्रप्रदेश में बिशाखापटनम में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कारखाने की क्षमता क्या होगी ;

(ग) परियोजना पर अनुमानत : कितना व्यय होगा ;

(घ) क्या संयंत्र स्थापित करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ०) क्या कारखाना स्थापित करने के लिये किसी अन्य देश से सहयोग का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो वे देश कौन कौन से हैं तथा किन शर्तों पर वह प्रस्ताव किया गया है ;

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** :(क) से (च) कुछ गैर-सरकारी पक्षों ने विशाखापटनम् में कारखाना स्थापित करने के बारे में दिलचस्पी दिखाई है और उनसे सरकार के विचारार्थ विस्तृत प्रस्ताव मांगे गये हैं । इस अवस्था में यह बताना कठिन है कि इसकी क्या क्षमता होगी, इसमें कितना व्यय होगा अथवा इस परियोजना के लिये दूसरे देशों से सहयोग प्राप्त करने के लिये क्या प्रबन्ध हैं ।

चाय विकास योजना

†१५३०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६०–६१ के लिये चाय विकास योजना के अन्तर्गत दर्ज चाय उत्पादकों को ऋण देने के लिये कुल कितनी धन राशि निकाली गई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : कछार, त्रिपुरा, कांगड़ा, तथा मंडी में सीमान्त चाय उत्पादकों को चाय की मशीनरी में मरम्मत करने अथवा उसे बदलने के लिये ऋण देने के लिये एक अग्रिम योजना कार्यान्वित करने के हेतु चाय बोर्ड ने वर्ष १९६०–६१ के अपने बजट प्राक्कलनों में ३,५०,००० रुपये का उपबंध किया है ।

भुसंडपुर की कटिलागोथ बस्ती में विस्थापित व्यक्ति

†१५३१. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में भुसंडपुर की कटिलागोथ बस्ती में पुनः बसाये गये कई विस्थापित व्यक्तियों के परिवार हाल ही में बस्ती छोड़कर चले गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है और कितने परिवार छोड़कर चले गये हैं ; और

(ग) क्या संबंधित अधिकारियों ने उनकी कठिनाइयों की ओर ध्यान दिया है ।

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भुसंडपुर बस्ती, उड़ीसा

†१५३२. **श्री चिन्तामिण पाणिग्रही** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि भुसंडपुर बस्ती के क्षयरोग से पीड़ित कई शरणार्थी उड़ीसा के क्षयरोग अस्पताल में चिकित्साहेतु भर्ती नहीं किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में भुसंडपुर बस्ती में कितने ऐसे व्यक्ति क्षयरोग से पीड़ित हैं ;

(ग) उड़ीसा में क्षयरोग के अस्पताल में चिकित्सा के लिये उनकी भर्ती करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या उड़ीसा की सरकार से ऐसा कोई समझौता था कि वह उड़ीसा के क्षयरोग के चिकित्सालय में कुछ स्थान शरणार्थी क्षयरोगियों के लिये सुरक्षित रखेगी ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) जब कभी भुसंडपुर के क्षयरोगियों को अस्पताल में भर्ती करना ठीक समझा गया, उन्हें बसन्त मंजरी स्वास्थ्य निवास चांदपुर में विस्थापित व्यक्तियों के लिये विशेष रूप से सुरक्षित स्थानों पर भर्ती किया गया ।

सरकारी क्वार्टरों में वाश बेसिन

†१५३३. **सरदार अ० सिं० सहगल** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोदी रोड के 'बी' टाइप के दो मंजिला क्वार्टरों में, जो १९४३ में बनाये गये थे और देवनगर के दो मंजिला क्वार्टरों में, जो १९४५ में बनाये गये थे ऊपर के फ्लेटों में बरसातियों तथा वाशवेशिनों का प्रबन्ध है जब कि १९४४ में बनाये गये 'जे' टाइप के क्वार्टरों में यह सुविधा नहीं है ;

(ख) क्या यह सच है कि 'जे' टाइप के क्वार्टरों को दूसरे वर्ग के क्वार्टरों में रख दिया गया है यद्यपि उन क्वार्टरों में वाशवेसिनों, "बरसातियों" तथा बिजली और पंखे आदि की वे सुविधायें उपलभ्ध नहीं की गई हैं जो कि उस वर्ग के क्वार्टरों में उपलब्ध हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि एक ही टाइप के क्वार्टरों ने इस प्रकार के विभेद को दूर करने के लिये निवासी संघ समय समय पर अधिकारियों से मिला है, और

(घ) इस विषय में कब तक निर्णय कर लिचा जायेगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) जी हां, किन्तु वाश-बेसिन लोदी कालोना के १०७६ क्वार्टरों मे से केवल ७६ क्वाटरों में लगे हुए हैं ।

(ख) 'जे' टाइप के क्वार्टर को ऊपर वाले वर्ग में नहीं बदला गया है ।

(ग) और (घ). निवासी संघ ने यह प्रार्थना की थी कि अन्य क्षेत्रों के इसी प्रकार के क्वाटरों में जो अतिरिक्त सुविधायें उपलब्ध हैं, वे उन्हें भी दी जायें । किन्तु बचत की दृष्टि से उनकी प्रार्थना को नहीं माना गया । यद्यपि बहुत से क्वार्टर एक ही वर्ग में रखे गये हैं किन्तु विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न समयों पर बनाये गये क्वार्टरों में कुछ-कुछ अन्तर है क्योंकि जब जैसा माल मिल सका अथवा धन आदि का प्रबन्ध हो सका, उतना ही उन में अन्तर आ गया । क्वार्टरों के किराये इस बात को देखते हुए तय किये जाते हैं कि वह क्षेत्र कैसा है तथा कौन-कौन स विभिन्न सेवायें वहां उपलब्ध हैं । अतः एक ही श्रेणी के क्वार्टरों में यदि वे सुविधायें उपलब्ध हैं जो कि उसी श्रेणी के दूसरे क्वार्टरों मे नहीं हैं, तो उस हम विभेदपूर्ण नहीं कह सकते ।

प्रकाशन शाखा, दिल्ली में हिन्दी पत्र-व्यवहार

१५३४. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ में प्रकाशन शाखा में कुल कितने पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए और उन में से कितने पत्रों का उत्तर हिन्दी मे दिया गया;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या हिन्दी का काम निबटाने के लिये प्रकाशन शाखा में कोई विशेष कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं; और

(ग) क्या इन कर्मचारियों की वर्तमान संख्या हिन्दी के काम को देखते हुए पर्याप्त है ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) सन् १९५९ में प्रकाशन शाखा (पब्लिकेशन ब्रांच), दिल्ली में हिन्दी में लिखे २०६९ पत्र प्राप्त हुए । इन में से ८१ का उत्तर हिन्दी में दिया गया ।

(ख) प्रकाशन शाखा, दिल्ली में हिन्दी का काम करने के लिए एक क्लर्क और एक टाइपिस्ट की नियुक्ति की गई है ।

(ग) वर्तमान कर्मचारी-संख्या प्रकाशन शाखा में प्राप्त होने वाले हिन्दी में लिखे सब पत्रों का हिन्दी में उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं समझी जाती ।

प्रकाशन शाखा, दिल्ली में स्टैंडर्ड ड्राफ्टों का प्रयोग

†१५३५. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रकाशन शाखा ने अभिकर्ताओं और जनता से प्राप्त होने वाले पत्रों के उत्तर देने में सुविधा के लिये कोई स्टैंडर्ड ड्राफ्ट तैयार किये हैं;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो ये ड्राफ्ट कुल कितने हैं और इन में से कितने हिन्दी में हैं; और

(ग) शेष ड्राफ्ट हिन्दी में तैयार करने के लिये क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रकाशन शाखा (पब्लिकेशन ब्रांच), दिल्ली में मानक प्रारूपों (स्टैंडर्ड ड्राफ्ट) की कुल संख्या ९३ है । उन में से हिन्दी में कोई भी नहीं है ।

(ग) अभी हिन्दी में मानक प्रारूपों को तैयार करने के लिए कोई प्रबन्ध नहीं किया जा रहा ।

सरकारी क्वार्टरों में बिजली के अतिरिक्त प्वाइंट

†१५३६. **श्री बहादुर सिंह** :
श्री नेक राम नेगी :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के बिजली विभाग संख्या २ ने नई दिल्ली में 'जे' प्वाइंट के सरकारी क्वार्टरों में बिजली के अतिरिक्त प्वाइंट लगाने से इन्कार कर दिया है जो कि विनय नगर के 'ई' श्रेणी के क्वार्टरों और पंडारा रोड के क्वार्टरों में भी लगे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की जावेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) से (ग). 'जे' प्वाइंट वाले क्वार्टरों में रहने वालों की प्रत्येक क्वार्टर में एक अतिरिक्त लाइट प्वाइंट लगाने की प्रार्थना पर उनकी अन्य अतिरिक्त सुविधाओं की प्रार्थना के साथ विचार किया गया था जिस पर अत्याधिक खर्चे के कारण राजी नहीं हुआ जा सका ।

सरोजिनी नगर (विनय नगर) में और पंडारा रोड पर 'ई' टाइप के क्वार्टर बाद में बनाये गये थे । उनका नमूना 'जे' प्वाइंट वाले क्वार्टरों से भिन्न है ।

कार्यालयों के लिये स्थान

†१५३७. **श्री ब्रज राज सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से हटाये जाने वाले केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिये स्थान की उपलब्धता के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय देश भर में कार्यालयों के लिये कितना स्थान उपलब्ध है और राज्य-वार और संघ राज्य-क्षेत्र वार उनके क्या आंकड़े हैं;

(ग) इस को उपयोग में लाने का क्या कार्यक्रम है; और

(घ) यदि अब तक उपलब्ध सब कार्यालय स्थान को इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो उसके क्या कारण हैं और इस को कब तक इस्तेमाल कर लिया जायेगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** (क) से (घ). राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों से यह कहा गया है कि वे अपने अपने क्षेत्राधिकार में उपलब्ध कार्यालय आवास के बारे में सूचित करें ताकि वहां भारत सरकार के कार्यालय भेजे जायें । कुछ उपलब्ध आवास की इस मंत्रालय ने जांच की है । एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें उपलब्ध स्थान के इस्तेमाल किये गये भाग और उपलब्ध होने वाले स्थान के बारे में बताया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६]** उपलब्ध बताये जाने वाले अधिकांश स्थान को केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिये उपयुक्त नहीं पाया गया है क्योंकि वहां पर आवश्यक सुविधायें जैसे जल-संभरण, अच्छे ढंग की परिवहन व्यवस्था नहीं है और प्रशासनिक कारणों के भी उपर्युक्त नहीं समझा गया । बहुत से स्थानों पर पर्याप्त रिहायशी स्थान भी उपलब्ध नहीं है । प्रशासनिक बातों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली से केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के स्थानान्तरण के लिये उपयुक्त स्थान मिलने पर उसको इस्तेमाल करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

मद्रास में छोटे पैमाने के उद्योग

†१५३८. **श्री स० र० अरुमुगम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८–५९ और १९५९–६० में मद्रास राज्य में निम्नलिखित संस्थाओं को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा दी गयी मशीनों का क्या मूल्य है :

(१) मद्रास राज्य में औद्योगिक बस्तियां;

(२) सामुदायिक विकास खंड;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन संस्थाओं में निर्मित सामान की क्या लागत है और राज्य तथा केन्द्र सरकार ने कितना सामान खरीदा है; और

(ग) उनको अब तक दी गयी मशीनों का क्या मूल्य है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) मद्रास राज्य में औद्योगिक बस्तियों में यूनिटों को दी गयी मशीनों का मूल्य १९५८–५९ में १३,९६,०२५.६२ रुपये और १९५९–६० में ६,३४,५४४.७९ रुपये था। सामुदायिक विकास खंड में यूनिटों को दी गयी मशीनों के बारे में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ख) कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) मद्रास राज्य में औद्योगिक बस्तियों में यूनिटों से क्रयावक्रय के आधार पर मशीनों के संभरण के लिये स्वीकृत किये गये आवेदन-पत्रों का मूल्य १९५८–५९ में १४,२५,४५९.६९ रुपये था और १९५९–६० में ९,२०,७४४.७९ रुपये था। सामुदायिक विकास खंडों में यूनिटों के बारे में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

मद्रास में औद्योगिक विस्तार सेवा

†**१५३९. श्री स० क० अरुमुगम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास जिले के औद्योगिक विस्तार सेवा केन्द्र, कोयम्बटूर ने कौन सी मुख्य सेवाओं का प्रस्ताव किया है;

(ख) इस से अब तक कितनी सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं को लाभ हुआ है; और

(ग) इस सेवा केन्द्र से क्या अतिरिक्त रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) प्रस्तावित मुख्य सेवाओं में रेत का यंत्रीकृत, धातुकर्मिक और संधानी परीक्षण; प्रदर्शन और आधुनिक संधानी प्रविधि द्वारा प्रविधिक जानकारी देना; लौह और अलौह मशीन के पुर्जों का ढालना और इस्पात और मिश्रधातु को तपाना शामिल है।

(ख) इस सेवा से जून, १९५९ से अगस्त, १९६० के मध्य तक ४ सरकारी और ९२ गैर-सरकारी संस्थाओं ने लाभ उठाया है।

(ग) विस्तार केन्द्र, कोयम्बटूर का मुख्य कृत्य छोटे पैमाने के उद्योगपतियों को परामर्श देना है। रोजगार के अवसर के बारे में मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है।

सिरमूर के लिये लोहे और अन्य धातुओं का कोटा

†**१५४०. श्री शि० न० रामौल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८-५९, १९५९-६० और १९६०-६१ में हिमाचल प्रदेश में सिरमूर जिले को छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये लोहे और अन्य धातुओं का कितना कोटा आवंटित किया गया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कोटा किस को आवंटित किया गया और प्रत्येक को कितना दिया गया ;

(ग) क्या यह कोटा प्रतिवर्ष वितरित किया गया ; और

(घ) क्या इस सामान से वे वस्तुएं तैयार की गईं जिन के लिये कोटा लिया गया था ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). लोहे और अन्य धातुओं के कोटे का जिले-वार आवंटन नहीं किया जाता है । अतः माननीय सदस्य द्वारा माँगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

कपूर का मूल्य

†१५४१. **श्री कुन्हन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में कपूर के मूल्य मे वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा कपूर के ४०० केस आयात किये गये हैं ; और

(घ) यदि हा, तो इन ४०० केसों के आवंटन और वितरण का क्या ब्यौरा है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, नहीं । हाल ही में नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी, हां । जून, १९६० में ।

(घ) सभा पटल पर एक टिप्पण (नोट) रखा जाता है जिस में ब्यौरा दिया हुआ है ।

टिप्पण

वर्ष १९६० में रूस से १०० मीटरिक टन कपूर का आयात किया गया जिस में से ६० मीटरिक टन अप्रैल, १९६० में प्राप्त हुआ और ४० मीटरिक टन जिस में ४०६ केस थे, पिछले जून में प्राप्त हुआ था । इस ४० मीटरिक टन की मात्रा में सहकारी समितियों के जरिये वितरण कराये जाने वाला २५ मीटरिक टन कपूर भी शामिल है और बाकी १५ टन और पहले कपूर में से १० टन का देश भर में रोग नाशक औषधियों, रंगों, प्लास्टिक और अन्य औद्योगिक उत्पादों के निर्माताओं के लिये राज्यों में उद्योगों के सम्बन्धित निदेशकों की सिफारिशों के अनुसार इस्तेमाल किया जा रहा है ।

सिलाई की मशीनें

†१५४२. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** :
श्री नागी रेड्डी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी प्रकार की औद्योगिक सिलाई की मशीनें बनाई जाती हैं ;

मूल अंग्रेजी में

(ख) वर्ष १९५९ में प्रत्येक प्रकार की कितनी मशीनें बनाई गईं ;

(ग) वर्ष १९५९ में कितनी मशीनों का निर्यात किया गया ; और

(घ) उस से कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) देश में ३१–के–१५ सिंगर के नमूने की हल्की औद्योगिक मोडल (लिन्क टाइप) और भारी औद्योगिक मोडल मशीनें बनाई जा रही हैं ।

(ख)	हल्की औद्योगिक मोडल	३४,६९४
	भारी औद्योगिक मोडल	१,३१७

(ग) ६२

(घ) १६,००० रुपये ।

लाजपत नगर, नई दिल्ली में क्वार्टर

†**१५४३. श्रीमती सुचेता कृपालानी :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाजपत नगर, नई दिल्ली में दुमंजिले क्वार्टरों के अलाटियों ने सरकार को उन क्वार्टरों के विक्रय-मूल्य का पूरा पूरा भुगतान कर दिया है ;

(ख) यदि हाँ ; तो क्या अलाटियों को विक्रय विलेख (सेल डीड) दे दिये गये हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इस मामले को अन्तिम रूप दिये जाने में कितना समय लगेगा ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चंद खन्ना) :** (क) विस्थापित व्यक्तियों को आवंटित किये गये १६२० (ग) श्रेणी के दुमंजिले मकानों में से केवल ९४ मामलों में विक्रय-मूल्य का पूरा भुगतान मिला है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह प्रत्याशा की जाती है कि इन सब मामलों को लगभग दो या तीन महीने में अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ।

दक्षिण अफ्रीका के बारे में ज्ञापन

†**१५४४. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत ने दक्षिणी अफ्रीका के बारे में एक ज्ञापन जारी किया है और उस पर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाये जाने का अनुमोदन किया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) :** पिछली जुलाई में भारत सरकार ने अधिकांश अफ्रीकी, एशियाई और अन्य देशों को उन देशों में अपने प्रतिधियों द्वारा एक नोटा भेजा था । इस नोट में इस बात का संक्षिप्त उल्लेख है कि भारत सरकार ने दक्षिणी अफ्रीका की जाति-भेद नीति को समाप्त करने के लिये पिछले १४ वर्षों में क्या कार्य किया । नोट देते समय

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

इस बात की पूछताछ की गई कि दक्षिणी अफ्रीका की सरकार की जाति-भेद नीति के बारे में वे देश क्या उपाय करेंगे ।

सभा पटल पर रखा गया पत्र

बागान सम्बन्धी औद्योगिक समिति के निष्कर्ष

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : मैं बागान संबंधी औद्योगिक समिति के २७ अप्रैल, १९६० को नई दिल्ली में हुए नवें अधिवेशन के निष्कर्षों के विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये संख्या एल० टी० २३१७/७]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

उड़ीसा में बाढ़

†श्री प्र० के० देव (कालाहाडी) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर सिंचाई और विद्युत् मंत्री का ध्यान दिलाता हूं, और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उस के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"उड़ीसा में हाल की बाढ़ से उत्पन्न स्थिति" ।

†सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) : उड़ीसा में हाल की बाढ़ से उत्पन्न गम्भीर स्थिति के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में समाचार छपते रहे हैं । अतः यह स्वाभाविक है कि संसद्-सदस्य स्थिति के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त करें । बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में टेलीफोन और तार संचारों के अव्यवस्थित हो जाने के कारण राज्य सरकार अभी तक सभी क्षेत्रों से जानकारी प्राप्त नहीं कर सकी है । पानी के कारण रेलों की लाइनों और सड़कों को भी क्षति पहुंची है और संचार व्यवस्था पर बहुत असर पड़ा है । मुझे आशंका यह थी कि राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करने में विलम्ब होगा, इसलिये मैं ने केन्द्रीय जल और विद्युत् विभाग के एक ज्येष्ठ टैक्निकल पदाधिकारी को उड़ीसा भेजा कि वह वहां जा कर स्थिति का निरीक्षण करें, तथा बाढ़ से उत्पन्न हालत का पता लगायें और भारत सरकार को उस से परिचित करवायें ।

बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में राज्य सरकार से सब से पहली सूचना २४ अगस्त को बेतार के तार द्वारा मिली जिस में १६ से १८ अगस्त के बीच की स्थिति की जानकारी दी गई थी । भारी और व्यापक वर्षा के कारण सभी नदी क्षेत्रों तथा वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, कठूजड़ी, सालन्दी, बूढ़ेबलंग, सुवर्णरेखा में एक साथ बड़ी तेज़ बाढ़ आ गई । वैतरणी और ब्राह्मणी में सब से भयंकर बाढ़ आई । दरारों के कारण नहरों और बांधों को कई स्थानों में गम्भीर क्षति हुई है । राज्य सरकारों द्वारा इन दरारों और उस से हुई क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है । जिन जिलों में बाढ़ से गम्भीर क्षति हुई है, उन के नाम इस प्रकार हैं : बालासौर, कटक, सम्बलपुर, ढेंकानाल, क्योंझर, पुरी, फूलबणी और मयूरभंज । कई स्थानों से सड़कों और रेलवे लाइनों का संबंध टूट गया है और

---

†मूल अंग्रेजी में

खड़ी हुई फसल को बहुत हानि पहुंची है। बहुत बड़ी संख्या में पशु मर गये हैं। कई मकानों को क्षति पहुंची है और बहुत से मकान बह गये हैं। बाढ़ से हुई क्षति के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दी गई अद्यतन जानकारी जिलेवार इस प्रकार है :

जिला बालासार

बाढ़ग्रस्त क्षेत्र	१००० वर्ग मील
प्रभावित जनसंख्या	३ लाख
व्यक्ति मरे	५

जिला कटक

बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र	१५०० वर्ग मील
प्रभावित जन संख्या	६ लाख
व्यक्ति मरे	६

जिला सम्बलपुर

१४ व्यक्तियों के मरने का समाचार मिला है।

जिला ढेंकानाल

बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र	२०० वर्ग मील
प्रभावित जनसंख्या	३००००
व्यक्ति मरे	२

राज्य सरकार लोगों को बचाने और सहायता देने की कार्यवाही व्यापक पैमाने पर कर रही है। कृषकों को पुनः बोने के लिये धान के पौदे देने की व्यवस्था की जा रही है। तकावी ऋणों का वितरण भी शुरु कर दिया गया है।

मैं सभा को आश्वासन दिलाता हूं कियदि राज्य सरकार बाढ़ से उत्पन्न समस्त समस्याओं का सामना करने के लिये सहायता की मांग करेगी तो उस पर उदारतापूर्वक विचार किया जायेगा। सहायता कार्य के लिये राज्य सरकार, केन्द्र से वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार वित्तीय सहायता पाने की अधिकारी है।

उड़ीसा सरकार से इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त होने पर मैं सभा पटल पर एक विवरण रखूंगा। मेरा तथा मेरे उपमंत्री का अगले दो एक दिनों में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने का विचार है।

†**श्री प्र० के० देव** : क्या राज्य सरकारों के सीमित संसाधनों को देखते हुए, भारत सरकार बाढ़ में फंसे हुए लोगों को निकालने और उन्हें औषधियों और अनिवार्य खाद्यपदार्थ पहुंचने के उद्देश्य से, भारतीय वायु सेना के हेलीकाप्टरों और विमानों का वहां उपयोग करने का विचार कर रही है ?

†**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** : राज्य सरकार जो भी सहायता मागेंगी वह उसे दी जायगी।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री महन्ती** (ढेकानाल) : यह विवरण कई स्पष्ट कारणों से अपर्याप्त है। हम इस संबंध में केवल जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक नहीं हैं, यह तो हमें अखबारों से ही मिल गई है। हम तो चाहते हैं कि इस अवसर पर देश की सामान्य बाढ़ समस्या और विशेष रूप से उड़ीसा की बाढ़ समस्या पर चर्चा की जाय जिस से इस प्रकार की दुखद स्थिति पुनः पैदा न हो।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** (पुरी) : यह कहा गया है कि गृह-मंत्रालय ने उड़ीसा सरकार को बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों को तत्काल सहायता देने को कहा है। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या राज्य सरकार ने गृह-मंत्रालय से बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को तत्काश सहायता के शिये सहायता देने की अपील की है ?

†**प्रधान मंत्री और वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : इन मामलों में सामान्य प्रथा यह है कि गृह-मंत्रालय, सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय या प्रतिरक्षा मंत्रालय, चाहे कोई भी मंत्रालय क्यों न हो, वह तत्काल सहायता देता है। जब भी राज्य सरकार की ओर से कोई मांग की जाती है, तो जो कुछ भी उस दशा में संभव होता है वह किया जाता है।

†**श्री हेम बरूआ** (गौहाटी) : इस बात को ध्यान मे रखते हुए कि संचार के सामान्य साधन अव्यवस्थित हो गये हैं, इसलिये राज्य सरकार के लिये तत्काल सहायता मांगना संभव नहीं है, क्या केन्द्रीय सरकार बाढ़ ग्रस्त क्षत्रों में फंस लोगों को निकालने के लिय हेलीकोप्टर तथा अन्य वस्तुओं से सहायता नहीं कर सकती है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : संचार साधन केन्द्रीय सरकार और स्थानीय सरकार के बीच अव्यवस्थित नहीं हुए हैं। स्थानीय रूप से ऐसा भले ही हुआ हो। किसी संकट की स्थिति मे केन्द्रीय सरकार के लिये, बिना कुछ सोचे हुए कि वह क्या कर सकती है और उस क्या करना चाहिये, सहायता कार्य करने की कोशिश करनी उचित नहीं है। हमें राज्य सरकारों के जरिये से काम करना होता है। उन्हें हम से अधिक जानकारी रहती है। जब वे सहायता की मांग रखते हैं तो हम उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं ने प्रधान मंत्री सहायता कोष से राज्यपाल और मुख्य मंत्री दोनों को कुछ रुपया भेजा है।

†**श्री महन्ती** : इस पर चर्चा की अनुमति दी जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री को जो भी जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त हुई है वह उन्हों ने सभा को दे दी है वे यह भी बता चुके हैं कि उन्हों ने एक अधिकारी को स्थिति जानने के अभिप्राय से उड़ीसा भेजा है, वे स्पष्ट शब्दों मे यह भी बता चुके हैं कि राज्य सरकार जो भी सहायता मांगता वह उसे दी जायेगी। वहां के मुख्य मंत्री वहां की स्थिति से अवगत हैं ही और वे केन्द्रीय सरकार की प्रथा भी जानते हैं, अतः वे स्वयं लिख सकते हैं। मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि उन्हें जो भी जानकारी प्राप्त हो उसे सभा में रखते जायें क्योंकि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में बहुत व्यग्र हैं। जहां तक बाढ़ पर चर्चा का सम्बन्ध है, हम पहिले इस संकट का सामना कर लें तत्पश्चात् हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : बाढ़ आना तो कोई ऐसी नई बात नहीं है जिस की उत्पत्ति देश की वर्तमान सरकार के कारण हुई हो। पिछले हजारों लाखों वर्षों से देश में बाढ़ आती रही हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरा ख्याल है कि हम लोगों की कोशिशों के बावजूद भी बाढें आती रहेंगी। बाढ़ों से यदि एक ओर क्षति होती है तो दूसरी ओर देश की मिट्टी को लाभ भी होता है। हम यह सोचते हैं जैसे हम जादू के द्वारा प्रकृति की बातों को बदल सकते हैं। आधुनिक विश्व की समस्त शक्ति भी यह काम नहीं कर सकती है। हम बाढ़ों को केवल नियंत्रित कर सकते हैं जिस से उन से होने वाला नुकसान कम और लाभ अधिक हो।

†**श्री मोहम्मद इलियास** (हावड़ा) : बाढ़ों के नियंत्रण के लिये करोड़ों रुपये व्यय किये जा रहे हैं, लेकिन सरकार इस दिशा में कर क्या रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरे ख्याल में माननीय सदस्यों ने प्रश्न को गहराई के साथ नहीं सोचा है। भारत क्या दुनिया में कहीं भी बड़ी बाढ़ों पर नियंत्रण पाना संभव नहीं है। अमेरिका में भी जो इस सम्बन्ध में शायद सब से आगे बढ़ा हुआ है बाढ़ें आती हैं और नगर के नगर बह जाते हैं। क्यों ? इसलिये नहीं कि लोगों के प्रयत्न, वैज्ञानिक ज्ञान या रुपये की कमी है। मैं आने वाली पीढ़ियों की बात तो नहीं करता लेकिन अभी कई मामलों में हम प्रकृति पर नियंत्रण नहीं कर सके हैं, हम बाढ़ को नहीं, बाढ़ के जोर को कम करने में समर्थ हो सकते हैं। मुझे ज्ञात है कि उड़ीसा में तीन दिनों के भीतर ४० इंच वर्षा हुई है। इतनी अधिक वर्षा की मात्रा को दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। इस के लिये कोई बान्ध या दीवाल उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकती है, केवल एक ही रास्ता है कि वर्षा का पानी जल्दी समुद्र में पहुंचे, वह रुके नहीं। अर्थात् इस की अच्छी तरह निकासी हो जाय। यदि बाढ़ आयेगी तो कच्चे मकान तो टूटेंगे ही, हां पक्के मकान शायद खड़े रह सकें। हम यह कर सकते हैं कि ४० इंच वर्षा का यह पानी शीघ्रातिशीघ्र बह जाय। बाढ़ के पहले दो चार दिनों में बड़ा नुकसान होता है लेकिन यदि उचित कार्यवाही की जाय तो यह पानी बह निकलता है। बाढ़ से निःसंदेह नुकसान होता है, तथापि सामान्यतः बाढ़ का पानी अधिक दिनों तक नहीं ठहरता है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : (कलकत्ता मध्य) : समाचार पत्रों में उड़ीसा के राज्यपाल का यह वक्तव्य आया था कि उड़ीसा में जितनी भयंकर बाढ़ इस समय आई हुई है उतनी लोगों की याददाश्त में कभी नहीं आई। तथापि सरकार ने इस संबंध में जो जानकारी दी है वह उस जानकारी से भी कम है जोकि हमें कलकत्ता से प्रकाशित समाचार पत्रों से प्राप्त हुई है। प्रधान मंत्री ने इस संबंध में जो कुछ भी कहा है उस से उन का उपेक्षा-पूर्ण रवैया ही प्रगट होता है। उड़ीसा के माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि राज्य सरकार द्वारा अपील किये जाने के पूर्व ही केन्द्र द्वारा यथाशक्ति सहायता की जानी चाहिये। आश्चर्य की बात यह है कि यद्यपि समाचार पत्रों में इस संकट के बारे में जानकारी प्रकाशित हो चुकी है, तथापि मंत्री महोदय ने तीन रोज का समय मांगने के उपरान्त भी जो जानकारी दी है वह नहीं के बराबर है। मैं आप से यह जानना चाहता हूं कि हम इस सम्बन्ध में क्या कर सकते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरे विचार से सभा शायद यह समझती है कि बाढ़ की उत्पत्ति भी सरकार के कारण होती है। अन्यथा ऐसे रवैये का और कोई कारण नहीं हो सकता। ये बाढ़ें अचानक आती हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि कलकत्ता के समाचार पत्रों को उन के बारे में जानकारी थी जबकि सरकार को यह जानकारी नहीं है। यह बात पूरी तरह न सही, बहुत अंशों तक सच हो सकती है। बाढ़ अचानक आई और वहां के समाचार पत्रों को यह पता चल गया होगा ; हमारे पास भी समाचार आने लगे। क्रमशः अन्य समाचार भी आते रहेंगे कि संचार साधन टूट गये, लोग बाढ़ में

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

फंस गये इत्यादि। लेकिन इस मामले में सहायता स्थानीय व्यक्ति ही कर सकते हैं। मैं वहां विमान से जाकर दौरा करके वापस जा सकता हूं। यदि मैं वहां जाकर रुकूं तो भी मैं कुछ नहीं समझ सकता क्योंकि वहां केवल पानी ही पानी होगा। स्थानीय सेना को सहायता करने के स्थायी आदेश रहते हैं और वे सहायता करते भी हैं। हम वहां हेलीकॉप्टर तब तक नहीं भेज सकते जब तक उन की आवश्यकता न हो। मेरे विचार से सारे भारत में तीन या चार हेलीकाप्टर हैं। उन में से एक दो लद्दाख में हैं, यदि आप को आवश्यकता भी होगी, तो भी उन को लाने में कुछ समय लगेगा। तथापि जिस वस्तु की आवश्यकता होती है हम भेजने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन इस सम्बन्ध में मांगें, चाहे वह खाद्य सामग्री के सम्बन्ध में हो या इंजीनियरों के या यंत्रों आदि के सम्बन्ध में, राज्य सरकार द्वारा ही पेश की जाती हैं।

तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारुप के बारे में प्रस्ताव : जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा में श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा तृतीय पंच वर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप के बारे में २२ अगस्त १९६० को प्रस्तुत प्रस्ताव तथा तत्संबंधी संशोधनों पर और आगे चर्चा होगी।

श्री रामसिंह भाई वर्मा अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री रामसिंह भाई वर्मा (निमाड़) : श्रीमन्, कल मैं इस विषय में निवेदन कर रहा था कि रोज़गार किस तरह से बढ़ाया जाये और भावों को किस तरह से बढ़ने से रोका जाये। मैं यह भी बता रहा था कि पब्लिक सैक्टर के लिए प्राईवेट सैक्टर किस तरह से नुक्सानदेह होता है और किस तरह राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार की राय लिये बिना प्राईवेट सैक्टर को सहयोग देती हैं, जिस से पब्लिक सैक्टर को नुक्सान होता है। दूसरी योजना में मैंने कहा था कि एक कारखाना सनावत में खोलना तय हुआ था। उसके लिये ज़मीन अक्वायर की गई, मशीनरी मंगाई गई, अफसर प्वाइंट किये गये। लेकिन आज स्टेट गवनमेंट यह कोशिश कर रही है कि प्राइवेट सैक्टर को वह कारखाना सौंप दिया जाये और प्राइवेट सैक्टर के मातहत वह कारखाना चलाया जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइवेट और पब्लिक सैक्टर की जो राइवेलरी है, उसको रोकने की कोशिश की जाए।

श्रीमान्, तीसरी पंच वर्षीय योजना की रूपरेखा में प्राडक्टिविटी के ऊपर काफी जोर दिया गया है। यह कहा गया है कि जो हमारी प्राडक्टिविटी है वह जरूर बढ़नी चाहिये। साथ ही साथ हमारा जो उत्पादन है वह भी बढ़ना चाहिये। यह भी कहा गया है कि डिसिप्लिन होना चाहिये। कहने को ये सब बातें सही हैं, ठीक हैं लेकिन हो क्या रहा है, इसकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये। आज हो यह रहा है कि प्राडक्टिविटी काउंसिल्स कायम तो कर दी जाती है लेकिन जो रा-मैटीरियल्स के भाव हैं, वे बढ़ रहे हैं, स्टोर के जो भाव हैं, वे बढ़ रहे हैं, मिसमैनेजमेंट हो रहा है। जब ये सब बातें हो रही हैं तो इस सब का नतीजा यह होता है कि जो कास्ट आफ लेबर है, वह मजदूरों को कम करके घटाई जाती है। कहने का मतलब यह है कि प्राडक्टिविटी

---

†मूल अंग्रेज़ी में

को बढ़ाने के लिए मूवमेंट तो चलाई जानी चाहिये, वह तो बढ़नी चाहिये लेकिन हो यह रहा है कि जो कास्ट आफ लेबर है वह कम की जा रही है। मैं समझता हूं कि अच्छा हो कि यह प्राडक्टिविटी की जो मूवमेंट चल रही है, इसे ही बन्द कर दिया जाए। प्राडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि जो चीजें हैं, अगर कोई कारखाना है या कोई व्यक्ति है, उसके लिए जो जरूरी चीजें हैं, वे अमुक प्राइसिस के अन्दर मिलें। इसके लिए प्राइस को कंट्रोल करना निहायत जरूरी है। अगर हम प्राइसिस को इसी तरह से बढ़ने देते हैं, तो हमारी जो योजना है वह सफल नहीं हो सकती है, हमारे जो लक्ष्य हैं, उनको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जो हमारा आदर्श है, उस तक हम पहुंच नहीं सकते हैं।

जो पब्लिक सैक्टर में या प्राइवेट सैक्टर में छोटे-छोटे उद्योग हैं उनको भी हमें बढ़ावा देना होगा। यह कहा भी जाता है कि छोटे-छोटे उद्योगों को हम प्रोत्साहन देगें। लेकिन होता क्या है इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। में दिल्ली के खादी और ग्राममोद्योग का जिक्र करना चाहता हूं। इसको इसलिये चलाया था कि जो बेरोजगार लोग हैं, उनको काम मिले, कुछ उनकी आमदनी हो जाए। यहीं पर इस ग्राममोद्योग भंडार में एक सिलाई विभाग था और उसके अन्दर दो सौ या तीन सौ दरज़ी काम करते थे, मज़दूर काम करते थे। पिछले साल उस विभाग को बन्द कर दिया गया और सारा सिलाई का काम जो था उसको कांट्रेक्टर्स के द्वारा कराया गया। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपका मंशा है, उसके विपरीत आप काम कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि समाजवादी ढ़ंग की समाज की स्थापना यहां हो, लेकिन इस तरह के जो काम हैं, वे इस सिद्धान्त के विपरीत जाते हैं। आपकी जो नीती, एम्पलायमेंट बढ़ाने की जो घोषणा है' उसके विपरीत यह काम हो रहे हैं लेकिन इनकी तरफ़ कोई ध्यान नहीं देता है। मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान इस तरफ की चीजों की तरह विशेष तौर से जायें।

अब मैं लेबर पालिसी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे विरोधी सदस्य श्री स० म० बनर्जी ने इसके बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। म कहना चाहता हूं कि हमारी लेबर पालिसी बहुत सुन्दर है और पिछले दिनों हमें जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आज मजदूर लोग हड़ताल करना भूल गए हैं, आज मजदूर नहीं चाहते हैं कि वे हड़ताल करें, आज मजदूर प्राडकशन बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ा रहे हैं, डिसिप्लिन में रह रहे हैं और सारा कांम सुन्दर ढ़ंग से चल रहा है। इस सब के लिये हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिये। जो सिद्धान्त हमने लेबर पालिसी के बारे में अपनी योजना में रखे हैं, उन पर अमल भी होता है या नहीं इसको अब हमें देखना है। जहां तक अमल का सवाल है, अमल दूसरी ही तरह से हो रहा है। प्राइवेट सैक्टर में तो हम लोग उन से ठीक तरहसे काम करवा लेते हैं लेकिन जहां तक पब्लिक सैक्टर का सम्बन्ध है, वहां पर आपकी लेबर पालिसी पर कोई अमल नहीं हो रहा है। मंत्रियों की इच्छा चाहें कुछ भी हो, भारत सरकार की इच्छा चाहे कुछ हो, राज्य सरकारों की इच्छा चाहे कुछ हो लेकिन पब्लिक सैक्टर में जिन को मैनेजिगं डायरेक्टर वगैरह बना दिया गया है या डायरेक्टर वगैरह बना दिया गया है, जिनको संचालन का काम सौपा गया है, उनकी जो पालिसी है, वह उनमें चलती है और वे कहते हैं कि जो भी वे कहते हैं वही लेबर पालिसी है। उनका दृष्टिकोण आज भी वैसा ही रिएकशनरी है जैसा १९४७ के पहले हुआ करता

[श्री रामसिंह भाई वर्मा]

था । उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है । उनहें श्रमिकों और श्रमिक जीवन से जरा भी वास्ता नहीं, उसका कोई भी ख्याल नहीं है । यही कारण है कि पब्लिक सैक्टर में ये सब खराबियां और ये सब गड़बड़ियां पैदा होतीं हैं । कल श्री स० म० बनर्जी साहब ने बाहर के लोगों के बारे में कुछ कहा कि उनको यूनियंस में काम करने से रोका नहीं जाना चाहिये । मान्यता देने के सम्बन्ध में भी उन्होंने कुछ बातें कहीं । मैं समझता हूं कि आपकी जो लेबर पालिसी है वह क्लीयर है । आपको हड़तालों के ऊपर बन्दिश लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बाहरी व्यक्तियों को ट्रेड यूनियस में काम करने से रोकने की कोई जरूरत नहीं है । आपकी लेबर पालिसी कोलैक्टिव बारगेनिंग की, कंसिलियेशन की, आर्बिट्रेशन की है । आपने जो भी इस पालिसी में तय किया है, उसके ऊपर अगर आप फर्म रहते हैं, फर्मली उस पर चलते हैं, तो मैं समझता हूं कि हड़ताल होने वाली नहीं है, बाहरी व्यक्ति कुछ भी करने वाले नहीं हैं । लेकिन यह बात जरूर है कि आप अपनी पालिसी पर फर्म रहें । आपको चाहिये कि आप यह साफ कर दें कि अगर कोई ट्रेड यूनियन उस पालिसी के विपरीत काम करते हैं, तो उसको जो मान्यता दी गई है. उसको रद्द कर दिया जाएगा इस प्रकार की घोषणा करना बहुत आवश्यक है ! मैं तो यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि आपको उसका रजिस्ट्रेशन भी ट्रेड यूनियन एक्ट के अनुसार कैंसल करना होगा । अगर बाहर के कोई व्यक्ति या अन्दर के भी कोई व्यक्ति इंडस्ट्री के, नेशन के, लेबर के हितों के विपरीत काम करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, इंडियन लेबर कान्फ्रेंस के निर्णय के विपरीत चलते हैं, तो उनको आपको ट्रेड यूनियन में काम करने के लिए नालायक ठहराना होगा और उसी तरह से ठहराना होगा जिस तरह से कि आपने कहा है कि चुनाव में अमुक-अमुक गड़बड़ी करने वाले को विधान सभा के लिए या पार्लियामेंट के लिए खड़ा होने की इजाज़त नहीं होगी । जो लोग ट्रेड यूनियन में काम करते हैं, उनके बारे में मेरा यह सुझाव है कि अगर वे इंडस्ट्री और लेबर और कंट्री के इंटिरेस्ट के विपरीत काम करते हैं, लेबर पालिसी के विपरीत काम करते हैं, तो वे पांच या दस साल तक ट्रेड यूनियन में काम नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ सैंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को लेबर पालिसी पर फर्मली अमल करना चाहिये । ऐसा नहीं होना चाहिये कि अगर कोई आदमी किसी गलत बात को ले कर अनशन कर बैठता है तो हमारे मिनिस्टर साहब मौसमी के रस का गलास ले कर पहुंच जाय और उससे प्रार्थना की जाये कि अपना अनशन समाप्त करो । यह लेबर पालिसी नहीं है । यह तो हड़तालों को बढ़ावा देने वाली चीज है ।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप श्रमिकों को विश्वास दिलाये कि उत्पादन बढ़ने से जो कारखाना है वह बन्द होने वाला नहीं है और वे बेकार होने वाले नहीं हैं । आज उनको इस बात का विश्वास दिलाने की जरूरत है कि वे किसी भी कारण से बेकार नहीं होगें ।

मैं अपनी पहली बात को दौहरा कर समाप्त करता हूं । भावों पर नियंत्रण रखना निहायत जरूरी है और आप भावों पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, तो जो आपका प्लान है, इसमें गड़बड़ियां होंती रहेंगी, उतार चढ़ाव उइसमें आते रहेंगे, न आपकी प्राडक्टिविटी, न ही प्राडक्शन बड़ने वाला है और न ही शान्ति रहने वाली है । आज मज़दूर यह

चहता है कि उनको ठीक भावों पर चीज उपलब्ध होती रहें ताकि वह अपना तथा अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर सके ।

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): योजना आयोग के सदस्य तथा वित्त मंत्री होने के नाते से मेरा यह कर्तव्य हो जाता है कि इस प्रारूप की चर्चा के दौरान में जो प्रश्न उठाये गये हैं उनका उत्तर दूं ।

मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि योजना आयोग मंत्रिमंडल से भी ऊंचा है तथा यह सोवियत ढांचे पर है । मैं समझता हूं कि इस सभा में कोई भी सदस्य ऐसे नहीं होंगे जो योजना में विश्वास न रखते हों । यहां तक कि स्वतंत्र दल के नेता भी जिन्होंने यहां घोषणा की है कि वे तीसरी पंच वर्षीय योजना का विरोध करेंगे, योजना में विश्वास रखते हैं जब हम यह कहते हैं कि वे योजना में विश्वास नहीं रखते तो वे नाराज हो जाते हैं । अच्छा होता कि वे हमें यह बताते कि वह किस प्रकार की योजना चाहते हैं । तभी योजना आयोग के प्रति उन के विरोध को मैं समझ सकता । उस दल के जिन दो महारथी सदस्यों ने जो विरोध किया है वह अर्थहीन है अथवा महत्वपूर्ण नहीं है ।

लेकिन इतना अवश्य सत्य है कि योजना के विरोध में कोई नहीं है । लेकिन यह कहना कि योजना आयोग मंत्रिमंडल के ऊपर है वास्तविक तथ्यों से दूर की चीज है ।

तृतीय पंच वर्षीय योजना के बारे में जो नीति अपनाई जायेगी उसका निर्धारण योजना आयोग ने नहीं बल्कि मंत्रिमंडल ने किया है । वस्तुत वह नीति हम सभी द्वारा भी स्वीकार कर ली गई है । और उसी नीति के आधार पर यह योजना आयोग विचार एवं कार्य करता है ।

संसाधनों के बारे में भी योजना आयोग निर्णय नहीं करता । इस के लिये अलग से एक वर्ग है जो यह कार्य करता है । इस वर्ग में वित्त मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालय और योजना आयोग के विशेषज्ञ हैं । फिर इस के अलावा जब तक वित्त मंत्री तथा मंत्रिमंडल उन संसाधनों के बारे में अपनी सहमति न दे दे तब तक योजना आयोग इस बारे में कुछ नहीं कह सकता । अतः मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि किस प्रकार यह आयोग मंत्रिमंडल से ऊंचा है ।

योजना आयोग ने इस प्रारूप को तैयार किया है और मंत्रिमंडल द्वारा इसे स्वीकार किया जाता है । मंत्रिमंडल जहां चाहे वहां उस में परिवर्तन कर सकता है । यह योजना आयोग को आदेश देता है और वह उन्हीं के अनुरूप इस में परिवर्तन करता है । इसलिये यह कहना कि योजना आयोग मंत्रिमंडल के ऊपर है इस बात को प्रकट करता है कि उन कहने वालों को इस के कार्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है । इसलिये मेरा निवेदन है कि ऐसी आलोचना करना न्याय संगत नहीं है ।

यह कहा गया है कि प्रतिवेदन में संसाधन प्राक्कलनों का अनुमान अधिक लगाया गया है । प्रतिवेदन में दिये गये विदेशी विनिमय के प्राक्लनों के बारे में भी आलोचना की गई है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वित करने एवं उसकी सफलताओं तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना से होने वाली सफलताओं की भी आलोचना की गई है । मैं इस आलोचना को उपयोगी आलोचना मानता हूं । लेकिन मेरा यही निवेदन है कि जो आलोचना करते हैं उन्हें अब तक की हुई सफलताओं को भी ध्यान में रखना चाहिये ।

[श्री मोरारजी देसाई]

तब इस बात का पता चल जायेगा कि जो कुछ सफलता मिली है वह भी कोई कम सफलता नहीं है ।

सरकार ने जो कुछ असलियत है उसी का उल्लेख किया है । तथ्यों को घटा बढ़ा कर नहीं बताया है । लेकिन इतना अवश्य है कि सरकार ने जो कुछ भी किया है वह अच्छे से अच्छा किया है । यह बात दूसरी है कि शायद कोई दूसरा इस से भी अच्छा कर सकता । सरकार का यह दावा है कि वह जितना अधिक से अधिक अच्छा कर सकती थी उतना उस ने किया । कुछ लोगों का कहना है कि हमारी क्षमता कम है । इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है । इस बात का मूल्यांकन करतना तो दूसरे लोगों पर ही निर्भर करता है ।

खाद्यान्नों के उत्पादन में ३ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है । कुछ फसलों के मामले में तो यह प्रतिशत और भी ऊंची है । कपास में यह वृद्धि ९ प्रतिशत तक है । जूट में ७.५; गन्ना तथा तिलहन ४.५; रबड़ ५.५ प्रतिशत और काफी में लगभग १४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है । ये आंकड़े १९५८-५९ तक के हैं । कपास का लक्ष्य ६५ लाख गांठ निर्धारित किया गया था लेकिन यह लक्ष्य बहुत अधिक था । मैं यह बात इसलिये नहीं कह रहा हूं कि इस लक्ष्य की प्राप्ति करने में हम असफल रहे हैं बल्कि वस्तुतः यह लक्ष्य बहुत अधिक था । १९४७ में कपास का उत्पादन २१.९ लाख गांठ था जो १९५८-५९ में बढ़ कर ४७.१ लाख गांठ हो गया । यह उत्पादन कोई कम नहीं है । गत वर्ष १९५९-६० में कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा के कारण १० लाख गांठ कपास का उत्पादन कम हुआ । यह सचाई है । इस में सरकार का कोई दोष नही है । हम ऐसे बीजों के प्रयोग का परीक्षण कर रहे हैं जो इस प्रकार की अत्यधिक वर्षा का सामना कर सकें । लेकिन इस प्रकार के बीजों का पाना कोई मामूली बात नहीं है । साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि इस प्रकार के प्रयोगों में किसानों को कोई हानि न पहुंचे । यदि इस वर्ष अच्छा मौसम रहा तो अच्छी फसल होने की आशा है ।

जूट का उत्पादन भी १६.६ लाख से बढ़ कर ५१.६ लाख गांठ हो गया है । यह कोई मामूली सफलता नहीं है । गुड़ का उत्पादन भी १९४७-४८ में ५.८ लाख टन था जब कि १९५८-५९ में यह बढ़ कर ७२ लाख टन हो गया है । असली बात तो यह है कि उत्पादन बढ़ रहा है । लेकिन फिर भी अधिक की आवश्यकता है और इसका कारण यह है कि हमारा उपभोग बढ़ रहा है ।

विभिन्न प्रकार की विषमताओं का उल्लेख किया गया है । इस बात से कोई नहीं मुकर सकता कि विषमताएं नहीं हैं । लेकिन यह सभी चाहते हैं कि इन विषमताओं को यथाशीघ्र दूर किया जाये । मेरे विचार से ऐसा होना संभव नहीं है । क्योंकि जिस चीज का पाना संभव है वही पाई जा सकती है और जिसका पाना सम्भव नहीं है उसे नहीं पाया जा सकता । लेकिन फिर भी हम लक्ष्य की ओर पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं । हम कल्याणकारी राज्य चाहते हैं लेकिन कल्याणकारी राज्य की स्थापना होने तक बीच के मार्ग में कल्याणकारी राज्य समझना भूल है । हम उस कल्याणकारी राज्य को प्राप्त करने के लिये पूरा पूरा प्रयत्न कर रहे हैं ।

तीसरी योजना बनाते समय हमें यह देखना है कि इस के प्रति हमारा रवैया क्या होगा। यदि हमारा दृष्टिकोण आदर्शवादी रहा तो कोई भी व्यक्ति तीसरी योजना नहीं बना सकता। अगर कोई व्यक्ति दूसरी योजना को इस दृष्टि से देखे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो भी लक्ष्य निर्धारित किये गये थे वे पूरे पूरे प्राप्त हुए हैं अथवा नहीं तो ऐसी आशा करना संभव नहीं है। हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना लोक तंत्रीय राज्य की अच्छी योजना थी और यह निर्धारित तिथि से दो वर्ष के बाद आरम्भ हुई। किसी भी लोक तंत्रीय राज्य ने योजना को इस ढंग से क्रियान्वित नहीं किया है जिस ढंग से कि हम ने किया है।

सरकार द्वारा दिये गये आंकड़ों के आधार पर यदि उत्पादन की जांच की जाये तो वह उतना अच्छा साबित नहीं होगा जितना कि होना चाहिये। वह स्थिति का सही निरुपण नहीं करती। क्योंकि औद्योगिक उत्पादन के सरकारी आंकडों में परम्परागत एवं पुराने उद्योग जैसे कपास तथा जूट आदि सम्मिलित हैं और इन उद्योगों में औसतन उत्पादन कम हुआ है। अतः कुल उत्पादन में कमी आई है। लेकिन अन्य उत्पादन क्षेत्रों में जैसे कि रासायनिक, अथवा मोटर गाड़ी अथवा इंजीनियरिंग आदि में काफी प्रगति हुई है।

यदि आप आंकड़े देखें तो आपको इस बात का पता चल जायेगा कि विद्युत् के उत्पादन क्षेत्र में १९५०–५१ से लेकर १९६०–६१ तक १५२ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लेकिन विद्युत् के वास्तविक उत्पादन में २१५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस से प्रकट हो जायेगा कि हमारे उपभोग की क्षमता में भी वृद्धि हुई है।

रेलों द्वारा माल ले जाने के मामले में भी १९५०–५१ की अपेक्षा ७८ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस्पात के क्षेत्र में १६०, कागज में १८१, अयस्क लौह, ३००, कोयला, ६६, डिजल इंजिन ५००, बिजली की मशीन ७०० विद्युत् ट्रांसफोर्मर, ६५४, सल्फ्यूरिक एसिड़ ३०४, सोडा एश ४३३, साइकिल ९४० प्रतिशत तथा सीमेंट के मामले में २२६ प्रतिशत की अधिक वृद्धि हुई है। यह मैं मानता हूं कि कोयला के उत्पादन में उतनी वृद्धि नहीं हुई है जितनी कि होनी चाहिये थी।

कपास तथा सूत का पूरा उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्र के हाथ में है। लेकिन मैं सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कोई अन्तर नहीं करना चाहता क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक तथा आवश्यक हैं। मैं दोनों में कोई भेद भाव नहीं करना चाहता। एक माननीय सदस्य का कहना है कि सरकार को उन्हीं उद्योगों का निर्माण करना चाहिये जो कि गैर-सरकारी क्षेत्र में संभव नहीं है। लेकिन मेरी समझ में उनकी यह बात नहीं आई। मेरा विचार तो यह है कि सरकारी धन का उपयोग तो करदाताओं के कल्याण के लिये किया जाना चाहिये। ताकि करदाता अधिक से अधिक धन कमा सकें और सरकार को अधिक धन दे सकें। इसी दृष्टि से करों का उपयोग किया जाता है तथा इसी आधार पर उन्हें लगाया जाता है। अगर सरकार उन्हीं उद्योगों की स्थापना करे जिन में कि मुनाफा गैर-सरकारी क्षेत्र को, कम है, अथवा जिन उद्योगों को वे नहीं बना सकते तो यह निश्चय है कि फिर करदाताओं पर अधिक बोझ पड़ेगा और ऐसा होने पर वही माननीय सदस्य फिर शिकायत करेंगे। सरकार ही सब प्रकार की हानि सहन नहीं कर सकती। और ऐसा सोचना भी गलत है।

[श्री मोरार जी देसाई]

जितने भी परिष्करण उद्योग हैं वे भी गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं। लेकिन अगर सरकारी क्षेत्र में मशीनी औज़ार बनाने का काम शुरू न किया जाता तो हमारे देश में उतना विकास न होता जितना कि अब हुआ है। अब जब मशीनी औज़ार कारखाने की निर्माण किये जाने वाला था तो कुछ लोग मेरे पास आये और कहा कि ऐसा करने से तो उसको हानि पहुंचेगी अतः इस उद्योग की स्थापना नहीं की जानी चाहिये। लेकिन मैंने उन्हें बता दिया कि उनका ऐसा सोचना गलत है क्योंकि जैसे जैसे देश का विकास होगा त्यों त्यों ही हमें मशीनी औज़ार की अधिक आवश्यकता पड़ेगी। इस उद्योग की स्थापना होने के दो वर्ष बाद यह हुआ कि सही लोग हमारे पास आये और मशीनी औज़ारों की मांग की क्योंकि वे देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते थे। आज देश को इस बात की आवश्यकता है कि इस प्रकार के और मशीनी उद्योगों की स्थापना की जाये। क्योंकि गैर-सरकारी क्षेत्र बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता। अतः सरकार को और भी उद्योगों की स्थापना करनी होगी।

बंगलौर में मशीनी औज़ार उद्योग की स्थापना करते समय ऐसा विचार था कि १९६०-६१ में यह अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकेगा लेकिन इस ने पहले दो वर्षों में ही इसका उत्पादन लक्ष्य के तीन गुने तक पहुंचा दिया। इस ने तीन वर्ष पहले से ही मुनाफा देना शुरू कर दिया।

यही बात पूना के निकट स्थापित पैनसिलीन कारखाने की है। इसकी भी शुरू में बड़ी आलोचना की गई थी लेकिन अब यह बहुत अच्छी प्रगति कर रहा है। और मेरा विचार है कि यह प्रगति किसी गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखाने की अपेक्षा बहुत अधिक है। लेकिन यह भी संभव है कि सरकारी क्षेत्र के कुछ कारखाने ऐसे हों जिन से इतनी तीव्रगति से प्रगति न हुई हो लेकिन इस के लिये तो समय चाहिये। फिर एक बात यह भी है जिस काम को आप कठिन समझते हैं उसे आप सरकार पर छोड़ देते हैं और उस के बाद उसे आप छोटे उद्योग के रूप में ही देखते हैं लेकिन मेरे विचार से यह तुलना ठीक नहीं है।

इस्पात में हम एक वर्ष पीछे चले गये हैं। यह नया उपक्रम था। हम कुछ छिपाने का प्रयत्न नहीं करते। ५०० से ६०० करोड़ रुपये के विनियोग से, जो कि हमनें तीन योजनाओं में लगाया है, और इसके अतिरिक्त उसमें और भी कई प्रकार की कठिनाइयां जैसे विदेशी तकनीकी अपने भारतीयों को प्रशिक्षित करने तथा मशीन आदि, है। मशीनरी, विदेशी तकनीकी विशेषज्ञ तथा अन्य कई प्रकार की व्यवस्थायें करनी होती हैं। इस स्थिति में यदि थोड़ी बहुत देर हो भी जाये तो उसकी इतनी कड़ी आलोचना नहीं की जानी चाहिये जितनी की यहां हुई है। मेरा निवेदन है कि इस दिशा में हमारा दृष्टिकोण अधिक सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिये।

कोयले के मामले में हमें अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हुई है। परन्तु फिर भी उसके लिये बहुत प्रारम्भिक कार्य करना पड़ा है। क्योंकि हमें कई मामलों का अनुभव ही नहीं था। अब हमें अधिक से अधिक अनुभव हो रहा है। लेकिन इस अनुभव पर हमें बहुत कुछ खर्च नहीं चाहिये। मेरे विचार से यह अधिक खर्चीला भी नहीं है। यह भी हम नहीं कहते कि हमें अधिक से अधिक उत्पादन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये। कठिनाइयां और रूकावटें तो आती ही रहती हैं। तीसरी योजना में इन कठिनाइयों और रुकावटों के लिये भी व्यवस्था कर ली गयी है। आशा करनी चाहिये कि अब तीसरी योजना में दूसरी योजना की अपेक्षा परिणाम अच्छे होंगे।

इस प्रकार हम प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे हैं और इस दृष्टि से ही हमें इस मामलों को देखना चाहिये। इसके बिना हमारी समझ में कुछ नहीं आ सकता। आखिरकार हमारे सामने यही तो लक्ष्य है कि हमें अपने देश को अधिक से अधिक समृद्ध बनाना है। अतः हम कृषि तथा छोटे बड़े, भारी तथा हल्के सभी प्रकार के उद्योगों को आगे बढ़ाने के इच्छुक हैं। और क्या हम इस दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे ?

मेरे माननीय मित्र का कहना है कि तीसरी योजना में जो चौथा इस्पात संयंत्र लगाया जा रहा है, वह बेकार होगा। मेरा ऐसा मत नहीं है। मेरा मत है कि इसके चालू हो जाने के बाद भी उद्योगों को इतने इस्पात की आवश्यकता होगी कि मांग पूरी नहीं हो सकेगी। चूंकि हम पहली योजना में इस्पात का कारखाना नहीं लगाया इसलिये ही हमारे यहां इस्पात की बहुत कमी है। २० वर्ष इस दिशा में प्रयत्न करने पर भी हमारे पास इस्पात फालतू नहीं हो सकता। अतः यह कहना कि तीसरी योजना के अन्त तक इस्पात फालतू हो जायेगा बिलकुल निराधार है।

उन्होंने यह भी कहा है कि यह गहन पूंजी वाले उद्योग हैं। यह ठीक है। यही बात विद्युत् उद्योग की है। ये उद्योग गहन पूंजी वाले अवश्य हैं लेकिन ये गैर-गहनपूंजी वाले उद्योगों की सहायता करते हैं। साथ ही यदि हम मशीनरी का उत्पादन करने में असमर्थ रहते हैं तो औद्योगिक विकास की आशा हम किस आधार पर कर सकते हैं। कपड़ा और पटसन उद्योग एक शताब्दी पुराना है। परन्तु अब जाकर हम उसकी आवश्यकता के अनुसार मशीनरी का निर्माण करने के योग्य हुये हैं। और यह कार्य योजना बना कर चलने से ही सम्भव हो सका है। १०० वर्ष तक ये उद्योग अपेक्षित मशीनरी और पुर्जों के लिये विदेशी आयात पर ही निर्भर करते चले आ रहे थे। यदि ऐसा ही चलता रहता तो हम इस मामले में कभी भी आत्म-निर्भर नहीं हो सकते थे। आज इन दोनों उपरोक्त उद्योगों की दशा सोचनीय है। अब हम इन लोगों को धन दे रहे हैं ताकि ये इन उद्योगों का कायाकल्प कर सकें और पुरानी मशीनरी के स्थान पर नयी मशीनरी लगायें। यदि इससे पूर्व हम इस दिशा में सफल हो गये होते तो आज हमें कपड़ा और पटसन काफी सस्ते उपलब्ध होते।

यदि हम अपने उद्योगों के लिये अपेक्षित इस्पात और विद्युत की व्यवस्था नहीं कर सकते तो हमारे उद्योगों की प्रगति सम्भव नहीं हो सकती। गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये भी यह बड़ी आवश्यक बात है। अतः इन उद्योगों की स्थापना करनी ही पड़ती है। हम इस बात की प्रतीक्षा नहीं कर सकते कि जब तक हमारे पास अपेक्षित सुविधाओं का अभाव है तब तक औद्योगीकरण की दिशा में कुछ किया ही न जाये। जैसे शिक्षा क्षेत्र में यदि हम कहें कि जब तक हमारी शिक्षा सुविधाओं में वृद्धि नहीं होती हम शिक्षा का प्रसार छोड़ देंगे, नये नये स्कूल नहीं खोलेंगे और इस मामले में कुछ नहीं करेंगे। ऐसा करने का परिणाम तो बड़ा भयंकर हो सकता है। हमें शिक्षा का प्रसार भी करते जाना है और उसकी प्रणाली में निरन्तर सुधार करते रहना है। थोड़ी प्रगति से ही हम सन्तोष कर यदि हाथ पर हाथ रख कर बैठ जायें तो काम नहीं चल सकता। निरन्तरता और नवीनता का सिद्धांत ही हमें इस दिशा में प्रेरणा दे सकता है। मेरे माननीय मित्र स्वयं ही फरमाते हैं कि सब को लाभ नहीं उपलब्ध हो सका। ठीक है, जब तक सब को लाभ न हो जाता हम चुप होकर कैसे बैठ सकते हैं। जब तक सब को लाभ नहीं हो जाता, जब तक प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित नहीं हो जाता, हमें निरन्तर आगे बढ़ते रहना है। बिना पीछे देखे जितना भी विस्तार सम्भव है उसे करते रहना है।

†**श्री आचार्य कृपलानी** (सीतामढ़ी) : क्योंकि यह सरकारी क्षेत्र है, अतः एक संयंत्र का पूरा लाभ उठाये बिना ही अन्य संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। मंत्री महोदय की बातों का उत्तर हम दे नहीं सकते। आप इस बारे में लोगों की राय जान सकते हैं।

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह कहना अन्याय है कि सरकारी क्षेत्र में धन के उपयोग का पूरा ध्यान नहीं रखा जाता। मेरा कहना है कि हम विकास के लिये प्रतीक्षा नहीं कर सकते। विस्तार के कार्य को कार्यान्वित करते करते भी तो पांच छः वर्ष लग जाते हैं। और यह कहना भी गलत है गैर सरकारी क्षेत्र में काम तुरन्त हो जाता है। अपेक्षित समय तो वहां भी लग ही जाता है।

जहां तक साधनों का संबंध हैं, वे तो कराधान ही है। तीसरी योजना के अन्तर्गत १६५० करोड़ के कराधान की व्यवस्था की गयी है। यह कठिन चीज है, इससे देश पर भार पड़ेगा, परन्तु ऐसा नहीं कि यह सहन ही न हो सके। प्रगति को दृष्टि में रखते हुये हमें इस भार को वहन करना ही होगा। सभी को अपनी आय में से कुछ न कुछ देना होगा। विकास के लिये केवल अमीरों से ही धन लेने से काम नहीं चलता। यदि ऐसा सम्भव होता तो सरकार अवश्य ऐसा करती। सब अमीरों की अमीरी छीन लेने पर भी काम एक वर्ष से अधिक नहीं चल सकता। अतः इस कार्य का भार सब को मिलकर ही वहन करना होगा। इसके बिना हम प्रगति नहीं कर सकते। स्वाभिमान की दृष्टि से भी यह ठीक नहीं कि किसी के साधन से हुये विकास का लाभ कोई दूसरा उठाये। इस दृष्टि से हमने जो अनुमान लगाया है उन साधनों को एकत्रित करने का हमारा दृढ़ निश्चय है। निर्णय तो सदन द्वारा ही किया जाना है परन्तु मैं सारे पांच वर्षों के आय व्ययक को स्पष्ट करके यहां प्रस्तुत करने में असमर्थ हूं। यदि अचेतन अवस्था में भी मुझ से ऐसा ही हो गया तो मुझे अपनी कुर्सी खाली करनी होगी। मैं यह नहीं बता सकता कि इन साधनों का निर्माण किस प्रकार होगा, परन्तु उनका निर्माण होगा यह निश्चित है। यह बात भी गलत है कि ये सारे साधन अप्रत्यक्ष करों द्वारा ही जुटाये जायेंगे। यह ठीक है कि प्रत्यक्ष करों की अधिक गुंजाइश रही नहीं। यदि कोई गुंजाइश होती तो मैं अवश्य ही ऐसा करता फिर भी किसी माननीय सदस्य का विचार हो कि उसमें गुंजाइश है तो मैं उनसे प्रशिक्षित होने को तैयार हूं। वह मेरा पथ प्रदर्शन कर सकते हैं।

अविकसित देश में अप्रत्यक्ष कर ही साधनों का आधार बन सकते हैं। इसे गरीब अमीर सभी देते हैं। और अमीर कुछ अधिक ही देते हैं। जो अधिक चीजें खरीदता है, वही उसे देता है, अन्ततोगत्वा यह उपभोक्ताओं पर ही पड़ता है। यह कोई नहीं कह सकता कि उपभोक्ता कर नहीं देते। और इस प्रकार वे प्रत्यक्ष कर बन जाते हैं। जब तक आय बहुत अधिक न हो सीधे कर की गुंजाइश नहीं रहती। यदि इसी के सहारे चले तो एक शताब्दी हम कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई ऐसा करके दिखा दे तो मैं उसकी पूजा करूंगा। अप्रत्यक्ष कर सरकार और सरकारी क्षेत्र के कारखाने भी देते हैं परन्तु अन्त में जाकर उपभोक्ताओं पर ही इसका भार पड़ता है।

माननीय मित्र पर यह कहना ठीक है कि हमें कीमतों पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिये। हम इस दिशा में प्रयत्नशील भी हैं। परन्तु इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि कीमतों में वृद्धि के कारण कोई असाधारण बात हो गयी है। श्री मसानी १९३९ की बात करते हैं। वे उचित रूप में तुलना नहीं करना चाहते। क्या १९३९ से १९४६ तक की कोई हमारी जिम्मेदारी है? फिर किस प्रकार आज के समय की तुलना उन दिनों से की जा सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

१९३९ से लेकर १९४६ तक संसार भर में क्या हुआ, इस का विश्लेषण करने पर हमें स्थिति का ठीक प्रकार से परिचय हो जायेगा। १९३७ से कीमतें चढ़नी आरम्भ हुईं। इंग्लैंड, अमरीका, फ्रॉस और जापान सब देशों में कीमतें काफी बढ़ीं। यह काल असामान्य काल था इस पर भी यहां कुछ विशेष असामान्य नहीं था। युद्ध की कठिनाइयां थी और इस देश के लोगों के संबंध भी सरकार से अच्छे नहीं थे। ब्रिटिश सरकार भी इसके लिये उत्तरदायी है। उन दिनों बहुत कुछ हुआ, परन्तु मेरा निवेदन है कि १९३८ के आंकड़ों की तुलना आज की स्थिति से करना मुझे निराधार दिखाई देता है। यदि हमें तुलना करनी ही हो तो १९४८ और १९५९ के बीच करनी चाहिये। १९४८ से १९५९ के बीच भारत में मूल्यांश ९२ से बढ़ता हुआ १०९ तक पहुंचा। अमरीका और फ्रॉस में क्रमशः यह वृद्धि ९५ से १०९ और ६५ से १२७ तक हुई। पश्चिमी जर्मनी में यह वृद्धि ९० से १०९ तक पहुंची। मैं और देशों के आंकड़े भी प्रस्तुत कर सकता हूं परन्तु मेरा निवेदन है भारत के आस पास के देशों के ये आंकड़े बहुत अधिक हैं। इससे तुलना करने से पता चलता है कि भारत में तुलनात्मक दृष्टि से अन्य देशों के मुकाबले में कीमतों में बहुत कम वृद्धि हुई है। यह ठीक है कि हमें इस मामले में सचेत रहना है परन्तु यह कहना कि तबाही हो गयी है बिल्कुल गलत बात है। यह बरबादी का नारा उन लोगों ने शुरू किया है जो बातें करते हैं किन्तु इसे कम करने के लिये कोई प्रयत्न नहीं करते। बढ़ा चढ़ाकर ही बात करते हैं। उन लोगों का कहना है कि यह स्थिति हमने उत्पन्न की है जो एक गलत बात है।

आप हमारी प्रगति की अन्य दिशाओं को भी देखिये। १९४५–४६ अथवा १९४६–४७ के वर्ष में हमारे पास इंजिन बनाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। परन्तु १९५८–५९ में हमने २६० इंजन बनाये। उस समय हम केवल २३८ डिब्बे ही बना सकते थे अब हम १६४३ डिब्बे बना रहे हैं। १९४६–४७ में हमने २५२० गाड़ियां बनाई थीं परन्तु अब हम १२०९४ गाड़ियां बना रहे हैं और हमारी क्षमता २०,००० की है। जिनका निर्माण हम बहुत जल्दी ही करेंगे। अतः मेरा कहना है कि इन क्षेत्रों की प्रगति को महत्वहीन नहीं कहा जा सकता। माननीय मित्रों की दृष्टि इस ओर भी जानी चाहिये।

यह कहा जाता है कि हम अपने विकास के लिये केवल विदेशी ऋण पर ही आशा लगाये बैठे हैं। यह गलत है। श्री मसानी का कहना है कि हमारी बचट कुल ५९०० करोड़ रुपये तक फैलती है। यह भी गलत है। और वह कहते हैं कि हमें ५५०० करोड़ रुपये और चाहिये। हमारे पास इस समय ५९०० करोड़ रुपया है और यदि ६००० करोड़ उसमें और जोड़ दिया जाये तो यह ११९०० करोड़ रुपया बन जाता है। यह बात नहीं है। यह हमारी योजना नहीं है। ५०० करोड़ रुपया अदायगी के लिये भी इस योजना में सम्मिलित है। श्री मसानी आलोचना जितनी चाहें करें परन्तु आंकड़ों को ठीक तरह से देखने की कृपा करें। क्योंकि यह बात केवल मत की ही नहीं तथ्य की भी बात है।

†**श्री मो० रू० मसानी** (रांची-पूर्व) : मैंने यह आंकड़े प्रोफेसर शीनोय के लेखे से लिये हैं।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मुझे खेद है, मैं उसके साथ सहमत नहीं हूं। और भी बहुत से अर्थ शास्त्री उनसे सहमत नहीं हैं। मेरा मत है कि जिन साधनों को हमने योजना में सम्मिलित किया है वे पूरे होंगे हम अवश्य उन्हें एकत्रित कर सकेंगे। अतः कोई विदेशी ऋण लेने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। विदेशी ऋण तो विदेशी विनियम की मांग पूरी करने के लिये होता है। यदि हमें विदेशी

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री मोरारजी देसाइ]

विनिमय की ही आवश्यकता न हो तो विदेशी ऋण का प्रश्न ही सामने नहीं आता। हम गेहूं इस लिये नहीं ले रहे कि हमें कर्ज लेकर उसे लेने का शौक है। वह तो इस लिये लेना पड़ता है कि देश में उसकी बड़ी आवश्यकता है। उसके लिये हम अमरीकी सरकार के आभारी हैं। परन्तु यदि हम अपनी आवश्यकताओं के लिये देश में ही अन्न का उत्पादन कर लें तो हमें बाहर का गेहूं लेने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। यह जरूरत की बात है। जिस विदेशी ऋण की हम आशा लगाये हैं यदि वह नहीं उपलब्ध होता तो हमें पुनः सारी योजना का अनुमान लगाना होगा। वैसे हमें पूरी आशा है कि हमें अपेक्षित ऋण मिल जायेगा। और इस बात का पता हमें एक वर्ष के भीतर लग जायेगा। इस बात का भी हमें पूरा विश्वास है कि जिन साधनों का योजना में उल्लेख है उनका प्रयोग भी ठीक ढंग से हो सकेगा।

कहा गया है कि हमारी राष्ट्रीय आय ४२ प्रतिशत बढ़ी है, परन्तु यह धन गया कहां है? कुछ महानुभावों का कहना है कि सीधे करों में वृद्धि नहीं हुई। यह ठीक बातें नहीं। ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। १९४६–४७ में राष्ट्रीय आय का अनुमान ४८३ करोड़ था और १९५८–५९ में यह अनुमान बढ़ कर १,१७४ करोड़ हो गया। इससे प्रकट हो जायेगा कि आय में निरन्तर वृद्धि हो रही है। केवल १९५५–५६ में प्रत्यक्ष तथा निगम करों से ही राष्ट्रीय आय में ४२ प्रतिशत की वृद्धि हो गयी थी। अतः यह कहना कि इन दिशाओं से आय में कोई वृद्धि नहीं हुई अथवा इसका फैलाव नहीं हुआ उचित नहीं है। यह पता करना तो कठिन है कि यह आय कहां चली गयी है। रक्षित बैंक ने इस दिशा में पता लगाने का प्रयास किया था। उन्होंने १९५४–५४ से १९५७–५८ के आंकड़े एकत्रित किये थे। इनके आधार पर कोई परिणाम तो नहीं निकाला जा सकता, परन्तु समझने के लिये इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसलिये इन आंकड़ों से मैं कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। यह कार्य रिजर्व बैंक ने दो वर्ष पूर्व किया था।

जो लोग आय कर देते हैं उन्हें रिजर्व बैंक ने दो भागों में बांट दिया था। सब से नीचे उन्होंने ५००० से १०००० वार्षिक कमाने वालों को रखा, इनकी संख्या ७० प्रतिशत है। बीच में १०,००० से २५,००० रु० वाले रखे जो कि २० प्रतिशत हैं। २५,००० रु० वार्षिक से ऊपर की आय वाले सब से ऊपर रखे। जिनकी संख्या १० प्रतिशत है। अध्ययन से पता चला कि सब से कम आय वालों की आय में ४४.६ से ४५.७ प्रतिशत की वृद्धि हुई। बीच के लोगों की आय वृद्धि २५.६ से २६.७ प्रतिशत रही। लेकिन सब से ऊंचे लोगों की आय में कमी हुई। उनकी आय २९.५१ प्रतिशत से घटकर २७.६ प्रतिशत रह गई।

इससे यह परिणाम निकलता है कि रूख वृद्धि का है परन्तु निश्चित परिणाम तो कुछ समय बाद ही दिखाई देंगे। हम इस दिशा में पूर्ण रूप में प्रयत्नशील हैं। हमें कुछ धैर्य से काम लेना चाहिये और कार्य में लगे रहना चाहिये। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमें अवश्य सफलता होगी।

समिति के लिये निर्वाचन के बारे में

केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में तीन सदस्यों के चुनाव के बारे में जो कमेटी रूम नं० ६२ में हो रहा है, यह घोषणा करनी है कि जो माननीय सदस्य वित्त मंत्री के भाषण

---

†मूल अंग्रेजी में

के कारण वोट नहीं दे सके हैं वे अब अपना वोट दे आयें ; मैंने वोट डालने का समय चार बजे तक बढ़ा दिया है ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना की रुपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव—जारी

†**डा० कृष्ण स्वामी** (चिगलपेट): प्रधान मंत्री ने एक बड़े मार्के की बात कही है कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो बहुत तेजी से बदलती जा रही है, और ऐसे हालात में हम आगे बढ़ते की अपनी रफ्तार न तो कम कर सकते हैं और न उसमें कोई ढिलाई ही आने दे सकते हैं। हम कितनी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, इसका फैसला हमारी अर्थ-व्यवस्था करेगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि इस योजना का १०,८०० रुपयों का लक्ष्य कुछ कम है। योजना का व्यय बढ़ा देने से मूल्यों में और अधिक वृद्धि हो जायेगी। व्यय इस ढंग से होना चाहिये कि उससे जनता की वास्तविक आय में वृद्धि हो।

द्वितीय योजना १९५६ में शुरू हुई थी। तब से अब तक मूल्यों में २३ प्रतिशत वृद्धि हो गई है। १९५९ में भी खाद्य वस्तुओं के मूल्य काफी चढ़ गये थे। मुद्रा स्फीति की प्रवृत्तियां काफी व्यापक थीं। योजना बनाते समय ऐसी प्रवृत्तियों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वैसे विकास के साथ साथ कुछ क्षेत्रों में वस्तुओं के मूल्य तो चढ़ेंगे, लेकिन यदि वे बहुत अधिक ऊंचे हो जायें तो विचार करना आवश्यक हो जाता है।

पिछले दो वर्षों में अन्य औद्योगिक देशों में मूल्य काफी स्थिर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में वे लगातार बढ़ते ही रहे हैं। हमारे देश के निर्यात व्यापार पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। यदि हम अपना निर्यात व्यापार बढ़ाना चाहते हैं तो इस पर विचार करना जरूरी है।

घाटे की अर्थ-व्यवस्था में ही कमी कर देने से, आय-व्ययक में घाटे की व्यवस्था न करने से ही, हमारी अर्थ-व्यवस्था की सभी त्रुटियां दूर नहीं होंगी।

हमने १९५७-५८ में ४९६ करोड़ रुपये, १९५७-५९ में १३९ करोड़ रुपये १९५९-६० में ११३ करोड़ रुपये के घाटे की अर्थ-व्यवस्था की थी। इस वर्ष शायद वह और भी कम होगी। लेकिन अब मुद्रा स्फीति का दबाव और अधिक बढ़ गया है। उन दिनों विदेशी मुद्रा की हमारी स्थिति कहीं अच्छी थी। लेकिन अब उसकी स्थिति काफी कठिन हो गई है। अगर हम महसूस करलें कि हर विनियोजन के फलस्वरूप धन के रूप में आय की वृद्धि होगी है, तो यह निश्चित हो जाता है कि हमें उचित ढंग से प्राथमिकतायें निर्धारित करनी चाहियें। यदि हम मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति को रोकना चाहते हैं, तो खपत की वस्तुओं का उत्पादन हमें बढ़ाना चाहिये। यदि मूल्य बढ़ते जायेंगे, तो अधिक व्यय करने पर भी जनता की वास्तविक आय नहीं बढ़ेगी।

कहा गया है कि कृषीय उत्पादन बढ़ा है। लेकिन इतना काफी नहीं। जरूरत इस बात की है कि निर्यात-संवर्धन की दृष्टि से देश का उत्पादन इतना होना चाहिये कि आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद उसकी कुछ अतिरिक्त मात्रा बच रहे। इसलिये कृषीय उत्पादन और पशु-पालन को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० कृष्ण स्वामी]

हमें अपने परम्परागत निर्यात को, उन वस्तुओं के निर्यात को जिनका हमेशा से निर्यात हम करते रहे हैं, अधिक महत्व देना चाहिये। तिलहन के निर्यात के मामले में हमने इसका अनुभव कर लिया है। उसके निर्यात पर से प्रतिबन्ध हटाते ही, हमारा निर्यात १० करोड़ रुपये से बढ़कर ४० करोड़ पये तक पहुंच गया।

मैं मानता हूं कि हमने कृषीय उत्पादन पर काफी अधिक व्यय किया है। लेकिन प्रथम योजना काल में प्रति एकड़ उपज में कोई खास वृद्धि क्यों नहीं हुई? विचित्र सी बात है कि हमारी कुल राष्ट्रीय आय का ५४ प्रतिशत भाग कृषीय उत्पादन से मिलता है, फिर भी हमारी उत्पादकता में कोई खास वृद्धि नहीं हुई।

कृषीय उत्पादन के लिये जितनी राशि की व्यवस्था की गई थी, उसका एक काफी बड़ा भाग अप्रयुक्त ही पड़ा रहा। इसका मूल कारण यही है कि योजनाकारों ने कृषि के संगठन की समस्या पर गम्भीरता से विचार नहीं किया। बड़े पैमाने पर कृषि का संगठन करना, इस्पात कारखाने खड़े करने से कहीं अधिक कठिन काम है। हमारे जिला-संगठन अपेक्षाकृत कमजोर हैं। हमारे बड़े-बड़े अधिकारी गांवों में जाकर कृषि की समस्याओं का अध्ययन ही नहीं करना चाहते। जरूरत इस बात की है कि भारतीय प्रशासन सेवा में भारी रद्दोबदल की जाये। गांव में रहने के लिये तैयार होने वाले बड़े अधिकारियों को प्रेरणा दी जानी चाहिये, अधिक उपलब्धियों के रूप में। देहाती क्षेत्रों में काम करके ही योजना के लिये जनता का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। और गांवों की जनता का सहयोग तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उन्हें विश्वास जमे कि अधिक उपज होने से उनकी आय भी बढ़ेगी। इसके लिये जरूरी है कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में देश के काफी प्रतिभाशाली अधिकारियों को रखा जाये। तभी जिलों के आधार पर कृषि का अच्छा संगठन किया जा सकेगा, और तभी कृषीय उत्पादन में वृद्धि की जा सकेगी।

यदि हमारा कृषीय उत्पादन काफी बढ़ जायेगा, तो देश की आवश्यकताओं पूर्ति की के बाद भी काफी अतिरिक्त मात्रा बच रहेगी। उसके निर्यात से हमें यथेष्ट विदेशी मुद्रा मिल सकेगी। उस विदेशी मुद्रा को हम ऐसे उद्योगों में लगा सकेंगे। जिनके अभाव में हमें अधिक आयात करना पड़ता है। योजना आयोग को समय के विस्तार का पूरा ध्यान रखना चाहिये। १९७० में हम किस वस्तु की कितनी मात्रा का उत्पादन करेंगे, इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह है कि इस दौरान में हम क्या क्या उत्पादन कर सकेंगे। मुद्रा-स्फीति के जमाने में हमें तात्कालिक आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान देना चाहिये। नहीं तो, संसाधनों की कमी का रोना हमेशा रहेगा।

माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि सूती कपड़ा उद्योग और जूट उद्योग को अपने कारखानों के आधुनिकीकरण की सुविधायें नहीं मिल पाई हैं। इसीलिये कि हम ने इन उद्योगों के लिये आधुनिक उपकरण तैयार करने की ओर ध्यान ही नहीं दिया। हमने ध्यान दिया है भारी उद्योगों पर, जिनका फायदा हमें १९७०–७२ तक हो पायेगा। और तब तक हम जिन मशीनों का निर्माण शुरू करेंगे, वे पुरानी पड़ जायेंगी, क्योंकि तकनीक के मामले में संसार बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यदि वर्तमान उद्योगों के लिये आधुनिक मशीनों के निर्माण पर जोर दिया जाता, तो कहीं ज्यादा विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती थी। लेकिन हम तो सारा ध्यान १९७० और १९७२ में होने वाले उत्पादन पर केन्द्रित कर रहे हैं।

हमें विदेशी मुद्रा की इतनी कठिनाई है, फिर भी हम तेल की खोज पर इतनी अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करते चले जा रहे हैं। यह काम अन्य देशों और समवायों को सौंपा जा सकता था।

विदेशी सहायता महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ ही यह भी आवश्यक है कि हमारा निर्यात-व्यापार बढ़े। तभी हम अपने आयातों के लिये विदेशी मुद्रा उपलब्ध कर सकेंगे। तृतीय योजना में कहा गया है कि देश के सभी कारखानों को चलाने के लिये आवश्यक आयातों के लिये लगभग ३,५७० करोड़ रुपये चाहियें। इसके अलावा प्रति वर्ष हमें औसतन १०० करोड़ रुपये का घाटा रहेगा। तब इन दोनों की पूर्ति कहां से होगी ? इसीलिये हमें कृषि की ओर अधिक गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।

मैं कुछ माननीय सदस्यों की यह बात नहीं मानता कि करों के बढ़ने के फलस्वरूप ही मूल्यों मे वृद्धि हुई है। यदि वैसा होता तो बाजार में बड़ी मन्दी आ जाती, मुद्रा-स्फीति न होती।

एक उदाहरण लीजिये। हमारे देश में लगभग २१० लाख टन चीनी की खपत होती है। यदि चीनी का दाम दो आने सेर बढ़ा दिया जाये, तो चीनी निर्माताओं को २३.८ करोड़ रुपये अतिरिक्त मिल सकते हैं। लेकिन यदि चीनी पर दो आने प्रति सेर कर लगाया जाये, तो २३.८ करोड़ रुपये सरकारी कोष में आयेंगे और हमारा घाटा काफी कम हो जायेगा, मुद्रा-स्फीति कम हो जायेगी। इसलिये अप्रत्यक्ष कराधान हमेशा बुरा नहीं होता। मुद्रा-स्फीति कम करने के लिये आवश्यक था कि हमारे योजनाकार देश की तात्कालिक मागों पर अधिक ध्यान देते।

श्री म० ला० द्विवेदी (हमीरपुर) : सभापति जी, सदन में किसी भी सदस्य को इसमें तो संशय नहीं है कि योजना की आवश्यकता है और ऐसा कोई सदस्य नहीं है जो उसके लाभ को न समझता हो। मैं समझता हूं कि योजना से इस देश को बड़ा भारी लाभ हुआ है। मैं वित्त मंत्री, श्री मुरारजी देसाई, का आभारी हूं कि उन्होंने आकड़ों से यह प्रमाणित कर दिया है कि योजना से क्या क्या लाभ हुआ है।

लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर हम को और योजना आयोग को इस समय विचार करना है। योजना आयोग के लोग दफ्तर में बैठे केवल कागजी आंकड़ों पर विश्वास करते हैं और उन को देश और दुनिया की कोई खबर नहीं होती। उनको सारे देश की ग्रामीण जनता के बारे मे कोई पता नहीं है। इस देश में सात लाख गांव हैं और उन गांवों की जनता जो कुछ कहती है उसको सुनने का हमें मौका नहीं मिलता है।

आप यहा पर हमारे सामने योजना का प्रारूप रखते हैं और हम उस पर बोलते हैं और बोल कर चले जाते हैं। लेकिन क्या कभी आप हमारे बोलने का कोई हिसाब रखते हैं और उसको योजना में शामिल करने की बात सोचते हैं। यदि आप यह नहीं सोचते हैं तो देश के साथ बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं, और इस प्रकार यह योजना हमारे लिए घातक बन जायेगी।

इस देश के सात लाख गावों की जनता के रक्त की अन्तिम बूंद तक निकाल कर आप शहरों मे खर्च करना चाहते हैं। क्या यही आपकी योजना है। अगर आप ऐसा विश्वास रखते हैं तो यह काम अधिक दिन चलने वाला नहीं है। मैं गांवों में जाकर लोगों से कहता हूं कि योजना ने हिन्दुस्तान का नक्शा पलट दिया है। लेकिन वहां का नक्शा पलटा है ? दिल्ली का, या उनका नक्शा पलटा है जो योजना कमीशन के मेम्बर हैं, या उनका नक्शा पलटा है जो दफ्तर में बैठ कर योजना बनाते हैं, या ठेकेदारों का नक्शा पलटा है ? या जो योजना में काम में लगाये जाते हैं उनका नक्शा पलटा है ? लेकिन हमारे देहात के भाइयों का नक्शा अभी तक नहीं पलटा है।

[श्री म० ला० द्विवेदी]

जब मैं गावों में जाता हूं तो लोगों से कहता हूं कि योजना ने हिन्दुस्तान को स्वर्ग बना दिया है। लेकिन इस पर गांव वाले कहते हैं कि भाई वह स्वर्ग हमको आंखों से तो दिखायी नहीं देता, हम को भी तो वह स्वर्ग दिखाओ।

आज हमारे विकास खंडों में जहां विकास खंड कायम किये गये हैं धूल उड़ रही है। अधिकारी शहरों में रहने वाले हैं। जो जीपें उनको मिली हैं उनमें फिरते हैं और वहीं गावों में बैठ कर गांव वालों को दिखाते हैं कि देखो हम तुम्हारे रुपये का क्या उपयोग कर रहे हैं। तुम्हारे खून से हम किस तरह से पनप रहे हैं। यदि यही हमारी योजना है तो विश्वास रखिये कि यह योजना हम को आगे नहीं ले जायेगी।

मैं योजना का सब से बड़ा समर्थक हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि योजना संतुलित होनी चाहिए, वह देशवासियों की योजना होनी चाहिए, खाली शहरों की योजना नहीं होनी चाहिए। आप देखें कि दिल्ली में तो डामर की सड़कें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, विज्ञान भवन है जहां विज्ञान का कोई काम नहीं होता, कृषि भवन है जहां हल नहीं चलाया जाता, उद्योग भवन है जहां कोई चीज नहीं बनायी जाती। आलीशान मकान बन रहे हैं। जमुना पर पुल बन रहा है, दूसरा सब्जी मंडी के पास बन रहा है और तीसरा निजामुद्दीन में बन रहा है, लेकिन बुंदेलखंड का इलाका है जो नदियों के कैदखाने में बन्द है। इसी तरह से बघेलखंड का इलाका है। आपकी उधर नजर नहीं जाती। जब उत्तर प्रदेश सरकार से कहते हैं कि हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है हमें सहायता की जाये, तो वह कहते हैं कि केन्द्रीय सरकार हमारा खयाल नहीं करती। इसलिए हम पिछड़े हुए बने हैं। मेरे पास एक किताब है जिसका नाम है—ट्रेंड्स इन इकानमी इन उत्तर प्रदेश—उसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश में सन् १९५०–५१ में पर कैपीटा आमदनी १०४ थी, जो कि सन् १९५८–५९ में घट कर ८८.२ हो गयी है, अर्थात् १२ प्रतिशत उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में कमी हुई। दूसरा आंकड़ा मेरे पास है जिसमें भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की आमदनी का ब्यौरा है। इसमें दिया गया है कि यह पहले उत्तर प्रदेश की आय देश की आय का १८ प्रतिशत थी और अब १५ प्रतिशत रह गयी है। इसके कारण उत्तर प्रदेश सरकार हम से कहती है कि इन योजनाओं के कारण उत्तर प्रदेश तो पिछड़ रहा है, आगे नहीं जा रहा है। बाहर के लोग तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सब कुछ है। वह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश दैट इज इंडिया दैट इज भारत। और तारीफ यह है कि उत्तर प्रदेश आगे नहीं जा रहा है।

हमारे प्रधान मंत्री उत्तर प्रदेश के हैं। वह भी उत्तर प्रदेश की बात नहीं कहते। और उनके इलाके में जाइये तो आप देखेंगे कि उनका इलाका इतना पिछड़ा हुआ है जितना भारत वर्ष में किसी और मेम्बर का इलाक पिछड़ा हुआ नहीं होगा। और प्रधान मंत्री जी अपने इलाके के लिए कुछ नहीं कर सकते। जब प्रधान मंत्री जी के इलाके की यह हालत है, तो मेरे जैसे अदने मेम्बर के इलाके की तो बात ही क्या कही जा सकती है। जब योजना आयोग में प्रधान मंत्री की पूछ नहीं है तो मेरे जैसे मामूली मेम्बर की बात को कौन सुनने वाला है।

हम अपने को देश का प्रतिनिधि समझते हैं और हम को यहां बात करने का हक है। लेकिन योजना में एक पैसे पर भी हमारा हक नहीं है। योजना के लिए एक पैसा भी खर्च कराने का हमारा हक नहीं है। जिस तरह से योजना आयोग निश्चित कर देता है उसी तरह से वह खर्च होता है। अगर रुपये का दुरुपयोग होता हो और हम चिल्लाते भी रहें, तो भी न केन्द्रीय सरकार हमारी बात सुनने वाली है और न योजना आयोग।

मैं ने हमेशा योजना की तारीफ की है । लेकिन क्या यहां पर आकर भी मैं जनता की भावनाओं से सरकार को अवगत न कराऊं । मैं ने स्वयं नियोजन मंत्री से बातें कहीं लेकिन उन्होंने खयाल नहीं किया । आप ने कहा है कि योजना में चार पांच बातों पर ध्यान दिया जायेगा जैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि, व्यय, जनशक्ति का उपयोग, कृषि उत्पादन उद्योग, बेरोजगारी, वगैरह वगैरह । और अन्त में कहा है कि लोगों में जो विषमता है उसे दूर करने के बारे में भी ध्यान दिया जायेगा । उस पर भी एक अध्याय अन्त में दिया गया है ।

आपने कृषि उत्पादन को सब से अधिक प्राथमिकता दी है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपकी इस प्राथमिकता का क्या परिणाम होता है । आपके सिंचाई विभाग में और कृषि विभाग में सहयोग नहीं है । किसान खेत में खाद डालता है तो सिंचाई वाले उसको पानी नहीं देते । नतीजा यह होता है कि खाद बरबाद जाता है और उसकी फसल भी सड़ जाती है । यह ठीक है कि आप खेती को प्राथमिकता देते हैं और उसके लिए रुपया भी देते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है । आपके विभागों में आपस में सहयोग न होने से उसका लाभ किसान को नहीं मिल पाता । न आपको राज्य सरकारों से सहयोग मिलता है । मैं ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि सिंचाई विभाग किसानों को समय पर पानी नहीं देता । सिंचाई के अभाव में योजना बेकार हो जाती है । किसानों को खाद दिया जाता है, लेकिन उसके साथ उनको सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जाती । हो यह रहा है कि जहां पानी है वहां खाद नहीं है और जहां खाद दी जाती है वहां पर सिंचाई की सुविधा नहीं मिल रही । किसानों को जबरदस्ती खाद दी जाती है पर पानी नहीं दिया जाता । इस तरह से योजना नहीं चल सकती ।

मैं कहता हूं कि वह चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो या मद्रास की सरकार हो या किसी और राज्य की सरकार हो, आप उन से कहिये कि जब तक रुपये का ठीक उपयोग नहीं होगा तब तक उनको आगे रुपया नहीं दिया जायेगा । योजना आयोग को ऐसी समितियां बनानी चाहिएं जो कि जाकर देखें कि वहां क्या काम होता है । इसके अतिरिक्त आपके यहां देश के विभिन्न भागों के ५०० प्रतिनिधि हैं आप उन से पूछें कि उनके यहां क्या काम हो रहा है । अगर हम गलत बात कहें या स्वार्थ की बात कहें तो आप न मानें, लेकिन अगर हम सच्ची और ईमानदारी की बात कहें तो उसको तो आपको मानना चाहिए । इस तरह से आपको सही पता मालूम हो सकता है, लेकिन इसकी फिक्र न तो सरकार को है और न योजना आयोग को है ।

दूसरी जनशक्ति के उपयोग की बात है । आप श्रम की शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं । आपके देश में अधिकतर आबादी गांवों में है और उनको आगे बढ़ाने से देश आगे बढ़ सकता है । लेकिन आप ज्यादातर रुपया शहरों में खर्च कर देते हैं । यह ठीक है कि आप शहरों की तरक्की करें लेकिन यह क्या बात है कि जितने भी उद्योग खुलें वह बम्बई में या दूसरे बड़े शहरों में । आज दिल्ली में बहुत से उद्योग खोले जा रहे हैं । देहाती क्षेत्र में उद्योग नहीं खोले जाते । आप विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं लेकिन दिमाग है दूसरी तरफ । हम को झुठलाने के लिये कुछ रुपया इस हिसाब में लिख देते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं होता । पिछली मर्तबा मैं ने नन्दा जी से कहा था कि आपने पिछड़े क्षेत्रों के लिए एक सर्वेक्षण दल मुकर्रर करने की बात कही थी । लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना गुजर रही है, आज तक दल नियुक्त नहीं हुआ, और आज इस तीसरी योजना में भी इस दल के बारे में कुछ नहीं कहा गया है । आप जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि किस क्षेत्र की क्या हालत है और किस क्षेत्र की क्या आवश्यकता है जो लोग

[श्री म० ला० द्विवेदी]

योजना आयोग में बैठे हुए हैं उन के ऊपर उत्तर प्रदेश और मद्रास सरकार की छाप है और जो वहां के सचिव लोग हैं या जो मुख्य सचिव हैं वह कलेक्टर से बात पूछते हैं। कलेक्टर वहां के रहने वाले नहीं होते, इसलिए वे पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। वे पटवारियों से पूछते हैं। लेकिन प्रतिनिधियों की बात कोई नहीं पूछता जो कि वहां से आते हैं। तो प्रश्न यह है कि यह प्लान कहां से बन कर आती है। मैं ने अपने नियोजन अधिकारी से कहा कि साहब, इस में यह भी जोड़ लीजिए। उन्होंने कहा कि यह प्रोफ़ार्मा आया है, इस में कोई बात घटाई या बढ़ाई नहीं जा सकती है। मेरी समझ में नहीं आता है कि किस तरह से यह योजना बनती है।

गांव का आदमी आज तरसता है। उस ने श्रमदान से चार फ़रलांग सड़क बनादी है, लेकिन वह पक्की नहीं हो सकती है, क्योंकि रुपया नहीं है। रुपया कहां पर है? रुपया यहां पर बड़े बड़े रमणीक मकान और बड़े बड़े पुल बनाने में लगता है। यहां से दिल्ली तक, दिल्ली से बम्बई तक, हर शहर के इस ओर उस तरफ़ ऊंचे ऊंचे ओवर-ब्रिज बनाए गए हैं, जिन पर लाखों रुपये खर्च होते हैं। अगर सरकार की नीति इस तरह की रही, तो योजना कभी भी कामयाब नहीं हो सकती है, दिखावा भले ही हो। हम चाहते हैं कि योजना सफल हो, लेकिन वह जनता की योजना हो, सच्ची योजना हो।

हम देखते हैं कि सरकार करों का भार बढ़ाती जा रही है। इस मर्तबा १६५० करोड़ रुपए के कर लगाए जा रहे हैं और घाटे के बजट के अन्तर्गत ५५० करोड़ रुपए का प्रबन्ध किया जा रहा है। अल्प बचत योजना में भी सरकार ने अच्छी रकम रखी है। मैं चाहता हूं कि हमारी जनता इस काबिल हो कि वह इस से ज्यादा टैक्स दे सके, लेकिन क्या सरकार ने कभी सोचा है कि आमदनी का स्तर ऊंचा उठा कुछ लोगों का, लेकिन कुछ ऐसे पाकेट्स हैं, ऐसी छोटी छोटी जगहें और उन के कुटुम्ब मौजूद हैं, जिनका आमदनी का स्तर ऊंचा नहीं उठा है, लेकिन फिर भी सरकार उन सब को बराबरी से कर वसूल करना चाहता है। सरकार सोचती है कि उन की आमदनी बढ़ी ही होगी और वह सब को टैक्स करना चाहती है। मेरा कहना इस सम्बन्ध में यह है कि पहले देश के हर एक इलाके का स्तर बराबर कर लिया जाये और फिर कर लगाया जाये और लोग खुशी से कर देंगे। लेकिन मनमाने ढंग से कर लगाये जायें और उन का सदुपयोग न हो, दुरुपयोग हो, यह कोई उचित बात नहीं है।

अनिवार्य शिक्षा के बारे में कहा गया है कि छः साल से ग्यारह साल तक के बच्चों को शिक्षा दी जायेगी। यह बड़ी खुशी की बात है। लेकिन यह क्या बात है कि विश्वविद्यालय जितने बनें, वे सब शहरों में ही बनते जायें और देहातों के लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए शहरों में न भेज पायं? शहरों में अनुशासनहीनता है, लड़के लड़ते हैं, झगड़ते हैं उदंड हैं। दिल्ली में चाहे हजार स्कूल खोल दिये जायें, अनुशाहसन हीनता फैलेगी, तो दिल्ली भर में फैलेगी। अगर सरकार देहातों में कालेज और विश्वविद्यालय बनाये, तो अनुशासन नहीं बिगड़ेगा। हमारे भारतवर्ष का ढांचा देहातों का ढांचा है। हम पश्चिम से, अमरीका से, और इंगलैंड से, जो शहरों का ढाचा यहां लादना चाहते हैं, वह हमारे भारत वर्ष में कामयाब नहीं होगा। हमें कामयाबी तब मिलेगी, जब हम देहातों में जा कर चीज़ों को विकेन्द्रित करेंगे, शिक्षा संस्थाओं को देहातों में ले जायेंगे, जहांकि शान्त वातावरण होगा। छोटी शिक्षा,

प्राइमरी शिक्षा दिल्ली में रखी जाये, बम्बई और कलकत्ता में रखी जाये, लेकिन विश्व-विद्यालय दूर दूर बनाई जायें—राज्यों में बनाई जायें, लेकिन वे दूर दूर बनाई जायें—इस से जितनी अनुशासनहीनता है, वह दूर हो जायेगी।

श्री पांडे ने भारत सेवक समाज के बारे में कहा। भारत सेवक समाज में काम करने का मुझे जो अवसर मिला है, उस के आधार पर मैं समझता हूं कि भारत सेवक समाज जैसी ग़ैर-सरकारी संस्था की हम को आवश्यकता है।

श्री राजेन्द्र सिंह (छपरा) : वह सरकारी संस्था है या ग़ैर-सरकारी?

श्री म० ला० द्विवेदी : ग़ैर-सरकारी।

श्री राजेन्द्र सिंह : बिल्कुल सरकारी है।

श्री म० ला० द्विवेदी : माननीय सदस्य को पता नहीं है। वह उस के उद्देश्यों को पढ़ें। वह एक ग़ैर सरकारी संस्था है। उस में काम करने वाले किसी से तन्ख्वाह नहीं लेते हैं, निःशुल्क काम करते हैं। मैं यह डंके की चोट से कहता हूं कि कोसी प्राजेक्ट पर भारत सेवक समाज ने बहुत अच्छा काम किया है। और लोगों ने काम किया, तो सौ फ़ी सदी और चालीस फी सदी से ऊपर खर्च हुआ, लेकिन कोसी में भारत सेवक समाज की सहायता की वजह से तीस प्रतिशत से भी कम में काम हो गया।

श्री राधा रमण (चांदनी चौक) : माननीय सदस्य ज़रा शाहदरा में जा कर देखें कि वहां क्या काम हुआ है।

श्री म० ल० द्विवेदी : यह ग़ैर-सरकारी संस्था देश में एक सही वातावरण उत्पन्न कर रही है, वह एक ऐसे वातावरण का सृजन कर रही है, जिस में योजना में काम करने वालों का पब्लिक में जन सम्पर्क बढ़ता है, जिस से योजना की सफलता में सहायता मिलती है। इस समय राजनैतिक संस्थायें इस दिशा में आगे नहीं आ रही हैं। मैं विरोधी सदस्यों से कहता हूं कि नुक्ताचीनी तो वह बहुत करते हैं, लेकिन योजना की कामयाबी के लिए वे कौनसा रचनात्मक काम करते हैं। जो रचनात्मक काम नहीं करना चाहता है, उस को कोई हक़ नहीं है कि वह नुक्ताचीनी करे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

†**श्री थानू** पिल्ले (तिरुनलवेली) : इस तृतीय योजना का मुख्य उद्देश्य बताया गया है—असमानताओं को दूर करना। इस से जनता में एक मिथ्या धारणा फैलती है कि शायद बिलकुल समानता आ जायेगी। यह तो असम्भव है। लेकिन, योजनाकारों को यह तो बताना ही चाहिये था कि वेतनों, आयों, सम्पतियों, इत्यादि की अधिकतम और न्यूनतम सीमा क्या रहेगी। इस के बिना असमानता दूर करने की बात का कोई अर्थ ही नहीं होता।

मूल्यों के नियंत्रण की बात कही गई है। लेकिन समझ में नहीं आता कि सरकार पूरी तरह से उत्पादन और वितरण का नियंत्रण करने से क्यों कतराती है। सरकार को इतना साहस दिखाना चाहिये। इस के बिना जनता की क्रय शक्ति में सुधार नहीं हो सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री थानू पिल्ले]

राज्य व्यापार निगम की बड़ी आलोचना हुई है । कहा गया है कि सरकार १४ रुपये प्रतिमन गल्ला खरीद कर १७ रुपये प्रतिमन के भाव पर बेचती है । यह इसीलिये सरकार खरीदती बहुत कम मात्रा है, और उस खरीदने पर उसका व्यय काफी पड़ जाता है । जब तक बिचौलियों को खत्म नहीं किया जायेगा, राज्य व्यापार से जनता को लाभ नहीं हो सकता ।

प्रादेशिक असमानतायें भी हैं। देश के पूर्वी भाग में ही कोयला, लोहा, इत्यादि का भंडार है । वहां हमारे तीनों इस्पात कारखाने खड़े किये गये हैं । ठीक है । लेकिन यह तो ग़लत है कि सरकार उन पर जनता का ५००—६०० करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी यह व्यवस्था करे कि ३०० रुपये से कम वेतन वाली सभी नौकरियां स्थानीय लोगों के लिये रक्षित रहेंगी। उन कारखानों में पूरे देश का रुपया लगा है ।

साथ ही, देश में भाषा की समस्या पर जगह-जगह तनाव है । राज्यों के पुनर्गठन से देश का एकीकरण नहीं हुआ, विकेन्द्रीकरण ही हुआ है । इस भावना को दूर किये बिना, देश का विकास संभव नहीं होगा।

हमने भाषा के आधार पर छोटे-छोटे राज्य बना दिये हैं। लेकिन इस के कारण छोटे छोटे राज्यों की ओर ठीक से ध्यान नहीं दिया जा सकता और उन राज्यों की जनता अपने को उपेक्षित महसूस करती है । इसलिये हमें विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप कुछ बड़े-बड़े ज़ोन बना देने चाहियें। तभी देश का एकीकरण किया जा सकेगा ।

हमारे राज्य में एक ही पत्तन है—तूतीकोरन। उस क्षेत्र का व्यापार बढ़ कर लगभग दस लाख टन तक पहुंच गया है और योजना काल में १५ लाख टन तक पहुंच जायेगा। लेकिन पत्तन की क्षमता कुल ८ लाख टन माल वहन करने की है । इसीलिये हमारी मांग है कि पत्तन का विकास किया जाये ।

१९५८ में प्रधान मंत्री ने हम से स्पष्ट कहा था कि तूतीकोरन पत्तन का विकास होना ही चाहिये । भारत सरकार के विशेषज्ञों का कहना है कि उस के विकास के लिये १० करोड़ रुपये चाहिये । परिवहन तथा संचार मंत्री ने इसका आश्वासन भी दिया था । लेकिन इस योजना में उसका उल्लेख तक नहीं है । जनता इसके लिये आन्दोलन कर रही है । मेरा अनुरोध है कि सरकार इसकी गुंजाइश निकाले ।

तूती कोरन और मंगलौर पत्तनों के विकास पर २० करोड़ रुपये से अधिक व्यय नहीं होगा । मंगलौर के विकास से सरकार को विदेशी मुद्रा भी मिलेगी।

योजना आयोग को परिवहन तथा संचार मंत्रालय के लिये कुछ अधिक राशि की व्यवस्था करनी चाहिये थी ।

डा० कृष्णस्वामी ने कहा है कि तेल की खोज का काम विदेशों को या निजी क्षेत्र को सौंपा जाना चाहिये । लेकिन वे इसके लिये तैयार नहीं । इस्पात, खान और तेल मंत्रालय को तेल की खोज के लिये ५० करोड़ रुपये दिये जाने चाहियें। उस से २००—३०० करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा बच सकती है । इसे निजी क्षेत्र को सौंपना देश के हित में नहीं रहेगा।

श्री मसानी एक ओर तो यह कहते हैं कि इस्पात, और भारी उद्योगों पर ही अत्यधिक जोर देने की प्रवृति सोवियत यूनियन की नकल है और सोवियत यूनियन ने सैनिक कारणों से वैसा किया था। श्री मसानी कहते हैं कि भारत सरकार इस मामले में सैनिक ढंग से सोच रही है, जो अनुचित है। लेकिन दूसरी सांस में वह कहते हैं कि भारत सरकार देश की रक्षा के लिये समुचित प्रयास नहीं कर रही है। दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं। और भी विचित्र बात यह है कि श्री मसानी टाटाज़ से १५–२० वर्ष तक संबंध रखने के बाद भी सोचते हैं कि भारत के लिये इस्पात इतना जरूरी नहीं है। सरकार को स्वतंत्र पार्टी की ऐसी बेमतलब चीख-पुकार से कोई भय नहीं खाना चाहिये। उसे साहस और विश्वास के साथ योजना की कार्यान्विति आगे बढ़ानी चाहिये।

†**श्री काशीनाथ पाण्डे** (हाता) : स्वतंत्र पार्टी के सभापति का भाषण सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उनका दल योजना का समर्थन नहीं करेगा। हम कोई मकान भी बनाना चाहते हैं तो पहले उसका एक नक्शा तैयार करना पड़ता है। फिर यह तो पूरे देश की प्रगति का सवाल है।

प्रधान मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय आय का यथा संभव समान वितरण करना है। लेकिन अमल में इसका बिलकुल ही उल्टा हुआ है। हमारी राष्ट्रीय सम्पदा में ४२ प्रतिशत वृद्धि हुई है, लेकिन सभी राज्यों में उसका समान वितरण नहीं हुआ। १९५८–५९ में सारे देश की प्रति व्यक्ति आय २९३.८ रुपये हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में वह २५९.०२ रुपये ही रही। कहा गया है कि राष्ट्रीय आय के वितरण की जांच कराई जायेगी। उस जांच में यह देखना चाहिये कि किस राज्य को सब से अधिक और किस राज्य को सबसे कम हिस्सा मिला है।

देश में बेरोजगारी की समस्या पहले जितनी ही कठिन बनी हुई है।

हमारे देश की जन संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। और उसके साथ ही रोजगार की समस्या भी कठिन होती जा रही है। हमारी ७० प्रतिशत जन संख्या कृषि पर निर्भर है। लेकिन योजना में ऐसी कोई संतोषजनक व्यवस्था नहीं मिलती, जिसके द्वारा पूरी तरह बेरोजगार और थोड़े समय के लिये बेरोजगार रहने वालों की समस्या कल हो किया जयेगा। यदि इसकी ओर उचित ध्यान न दिया गया, तो यह समस्या विकराल रूप धारण कर लेगी।

राष्ट्रीय आय में वृद्धि तो हुई है, पर मजदूरों के वास्तविक वेतन कम हो गये हैं। इसलिये सबसे बड़ी आवश्यकता इसी बात की है कि तृतीय योजना काल में मूल्यों को स्थिर किया जाये।

द्वितीय योजना में कहा गया था कि मजदूरों को कारखानों के प्रबन्ध में हाथ बंटाने का मौका दिया जायेगा। मजदूरों ने जी तोड़ मेहनत करके उत्पादन बढ़ाया है। इसमें यह तो कहा गया है कि २४ कारखानों में मजदूरों को उनके प्रबन्ध में हाथ बंटाने देने का परीक्षण किया गया है। लेकिन यह नहीं बताया गया कि उसका परिणाम क्या निकला। शायद सरकार की योजना असफल रही है।

वृद्धावस्था में मजदूरों को सहायता की बड़ी जरूरत होती है। इसमें उसका कोई उल्लेख नहीं है। उल्लेख भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा का अवश्य है। लेकिन भविष्य निधि को

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री काशीनाथ पाण्डे]

१९५२ में लागू किया गया था, इसीलिये मजदूरों को उसके बाद ही इसका फायदा हो सकेगा। उससे पहले के वर्षों का क्या होगा ? श्रम और योजना मंत्री को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये ।

राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ ही, वस्तुओं के मूल्य भी चढ़ गये हैं। सरकार ने कुछ उद्योगों के लिये तो तनखा बोर्ड नियुक्त कर दिये हैं, लेकिन काफी अधिक मजदूर ऐसे हैं जिनके लिये तनखा-बोर्ड नहीं बने, क्योंकि वे अच्छी तरह संगठित नहीं हैं। असंगठित मजदूरों के लिये भी सरकार को ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिये ।

स्वतंत्र पार्टी देश को अठारहवीं सदी में पीछे घसीट ले जाना चाहती है, जबकि सारी दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है ।

हमारी योजनाओं और विनियोजनों के फलस्वरूप बाजार से अधिक मुद्रा आयेगी और उसके फलस्वरूप मुद्रा का मूल्य घट जायेगा । देश में मुद्रा-स्फीति होगी। इसलिये ऐसी कोई व्यवस्था की जानी चाहिये कि यदि वस्तुओं के वास्तविक मूल्य बढ़ें, तो मजदूरों के वेतनों में भी अपने आप वृद्धि हो सके ।

मैं श्रम मंत्रालय की इस नीति से सहमत नहीं कि कारखानों में यूनियनों की भरमार हो । औद्योगिक शांति के लिये जरूरी है कि एक ही यूनियन रहे। कई यूनियनें होने से औद्योगिक अशांति बढ़ती है ।

उद्योगों के विकास के साथ उत्पादकता भी बढ़नी चाहिये। लेकिन मालिक लोग उत्पादकता बढ़ाने का अर्थ यह समझते हैं कि मजदूर अधिक उत्पादन करें और मालिकों पर उसका कोई भार न पड़े। उत्पादकता बढ़ाने का आंदोलन तभी सफल हो सकता है जब कारखाने के प्रबन्ध, पूंजी, मशीनों और सामग्री को ही सर्वाधिक महत्व न दिया जाये, बल्कि सर्वाधिक महत्व श्रमिकों को दिया जाये ।

†डा० मेलकोटे (रायचूर) : १९५३–५४ में वित्त मंत्री डा० देशमुख ने कहा था कि प्रथम योजना में हमने जितने काम किये हैं तथा जितना धन व्यय किया है, अंग्रेजों ने उतना धन भारत के विकास कार्यों के लिये अपने सारे शासनकाल में व्यय किया है। पहली योजना हमने ३००० करोड़ रुपये की बनाई थी, दूसरी योजना ७,२०० करोड़ रुपये की तथा अब तीसरी १०,२०० करोड़ रुपये की बनाई है। दूसरे शब्दों में अंग्रेजों ने जो काम १५० वर्षों में किये हैं वह हम तीन महीने में कर लेंगे। मैं विदेशों में जहां भी गया वहां मुझ से हर जगह यह प्रश्न पूछा गया कि आपका देश गरीब होते हुये किस प्रकार इतनी शीघ्रता से अपना विकास कार्य कर रहा है। मैंने उन्हें बताया कि हम यानी देश के लोग अपनी जरूरतों को कम करके अपने विकास कार्यों के लिये आवश्यक सामग्री जुटाते हैं। जितना भी हम उत्पादन करते हैं उससे होने वाली बचत को पुनः निर्माण कार्य में लगा देते हैं। और जब जरूरत होती है तो बाहर से ऋण मांगते हैं और उन्हें बता देते हैं कि उनके ऋण की पाई पाई हम चुका देंगे। इसीलिये हमें प्रत्येक वर्ष इतनी विदेशी सहायता मिल जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

१०,२०० करोड़ रुपये की रकम अपने देश की जनता की आवश्यकताओं को देखते हुये कुछ भी नहीं है क्योंकि इस रफ्तार से यदि हमने विकास कार्य किया तो देश का पूरा विकास होने में लगभग ५० वर्ष लग जायेंगे। इन विकास कार्यों को करने के साथ साथ हमारा यह भी कर्त्तव्य हो जाता है कि हम इसका भी ध्यान रखें कि जनता में इन विकास कार्यों के प्रति उत्साह भी है अथवा नहीं। मेरा अपना जितना अनुभव है उसको देखते हुये मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश की जनता में विकास कार्यों के प्रति कोई उत्साह नहीं है। इस उत्साह विहीनता का मुख्य कारण मैं कृषि उत्पादन में कमी समझता हूं। पहली योजना में कृषि उत्पादन बढ़ाने के कार्यों पर १००० करोड़ रुपये के लगभग धन व्यय किया गया था। दूसरी योजना में इस के लिये १,४०० करोड़ रुपये निर्धारित किये गये तथा अब तीसरी योजना में २००० करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। आंकड़े देखने पर पता लगता है कि देश के कुल उत्पादन का ५४ प्रतिशत उत्पादन खेती के द्वारा होता है। परन्तु इसके विकास के लिये व्यवस्था की जा रही है २००० करोड़ रुपये की, जबकि अन्य विकास कार्यों के लिये ८,००० करोड़ रुपये रखे जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि हम इस २००० करोड़ रुपये को किस प्रकार व्यय करेंगे। मैं समझता हूं कि इसमें से भी अधिक धन जूट और रूई का उत्पादन बढ़ाने पर व्यय होगा जो उल्ट फेर कर उद्योगों का ही विकास होगा।

आज देश की जनता जूट, चावल, चीनी आदि के उत्पादन को बढ़ाने के बारे में चिन्तित नहीं है उसको ज्यादा चिंता बेकारी की है। जब व्यक्ति बेकार होगा तब चावल आदि खाद्य पदार्थ खरीदने के लिये उसके पास धन कहां से आयेगा। यह बताया जाता है कि दूसरी योजना काल में ५० लाख व्यक्तियों को रोजगार नहीं दिलाया जा सका। इस संख्या में १५ लाख व्यक्ति और जोड़े जाने चाहियें जिनको रोजगार दिलाने का वायदा किया गया था परन्तु रोजगार दिलाया नहीं जा सका। इसके अतिरिक्त लगभग १२५ लाख बेकार व्यक्ति अगली योजना के आरम्भ में और बढ़ जायेंगे। इसके अलावा तीसरी योजना में बताया गया है कि लगभग ४.५ करोड़ व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके पास केवल ४ घंटे का ही काम है। इन आंकड़ों से पता लगता है कि लगभग ६.५ करोड़ व्यक्ति बेरोजगार होंगे। ऐसी हालत में मैं नहीं समझता कि हम जनता में योजनाओं के प्रति किस प्रकार उत्साह पैदा कर सकते हैं। योजनायें जनता के लिये बनाई जाती हैं परन्तु जनता ही बेरोजगार रही तो उसे योजनाओं का क्या लाभ हुआ। इसीलिये मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि योजना में इस प्रकार संशोधन किया जाये जिससे देहाती क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर करने की समस्या हल हो सके।

प्रधान मंत्री के इस कथन का मैं समर्थन करता हूं कि सरकार को इसकी जांच करनी चाहिये कि देश की बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय कहां गई। हमारे सामने यह प्रश्न कई वर्ष से बराबार उठ रहा था और सरकार ने स्वयं इस बात को स्वीकार करके जांच की घोषणा की है, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है।

मैं समझता हूं कि यदि देहाती क्षेत्रों में कुटीर तथा लघु उद्योगों का विकास किया जाये तो उससे पर्याप्त लोगों को रोजगार मिल सकता है। पहली तथा दूसरी योजना में खादी के विकास का जिक्र किया गया था परन्तु तीसरी योजना में इसके बारे में कहीं पर कुछ नहीं बताया गया है। बेचारे गरीबों को एक अथवा दो आने की और सहायता देने के बारे में हम कई वर्ष से कोशिश कर रहे हैं परन्तु सरकार फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। मैं चाहता हूं कि हमें इसके बारे में स्पष्टतः बताया जाये कि खादी तथा कुटीर उद्योगों का विकास करके देहाती क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के बारे में तीसरी योजना में क्या किया जायेगा। मैं समझता हूं कि यदि कुटीर उद्योगों के लिये उत्तम मशीनों

[डा० मेलकोटे]

की व्यवस्था के रूप में सहायता दी जाये तो इनमें अधिक उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा और ग्रामवासियों के लिये अधिक रोजगार की व्यवस्था की जा सकेगी ।

खाद्यान्नों के बारे में यह बताया जाता है कि जुआर जैसे कम पानी मांगने वाले अनाजों का उत्पादन, चावल जैसे अधिक पानी मांगने वाले अनाजों की तुलना में कम परिश्रम से बढ़ाया जा सकता है । मैं समझता हूं कि आगामी दो तीन वर्षों में हमें प्रयत्न करना चाहिये जिससे कम पानी मांगने वाले अनाजों की खेती बढ़ाई जाये जिससे कम परिश्रम के द्वारा इनका उत्पादन बढ़ाया जा सके और खाद्यान्नों की समस्या हल की जा सके ।

यह कहा जाता है कि सरकारी कर्मचारी योजना की क्रियान्विति ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं । परन्तु इस में किस का दोष है । मैं समझता हूं कि यह दोष भी सरकार का ही है । मैं तो समझता हूं कि सरकार द्वारा निर्णय लेने में शिथिलता के कारण ही बेचारे सरकारी कर्मचारी अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं । यदि सरकार अपने निर्णयों तथा नीतियों को दृढ़ता से आगे बढ़ाये तो निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारी योजनाओं की क्रियान्विति सफलता से कर पायेंगे ।

†**श्री दामानी** (जालौर) : गत दो दिनों से तीसरी पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा के प्रारूप की आलोचना की जा रही है । मेरा अपना यह विचार है कि तीसरी योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं वह व्यावहारिक हैं । तीसरी योजना का पूंजी व्यय लगभग १०,२०० करोड़ रुपये रखा गया है । यह जरूरी है कि जैसे जैसे देश का औद्योगिक विकास होगा वैसे वैसे ही अन्य दिशा में प्रगति के लिये अधिक धन की आवश्यकता होगी । इसीलिये सरकारी क्षेत्र में ५१ प्रतिशत और गैर सरकारी क्षेत्र में २९ प्रतिशत के विनियोजन का प्राक्कलन किया गया है और मैं आशा करता हूं कि दोनों ही क्षेत्रों में इतना विनियोजन संभव होगा ।

यह ठीक ही है कि वार्षिक योजनायें बनाने के स्थान पर पंचवर्षीय योजनायें बनाई जायें । परन्तु इस के साथ प्रत्येक वर्ष का एक लक्ष्य बनाया जाना चाहिये और वर्ष के अन्त में यह देखना चाहिये कि उस वर्ष में हम ने अपने लक्ष्य पूरे किये हैं अथवा नहीं । और इन तथ्यों को राज्य विधान सभाओं तथा संसद् में रखा जाना चाहिये तथा अगले वर्ष के लक्ष्य भी संसद् में बताये जाने चाहियें। जिस से जनता को निश्चित प्रगति का ज्ञान होता रहे ।

यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि दूसरी योजना के अन्तिम चार वर्षों में उद्योगों का बहुत विस्तार हुआ है और जनता अपनी बचत को उद्योगों में लगा रही है । मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार उद्योगों का विकास होने पर ऐसी वस्तुओं का अधिक उत्पादन होने लगेगा जिन के आयात के लिये हमें विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ती है ।

यह अनुमान लगाया गया है कि हमें तीसरी योजना में घाटे की अर्थव्यवस्था से ५५० करोड़ रुपये, अल्प बचत के द्वारा ५५० करोड़ रुपये, करों से १६०० करोड़ रुपये और जनता से ऋण ले कर ८५० करोड़ रुपये इकट्ठे करने चाहियें मैं समझता हूं कि जनता से ऋण लेने की राशि को बढ़ाया जाना चाहिये । और कर द्वारा लिये जाने वाली राशि को कम किया जाना चाहियें ।

मैं यह भी चाहता हूं कि तेल की खोज करने में अधिक धन लगाया जाना चाहिये, क्योंकि यह तो पता ही लग गया है कि देश में तेल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है । इस प्रकार कच्चा तेल आयात

†मूल अंग्रेजी में

करने में जो विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ती है उसको बचाया जा सकता है। इसके साथ यदि हम अपनी नौवहन व्यवस्था में जहाज आदि निर्माण कर के सुधार कर लेते हैं तो वस्तुओं का आयात करने में जो विदेशी मुद्रा व्यय होती हैं उस को भी बचाया जा सकता है।

आज कल देश में कपड़ा उद्योग की सभी मशीनें बनने लगी हैं। इसलिये कपड़े की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए यह आवश्यक है कि वर्तमान मिलों की कपड़ा बनाने की क्षमता को बढ़ाने की अनुमति मिल प्रबन्धकों को दे देनी चाहिये।

देश में प्रविधिक शिक्षा संस्थाओं को आरम्भ करने के लिये अधिक धन की व्यवस्था की जानी चाहिये जिस से विदेशों में जाकर शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों को यहीं शिक्षित किया जा सके और विदेशी मुद्रा बचाई जा सके।

†**श्री राजेश्वर पटेल** (हाजीपुर) : श्रीमान्, तीसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप के बारे में लगभग ४० सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं और पहली तथा दूसरी योजनाओं के कार्यों की प्रगति की आलोचाना की है। मैं आशा करता हूं कि जब इन योजनाओं के परिणाम कुछ वर्षों में सामने आने लगेंगे उस समय सभी इन कार्यों की सराहना करने लगेंगे।

हम सभी जानते हैं कि योजना आयोग को इस उद्देश्य से बनाया गया था कि इस के द्वारा देश के आन्तरिक साधनों का उचित उपयोग किया जा सके। परन्तु हमारे योजना आयोग के आयोजकों ने 'साधनों' का अर्थ केवल 'वित्तीय साधन' ही समझा और वह भूल गये कि साधनों में देश के ७० प्रतिशत ग्रामवासी भी आ जाते हैं जो आज भी बेकार हैं।

योजना आयोग ने ग्राम विकास के लिये सब से पहले सामुदायिक परियोजनायें बनाई। परन्तु जब इन के द्वारा आशानुकूल काम होते न देखा तो विकास कार्य पंचायतों को सौंपे गये। परन्तु इनके द्वारा भी उन्हें सफलता नजर नहीं आई और अब उन्होंने समझा है और प्रारूप में व्यवस्था भी की है कि ग्राम विकास का कार्य जिला परिषदों, पंचायत परिषदों तथा खंड परिषदों को सौंपा जाये। मैं चाहता हूं कि यह व्यवस्था शीघ्रता से की जानी चाहिये जिस से ग्रामवासी स्वयं अपना विकास कर सकें।

मैं समझता हूं कि सभा योजनाओं का विरोध नहीं करती, क्योंकि अल्प-विकसित देश का विकास योजनाओं के द्वारा ही होता है। परन्तु जैसा कि आचार्य कृपालानी ने बताया और मैं उस से सहमत हूं कि हमें थोड़ा रुक कर अपनी पिछली योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करना चाहिये, अगर हमें प्रगति पर संतोष होता है तो फिर आगे बढ़ना चाहिये। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करना बहुत आवश्यक है क्योंकि इन्हीं के द्वारा लाखों बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाया जा सकता है।

मैं समझता हूं कि हमें अपनी गलतियों को मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये। हमारे इस्पात कारखानों के बारे में मेरी राय है और प्राक्कलन समिति ने भी जैसा लिखा है कि इन तीनों कारखानों का भार ऐसे व्यक्तियों पर था जिनपर यह जिम्मेदारी नहीं डाली जानी चाहिये थी। प्राक्कलन समिति ने सरकार को यह बात कई बार बताई भी थी परन्तु समिति को उसके विपरीत ही उत्तर दिया गया। परिणाम हमारे सामने है कि संयंत्र ठीक समय पर नहीं लगाये जा सके और लक्ष्य पूरे नहीं हो सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राजेश्वर पटेल]

हमें प्रयत्न करना चाहिये कि हम आलोचनाओं को ध्यान से सुनें और उन को सुन कर अपनी गलतियों को सुधारें। इसीलिये मैं यही कहना चाहता हूं कि योजना आयोग को देश की ग्राम्य जनता का जो सही अर्थों में विकास का एक साधन है, पूरा पूरा उपयोग करना चाहिये और उन का समर्थन प्राप्त करना चाहिये। उन्हें चाहिये कि वह उन को विकास कार्यों के लिये प्रोत्साहित करें तथा सही रूप में विकास कार्यों में उन को लगायें क्योंकि ग्राम की समस्याओं को वही भली भांति समझते हैं।

दूसरी बात मैं पशुओं के बारे में कहना चाहता हूं। आप को जान कर हैरानी होगी कि हमारे देश में संसार के ३५ प्रतिशत पशु होने पर भी दूध कम मिलता है। हमारे देश में सब से बड़ी समस्या बेकार पशुओं की है। बेकार पशुओं को अलग रखने के उद्देश्य से पहली योजन में गोसदन बनाने का प्रस्ताव था। यद्यपि यह योजना अच्छी थी लेकिन समस्या को हल कर सकने वाली नहीं थी। हमारे देश में धार्मिक अन्ध विश्वास के कारण जब गाय या भैंस दूध देना बन्द कर देती है तो उस को जब तक उस की मौत नहीं आ जाती तब तक पालना पड़ता है या चमार आदि के द्वारा चुपके से कसाई को बेचना पड़ता है। परन्तु यह दूसरा काम बड़ा कठिन होता है। क्योंकि ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर बड़ी कठिनाई हो जाती है। इस मामले में हमें थोड़े साहस से काम करना होगा। सरकार ने कुछ अन्ध विश्वासियों के कारण बेकार पशुओं के मारे जाने पर प्रतिबन्ध लगाने वाली विधि बना कर एक अनावश्यक कदम उठाया है। यह बेकार पशु उपयोगी पशुओं का चारा भी खत्म कर देते हैं, जिस के कारण उपयोगी पशुओं को पूरा चारा नहीं मिल पाता और वह कमजोर होते जा रहे हैं। इस लिये सरकार को इस समस्या पर पूरी तरह से विचार करना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि इन्हें मार ही डालना चाहिये लेकिन गोसदन आदि खोल कर इन को अलग रखा जाना चाहिये।

आचार्य कृपालानी ने कहा कि जब तक अब तक स्थापित इस्पात संयंत्रों को उन की पूरी सामर्थ्यानुसार न चलाया जा सके तब तक हमें और चौथा संयंत्र स्थापित नहीं किया जाना चाहिये। परन्तु मेरा ऐसा विचार नहीं है। क्योंकि इस्पात संयंत्र बनाते समय हमारा विचार था कि देश की आवश्यकताओं के लिये केवल ५ लाख टन इस्पात पर्याप्त होगा परन्तु बाद में पता लगा कि खेती में सभी प्रकार के औजार इस्पात से बनाये जाने के कारण हमें १० लाख टन इस्पात वार्षिक चाहिये। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चौथा इस्पात संयंत्र बनाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अन्त में मेरा निवेदन है कि योजना आयोग को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के द्वारा इकट्ठे किये गये आंकड़ों पर ही आश्रित नहीं रहना चाहिये, उस को अपने अलग आंकड़े इकट्ठे करने चाहियें। उस सर्वेक्षण में बताया गया था कि पिछले वर्ष ९६० लाख टन उत्पादन हुआ जब कि हमारा लक्ष्य ही दूसरी योजना में ८०० लाख टन उत्पादन करने का था। यदि इस प्रकार के आंकड़ों पर हमें काम करना होगा तो ईश्वर ही मालिक है।

†**श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी** (रायपुर) : श्रीमान्, योजना आयोग का मंतव्य देश की उन्नति करना है तथा वह देश हित को सामने रखकर उत्तम योजनाएं तैयार करता है परन्तु जब कार्यन्विति का प्रश्न आता है तो वहां थोड़ी गड़बड़ हो जाती है।

मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। हमारा राज्य भारत के समस्त राज्यों से विशाल है पर वह पिछड़ा हुआ है। योजना का उद्देश्य यद्यपि पिछड़े राज्यों को सहायता देना है तथापि योजना में इस के लिये उचित व्यवस्था नहीं की जाती। चम्बल परियोजना के अतिरिक्त उस राज्य में कोई भी मुख्य सिंचाई की योजना नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक सामुदायिक विकास योजनाओं का सम्बन्ध है, हमारे ही जिले में १२–१४ लाख रुपया व्यर्थ लगाया जा चुका है। वहां के पदाधिकारी उस रुपये से जनता के लाभ के लिये कोई काम नहीं करते। कारों में घूमना और पेट्रोल जाया करना ही उनका काम है। हमें रुपये का इस प्रकार का दुरुपयोग रोकना चाहिये। हमें यदि भिलाई का इस्पात का कारखाना मिला तो वह भी पं० रवि शंकर शुक्ल के कारण।

जहां तक खाद्यान्न का सम्बन्ध है सभी राज्य मध्य प्रदेश से अनाज ले लेते हैं परन्तु जहां तक मध्य प्रदेश को कुछ देने का सम्बन्ध है उस दिशा में कुछ नहीं किया जाता। पहले बिजली के सामान का कारखाना छत्तीसगढ़ में लगाने का विचार था परन्तु यह निर्णय भी तुरंत ही बदल गया और वह कारखाना भोपाल में लगा दिया गया। खैर, इसके बारे में हमें कोई शिकायत नहीं है।

अनेक विशेषज्ञों ने राय दी है कि उर्वरकों का कारखाना भी मध्य प्रदेश में लगाया जाना चाहिये परन्तु न जाने कैसे अब इस कारखाने को किसी और राज्य में लगाने का विचार हो गया है। मध्य प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्य का समुचित ध्यान सरकार को रखना चाहिये।

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : उर्वरकों के कारखाने का प्रश्न अभी भी विचाराधीन है इस लिये माननीय सदस्य ऐसा नहीं कहना चाहिये।

†**श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह जी :** जहां तक रेलवे का हम पूछना चाहते हैं कि हमें कौनसी नयी लाइन मिली है। हमारे यहां तो स्टेशनों की हालत भी नहीं सुधरी। यदि इसी प्रकार इस राज्य की अवहेलना की जाती रही तो एक समय ऐसा आयेगा कि जनता इस विशाल राज्य के विभाजन की मांग करने लगेगी।

इस समय जीवन निर्वाह व्यय में ३० प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है अतः इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिये। इसी प्रकार विदेशी मुद्रा अर्जन करने को कठिन परिश्रम किया जाय अन्यथा हमारे देश में बेकारी बढ़ेगी तथा मुद्रा-स्फीति होगी।

हमारे सीमा के प्रदेशों में झगड़े चल रहे हैं इसलिये योजना निर्माताओं को देश की प्रतिरक्षा के काम को भी प्राथमिकता देनी चाहिये। आजकल हड़तालों का रिवाज भी बढ़ रहा है। अनिवार्य उद्योगों में हड़तालें रोकने के लिये भी सरकार को कुछ न कुछ कार्यवाही करनी चाहिये। इसके साथ ही जो प्रबन्धक कारखानों को या अन्य व्यापारिक संस्थानों को बंद करें उनके विरुद्ध भी सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (गुड़गांव) : सभापति महोदय, तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में शिक्षा के लिये २ अरब ७३ करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है। इस राशि में विश्वविद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों के अतिरिक्त जो प्राथमिक शिक्षा के लिये रुपया नियत किया गया है वह १ अरब ८० करोड़ है। इस १ अरब ८० करोड़ रुपये में से हमारी सरकार की यह योजना है कि देश में अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा को चालू किया जाए। मैं इस सम्बन्ध में दो आवश्यक सुझाव देना चाहता हूं। पहली बात तो यह है, यह मेरी समझ में नहीं आता है कि जब कई बार इस सदन में इस प्रकार की चर्चा हो चुकी है कि हमारे देश में कुछ इस प्रकार के लोग हैं जिन के पास पैसा इतनी अधिक मात्रा में है कि वे अपने बच्चों पर पब्लिक स्कूलों में या दूसरे स्थानों पर भेज कर सौ सौ और डेढ़ डेढ़ सौ रुपया मासिक भी खर्च कर सकते हैं, तो उनको इसमें

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

क्यों शामिल किया गया है। ऐसी स्थिति में प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा के लिये उन सब को एक ही श्रेणी में रखना कुछ समझदारी और बुद्धिमत्तापूर्ण बात प्रतीत नहीं होती है। मेरा सुझाव यह है कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देश में आरम्भ तो अवश्य की जाए लेकिन अनिवार्य के साथ-साथ निःशुल्क शिक्षा का जहां तक प्रश्न है, यह सुविधा भी उनको प्राप्त होनी चाहिये। जो आर्थिक दृष्टि से दुर्बल हैं चाहे वे वर्ग विशेष के हों, चाहे उनके पास पैसे का अभाव हो, उन सब के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये। एक यह भी बात है कि देश के वे व्यक्ति जिन के पास पैसे की मात्रा अधिक है, उनको कोई विशेष लाभ इससे होने वाला नहीं है। इससे सरकार के ऊपर अनावश्यक रूप से जो बोझ पड़ने वाला है उससे बचा जा सकेगा और यहां से जो पैसा बचेगा उसको दूसरों पर खर्च किया जा सकता है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में यह भी कहा गया है कि जो प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक हैं, उनके वेतनमान बढ़ाये जायेंगे। इसके सम्बन्ध में यह बताया गया है कि अब तक जिन अध्यापकों को ४० रुपया प्रतिमास मिलता है, उनका वेतन ५० रुपये प्रतिमास कर दिया जाएगा। इस बात को सुन कर कितना उपहास सा प्रतीत होता है। क्या आज के युग में कोई इस प्रकार का व्यक्ति है जो ५० रुपये प्रतिमास में अपना तथा अपने परिवार का निर्वाह कर सकता है? हमारे देश के लिये यह स्थिति बड़ी दयनीय है। हमें इस पर थोड़ा विचार करना है कि इस निमित्त जो हमने प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा के लिये पैसा नियत किया है, क्या वह काफी है। जब आप एक ओर यह कहते हैं कि ८० रुपये प्रतिमास से कम किसी का वेतन नहीं होगा तो हमारे देश के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापकों के सम्बन्ध में इस प्रकार का विचार कुछ अवश्य होना चाहिये।

दूसरी बात शिक्षा के सम्बन्ध में ही मैं यह कहना चाहता हूं कि इस में पांच करोड़ रुपये इस बात के लिये नियत किये गये हैं कि जिससे हिन्दी को प्रोत्साहन दिया जाए और साथ ही साथ संस्कृत को प्रोत्साहन दिया जाए। हमने अपने संविधान में इस बात को स्वीकार किया है कि आने वाले १५ वर्षों में, यानी सन् १९६५ तक की अवधि में हिन्दी को इतना लोकप्रिय बना दिया जाएगा कि कोई प्रान्त भी इस प्रकार का नहीं होगा कि जहां हिन्दी की लोकप्रियता न दिखाई दे। परन्तु अब तक जो प्रयास हुये हैं वे बहुत ही दुर्बल हैं।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी देखता हूं कि इस पांच करोड़ रुपये में से संस्कृत प्रसार के लिये केवल डेढ़ करोड़ रुपया ही नियत किया गया है। सभापति जी, मुझे इन शब्दों को कहते हुये कुछ कष्ट होता है कि संस्कृत को संरक्षण पिछली कुछ शताब्दियों में हमारे देश के लोगों ने किन कठिन परिस्थितियों में दिया है। पिछले इतिहास को पढ़ने से आपको प्रतीत होगा कि ७०० साल की मुगलिया सलतनत के समय में हमारे देश के ब्राह्मणों ने और विद्वानों ने अपने पैरों की त्वचायें फाड़ कर, उनमें पुस्तकें रख रख कर संस्कृत का संरक्षण किया है। अंग्रेजों के पौने दो सौ वर्षों के काल में भी इतिहास इस बात का साक्षी है कि लोगों ने चाहे अपना पेट काटा हो लेकिन इसको संरक्षण दिया है। राजे महाराजे, ताल्लुकेदार जो उस समय थे वे चाहे कितने ही और बातों में दुर्बल रहे हों, लेकिन उनके अन्दर एक गुण था कि वे भारत की प्राचीन भाषा और परम्परा के संरक्षण के लिये यथाशक्ति सहयोग देते थे। अब देश में वे परम्परायें नहीं रही हैं। दुर्भाग्य की बात है कि स्वतंत्र होने के पश्चात् आज वही भाषा और उस भाषा के विद्यालय धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। भारतवर्ष में संस्कृत की पाठशालाओं

की जो स्थिति है तथा संस्कृत की जो स्थिति है, वह शोचनीय है। मैं योजना मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह इस राशि को और बढ़ायें और संस्कृत जो भारत की विभिन्न क्षेत्रीय भाशाओं और राष्ट्र भाषा के बीच में एक श्रृंखला का कार्य करती हैं, उसके लिये अधिक से अधिक जितना भी धन नियत किया जा सकता हो, नियत करें।

अब मैं अपने देश के राष्ट्र धर्म के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मैं धर्म शब्द को कहते हुये कुछ थोड़ा सा सकुचाता हूं। सकुचाता इसलिये हूं कि संविधान में जो धर्म निरपेक्ष शब्द रखा गया है। उसकी ऐसे गलत ढंग से व्याख्या की जाती है कि धर्म शब्द जिस किसी व्यक्ति के मुंह से निकलता है तो जो लोग आज अपने आपको प्रगतिशील समझते हैं, उनके माथे पर बल पड़ने लग जाते हैं। लेकिन इस धर्म शब्द को कहने का साहस मुझे इसलिये हुआ है कि आपके मस्तक पर "धर्म चक्र प्रवर्तनाय", सभापति महोदय, लिखा हुआ है और इसलिये धर्म शब्द को मैं साहस के साथ कह रहा हूं। राष्ट्र धर्म शब्द का प्रयोग करने का मेरा अभिप्राय यह है कि सन् १९४७ से पहले जब हम स्वतंत्र नहीं हुये थे तो हमारी सोचने की और विचारने की प्रवृत्ति भारतीय स्तर पर थी। लेकिन दुर्भाग्य से आज हमारे देश में इस प्रकार के मस्तिष्कों का अभाव होता जा रहा है जो अखिल भारतीय स्तर पर देश की समस्याओं के सम्बन्ध में सोचने और समझने का प्रयत्न करते हों। अकसर प्रान्तीय स्तर पर, जातीय स्तर पर, वर्ग विशेष के स्तर पर सोचने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। उसका दुष्परिणाम यह है कि भी कल परसों आपने देखा—मैं साधारण स्तर के व्यक्ति के सम्बन्ध में कुछ कहूं तो वह सम्भव है उतना उचित प्रतीत न हो—कि हमारे देश का वे व्यक्ति जो सरकारी मशीनरी के अन्दर एक पुर्जे के रूप में फिट हैं, वे भी इस प्रकार की दुर्बलता में कंधा लगाते हुये जा रहे हैं। देश को बड़े दुर्भाग्य के साथ और बड़ी गर्दन को नीचे करके यह समाचार पढ़ने को मिला कि १५ अगस्त का जो कि एक राष्ट्रीय पर्व है, बंगाल प्रांत के अंदर बहिष्कार किया गया। मैं समस्या की पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहता कि असम में क्या हुआ या बंगाल में किस प्रकार उसका बहिष्कार किया गया। लेकिन राष्ट्र का यह पर्व सारे देश का पुण्य पर्व था और उस पर्व का बहिष्कार होना और इस प्रकार के साधिकार व्यक्ति के द्वारा होना राष्ट्र के लिये बड़ी चिन्तनीय स्थिति पैदा कर देता है। यह तो बंगाल की स्थिति है। मगर जिस प्रान्त का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं वहां भी लगभग इसी प्रकार की स्थिति धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। सभापति महोदय, मुझे इस बात को कहने की आप अनुमति दीजिये कि नई दिल्ली के अन्दर चन्द महीने पहले एक छोटी सी घटना घटी थी जो कि पूसा इंस्टीट्यूट के अन्दर हुई थी और जौसेफ ने आत्म-हत्या कर ली थी। इस सदन में और इस सदन से बाहर समाचार-पत्रों में बहुत कुछ उसको प्रकाशन मिला और उस समस्या के ऊपर बड़ी गम्भीरता के साथ विचार किया गया। लेकिन कल परसों एक घटना पंजाब में हुई है। भाखड़ा नंगल के एक कुशल इंजीनियर जिस का नाम मिस्टर क्लेयर था, उसको दो मंत्रियों के आपस के विवाद या आपस की लड़ाई के कारण किस प्रकार से अपनी आत्म-हत्या करनी पड़ी, इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया। अन्तर केवल इतना था कि मिस्टर जोसेफ मरने के पहले अपनी जेब में अपनी आत्म-हत्या के कारण लिख गए थे और मिस्टर क्लेयर ने इस विषय में मौन साधा और मरने से पहले उसके सम्बन्ध में कुछ लिख नहीं गये। जिस प्रान्त की चर्चा माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस चर्चा को आरम्भ करते हुये की, उसकी ओर आपका ध्यान जाना चाहिये। एक ओर आप देश का निर्माण करने जा रहे हैं और दूसरी ओर इस प्रकार की विध्वंसक प्रवृत्ति हमारी बगल में, पंजाब प्रदेश में बढ़ रही है जिसकी ओर आपका विशेष रूप से ध्यान मैं खींच रहा हूं। वहां पर पंजाबी सूबा की मांग और दूसरी इस प्रकार की चीजें चल रही हैं। मैं आपकी जानकारी के लिये कहना चाहता

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

हूं कि अब वक्त आ गया है जब कि जो व्यक्ति आज पंजाब में शासन की कुर्सियों पर बैठे हुये हैं उनके बारे में भी आप कुछ सोचें। आपको यह सुन कर दुःख होगा कि अकाली आन्दोलन इसको प्रोत्साहन देने में उनका भी हाथ है और इस प्रकार की प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अगर आप राष्ट्र की तृतीय पंचवर्षीय योजना को जिसका आज यह परिणाम होने वाला है कि विदेशी मुद्रा से हम इतने दब जायेंगे कि अरबों रुपये ब्याज की शक्ल में देश को देने पड़ेंगे, सफल बनाना चाहते हैं तो इस ओर आपको ध्यान देना ही होगा। एक ओर हम इस भयंकर स्थिति में पग बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी ओर जो राष्ट्र की मशीनरी में फिट पुर्जे हैं जो हमारे शासनाधिकारी हैं वे इस प्रकार की विध्वंस की कार्रवाई करें, तो इसको किसी भी हालत में सहन नहीं किया जा सकता है। आपने ग्रेवाल के केस को सुना, उसने यह याचना की थी कि म चाहता हूं कि पंजाब से बाहर मेरे केस का निर्णय दिया जाए। इसी प्रकार मिस्टर कपूर का केस चल रहा है। कल परसों गुरदासपुर जिले के एक भूतपूर्व एम० एल० ए० का केस हुआ है। पंजाब की न्याय व्यवस्था बिल्कुल छिन्न भिन्न हो चुकी है। कल हमारे कांग्रेस के बैंच पर बैठे हुये मित्र ने कहा था और दबी हुई आवाज में कहा था कि जैसे असम की स्थिति का निरीक्षण करने के लिये संसद् सदस्यों का एक शिष्ट मंडल वहां भेजा गया है, वैसा ही एक शिष्ट मंडल पंजाब की स्थिति का अध्ययन करने के लिये भेजा जाना चाहिये। सभापति महोदय, मैं इसको बिल्कुल स्पष्ट भाषा में कहना चाहता हूं कि पंजाब जैसे सीमा प्रदेश की अगर आपने रक्षा करनी है, भारत के अन्न की दृष्टि से भी समृद्धशाली प्रान्त की स्थिति को अगर आपने ठीक बनाये रखना है तो प्रधान मंत्री जी के वक्तव्यों से या कुछ लेखों से वह काम नहीं हो सकता है, स्थिति को इससे सम्भाला नहीं जा सकता है। अगर पंजाब की स्थिति को सम्भालना है तो पंजाब के शासनतंत्र को भंग कर एक दम से यह अत्यन्त आवश्यक है कि वहां पर राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया जाए। अगर आप तृतीय पंचवर्षीय योजना को पंजाब जैसे समृद्धिशाली प्रान्त के अन्दर लागू करना चाहते हैं तो उसके लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि वहां राष्ट्रपति का शासन लागू हो।

यहां पर इस बात की चर्चा भी चल रही है कि हमारे देश में सहकारी प्रणाली को लागू किया जाये, चाहे वह व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे खेती के क्षेत्र में। मैं योजना मंत्री महोदय से नम्रता-पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि हम जब भी कोई योजना बनायें तो उस योजना को व्य वहारिक रूप देने में सारे देश को एक साथ परीक्षण की भट्टी में न झोंक दें। अच्छा हो कि उस योजना के लिये या तो कोई एक कमिशनरी को, या छोटे से जिले को या किसी एक प्रान्त विशेष को छांट लिया जाए और वह योजना अगर वहां सफल दिखाई दे तब देश के दूसरे भागों में लागू करें। कठिनाई कहां आती हैं, न्यूनता कहां उत्पन्न होती है ? कठिनाई तब पैदा होती है जब हमारे देश को एक साथ परीक्षण की भट्टी में झोंक देते हैं। उस दशा में दुर्बलतायें सामने आने लगती हैं और देश में वह चीज आलोचना और चर्चा का विषय बन जाती हैं। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की सहकारी प्रणाली के बारे में जो भी पग आप देशमें उठाना चाहते हैं उसके लिये पहले आप धीरे धीरे परीक्षण करें और फिर देश को उसकी व्यावहारिक उपयोगिता समझायें, तब उसके पश्चात् देश के दूसरे भागों में उसको लागू करें।

आज आपके पास जो पैसा आ रहा है देश से टैक्सों के रूप में या दूसरे रूप में, उसको आप टटोलें और देखें कि कहां से कितना पैसा राज्यकोष में आता है, नगरों से कितना आता है, कसबों से कितना आता है, गांवों से कितना आता है। नगरों और गांवों के लिए जब आप योजनायें

बनाते हैं तो ऐसा करते समय आप यह भी सोचें कि नगरों पर कितना खर्च करते हैं, गांवों पर कितना खर्च करते हैं। मैं इस चीज को और विस्तार के साथ यहां नहीं कहूंगा। अभी हमारे मित्र जो कांग्रेस बेंच पर बैठते हैं उन्होंने बड़े विस्तार से इस की चर्चा की। लेकिन फिर भी मैं इतना कहना चाहता हूं, उदाहरण के रूप में, कि हमारे बगल में दिल्ली से आगरा को जो सड़क जाती है, उस पर चार या पांच पुल बन रहे हैं। मेरा अनुमान है कि इन पुलों के निर्माण पर करोड़ों रुपये व्यय हो जायेंगे। इसी प्रकार का एक पुल गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी के ऊपर बन रहा है। यह मैं नहीं कहता कि पुलों की आवश्यकता नहीं है या यह पुल नहीं बनने चाहियें, मगर दिल्ली से आगरा तक जो चार या पांच पुल बनाये जा रहे हैं, वे केवल इस लिये कि जो व्यक्ति ताजमहल देखने के लिये आगरा जाता है उस को रेल के फाटक पर खड़े हो कर चार या पांच मिनट तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जब तक गाड़ी न पास हो जाय तब तक उन की कार वहां से आगे नहीं बढ़ सकती। अगर यहीं पाच पुल देश के उन पिछड़े भागों में बनाये जाते जहां से कि २०० मील का चक्कर लगा कर किसी दूसरे नगर में पहुंचना पड़ता है तो देश का अधिक लाभ होता। मैं यह बात इस दृष्टि से कह रहा हूं कि आज गांव के लोग इस बात को अनुभव करने लगे हैं, और बड़ी तीव्रता से अनुभव करने लगे हैं, कि हमारा पैसा, हमारी पसीने की गाढ़ी कमाई नगरों की उन्नति पर ही व्यय की जा रही है।

"आदानं हि विसर्गाय सतां वारिमुचामिव"

संस्कृत कवि का कहना है कि आप उन से लें, लेकिन फिर बादलों की तरह से उन्हीं को दें। आप अपने को थोड़ा टटोलिये। नगरों से कितना पैसा प्राप्त होता है। सड़कें बनती हैं, शहरों के लिए एक नगर से दूसरे नगर को मिलाया जाता है। भाग्यशाली हैं वे गांव जो उन पर पड़ जाते हैं, वे उन से लाभ उठाते हैं। लेकिन आप ने नागपुर सड़क योजना बनाई थी जिस में २० वर्षों के लिये इस प्रकार की योजना थी कि सन् १९८१ तक कोई गांव इस प्रकार का नहीं रहेगा देश में जो सड़क से चार मील से ज्यादा दूरी पर हो। इस प्रकार की स्थिति होगी। लेकिन असलियत क्या है? वह यह है कि आप की दूसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो कर हम तीसरी योजना के प्रारूप पर विचार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी को ही उस अंश में व्यावहारिक रूप नहीं मिल पाया है। भाग्यशाली हैं वे पहाड़ी क्षेत्र जिन्हें चीन के आक्रमण ने इस प्रकार का अवसर दिया कि वे विकास की स्थिति में धड़ाधड़ आ गये। इस दृष्टि से तो पहाड़ी क्षेत्रों को चीन वालों को धन्यवाद जरूर देना चाहिये, चाहे वह हिमाचल प्रदेश के पंडित जी हों या कोई और हों। पहाड़ी क्षेत्रों को बड़ा सुअवसर मिला विकास की दृष्टि से। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह भी देखिये कि आप की नाक के नीचे इस प्रकार के प्रदेश भी हैं जहां न रेल जाती है, न मोटर जाती है, न चिकित्सा की सुविधा है और न स्कूल हैं। अब योजना मंत्रालय योजनाओं को बनाते समय इन क्षेत्रों को अपनी आंख से ओझल न करे, इन गांवों को भी अपने ध्यान में रक्खे।

तीसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि आप जो यहां से किसानों को, गांवों म रहने वालों को उन्नति के लिये ऋण देते हैं, उस की व्यवस्था इतनी दोषपूर्ण है कि वह ऋण का रुपया उन के हाथों में पहुंचते पहुंचते बीच में ही रह जाता है क्योंकि वह कई हाथों से निकलता है। पहले सुपरवाइजर फिर आर्गेनाइजर, फिर इन्स्पेक्टर फिर बी० डी० ओ० और फिर एस० डी० ओ०, इस फौज के बीच में से हो कर जब पैसा निकलता है तो वह किसानों तक पहुंचते पहुंचते बहुत थोड़ा रह जाता है। मेरा अनुमान इस प्रकार का है कि यदि आप किसी प्रकार किसानों से सीधा सम्पर्क स्थापित करें तो उस से आप के उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ेगा और आप का पैसा किसानों को ठीक से पहुंचेगा।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

मैं अपनी चर्चा को समाप्ति की ओर ले जाते हुए अन्त में केवल एक बात कहना चाहता हूं। आप ने इस योजना के प्रारूप के पहले पृष्ठ पर लिखा है कि हमारा आदर्श समाजवादी समाज की रचना करना है। समाजवादी समाज से हमारा अभिप्राय यह है कि जिन की स्थिति बहुत निम्न है उन की स्थिति को थोड़ा ऊपर उठायें और जो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गये हैं उन के ऊपर थोड़ा ब्रेक लगायें, थोड़ी रोक लगायें ताकि मध्यम श्रेणी के समाज का विकास हो सके। लेकिन आप क्षमा करेंगे मुझे इन शब्दों को कहने के लिये कि हमारे देश में दो पंचवर्षीय योजनाओं के समाप्त होने के पश्चात् भी सब से अधिक कठिन स्थिति में अगर कोई है तो मध्यम वर्ग है, चाहे वह मध्यम वर्ग का अध्यापक हो, चाहे मध्यम वर्ग का मजदूर हो, चाहे मध्यम वर्ग का किसान हो। और याद रखिये,समाजों में जब जब क्रान्तियां हुई हैं तो वे मध्यम वर्ग द्वारा ही हुई हैं क्योंकि मध्यम वर्ग ही देश का बुद्धिजीवी वर्ग होता है। जो हमारे देश का मध्यम वर्ग है वह आज कठिन स्थिति से निकल रहा है। आज जब हम समाजवादी समाज का नारा लगा रहे हैं, उसकी घोषणा कर रहे हैं तब इस वर्ग की उपेक्षा हमें नहीं करनी होगी। प्रधान मंत्री जी ने अपने उस दिन के भाषण में, जो कि वे नागा प्रदेश के बारे में दे रहे थे, अपना हृदय खोल कर रख दिया। उन्होंने कहा कि हम चाहते नहीं थे लेकिन हम क्या करें, बहुत सी टीम टास में हम फंस गये। मुझ को प्रसन्नता है कि हमारे देश के प्रधान मंत्री न केवल अपनी दुर्बलताओं को अनुभव करते हैं बल्कि उन को खुल रूप में प्रकट भी करते हैं कि वे उन को नहीं चाहते थे। आखिर हम क्या चाहते थे। कहां हैं वह गांधी जी का आदर्श कि स्वतंत्र भारत में मिनिस्टर किस प्रकार के स्थानों में रहेंगे, कितना वेतन लेंगे? वे शब्द आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उन को दोहराने की आवश्यकता नहीं। परन्तु हम चाहते हैं कि आज देश पर जो करोड़ों रुपयों का बोझ पड़ा हुआ है, उस की ओर ध्यान दिया जाय। ऐसे प्रदेश क्या भारत में नहीं हैं जहां पर असेम्बलियों के साथ कौंसिलें भी हैं। वहाँ आज क्या होता है? आप यह भी जानते हैं कि हमारे देश में इस प्रकार के प्रदेश भी हैं जहां कौंसिलें नहीं हैं। क्या उन प्रदेशों में स्थितियां ठीक से नहीं चल रही हैं? तो फिर कौंसिलों का बोझ इस निर्धन भारत के कन्धों पर जबर्दस्ती क्यों लादा जा रहा है? अगर भारत के प्रधान मंत्री जी महसूस करते हैं तो इसको मैं चाहता हूं कि जब हम तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर विचार करने जा रहे हैं, उस समय इस भारी बोझ को राष्ट्र के कंधों से उतारा जाय ताकि देश कुछ राहत महसूस कर सके और सुख की सांस ले सके। परमात्मा कृपा करें, आप ने जो इस योजना का प्रारूप बनाया है उस में आप को सफलता प्राप्त हो और आप देश को आगे उन्नति की ओर ले जा सकें।

श्री पद्म देव (चम्बा): सभापति जी, तृतीय पंचवर्षीय योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा के ऊपर भिन्न भिन्न विचार धाराओं ने और भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने अपने विचारों के अनुकूल यहां पर विवेचना की है। जिस जिस रूप में जिस ने देखा, किसी ने इस को रूस की योजना बतलाई, किसी ने अमरीका के नीचे दबी हुई योजना बतलाई, किसी ने कहा कि दस वर्षों में जो काम हुआ है उस से हम नीचे गये हैं, ऊपर नहीं बढ़े हैं, किसी ने कहा कि यह जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं वह मुल्क को आगे ले जा कर खराब करेंगी, इस तरीके से यहां पर अनेक प्रकार के विचारों का प्रदर्शन किया है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि छिन्द्रान्वेषण के विचार से अगर कोई चीज देखी जाय तो और बात जितनी झाड़ देते जाओ, कुछ न कुछ कूड़ा निकलता ही है। जितना वस्त्र को धोया जाय, कुछ न कुछ मैल निकलता ही है। अगर किसी चीज को इस रूप में देखा जाय तो हमेशा नुक्स ही नक्स नजर आयेंगे। योजना तो आगे जायेगी लेकिन इतना खतरा जरूर है कि नुक्स देखने

वाले कहीं नुक्स देखते देखते अपने ऊपर ही भ्रम न करने लगें। उन को यह अवश्यमेव अनुभव करना चाहिये।

मैं समझता हूं कि इस समय जो योजना हमारे सामने रक्खी गई है वह पूर्ण दूरदर्शिता के साथ और सारे साधनों को देखने के पश्चात् रक्खी गई है। पहले क्या हुआ, इस वक्त हमारे पास क्या है, कैसी चीजें उपलब्ध हो सकती हैं, उस के मुताबिक ही यह योजना हमारे सम्मुख रक्खी गई है। आखिर, जो हमारा लक्ष्य है वह है समाजवादी समाज और राष्ट्र का निर्माण, वह है :

"भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदा तपोदीक्षामुपनिषेदुरग्रे।
ततो राष्ट्रं बलमोजश्चजातं तदस्मयिदेवा उपसन्नमन्तु॥"

वह है कि इस देश के अन्दर अच्छे आदमी, त्यागी, तपस्वी, निष्पक्षी हों जिन के अन्दर किसी किस्म का लोभ न हो, जो किसी का पक्ष न करें, जिन की आंखों में केवल देश हो, देश के अलावा कोई चीज न हो। ऐसे लोग ही राष्ट्र का निर्माण करते हैं और उस राष्ट्र के इर्द गिर्द सारे देश के लोग इकट्ठे हो कर यह कहते हैं :

"माता भूमि पुत्रोऽहं पृथव्यः"

हे माता भूमि, हम तेरे पुत्र हैं, तू हमारी माता है।

"वयम् तुभ्यं बलिहृतास्याम"

हम तुम्हारे लिये केवल अपना बलिदान ले कर आये हैं। इस प्रकार का राष्ट्र हो जिस में न आर्थिक विषमता हो न सामाजिक विषमता हो, जिस के अन्दर न ही विद्या सम्बन्धी विषमता रहे, जिस के अन्दर राजनीतिक, सामाजिक, किसी किस्म की विषमता न रहे। जहां :

"समानोमंत्रः समिति समाचि समानोप्रपः सहवोअन्नभागः"

अर्थात् एक तरह का मंत्र एक तरह की सभा, एक तरह का खाना, एक तरह का पीना हो। इस तरह का समाज हो। यह है हमारे देश का आदर्श। ऐसे समाज को बनाने के लिये यह देश जा रहा है और इसके लिये हमारे आयोजना आयोग ने जो साधन रक्खे हैं, उसके अन्दर जितना विचार का दर्शन है, उसमें वह अत्यन्त सूक्ष्मता की तरफ गये हैं और देश में हर एक चीज़ कहां से मिल सकती है, इन सब बातों को विचार के बाद ही यह योजना हमारे सामने रक्खी है। इसमें सबसे बड़ा जो धन है, जो सबसे बड़ी दौलत और सम्पत्ति है वह यहां की जनता को बतलाया गया है जिससे कि हम अपनी योजना को कामयाब कर सकते हैं। यह एक स्वप्न ही नहीं बल्कि पिछली दो पंचवर्षीय योजनायें इस बात की साक्षी हैं कि हमने जो भी योजना बनाई है उसमें हमें कितनी कामयाबी मिली है।

इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारी त्रुटियां रहती हैं, कमियां रहती हैं, लेकिन अगर हम केवल कमियों को ही देखते चले जायें तो हमें कमियां ही कमियां नजर आयेंगी। लेकिन कमी और क्या हुआ, इन दोनों को देखते हुए कौनसी चीज की कमी रही है, इसको सब लोगों को मिल कर समझना होगा। तो मेरा ख्याल है कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वह हमारे सामने स्वप्न नहीं है बल्कि एक वास्तविकता है। इसके पांच बड़े लक्ष्य बताए हैं।

पहली बात तो यह बतायी है कि राष्ट्रीय आय को ५ प्रतिशत वार्षिक बढ़ाया जाएगा। यह बड़े शर्म की बात है कि हमारे देश में ८५ फीसदी लोग खेती करने वाले हैं और फिर भी हम हमेशा भूखे रहते हैं। दूसरे देशों के आगे उधार अन्न लेने के लिये जाते हैं। तो सबसे पहली चीज इसमें यह रखी

[श्री पद्म देव]

है कि हम खाद्य वस्तुओं में आत्म-निर्भरता प्राप्त करेंगे । इसके लिये जमीन, खाद, ऐनीमल हसबेंडरी और सब बातों पर विचार करके रुपया रखा गया है । इसमें जो सहकारी खेती का विचार प्रकट किया गया है वह उपयुक्त है । मैं तो समझता हूं कि जब तक विनोबा जी के ग्राम दान की तरफ हम नहीं आयेंगे जिसमें भूमि पर किसी का अधिकार न हो, जो भूमि पर काम करे उसी की भूमि मानी जाए और उसी को भूमि मिले, जब तक हम इस सिद्धान्त पर नहीं आते तब तक हमारी समस्या हल नहीं हो सकती । आपने सीलिंग की है, लेकिन वह इसका इलाज नहीं है । आप आज सीलिंग करते हैं और पांच भाई हैं तो आगे उनके हिस्से में तीन तीन एकड़ भूमि आएगी । तो यह इलाज नहीं हुआ । लेकिन जो इस वक्त सम्भव था कर दिया गया ।

इसके अन्दर मुझे एक चीज दीखती है । हिमाचल में सीलिंग उस जमीन की की है जिसका वार्षिक मालिया १२५ रुपया हो । लेकिन उसमें शर्त यह है कि जो जमीन पर काबिज है उसको निकाला नहीं जाएगा । लेकिन दूसरी जगहों जो यह तीस एकड़ का सीलिंग का कानून है उसमें यह है कि अगर इस तीस एकड़ में कोई मजारा होगा तो उसको निकाल दिया जाएगा । इसका परिणाम यह होगा कि बहुत से लोग जमीन से निकाल दिये जायेंगे और उनको कष्ट होगा । लेकिन जो इस सम्बन्ध में विचार किया गया है, मैं समझता हूं बहुत अच्छा विचार किया गया है ।

तीसरी चीज इस योजना में है मौलिक उद्योग । इस विषय पर सदन में भी बहुत ध्यान दिया गया है और बहुत बातें कही गयी हैं । हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि जो बेसिक इण्डस्ट्रीज हैं वह तो पहली योजना में ही होनी चाहिये थीं । हम पांच साल पीछे पड़ गए । दूसरी योजना में बेसिक उद्योगों के लिये पैसा रखा गया है और वह तैयार हो गए हैं और तैयार हो रहे हैं और दस वर्ष के भीतर उनसे पूरा लाभ उठाया जाने लगेगा । और उसका परिणाम यह होगा कि हमारे देश का बना सामान भी दूसरे देशों के बाजारों में बिकने लगेगा और इस प्रकार देश की दौलत बढ़ेगी । हम पहले देखते थे कि जो भी सामान यहां मिलता था उसपर लिखा रहता था—मेड इन जरमनी—मेड इन अमरीका—मेड इन इंग्लैण्ड—आदि । हमारे देश में उद्योगों का विकास होगा, तो एक दिन ऐसा आ सकता है कि मेड इन इण्डिया माल दूसरे देशों के बाजारों में बिके और हमारे देश की दौलत बढ़े । तो इस तरह की जो चीजें इस योजना में रखी गयी हैं वे प्रशंसनीय हैं ।

चौथी चीज इसमें रखी गयी है जनशक्ति के उपयोग के बारे में । कुछ लोगों को प्रशासन के अन्दर, कुछ को उद्योग धंधों के अन्दर, कुछ को कृषि में, कुछ को निर्माण कार्यों में लगाया जाएगा । इस प्रकार सरकार ने निर्णय किया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में डेढ़ करोड़ आदमियों को रोजगार दिया जाएगा । एक लाख आदमी हम कारीगर तैयार करेंगे । तो ये बहुत आशाजनक बातें इसके अन्दर हैं ।

पांचवीं बात जो है वह आर्थिक विषमता को मिटाने की है । उसमें सबसे पहली चीज तो प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर में आने की बात है जिससे कि एक व्यक्ति के हाथ में दौलत एकत्र के न हो जाए । जागीरदारी से सहकारिता की ओर आने का भी विचार है । जो भूमि जागीदारों के पास थी वह सहकारी खेती के लिये दी जाए, चाहे जागीरदारी को खत्म करें उन जमीनों को उपलब्ध किया जाए । मैं समझता हूं कि यह बहुत उयोगी बात है । इसी तरह से व्यापार के बारे में भी यह विचार है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज द्वारा व्यापारों को चलाया जाए । यह भी विचार है कि प्रशासन में किन्हीं लोगों की मानोपली न होने पाए । जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिये नौकरियों में रिजर्वेशन किया

गया है । इसी तरह से उन लोगों के लिये संसद् और दूसरी निर्वाचन संस्थाओं में प्रतिनिधित्व रखा गया है जो इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि चुनाव वगैरह लड़ सकें ।

तो मैं समझता हूं कि इसके अन्दर जो ये पांच बातें रखी गयी हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं ।

लेकिन एक सवाल है, सभापति जी । पहली पंचवर्षीय योजना बनी, दूसरी बनी और अब तीसरी बन रही है । इन योजनाओं में कामयाबी भी हुई । मैं यह नहीं कह सकता, जैसा कि कुछ और सदस्यों ने कहा है कि इधर कुछ नहीं हुआ बिल्कुल निराशा ही दिखायी देती है । मैं यह नहीं मानता लेकिन मैं यह कहता हूं कि जितना रुपया खर्च किया गया उसके अनुपात में जितनी कामयाबी होनी चाहिये थी वह नहीं हुई । इसका एक बड़ा कारण है । सबसे पहले योजना बनना चाहिये थी शिक्षा में क्रान्तिकारी परिवर्तन करने की । शिक्षा के अन्दर क्रान्ति होनी चाहिये थी जिससे कि जो लोग शिक्षित होकर निकलते वह यह कहते :

वयम् तुभ्यं वलिहृतास्याम्

मातृभूमि तुझ को अपना बलिदान देने के लिये तैयार हूं । लेकिन आज तो यहां पोजीशन और पौजैशन, अर्थात् जैसे और पद के लिये संघर्ष चल रहा है । इसी के लिये आज सारी कोशिशें हो रही हैं । और आज हालत यह है कि आज मेरे लिए देश के मुकाबले में मेरा प्रान्त बड़ा है, प्रान्त के मुकाबले में मेरा जिला बड़ा, और जिले के मुकाबले में मेरी तहसील बड़ी है, तहसील के मुकाबले में मेरा गांव बड़ा है और गांव के मुकाबले में मेरा घर बड़ा है । आज जगह-जगह अलग प्रान्त बनाने की बात कही जाती है, भाषा के लिहाज से प्रान्त, जाति पांत के लिहाज से प्रान्त बनाने की कोशिश की जाती है । सन् १९४७ के पहले जो भावना हमारे मन में थी, उस समय जो सरकारी नौकर थे वे यह भावना रखते थे कि हमारा देश स्वतन्त्र हो और एक हो, आज वह भावना खत्म हो गयी है क्योंकि शिक्षा के अन्दर क्रान्ति नहीं लायी गयी । हमारे यहां हिमाचल में जहां आजादी से पहले तीन सौ छोटे-मोटे स्कूल थे वहां आज १२०० से ज्यादा प्राइमरी स्कूल हैं, ८० से ज्यादा हाई स्कूल हैं, दो सौ से ज्यादा मिडिल स्कूल हैं, ६ कालिज हैं और दो संस्कृत कालिज हैं । लेकिन क्या पढ़ने के बाद उनके दिमाग में यह ख्याल पैदा होता है कि हम को देश के लिये जीना है, देश के लिये रहना है ? इसके विपरीत आज हर एक पोजीशन और पजेशन की लड़ाई में फंसा हुआ है, रात दिन यही चिन्ता है यही फिक्र है । यह कोई एक जगह की बात नहीं है, सारे देश के अन्दर यही हो रहा है ।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारे देश के नेताओं का बड़ा उच्च चरित्र है और उन पर लोगों को बड़ा विश्वास है । जब वह बाहर जाते हैं तो उनको बहुत सा रुपया मिल जाता है । मैं समझता हूं कि भगवान ने हमको पंडित नेहरू के रूप में एक बड़ा लीडर दिया है । शुरू से ही नेता पैदा हुए और नेता होकर रह रहे हैं, हिन्दुस्तान के ही नहीं दूसरे देशों के भी । लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है और मैं चाहता हूं कि मेरी यह बात पंडित जी तक पहुंचे, कि पंडित जी ने अपनी दयालुता से और अपनी कृपालुता से लोगों के हाथ छोटे कर दिये हैं और जीभें बड़ी कर दी हैं । बोलने में वे सबसे आगे और सबसे ज्यादा, लेकिन जब वक्त कर्म का आएगा तो कुछ नहीं । यह बात नहीं है

कृतम् मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्यआहिता

यह भावना होनी चाहिए थी कि मुझे तो कर्म करना है, चाहे वह गीता हो, या उपनिषद् हो, चाहे इस देश की परम्परा हो । लेकिन आज यह चीज नहीं है । आज तो सिर्फ यह चिन्ता है कि पैसा कैसे बने । सरकारी कर्मचारी बुरा न मानें । उनके ऊपर माता पिता और राष्ट्र पैसा खर्च करता है फिर भी उनके दिल में अपने कर्तव्य की भावना पैदा नहीं होती । सब को पैसा बनाने की फिक्र है ।

[श्री पद्म देव]

आज हालत यह है कि कोई काम शुरू नहीं होने पाता, कोई इरादा नहीं बनने पाता कि चारों तरफ से यूनियनें बननी शुरू हो जाती हैं, चाहे वे कम्युनिस्टों की हों, चाहे कांग्रेस की हों, चाहे जनसंघ की हों। यह भी एक रोजगार का जरिया बन गया है। इसके ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

तो मेरा पंडित जी से निवेदन है कि ये जो लोगों की जीभें बड़ी हो गयी हैं और हाथ छोटे हो गये हैं, इस स्थिति को बदलना चाहिये और हाथों को बड़ा करना चाहिये और जीभों को छोटा करना चाहिये। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक देश आहिस्ता-आहिस्ता लंगड़ा होता चला जाएगा।

मैंने देखा है कि ऋण दिये जाते हैं बगीचों के लिये, सहकारी खेती के लिये, पर भगवान जाने वे कहां चले जाते हैं। लोग किसी काम के लिये लोन लेते हैं और किसी और काम पर खर्च करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि जब तक शिक्षा के द्वारा क्रान्ति नहीं आती तब तक देश में राष्ट्रीय भावना पैदा नहीं हो सकती। आज हालत यह है कि एक तरफ तो चीन धधक रहा है और दूसरी तरफ मैंने परसों सुना---जालिम सरकार को मिटा के छोड़ेंगे। क्या आज भी जालिम सरकार है? अंग्रेजों के राज में तो हम इस नारे को समझ सकते थे कि—नहीं छडनी नहीं छडनी सरकार जालिम नहीं छडनी। लेकिन जब आज अपना राज्य हो गया है तब भी यह---सरकार जालिम नहीं छडनी---किस लिये कहा जा रहा है। पता नहीं कि सरकार क्या जुल्म कर रही है। शायद उसका यही जुल्म है कि वह उनकी बात को नहीं मानती और जो वह बाल लीला कर रहे हैं उस को नहीं मानती। इसलिए सभापति जी, मेरा निवेदन है कि शिक्षा में क्रान्ति लाना है और उसमें देश भक्ति की भावना भरनी है।

एक बात और। यह शासन हम को चुपचाप मिला, खोपड़ा तोड़ कर नहीं मिला। अगर खोपड़ी तोड़ कर मिलता, तो शायद हमारी विचार-धारा कुछ और होती। पुराना नौकरशाही ढांचा पुरानी बातें, सब की सब चालू हैं। उसका परिणाम यह है कि जब हम दफ़्तरों में जवानों को कहते हैं कि "तुम इतने जवान हो, काम क्यों नहीं करते?" तो जवाब मिलता है कि "इतना ही पैसा मिलता है, उसके मुताबिक काम करते हैं। साढ़े दस बजे आए हैं।" बदकिस्मती से मैं भी मिनिस्टर रहा। मैं ठीक दस बजे दफ्तर जाकर कभी कभी दफ्तर में एक चक्कर लगा लेता था। कोई दस बजे आता था, कोई ग्यारह बजे आता था और कोई किसी वक्त आता था। अगर पूछा जाता कि "कहां रहे", तो जवाब मिलता कि "वहां यह हो गया, वह हो गया", वगैरह वगैरह। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकारी मुलाजिम, सरकारी कर्मचारी, सरकार तो यही हैं। मिनिस्टर तो आते और जाते रहते हैं बदलते रहते हैं। अभी पिछले दिनों मुल्क में हड़ताल की बड़ी भारी तैयारी की गई। लोग कहते हैं कि वह चेतावनी के लिये था। मैं कहता हूं कि चेतावनी के लिये नहीं था, बल्कि अगर किसी गवर्नमेंट को खत्म करना हो, तो एक ही रास्ता है कि वहां की कम्यूनिकेशन्ज़ को बन्द कर दिया जाये। कम्यूनिकेशन्ज़ बन्द हो जायें, रेल, कार सब बन्द हो जायें, कहीं लड़ाई झगड़ा हो, तो कुछ न हो सके। मैंने कहा कि वह तो यह था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू यहां नहीं, किसी और जगह होते बैठे हुए, या बिठाए हुए। इसलिये सरकारी मशीनरी को नया रूप देना पड़ेगा, उसके नए रूल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यह नया राज है, समाजवादी राज है। पहले कानून का राज था, ला एण्ड आर्डर का राज था। उस वक्त ठीक मशीनरी थी। लेकिन आज तो ला एण्ड आर्डर का सवाल नहीं है। आज तो खेत में जाना है, स्वयंसेवक बन कर जाना है।

पिछड़े इलाकों के सम्बन्ध में रुपया तो बहुत खर्च किया जाता है, लेकिन इन दस वर्षों में हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके में एक फुट भी रेल नहीं ले जाई गई है। जिस वक्त हम कहते हैं कि वहां खानें हैं, लोहा है, नमक है, दूसरी चीजें हैं, तो कहा जाता है कि वह सस्ता नहीं पड़ता है। मैं यह कहना चाहता

हूं कि अगर सरकार मुल्क का विकास करना चाहती है और लोगों को रोटी देना चाहती है,तो उसको सारी चीज़ों को बनिये के तराजू से नहीं तोलना चाहिये,बल्कि यह सोचना चाहिये कि अगर लोहा मिलता है, तो उसके साथ-साथ लोगों को रोज़गार भी मिलता है ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : हम से अनेक लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि ईश्वर न करे यह तीसरी योजना कहीं असफल न हो जाय । संसाधनों का अनुमान ही गलत नहीं लगाया गया बल्कि योजना बनाने वाले अत्यधिक आशावदी प्रतीत होते हैं । लगता है योजना आयोग ने साधनों का विचार किये बिना उन परियोजनाओं को इस में रख दिया है जिन की देश को आवश्यकता है ।

योजना आयोग का अनुमान है कि वर्तमान करों के आधार पर प्राप्त होने वाले राजस्व के शेष से हमें ३५० करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी परन्तु मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि जब हर राज्य घाटे का बजट बना रहा है यह प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती । जहां तक रेलवे से १५० करोड़ रुपये की प्राप्ति का प्रश्न है उसमें शायद इन्हें सफलता मिले क्योंकि सरकार रेलों का किराया बढ़ाना चाहती है ।

इसके अलावा सरकार का अनुमान है कि ३०० करोड़ रुपये के लाभ की एक रकम उन्हें सरकारी क्षेत्र के विभिन्न कारखानों के लाभ की राशि से प्राप्त होगी । यह बात भी हमें सारहीन प्रतीत होती है । अभी तक हमें यही पता नहीं है कि सरकारी क्षेत्र में एक टन इस्पात के निर्माण पर कितनी लागत आती है । इस तरह की हालत में हम लाभ का अनुमान कैसे लगा सकते हैं । इसी तरह से जो अनुमान राज्य बिजली बोर्डों से लगाये गये हैं वे भी गलत हैं ।

योजना आयोग का विचार है कि राज्य परिवहन उपक्रमों से १४० करोड़ रुपये की आय होगी परन्तु अपने बम्बई के अनुभव से मैं यह कह सकता हूं कि इतनी रकम हमें इन से भी नहीं मिल सकती ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से होने वाली आय की बात सुनकर अनेक महत्वपूर्ण बातें दिमाग में आती हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इन उपक्रमों में बनी चीजों को इतना महंगा बेचेगी कि अधिक लाभ होता रहे । इस तरह की बातें सहन नहीं की जा सकतीं । सरकार अपनी चीजों के मनचाहे दाम नहीं ले सकती ।

जनता से रुपया उधार लेने का जो अनुमान लगाया गया है वह भी तनिक ज्यादा है । योजना निर्माता शायद यही समझते हैं कि सरकार की साख जनता में अच्छी है और उन्हें पूरा ऋण प्राप्त हो सकता है परन्तु ऐसी बात नहीं है । सरकार से तो गैर-सरकारी क्षेत्र की साख कहीं अधिक अच्छी है ।

जहां तक इस्पात समीकरण निधि की रक्षित रकम की प्राप्ति का सम्बन्ध है मैं इसे एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर मानता हूं । अन्तर केवल इतना है कि इस कर को लगाते समय इस सभा से परामर्श नहीं किया गया ।

इस के बाद अतिरिक्त कराधान का संबंध है । १६५० करोड़ रुपये के करों मे से ११०० करोड़ रुपये केन्द्र को उगाहने होंगे । अतः केन्द्र को २२० करोड़ रुपया प्रति वर्ष कर के रूप में

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नौशीर भरूचा]

प्राप्त करना होगा । योजना आयोग का कहना है कि प्रत्यक्ष करों की अधिक गुंजायश नहीं है । इसलिये यह साधन कैसे प्राप्त किये जायेंगे । राज्यों से अधिक राजस्व की आशा करना भी उचित नहीं है ।

सरकार को आशा है कि हमें २२०० करोड़ रुपये की वैदेशिक सहायता मिल जायेगी; परन्तु इस बारे में भी हमें इतना आशावादी न होना चाहिए । चलो फिर भी हमें आशा करनी चाहिए कि हमारे भिक्षा-पात्र में कुछ तो डलेगा ही ।

मैं समझता हूं कि योजना आयोग ने विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को कम आंका है । हमारे पास इस समय विदेशी मुद्रा का पूर्ण अभाव है । बिना स्टर्लिंग होते हुए भी हम ने ३२०० करोड़ रुपये तक का कार्यक्रम बना लिया है । दूसरी योजना की समाप्ति पर भुगतान संतुलन की स्थिति के कारण आप को ५०० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की कमी रहेगी । पब्लिक लॉ ४८० के अधीन सहायता लाने के लिए हमें ६०० करोड़ रुपये तक की अधिक विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ेगी । यह आवश्यकता योजना के पहले वर्षों में ही पड़ेगी परन्तु यह कोई नहीं जानता कि इसकी प्राप्ति कहां से होगी । विदेशी मुद्रा सम्बन्धी हमारी तकलीफ अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी रूप से चलेगी ।

दूसरी योजना की अवधि में सरकार ने १२०० करोड़ रुपये तक के घाटे की बजट-व्यवस्था की थी; परन्तु हमें यह न समझ लेना चाहिए कि ऐसी व्यवस्था इतनी ही थी । राजकोषीय हुंडियों के रूप में भी तो ऐसी व्यवस्था हुई है । इसका भी असर पड़ा है । पिछली योजना की अवधि में मूल्यों में भी २० प्रतिशत की वृद्धि हुई है । यदि सरकार ठोस नीति अपनाकर भी कीमतों पर काबू रखे तो भी आगामी योजना के दौरान २०% और अधिक वृद्धि मूल्यों में हो ही जायेगी । उसका असर यह होगा कि संसाधनों में २००० करोड़ रुपये की कमी हो जायगी । इस से रुपये की स्थिति चिन्ताजनक बनेगी ।

इस योजना में मूल्यों की वृद्धि के लिए कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं की गयी है । यदि हमारा बजट १०,००० करोड़ रुपये का हो तो हमें १२,००० करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी चाहिए । साथ ही योजना में निहित ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे मुद्रास्फीति रुके । जनसंख्या की वृद्धि का असर भी ठीक से नहीं आंका गया है । जनसंख्या बढ़ने से रोजगार की समस्या भयंकर बन जायगी । आगामी पांच वर्षों में १ करोड़ ६० लाख लोगों के लिये रोजगार की जरूरत होगी जब योजना मे केवल १३५ लाख लोगों के लिए व्यवस्था होने की आशा है ।

प्रशासनिक व्यय कम करने तथा रुपये के दुरुपयोग की रोकथाम करने के कोई भी तरीके नहीं निकाले गये हैं । इस्पात कारखानों में ही काफी रुपया व्यर्थ गया है । इसके अलावा योजना में यह भी नहीं कहा गया कि जनता पूंजी का निर्माण कैसे करेगी और न इसके लिए कोई प्रभावपूर्ण कार्यवाही का सुझाव दिया गया है ।

अन्त में मैं सुझाव देता हूं कि हमें समस्त व्यय ४२०० करोड़ रुपये तक करना चाहिए और चौथे इस्पात कारखाने की बात समाप्त कर देनी चाहिए; १०० लाख किलोवाट तक ही बिजली पैदा की जाये तथा सिंचाई का लक्ष्य भी घटा दिया जाय। प्रतिरक्षा व्यय के बारे में तो सभा को कभी कुछ पता ही नहीं चलता। अभी भारत ने एक विमानवाहक २५ या २६ करोड़ रुपये में खरीदा था परन्तु किसी ने यह नहीं बताया कि यह क्यों खरीदा गया। इस कारण मैं यह कहूंगा कि हमें अपने साधनों के अनुसार योजना का निर्माण करना चाहिए।

श्री हेम राज (कांगड़ा) : सभापति महोदय, पेश्तर इसके कि मैं अपने विचार थर्ड फ़ाइव यीअर प्लान की ड्राफ्ट आउटलाइन पर रखूं, मुझ से कुछ पहले मेरे एक माननीय मित्र ने पंजाब के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं उन के बारे में कुछ शब्द कह देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि इस योजना के रास्ते में अगर कोई सब से बड़ी रुकावट है, तो वह साम्प्रदायिकता की भावना है। इस साम्प्रदायिकता की भावना के कारण बजाये इसके कि मुल्क की जो ताकत है, वह मुल्क के डेवेलपमेंट में लगे, उस को आगे ले जाने में लगे, वह आपस के झगड़ों में चली जाती है। मुझ से पहले एक वक्ता ने कहा कि पंजाब की दशा बुरी है। मैं अभी अखबार में पढ़ रहा था कि तारासिंह जी के मुतालिक एक हेबियस-कार्पस की पेटीशन हाई कोर्ट में दी गई, जिस में एक वजह यह दी गई कि चूंकि हिन्दू साम्प्रदायिक तत्व मुझ को और पंजाबी सूबे की मेरी मांग को साम्प्रदायिक कहते हैं, इसलिए पंजाब गवर्नमेंट मे मुझे गिरफ्तार कर लिया है। इस के मुकाबले में कुछ अरसा पहले मुझ से पहले जो वक्ता बोले, उन की कुछ संस्थायें थीं, जिन के आदमी गिरफ्तार हो कर जेलों में थे, तो वे कहती थीं कि अकाली साम्प्रदायिक लोग हैं, ये अन्दर रहने चाहिएं। इस साम्प्रदायिक भावना ने आज तक पंजाब को आगे नहीं बढ़ने दिया। मैं समझता हूं कि पंजाब सरकार ने इस बारे में बावक्त कदम उठाया है और उस ने पंजाब में मौजूद दोनों साम्प्रदायिक भावनाओं को दबाया हुआ है और अगर वह इन को दबा कर रखेगी, तो उसी सूरत में वह पंजाब को आगे ले जा सकेगी—और कोई सूरत नहीं है कि पंजाब को आगे ले जाया जा सके। यह जो विचार व्यक्त किये गये हैं कि पंजाब सरकार ने कोई ऐसे कदम उठाये हैं, जिन से कि पंजाब को नुकसान पहुंचा है, वे गलत हैं। बल्कि पंजाब सरकार ने तो बावक्त मौका सम्भाल लिया है, जिस के ज़रिये उस ने साम्प्रदायिकता की भावना को, चाहे वह हिन्दू साम्प्रदायिकता हो, चाहे अकाली साम्प्रदायिक भावना हो, कुचल कर रख दिया है, ताकि पंजाब के भविष्य का निर्माण किया जा सके।

अब मैं योजना आयोग को बधाई देना चाहता हूं कि उस की देख-रेख में भारतवर्ष ने इन दो पांचसाला प्लान्ज़ में काफ़ी से ज्यादा तरक्की की है और काफ़ी से ज्यादा आगे बढ़ा है और आज वह इस पोज़ीशन में है कि हैवी इंडस्ट्रीज़ के मामले में हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गये हैं, कि, जैसा कि हमारे माननीय नेता, श्री जवाहरलाल ने हरू ने कहा है, हमारी बेसिक इंडस्ट्री की बुनियादें इतनी मज़बूत हो गई हैं कि उस से आगे बढ़ कर हम बाहर के मुल्कों से अपने देश को मुक्त कर सकते हैं और जितनी भी हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, हम उन को खुद बना सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह सारा काम नहीं हो सकता था, अगर प्लानिंग कमीशन सारे डिपार्टमेंट्स की देख-रेख कर के एक खास प्लानिंग कर के देश को आगे न ले जाता। इस के लिए वे लोग बधाई के पात्र हैं।

लेकिन इस बारे में मैं देखता हूं कि प्लानिंग कमीशन ने शुरू से ही यह ध्येय रखा कि यहां की जो ८२ फ़ीसदी के करीब देहाती आबादी है, जिस वक्त तक उस का स्तर ऊंचा नहीं उठाया जायेगा,

[श्री हेम राज]

तब तक इस देश की असली रूप में तरक्की नहीं हो सकती है । इस बात को मानना पड़ेगा कि जिस समय तक उस देहाती आबादी में कोई भावना, चेतना, जोश पैदा नहीं होता, तब तक हमारी प्लानिंग लंगड़ी सी रहेगी । इसलिये मैं समझता हूं कि मैं प्लानिंग कमीशन का ध्यान इस तरफ दिलाऊं कि हालांकि शुरू में उन्होंने कहा कि विलेज प्लानिंग किया जाये, लेकिन आज तक वह विलेज प्लानिंग कार्यान्वित नहीं हुआ है । विलेज प्लानिंग हमारी प्लान में मौजूद है । वह हमारी द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में मौजूद है । लेकिन जहां तक विलेज प्लान का ताल्लुक है गांव में, वहां तक वह प्लानिंग नहीं हो पाया है । फ़िगर्ज़ के मुताबिक हम देखते हैं कि हम आत्म-निर्भर हो जायें, लेकिन जहां तक खेती का, फूड ग्रेन्ज़ का सवाल है, जितना हम आगे बढ़ते हैं, हम रोज़ाना देखते हैं कि हम आत्म-निर्भर नहीं हो पाये हैं,बल्कि घाटा ही घाटा है और हम को बाहर से अनाज मंगाना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि अगर हमारा विलेज प्लानिंग शुरू से ही दुरुस्त हो जाता, तो आज ये रांग फ़िगर्ज़ हमारे पास नहीं होतीं और हम को यह पता होता कि हर एक गांव में हमारी पैदावार कितनी कितनी बढ़ी है । लेकिन हमारे प्लानिंग में जितने भी फ़िगर्ज़ हैं, चाहे वे सैम्पल सरवे के हों, या कोई दूसरे हों,वे सब काग़ज़ाती चलते हैं और उनसे पता चलता है कि हमारे यहां लाखों टन अनाज हो गया, लेकिन वे फ़िगर्ज़ किस हद तक दुरुस्त हैं, यह मैं नहीं कह सकता, क्योंकि असली रूप हमारे सामने नहीं आता है । अगर असली रूप में विलेज प्लानिंग किया जाता, तो उस का नतीजा यह होता कि १९५२ में, या १९५३ में विलेज-वार, फ़सलवार कितनी पैदावार हुई, यह हम को मालूम हो जाता और हमारे ये आंकड़े ठीक होते । लेकिन आज तक विलेज प्लानिंग नहीं हुआ । इसलिये मैं प्लानिंग कमीशन से यह प्रार्थना करूंगा कि उन्हों ने प्लानिंग का जो मकसद रखा था, उस को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिये, ताकि हमारे विलेज में तरक्की हो सके, उस में कुछ इन्सेन्टिव पैदा हो सके और जहां सरकार चीज़ देती है, उन को पता लग सके कि यह चीज़ हमारे पास आई है और इस से हम को इतना फ़ायदा हुआ है । आज हालत क्या है ? अभी हमारे एक भाई ने कहा है कि जो चीज़ ऊपर से चलती है वह विल्लेज तक पहुंचते पहुंचते कितनी कम रह जाती है, इस का आप को अंदाज़ा ही नहीं । यहां से तो काफी धन दिया जाता है लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते कुछ भी नहीं रह जाता है । यहां से पानी चलता है लेकिन वहां पहुंचते पहुचते वह एक तुबका सा ही रह जाता है । बीच में ही बहुत से लोग उस पानी को पी जाते हैं । इस तरह से जो रकम आप गांव वालों को देते हैं वह उन तक पहुंच नहीं पाती है । इस वास्ते मैं चाहता हूं कि आप का ध्यान इस ओर जाय ।

जहां तक विल्लेज प्लानिंग का ताल्लुक है, मैं चाहता हूं कि इसके बारे में आप जल्दी से जल्दी कदम उठायें ताकि गांव की जो हालत है वह बेहतर हो सके ।

अब मैं बढ़ती हुई महंगाई की तरफ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं । जब तक महंगाई दूर नहीं होती, तब तक आम आदमियों में किसी तरह का जोश पैदा नहीं हो सकता है, लोगों का दुःख हमेशा ही बना रहने वाला है । इसका नतीजा यह होगा कि लोगों में प्लान के प्रति कोई उत्साह पैदा नहीं होगा जोकि प्लान की कामयाबी के लिये बहुत जरूरी है और गांव गांव में जा कर हम प्लानिंग के हक में जो भावना पैदा करना चाहते हैं, वह भावना पैदा नहीं हो सकती है । जो हमारा पहला प्लान था उस में हम ने इस बात पर जोर दिया था कि हमारी एग्रिकलचरल प्राडक्शन बढ़े और १९५२ में यह खयाल हो गया था कि हमारा प्लान ठीक तरह से चल गया है और हम आत्म-निर्भर हो गये हैं । लेकिन १९५७ के बाद जो प्राइसिस थीं वे बढ़ती ही चली गईं । हम देखते हैं कि

आज मुल्क में एक तरह से हाहाकार सा मचा हुआ है इन प्राइसिस के बारे में और लोग कह रहे हैं कि इन को कम किया जाय । लोग चाहते हैं कि प्राइसिस इस लेवेल पर आ जायें कि उनका गुजर बसर हो जाये, उन का जो फेमिली बजट है, उस के अन्दर उन का काम चल जाये । अगर आप कीमतों को चैक नहीं करते हैं तो इस का नतीजा यह होगा कि जगह-ब-जगह बेचैनी फैल जायेगी ।

यह ठीक है कि जो पर-कैपिटा इनकम है वह बढ़ी है । हमें बताया गया है कि पर-कैपिटा इनकम इन दो प्लानों में २९० या २९४ के करीब हो गई है । नैशनलइनकम के लिहाज से यह पर-कैपिटा इनकम ठीक है । लेकिन जो देहाती लोग हैं, जिन के अन्दर आप जोश पैदा करना चाहते हैं उन की इनकम कहां तक बढ़ी हैं, इस का अन्दाजा हम ने नहीं लगाया है और मैं चाहता हूं कि योजना मंत्री महोदय बतायें कि जो देहातों में लोग रहते हैं, उन की पर-कैपिटा इनकम क्या हो गई हैं और वह कहां तक बढ़ी है । मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि ८२ प्रतिशत लोग देहातों में रहते हैं और उन का सहयोग जब तक आप को नहीं मिलेगा और पूरे तरीके से नहीं मिलेगा उस समय तक आप की योजना पूरी तरह से कामयाब नहीं गिनी जायेगी ।

यह ठीक है कि आप ने कम्युनिटी डिवेलेपमेंट का काम शुरू किया है और बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया है । उसमें आप ने सोशल एजुकेशन को भी शामिल किया हुआ है । लेकिन अब तक सोशल एजुकेशन में आप ने क्या क्या किया है, इस का कुछ भी पता नहीं है । सिवाय इस के कि बहुत से सोशल एजुकेशन आर्गेनाइजर आप ने रख दिये हैं और कुछ भी नहीं हुआ है । जब हम उन से कुछ पूछते हैं कि क्या क्या उन्हों ने काम किया है, तो वे कुछ भी बता नहीं पाते हैं । अब आप ने सी० डी० में ज्यादा जोर एग्रिकलचर की ओर दिया है और अगर यह प्रोग्राम कम्युनिटी डिवेलेपमेंट के तहत शुरू से ही रख दिया जाता और शुरू से इस पर ज्यादा जोर दिया गया होता तो जो हमारे फूडग्रेन्स हैं, जो एग्रिकलचर है वह बहुत ही आगे बढ़ गई होती । उस के साथ ही साथ हमारी जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, वे भी बहुत आगे बढ़ गई होतीं, उन के अन्तर्गत भी काफी उन्नति कर ली गई होती । हैवी इंडस्ट्रीज़ और एग्रिकलचर ये जो हमारी योजना के दो पहिये हैं, जिन के सहारे हमें आगे बढ़ना है, ये ठीक तरह से चल सकते थे और आज देश और भी आगे बढ़ सकता था । इस का एक नतीजा यह भी होता कि हमारे जो स्टर्लिंग बैलेंसिस हैं जिन को कि हम ने बाहर से खाने की चीजों को मंगाने में खर्च कर दिया है, वे भी बच गये होते और उन का इस्तेमाल हम इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने पर कर सकते थे ।

आज जितनी हमारी भूमि फारेस्ट्स के नीचे है, उस का मैं जिक्र करना चाहता हूं । केवल कोई १०वां हिस्सा हमारी ज़मीन का ऐसा है जो फारेस्ट के नीचे है । आज देखा गया है कि फारेस्ट्स की तरफ बहुत कम ध्यान दिया गया है । फारेस्ट किन चीजों के लिये निहायत जरूरी हैं ? वे इसलिये जरूरी हैं कि वर्षा हो । इसलिये भी जरूरी हैं ताकि आप डैम्स वगैरह बना सकें और डैम्स में पानी आ सके । इसलिये फारेस्ट्स का होना बहुत जरूरी है । लेकिन आप ने किया क्या है ? आप ने डैम्स बनाने तो शुरू कर दिये हैं लेकिन उन की रक्षा के लिये जो दूसरी जरूरी चीजें हैं, उन की तरफ आप ने कोई ध्यान नहीं दिया है । भाखड़ा डैम आप ने बना दिया है । पहले आप कहते थे कि उस की उम्र ५०० साल होगी, लेकिन अब कहा जाता है कि १०० साल ही होगी । इस के साथ ही साथ कैचमेंट एरियाज़ के बारे में जो कुछ आप को करना था, वह भी आप ने नहीं किया है । ये सब चीजें एक साथ होनी चाहियें थीं । मैं चाहता हूं कि इन सब चीजों का आगे के लिये ध्यान रखा जाय ।

तीसरी योजना में हम ने रिजनल प्लानिंग जो है और जो स्पेशल एरियाज़ हैं, उन की तरफ ध्यान दिया है । पहली और दूसरी योजना में इन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया था । इस के लिये मैं प्लानिंग कमिशन को धन्यवाद देता हूं कि देर में ही सही, उस ने हिल्ली रिजंस की बात

[श्री हेम राज]

को तो सुना है। इस के बारे में एक और माननीय सदस्य, जोकि पहाड़ी इलाके से आते हैं, ने कुछ कहा है। वह हिमाचल प्रदेश से आते हैं जोकि एक पहाड़ी इलाका है और मैं पजाब के पहाड़ी इलाके का रहने वाला हूं। उन का जो हिल एरिया है वह मेरे हिल एरिया से निस्फ है और साथ ही साथ उन के हिल्ली एरिया की जो आबादी है, वह मेरी हिल्ली एरिया की आबादी का निस्फ है। जिस कांस्टिट्युऐंसी को मैं रिप्रिज़ेंट करता हूं उस का मुरब्बा मील एरिया १३,००० है और उन का ११,०००। मेरे यहां की आबादी १६ लाख है और उन के यहां की ११ लाख। जहां तक इन दोनों इलाकों पर खर्च करने की बात है, अब मैं उस को आप के सामने रखना चाहता हूं। मेरे इलाके के लिये—दूसरे प्लान में चार या पांच करोड़ रुपया ही खर्च हुआ होगा लेकिन हिमाचल प्रदेश के लिये जो तीसरा प्लान है उस में ४० करोड़ पया रखा गया है। अब आप देखिये कि कितना फर्क है। आप सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हू कि क्या यह सोशलिस्टिक पैटर्न है, क्या यह इक्विटेबल डिस्ट्रिब्यूशन है ? जहां पर मैं रहता हूं, उस के दोनों तरफ जो भुजायें हैं, वे हिमाचल प्रदेश की हैं, राइट हैंड में भी और लैफ्ट हैंड में भी और बीच में मेरा इलाका पड़ता है। इन दोनों भुजाओं को आप बलशाली कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस देश में किसी तरह से कोई ऐंटी-सोशल एलीमेंट्स पैदा न हों, तो आप को ऐसे तरीके से चलना होगा जिस से कि यह सारा जो एरिया है, इस का एक सही तरीके से डिवेलेपमेंट हो सके।

अन्त में मैं आप को जो आप ने इनएक्सेसीबल एरियाज़ कमेटी बनाई थी, उस ने जो कुछ कहा है, उस में थोड़ा सा पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। उस कमेटी ने हिल्ली एरियाज़ के बारे में कहा है :—

> "राज्यीय योजनाओं से ये समस्यायें हल नहीं की जा सकतीं। उन का हल राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिये। अतः इस काम के लिये एक व्यापक विकास योजना बननी चाहिये।"

इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि चूंकि पंजाब स्टेट हम को इतना पैसा नहीं दे सकती है जिस से कि इन एरियाज़ का डिवेलेपमेंट हो सके, आप उन की तरफ खास तौर से ध्यान दें और उन की मदद करें। हम आप के आभारी हैं कि आप ने कम से कम हिमाचल प्रदेश को उठाया तो सही। लेकिन अगर आप हिमाचल को उठा रहे हैं तो बाकी जो इस किस्म के इलाके हैं, उन को भी उठाने में आप को किसी किस्म का गुरेज़ नहीं करना चाहिये। जहां पर स्टेट गवर्नमेंट इस के लिये कुछ कर रही हैं, वहां पर मैं उम्मीद करता हूं कि योजना आयोग और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने खज़ाने में से कुछ न कुछ रकम इस इलाके के लिये देगी।

†**पंडित कृ० चं० शर्मा** (हापुड़): यदि भारत को आगे बढ़ना है तो उसे भारी उद्योगों का विकास करना होगा। जो देश बुनियादी उद्योगों का विकास नहीं करते वे जीवित भी नहीं रहते। जापान की पराजय का सब से बड़ा कारण ही यह था कि वहां बुनियादी उद्योग विकसित न हुए थे।

श्री मसानी का कथन है कि हमें चौथा इस्पात कारखाना नहीं लगाना चाहिये ; मैं उन से पूछता हूं कि भारत जैसा बड़ा देश जिस में अत्यधिक लोहा और कोयला हो इस्पात क्यों न बनाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

क्या हमें इसी हालत में रहना है ? जिस देश में इस्पात की पर्याप्त मात्रा नहीं वह आगे नहीं बढ़ सकता । इसलिये इन बातों में कुछ नहीं रखा ।

कुछ माननीय सदस्यों ने मुद्रास्फीति की बात उठायी । दुनियां के बड़े बड़े देशों में इस प्रकार के और आ चुके हैं इस लिये अब यह कोई नयी बात नहीं रह गयी है । आज अनुभव के आधार पर प्रगतिशील राष्ट्र कार्यनिष्ठ अर्थनीति अपनाते हैं । वे ऐसा करते हैं कि अपने खर्च का बजट, बचत से बढ़कर बनाते हैं यही नयी प्रवृत्ति है ; परन्तु इस प्रकार की बात करने के लिए आवश्यक है कि वह खर्च ऐसे कामों पर होना चाहिए जिनसे टेक्नोलोजी की उन्नति हो । तभी लाभ होता है । इस लिये विकास शील देश में थोड़ी बहुत मुद्रा-स्फीति अपरिहार्य हुआ करती है ।

हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे यहां राष्ट्रीय चरित्र नहीं बन पाया । अभी कर्मचारियों की हड़ताल की बात हुई तो कहीं पर हमारे वित्त मंत्री ने बताया कि हड़ताल रोकने की व्यवस्था संविधान में की गयी है । मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ और वस्तुत: है भी यह आश्चर्य ही की बात कि इतने बड़े देश का वित्त मंत्री सामान्य बात भी नहीं समझता । संविधान से ऊपर तो कोई भी नहीं है ।

यदि उत्पादन बढ़ता रहे, कराधान में वृद्धि की जाय और जनता से ऋण लिया जाता रहे तो मुद्रास्फीति नहीं हो सकती । मुद्रास्फीति तभी खतरनाक सिद्ध हुआ करती है जब रुपया बढ़ जाता है, लोग सोना जमा करने लगते हैं और उत्पादन घट जाता है; परन्तु इस समय भारत में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है ।

अब प्रश्न उठता है कि क्या योजना आवश्यक है ? इसका उत्तर यह है कि बीसवीं शताब्दी में गैर-सरकारी क्षेत्र को निर्बाध छुट्टी नहीं दी जा सकती । निर्धन भी अपना हक चाहते हैं । सामाजिक विषमताओं को दूर करने के लिये योजनाबद्ध प्रगति करना अत्यावश्यक है । योजना में उद्देश्य तथा प्रबंधात्मक संगठनों का बड़ा महत्व रहता है । अच्छी व्यवस्था करने से अच्छे परिणाम निकलते हैं । हमें अपने प्रतिद्वंदी चीन को देखकर आगे बढ़ना है । हमारे देश में करोड़ों रुपये का सोना है क्या हम इतना होते हुए बड़ी योजनाएं नहीं बना सकते ? मुझे धीरे धीरे होने वाली प्रगति अच्छी नहीं लगती । यदि हम जीवित रहना चाहते हैं तो हमें शीघ्र आगे बढ़ना होगा ।

श्री राधा रमण : सभापति महोदय, मैं उस ड्राफ्ट प्लान का जो इस समय सदन में विचाराधीन है समर्थन करता हूं ।

बहुत से माननीय बन्धुओं ने इस पर विचार करते हुए अपने अपने ख्याल रखे हैं और उनमें बहुत सी ऐसी बातें कही गयीं हैं जो सही हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपत्तिजनक हैं । मैं उन तमाम विषयों पर विचार नहीं करूंगा जिन पर कि हमारे माननीय बन्धुओं ने अपने विचार रखे हैं ।

यह बात प्लान में शुरू में ही कह दी गयी है कि इस योजना में ज्यादा जोर कृषि और विशेष बड़े उद्योगों पर दिया गया है । हमारे कुछ बन्धुओं ने यह कहा है कि इस प्लान में कृषि को या गांवों को या छोटे उद्योगों को उतनी प्रधानता नहीं दी गयी कि जितनी दी जानी चाहिए थी । इस सम्बन्ध में इतना मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आप आंकड़ों को देखें तो उनसे जाहिर होगा कि एग्रीकल्चर, इर्रीगेशन, कम्युनिटी डेवेलपमेंट, माइनर और मीडियम इर्रीगेशन, विलेज और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए लगभग २५५० करोड़ रुपया खर्च करने की व्यवस्था इस प्लान में की गयी है और इंडस्ट्रीज और मिनरल्स के लिए २५०० करोड़ रखा गया है ।

[श्री राधा रमण]

यह बात तो जितने भी माननीय सदस्य बोल चुके हैं सब ने स्पष्ट रूप से कही है कि आज देश की अवस्था का यह तकाजा है कि हमारे यहां बड़े उद्योग कायम किए जाएं और ऐसे कारखाने खोले जाएं जो कि बड़े बड़े कल पुर्जे बना सकें ताकि देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हम उन्नति नहीं कर सकते, हम आर्थिक संकट का सामना नहीं कर सकते और समृद्ध नहीं हो सकते ।

म समझता हूं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो १०,२०० करोड़ का सारा अन्दाजा लगाया गया है और उसे अलग अलग मदों के अन्दर तकसीम किया गया है वह काफी विचार के बाद किया गया है । इसमें यह सन्देह हो सकता है कि कहीं ज्यादा दिया जाना चाहिए था वहां उतना नहीं दिया गया और जहां कम दिया जाना चाहिए था वहां ज्यादा दे दिया गया है । लेकिन, जैसा कि मैं ने कहा, मैं इन बातों की चर्चा नहीं करना चाहता जो कि अन्य मित्रों ने कही हैं । मैं तो केवल दो तीन बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । बहुत से वक्ताओं ने अलग अलग बातों पर अपने ख्याल जाहिर किए हैं । मगर इस बात पर कम जोर दिया गया है कि देश की उन्नति के लिए हम अपने नौ जवानों और नौनिहालों को इस तरह तालीम दें और इस तरह उनका लालन पालन करें कि वे बड़े होने पर अपने दायित्व को अच्छी तरह समझ सकें ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं जब इस प्लान में देखता हूं कि सोशल सरविसेज़ की मद में शिक्षा के लिए जितना रुपया रखने का विचार है, वह रुपया बहुत कम है, और उसको देख कर मुझे दुःख हुआ कि इस चीज पर जितना जोर देना चाहिए उतना नहीं दिया गया । यह बात कही तो बराबर जाती है, लेकिन शायद काफी जोर से नहीं कही जाती कि अगर आप अपने मुल्क की तरक्की करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कृषि में और उद्योगों के क्षेत्र में अच्छे परिणाम निकलें, तो यह तभी सम्भव हो सकता है जब कि आप अपने बच्चों, नौजवानों और नौनिहालों को, जिन पर कि कृषि और उद्योगों को चलाने का दायित्व होगा । ऐसी शिक्षा दें और इस तरह से उनका चरित्र निर्माण करें कि वह अच्छे इन्सान बन सकें ।

बार बार यह कहा जाता है कि हमारे देश में एक कमी चल रही है । कभी हम सरकारी मुलाजिमों पर आक्षेप करते हैं, कभी अपने नेताओं पर आक्षेप करते हैं और कभी कभी अपने ऊपर भी आक्षेप करते हैं । मगर कोई यह नहीं सोचता कि ऐसा क्यों किया जा रहा है । ये आक्षेप क्यों किए जाते हैं । हमारे देश में सदियों से एक ऐसी शिक्षा प्रणाली चल रही है जिसमें कि एक नौनिहाल के, एक नौजवान के चरित्र गठन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता । हमारी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही था कि एक लड़का या लड़की बी० ए० या एम० ए० पास करने के बाद एक टेबल पर बैठ कर कुछ थोड़ा सा बाबूगीरी का काम करें । मैं यह नहीं कहता कि जब से आजादी आई है, तब से पिछले बारह बरसों में शिक्षा की तरफ़ हमारा ध्यान नहीं गया है और मैं यह भी नहीं कहता कि शिक्षा पर हम ने रुपया खर्च नहीं किया है, लेकिन मुझे यह बात बहुत गैर-मुनासिब मालूम हुई जब मैं ने देखा कि शिक्षा के कार्य में जहां दूसरी प्लान में सरकार ने २७३ करोड़ रुपए खर्च किए थे, अब जब कि वह दुगना यानी १०,२०० करोड़ रुपया इस प्लान में खर्च करने जा रही है, तब उसी अनुपात से शिक्षा के लिए रुपया नहीं बढ़ा है । मेरा ख्याल था कि यह समझ कर कि हिन्दुस्तान को बहुत ही होनहार और उत्तरदायित्व को निबाहने वाले नौजवानों की जरूरत है, इस तरफ़ हम अधिक ध्यान देते । जहां तक उस शिक्षा का ताल्लक

है, जिसे हम टैक्नालोजी या टैक्निकल शिक्षा कहते हैं, उस का अभाव हम देश में देखते हैं। रुपया हम ने उस मद में ज़रूर खर्च किया है और बढ़ाया है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर सरकार चाहती है कि इस देश के नौजवान काम करें और बड़े बड़े त्याग कर के इस देश की हर एक प्लान को सफल बनाये, तो प्लानिंग मिनिस्टर साहब और वित्त मंत्री साहब से यह प्रार्थना है कि उन को इस तरफ़ तवज्जह देनी चाहिए और जिस अनपात से उन्होंने सारे प्लान का रुपया बढ़ाया है, उसी अनुपात से ही नहीं, बल्कि उस से भी ज्यादा अनुपात से शिक्षा के लिए रुपया बढ़ायें। जिन बड़े मुल्कों में बड़े बड़े काम हुए हैं, जितना ध्यान वहां बच्चों और नौजवानों की शिक्षा और दूसरी गतिविधियों पर दिया गया है, उतना ही उस मुल्क की तरक्की हुई है और मालामाली बढ़ी है। अगर यहां शिक्षा की तरफ़ सरकार का उतना रुझान नहीं होता और उस पर उस का एम्फ़ेसिस नहीं होता, तो बहुत रुपया खर्च करने पर भी हम तमाम वे बातें देखेंगे, जो कि आज देखते हैं।

ड्राफ्ट आउटलाइन के एक चैप्टर में वालन्टेरी एफ़र्ट (स्वेच्छा कार्य) और पब्लिक को-आपरेशन (जन-सहयोग) का भी ज़िक्र किया गया है। मेरे एक माननीय मित्र ने उस के बारे में कहा कि भारत सेवक समाज, भारत साधू समाज, सैन्टर सोशल वैलफ़ेयर बोर्ड इत्यादि इत्यादि कुछ संस्थायें ऐसी हैं, जिन पर हमारी इस प्लान का बहुत काफ़ी रुपया खर्च होता है। उन्होंने इस बात की शिकायत की और अपना यह ख्याल ज़ाहिर किया कि वह इस को रुपए का वेस्ट समझते हैं। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि चालीस या पचास करोड़ का यह मुल्क है। इस मुल्क के पच्चीस, तीस लाख लोग ऐसे हैं, जिन को आप सरकारी कर्मचारी कहते हैं। इस के अलावा बाकी जो हैं, वह जनता है और अगर वह जनता इस प्लान को पूरा करने में कोई हिस्सा न बटाए, या कोई मदद न करे, तो मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह इतनी बड़ी प्लान को सफल बनाया जा सकता है। मेरी ज़ाती राय है कि हमारे मुल्क में जितनी भी वालन्टेरी एफ़र्ट है, बजाये कि उस को कुछ प्रोत्साहन मिले, उस को हतोत्साहित किया जाता है। मैं यह नहीं कहता कि जितनी भी वालन्टरी आरगनाइज़ेशन्ज़ हैं, उन सब का निज़ाम अच्छा है, उन का काम अच्छा है या उन में रुपया वैस्ट नहीं होता है। मैं ये सब बातें मानता हूं, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि हमारे पास एक नहीं, पचासों उदाहरण मौजूद हैं, जहां सरकारी मशीनरी या सरकारी मुलाज़िमों के ज़रिये अगर कोई काम कराया गया, तो वह अच्छा नहीं हुआ, खर्च भी ज्यादा हुआ, उस पर जितना भी खर्च किया गया, उस से साधारण आदमियों को उत्तेजना या उत्साह नहीं मिला, लेकिन जब वालन्टेरी आरगनाइज़ेशन्ज़ के ज़रिये कोई काम कराया गया, तो रुपया भी कम खर्च हुआ, काम भी अच्छा हुआ और लोगों में उत्साह हुआ। ऐसी स्थिति में हमारे माननीय मित्र बग़ैर सोचे समझे और मामले की असलियत को बगैर जाने हुए क्यों ऐसी बातें कह देते हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

मेरा दावा है कि सरकारी मुलाज़िमों या सरकरी मशीनरी के ज़रिये बहुत सा पैसा खर्च करने के बजाये अगर वालन्टेरी आरगनाइज़ेशन्ज़ से, उन को कंट्रोल और सुपरवाइज़ कर के और उन को थोड़ा सा डायरेक्शन दे कर, काम कराया जाय, तो लाखों करोड़ों रुपए बच सकते हैं और साथ ही जनता में एक ऐसी भावना भरी जा सकती है, उन को ऐसी प्रेरणा दी जा सकती है कि वह महसूस करे कि यह प्लान हमारा है और हम को ही इसे सफल बनाना है। आज चाहे हम कितना भी कहें, लेकिन स्थिति यह है कि अगर आम जनता को कहा जाये कि यह हमारा प्लान है, तो लोग कहते हैं कि नहीं है। बल्कि वे समझते हैं कि सरकार के पास यह रुपया आता है, चाहे वह टैक्सिज़ से आता है, या बाहर से आता है, या कोई और तरीका अख्तियार कर के आता है,

[श्री राधा रमण]

और सरकार ही उस पैसे से अपने प्लान को पूरा करे। लोग समझते हैं कि यह सरकारी प्लान है। जो इन्टेलिजेन्ट आदमी हैं, वे भले ही इस बात को मान लें कि हमें इस में थोड़ा बहुत हाथ बंटाना चाहिए, लेकिन आम जनता में यह बात नहीं है। क्या यह इस बात का उदाहरण नहीं है कि अगर सरकार चाहती है कि यह प्लान मुल्क के घर घर में जाये, हर मर्द, औरत और बच्चा समझे कि यह हमारा प्लान है, तो उन को यह महसूस होना चाहिए कि यह प्लान उन के लिए भी कुछ काम करा रहा है और इस प्लान की रोशनी उन के घरों में भी जा रही है, इस प्लान के ज़रिये उन को कुछ उत्तेजना और प्रेरणा मिल रही है।

अभी चन्द बरस हुए, यहां पर शाहदरा बांध बना। ख्याल यह था कि उस के ऊपर पच्चीस लाख रुपया लगेगा। भारत सेवक समाज ने कहा कि हम इस को १५ लाख रुपये में बना कर देंगे। भारत सेवक समाज को वह काम दिया गया। उस में पचास किस्म के झगड़े आये। हर शख्स ने यह कहा कि यह नहीं बन सकेगा और यह इतने रुपये में नहीं बन सकेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन काम अच्छा हुआ, जल्दी हुआ और अब तक वह इतना पायदार है कि भारत सेवक समाज के काम के एक निशान की तरह खड़ा हुआ है और मैं चाहता हूं कि इस हाउस का हर एक मेम्बर जा कर देखे कि भारत सेवक समाज ने जो काम किया है, उस में रुपये की बचत हुई है या नहीं, गांव वालों को फ़ायदा हुआ है या नहीं और साथ ही साथ भारत सेवक समाज जैसी वालन्टेरी एजेन्सी में ताकत है या नहीं।

नुक्ता-चीनी करना आसान है, मगर मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि अगर हिन्दुस्तान के चालीस करोड़ इन्सान इस बात को समझ लें कि यह हमारा प्लान है और हर शख्स अपने चौबीस घंटों में से एक घंटा निकाल कर इस काम के लिए देने लग जाये, तो सरकारी मुलाज़िमों के ज़रिये कराये गये काम के मुकाबले में वह काम अच्छे होंगे और आधे रुपये में होंगे। यह मैं नहीं कहता कि वालन्टेरी एजेन्सीज के सब काम अच्छे ही होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर १०० काम सरकारी मुलाज़ियों के ज़रिये होते हैं और उन में से पचास कामों में शिकायत की गुंजायश रहती है, तो अगर वालन्टेरी एजेन्सीज़ सरकार के कंट्रोल और सुपरविज़न में काम करें, तो अस्सी फ़ीसदी काम अच्छा होगा, सस्ता होगा और इस से आम लोगों में उत्तेजना, उमंग, ख्वाहिश और प्रेरणा पैदा होगी।

हमारे प्लानर्ज़ ने इस प्लान में इस बात को कुबूल किया है कि पिछले दो प्लान्ज़ में हमारे मुल्क में बड़ी बड़ी इमारतों पर बहुत ज्यादा तवज्जह दी गई और उन पर लाखों करोड़ों रुपये खर्च किये गये। मैं यह नहीं कहता कि बड़ी बड़ी इमारतों की ज़रूरत नहीं है। आखिरकार हर मुल्क में इस किस्म की इमारतों की ज़रूरत होती है, लेकिन यह बात भी सही है कि जब तक हिन्दुस्तान का भूखा मरता हुआ इन्सान अपने बदन पर कपड़े न रख सके, उस को खाना न मिले और एक छोटी सी भी झोंपड़ी भी उस को रहने को न मिले, तब तक मैं नहीं समझता कि इस बात की गुंजायश है कि हमारा बहुत काफ़ी रुपया इन बड़ी बड़ी इमारतों पर खर्च हो। प्लानज़ ने इस बात को कुबूल किया है कि आगे हम इस पर कम खर्च करेंगे, या इस को और ज्यादा ध्यान से खर्च करेंगे, या इस में इकानोमी करेंगे। इस के लिए मैं उनकी दाद देता हूं और साथ साथ यह कहता हूं कि जहां वह इस बात की तरफ़ तवज्जह देते हैं कि बड़ी बड़ी इमारतो पर कम रुपया खर्च हो, वहा उन्हें उन लोगों की तरफ भी तवज्जह देनी चाहिए, जो शहरों और गांवों में छोटी छोटी झोंपड़ियों बना कर रहते हैं, जिन को स्लम्ज़ कहते हैं। बारिश के वक्त जब हम अपने मकानों में आराम से सोते हैं, तो ना मालूम वे कैसे रात और दिन काटते हैं। स्लम्ज़ के बारे में बहुत कुछ चर्चा किया गया है

और एक कमेटी भी बिठाई गई, जिस की रिपोर्ट भी आई, लेकिन उस के बारे में सरकार जो कदम उठा रही है, वे इतने हिचकिचाते हुए कदम हैं, इतने कमज़ोर कदम हैं, जिन से किसी को तसल्ली नहीं हो सकती है।

मैं दिल्ली में रहता हूं और मुझे मालूम है कि बीस बाइस लाख लोगों में से तीन चार लाख आदमी ऐसे हैं, जिन को रात को छत नहीं है और दो तीन लाख आदमियों को छत तो है, लेकिन वह टूटी फूटी है। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे, जिन का आधा मकान रहने लायक है और आधा नहीं है। इन सब बातों की तरफ़ तवज्जह देनी चाहिए और ऐसे कदम उठाने चाहिए, जो आम लोगों के दिलो-दिमाग़ में घुस कर उन को सरकार की तारीफ़ करने पर मजबूर करें। वे लोग यह समझें कि यह जनता की प्लान है और जनता इस से फ़ायदा उठा रही है।

सैकंड फ़ाइव यीअर प्लान में यह ख्याल किया जाता था कि हिन्दुस्तान में अनएम्प्लायड, बेरोज़गार और बेकारों की संख्या पचास लाख के करीब गांवों में होगी और चालीस लाख के करीब होगी तमाम हिन्दुस्तान में। लेकिन अब यह जो तीसरा प्लान आ रहा है, इसके अन्दर यह संख्या बढ़ कर और भी अधिक होने वाली है और कहा जाता है कि करीब करीब यह डेढ़ सौ लाख से भी ऊपर पहुंच जायेगी। आज अगर आप चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर नौजवानों में इंडिसिप्लिन न हो, हिन्दुस्तान के नौजवान जोकि एक तरह से शक्ति और बल के प्रतीक हैं, वे आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ें, तो जरूरत इस बात की है कि अनएम्प्लायमेंट और अन्डर-एम्प्लायमेंट की तरफ आप तवज्जह दे कर उनको किसी न किसी काम पर, किसी न किसी रोज़गार पर लगायें। यह कहना काफी नहीं है कि हम ने उनके लिए इंडस्ट्रीज़ चलाई हैं और उनके अन्दर इतने लोग खप गये हैं, हमने गांवों के अन्दर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ चलाई हैं, इन में इतने नौजवानों को खपा लिया गया है। हमको देखना है कि जो भी नौजवान २० साल से ३५ साल की उम्र के बीच के हों, ३५ से ऊपर और २० से नीचे को मैं छोड़ देता हूं क्योंकि २० साल से पहले वे अपने आपको शिक्षित करके तैयार करते हैं और ३५ के बाद वालों के लिए यह कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने वक्त पर काम शुरू नहीं किया है और ये दोनों ही केटेगरीज़ के लोग ज़रा ठहर सकते हैं, उनमें से एक को भी बेरोज़गार और बेकार नहीं रहना चाहिये। अगर वह रहता है तो आपके जितने भी प्लांस हैं वे चाहे जितने अच्छे हों, उनके दिल में और दिमाग में नहीं उतर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि उनके दिलों और दिमागों में ये प्लान उतरें तो लाजिमी तौर पर इस ओर आप को तवज्जह देनी होगी और आप को ऐसा सर्वे और ऐसा एसेसमेंट करना पड़ेगा कि कोई भी नौजवान जो इस उम्र के बीच का हो, वह तो कम से कम बेरोज़गार और बेकार न रहे।

बेरोज़गारों और बेकारों की संख्या जैसे मैंने बताया तीसरे प्लान के अन्त तक १५० लाख के करीब रहने वाली है और जो अर्ध बेकार हैं, अर्ध-बेरोज़गार हैं उनकी संख्या को इसमें अगर जोड़ दिया जाये तो यह संख्या लातादाद हो जायेगी और इतनी हो जायेगी कि कोई हिसाब ही नहीं। मगर मैं समझता हूं कि इन अर्ध-बेकारों और अर्ध-बेरोजगारों की तरफ भी आपको तवज्जह देनी है। जब तक ये लोग यह महसूस करना शुरू न कर दें कि हिन्दुस्तान के आज़ाद होने के बाद से उनकी बेरोज़गारी और बेकारी का जो सिलसिला था वह खत्म हो गया है, तब तक उनके अन्दर वह रोशनी और उनके दिलों और दिमागों के अन्दर वह जिन्दगी और ताज़गी नहीं आ सकती है कि जिससे आपका जो प्लान है, वह सफल हो सकता है। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान खास तौर से इस समस्या की ओर जाये।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** (बलोदा बाजार) : तीसरी योजना का जो मसविदा हमारे सामने रखा गया है वह बुनियादी रूप से सुदृढ़ है यह एक व्यवहारिक योजना है जिस में हमारी आवश्यकताओं को न्यूनतम रूप से पूरा करने का प्रयत्न किया गया है । अतः हमें इस योजना को शत प्रति शत सफल बनाने का प्रयत्न करना चाहिये ।

मेरे विचार से योजना की दो महत्वपूर्ण चीजें, एक तो खाद्य के मामले में स्वालंबन प्राप्त करना है और दूसरा प्रशासनिक सुधार करना है । खाद्य समस्या का हल करने के लिये विशेषतः राज्य स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है । एक बार प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया था कि राज्य के मुख्य मंत्रियों को खाद्य विभाग संभालना चाहिए, तथापि अभी तक किसी राज्य के मुख्य मंत्री ने इसके अनुसार कार्य नहीं किया है, सामान्यतः सब से अक्षम व्यक्ति को यह काम सौंपा जाता है, यद्यपि खाद्य समस्या को युद्ध स्तर पर निपटाने की बात कही जाती है तथापि न तो खाद्य के उत्पादन में न ही उसके वितरण के काम में किसी प्रकार का महत्व दिया जाता है ।

खाद्य उत्पादन में सफलता प्राप्त करना किसानों को प्रोत्साहन देने पर निर्भर करता है । यदि किसानों को यह अनुभव हो कि सरकार से इस दिशा में सहयोग करके उनको लाभ होगा तो वह इस दिशा में प्राणपण से कोशिश कर सकते हैं । तथापि जब किसान देखते हैं कि खाद्य पदार्थों की कीमतों मे उस तेजी से वृद्धि नहीं हो रही है जिस तेजी से अन्य वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं, तो उन्हें इस सम्बन्ध में कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है ।

अब मैं प्रशासनिक सुधारों का विषय लेता हूं । सरकार को चाहिये कि वे योजना आयोग की सिफारिश के अनुसार अपनी प्रशासन सेवाओं में सुधार करें । प्रधान मंत्री ने इस सम्बन्ध में जोर दे कर कहा है कि योजना की सफलता उसकी क्रियान्विति पर निर्भर करती है । अतः हमारे प्रशासकों को चाहिये कि वे प्रशासनिक सुधार के काम पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें । ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था को बनाये रखने में कुछ व्यक्तियों का हित है । क्योंकि यह व्यवस्था इस प्रकार की है कि किसी काम के लिये किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है । अतः यदि कभी किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई जांच की भी जाती है तो अधिकांश मामलों में उसका कोई परिणाम नहीं निकलता । अतः इस प्रशासनिक व्यवस्था को बदलने के काम को सर्वप्रथम पूर्ववर्तिता दी जाय । वस्तुतः हमारे प्रशासन का ढांचा पुराना हो गया है, और यह व्यवस्था एक गुलाम देश पर शासन करने के योग्य है इससे एक लोक कल्याणकारी राज्य में जन हित के कार्यों को कराना बहुत कठिन है । अतः उन्हें एक दम नये प्रकार का काम देने से पूर्व इस व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करना आवश्यक है ।

इस सम्बन्ध में मैं आप को यह सुझाव देना चाहता हूं कि जनता के प्रति विश्वास किया जाय । इसके लिये रेलवे का उदाहरण लिया जा सकता है । रेलवे प्रति माह या प्रत्येक तिमाही में बकाया समस्याओं, विधेयकों, या डिब्बों की वह मांग जो पूरी नहीं हुई उसके सम्बन्ध में आंकड़े देती है । इससे जनता को आलोचना करने का मौका मिलता हैं, प्रशासन को इन आलोचनाओं से लाभ होता है । केन्द्र या राज्य सरकारों के विकास कार्य करने वाले कार्यालयों में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनायी जा सकती है ।

एक अन्य योजना जिस को तीसरी योजना में बहुत महत्व दिया गया है वह परिवार नियोजन कार्यक्रम है । इसके लिये केवल २५ करोड़ रुपये रखे गये हैं, मेरे विचार से यह राशि बहुत

---

†मूल अंग्रेजी में

कम है, क्योंकि यदि हम इस क्षेत्र में असफल रहते हैं तो हम राष्ट्रीय आय और नियोजन के लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमें अपनी राष्ट्रीय आय और रोजगार के अवसरों को और अधिक व्यक्तियों को देना होगा, अतः इस ओर हमें गम्भीरता पूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिये दी गई राशि को बढ़ाया जाय ।

इस सम्बंध में मेरा सुझाव यह है कि जिन गर्भ निरोधक उपकरणों का हम प्रचार कर रहे हैं, वे हमारी देश की स्थिति के अनुकूल नहीं हैं, अतः हमें चाहिये कि गर्भ निरोध के लिये मुंह से खाई जाने वाली औषधि की खोज के लिये १० से १५ करोड़ रुपये की राशि रखी जाय । हमारे देश के अविकसित समाज के लिये यही तरीका सब से प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है ।

श्री जांगड़े (बिलासपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रथम चरण से सन् १९६० तक भारत ने बहुमुखी उन्नति की है । हमारी शिक्षा, चिकित्सा, सिंचाई और भारी उद्योगों में देश ने बहुत ही ज्यादा प्रगति की है। आंकड़ों से पता चलता है कि हमने इस बीच में १२०० मील लम्बी नई रेलवे लाइन बनाई और १३०० मील लम्बी रेलों को डबल किया, ८८० मील का विद्युतीकरण किया और ८२०० लोकोमोटिव्ज़ को बढ़ा कर हमने १०६०० किया, कोचेज को १९,२०० से बढ़ा कर २८,९०० किया और इसी प्रकार से वैगन्स को लगभग २ लाख से बढ़ा कर साढ़े ३ लाख कर दिया है। इसी प्रकार से सर्फेस रोड्स लगभग ९७ हजार मील थीं, आज उसकी लम्बाई १ लाख, ४४ हजार मील होने वाली है । इसी प्रकार से शिपिंग ३ लाख ९० हजार ग्रास टन से बढ़ कर ९ लाख ग्रास टन होने वाली है । पोस्ट आफिसेज की संख्या ३६ हजार से बढ़ कर ७५ हजार होने जा रही है, तारघरों की संख्या ३ हजार ६०० से बढ़ कर ६ हजार ३०० होने वाली है, टेलीफोन १ लाख ६८ हजार से बढ़ा कर ४ लाख ७५ हजार हम करने वाले हैं । इसी प्रकार इर्रीगेशन का मामला है। सन् १९५० में जहां ५ मिलियन एकड़ में सिंचाई होती थी वहां सन् १९६१ में ७० मिलियन एकड़ में सिंचाई होने वाली है। आज इसके साथ ही साथ एजुकेशन और टैक्नीकल एजुकेशन में हमारी बहुत ज्यादा प्रगति हुई है । सब से ज्यादा प्रगति इस देश में भारी उद्योगों द्वारा औद्योगीकरण में होगी । जहां तक मैं समझता हूं इस हिसाब से देश ने जो प्रगति की है वह ३०० परसेन्ट तक है । खादी में भी हमारी काफी उन्नति हुई है ।

लेकिन इसके बाद भी समझ में नहीं आता है कि क्यों आज देश में देहातों से ज्यादा शहरों में लोग बढ़ते जा रहे हैं । सन् १९४० से लेकर सन् १९६० तक अगर आप देखेंगे तो शहरों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। आज शहरों में हम किस तरह से अनएम्प्लायमेंट देखते हैं । एक तरफ हम शहरों में बड़े बड़े मकान देखते हैं, बड़े बड़े महल देखते हैं, दूसरी ओर हम झोंपड़ियां और हजारों की तादाद में स्लम्स देखते हैं । चारों तरफ झोंपड़ियों में हमारे मजदूर रहते हैं । बाहर से आते हैं और शहरों का निर्माण करते हैं, मजदूरी करते हैं परन्तु उनके लिये पानी की कोई सुविधा नहीं, रोशनी की कोई सुविधा नहीं, खाने की सुविधा नहीं, रहने की सुविधा नहीं ।

श्रीमान् जब तक हमारी योजना में बुनियादी परिवर्तन नहीं किया जाएगा तब तक चाहे आप स्लम्स के लिये करोड़ों रुपया खर्च करें स्लम्स दूर नहीं हो सकते । स्लम्स की समस्या बनी रहेगी । जो पैसा आप स्लम्स पर खर्च करते हैं उससे स्लम्स में रहने वालों का तो हित होता है लेकिन हमारी योजनाओं का यह बुनियादी दोष है कि इनके कारण स्लम अस्तित्व में आते हैं । शहर बेतहाशा बढ़ते जाते हैं और इसी कारण अनैतिकता और क्राइम शहरों में बढ़ते जाते है । देश का अधिकांश पैसा शहरों पर लग जाता है ।

[श्री जांगड़े]

योजना के कारण हमने राष्ट्रीय आय २० परसेंट और पर कैपीटा आय ४२ परसेंट बढ़ायी है। लेकिन हम देखते हैं कि गरीब गरीब होता जाता है और धनवान धनवान होता जाता है। और हम देखते हैं कि सारी उन्नति के बावजूद यह दशा है कि गरीबों के लड़कों को टैकनीकल शिक्षा या विशेष शिक्षा नहीं मिल पाती। ज्यादातर वह शिक्षा धनवानों के, अफसरों और समृद्ध लोगों के लड़कों को मिलती है। हरिजनों और आदिवासियों के लड़कों को वह विशेष शिक्षा नहीं मिल पाती। चपरासी का लड़का उस शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिये जो गरीब है वह गरीब रह जाते हैं और धनवान और अधिक धनवान होते जाते हैं।

हमने देहाती इनकम को कम करने का विचार किया है। इनईक्वालिटी को दूर करने के लिये सीलिंग रखी है और लैण्ड रिफार्म रखा है। लेकिन हम देखते हैं कि शहरों की आमदनी दिनों दिन बढ़ती जाती है। उसके बारे में हमारा कोई विचार नहीं है। हमारी योजना में कुछ बुनियादी दोष है जिसके कारण हम देखते हैं कि पैसा मिडिलमैन के पास जाता है और गरीबों के पास नहीं पहुंच पाता। इस चीज को आप रोकते नहीं। आप चाहे दस हजार करोड़ की नहीं बल्कि २० हजार करोड़ की योजना क्यों न बनायें जब तक इसका लाभ देहाती क्षेत्र को नहीं मिलता तब तक इस योजना को आप सफल नहीं बना सकते। इस योजना का जब तक पिछड़े हुए क्षेत्रों को लाभ नहीं होगा तब तक यह योजना सफल नहीं हो सकती। आज हम देखते हैं कि हर क्षेत्र अपने को पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर रहा है। उत्तर प्रदेश अपने को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करता है, हिमाचल प्रदेश अपने को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करता है, मैसूर अपने को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करता है। मैं नहीं समझ पाता कि वास्तव में पिछड़ा क्षेत्र कौन है। पिछड़े क्षेत्र की कुछ परिभाषा होनी चाहिये। आंकड़ों से पता चलता है कि जिस क्षेत्र को सहायता मिलनी चाहिये उसको नहीं मिलती। मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। मध्य प्रदेश हिन्दुस्तान में सब से बड़ा प्रदेश है। वहां एक क्षेत्र में ५०० से ७०० तक प्रति वर्गमील आबादी है। लेकिन उस क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। हम देखते हैं कि कहीं तो आप सौ सौ मील की दूरी पर रेडियो स्टेशन खोल रहे हैं और कहीं चार सौ मील में भी नहीं खोलते। मध्य प्रदेश में सन् १९५० से लेकर आज तक कोई इर्रीगेशन प्रोजैक्ट नहीं खोली गयी। जब वहां से अनाज लेना होता है तब तो कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ हिन्दुस्तान की ग्रेनरी है, हिन्दुस्तान का राइस बोल है, लेकिन हमको सिंचाई के साधन नहीं दिये जाते। न हमारे यहां के लिये स्माल और मीडियम इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स रखी गयी हैं। वहां पर फ्लड आते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर इर्रीगेशन का प्रबन्ध नहीं किया जाता।

यहां पर जब किसी क्षेत्र का प्रश्न उठाया जाता है कि यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, तो उसके लिये रुपया एलाट किया जाता है, पर मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र के लिये रुपया क्यों नहीं एलाट होता। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसके लिये काफी धन नहीं दिया गया। मैं चाहता हूं कि तीसरी योजना में इसका प्रावधान होना चाहिये कि हर क्षेत्र को देखा जाए कि कौन क्षेत्र पिछड़ा है और वहां की क्या आवश्यकता है।

आज आप जो योजनाएं बनाते हैं उनमें इमारतों के एस्टीमेट पर बहुत ज्यादा रुपया रखा जाता है। मैं समझता हूं कि अगर इसमें बचत करने की कोशिश की जाए तो १० हजार करोड़ में से एक हजार करोड़ की बचत हो सकती है। हम अगर प्राइमरी स्कूलों के लिये; मिडिल स्कूलों के लिये और हाई स्कूलों के लिये बड़ी बड़ी इमारतें न बनायें, ऐसी इमारतें बनायें जो कि दस पांच साल काम दे सकें और जिन को कम खर्च में हम बना सकें, तो काफी रुपया बच सकता है और उसको दूसरे कामों

पर लगाया जा सकता है। इन इमारतों को बनाने में बहुत सा रुपया ठेकेदारों को मिलता है क्योंकि यह काम उन्हीं के मारफत कराया जाता है। इस प्रकार बहुत सा रुपया मिडिलमैन को चला जाता है। लेबर कोआपरेटिव्स की ओर जितना ध्यान देना चाहिये उतना ध्यान नहीं दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में लेबर कोआपरेटिव्स को ठेके क्यों नहीं दिये। मैं चाहता हूं कि लेबर कोआपरेटिव्स का विकास किया जाए और उनको प्रोत्साहन दिया जाए।

हम कोआपरेटिव फार्मिंग की बात करते हैं। लेकिन जब तक हम गांवों की जमीन की चकबन्दी नहीं करेंगे तब तक कोआपरेटिव फार्मिंग सफल नहीं हो सकती।

हमारे देश में एग्रीकल्चरल इनडेटेडनैस (कृषि ऋण) बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। उस समस्या का समाधान करने में हम असफल रहे हैं।

आपने देश में जहां जहां बड़े बड़े उद्योग खोले हैं उन जगहों के लोग तबाह हो रहे हैं। भिलाई में रहने वालों की हालत आप देखें। वहां न तो कोई उद्योग बढ़ता है, और न वहां कोई छोटा उद्योग वहां के लोगों के लिये खोला जाता है। जो मूल निवासी हैं वे भूखों मरते हैं। उनको वहां से हटाया गया है और बरबाद कर दिया गया है और न उनको कम्पेन्सेशन देने का प्रबन्ध किया गया है। तो इन चीजों का इस योजना में ध्यान रखा जाना चाहिये। जब हम योजना बनायें तो यह भी देखें कि उस से जो गरीब तबका है उसको ज्यादा फायदा हो।

हम चाहते हैं कि जब हम नेशनल रिकंस्ट्रक्शन करें तो अनरेम्यूनरेटिव योजनाओं को कुछ सालों के लिये छोड़ दें और जो रेम्यूनरेटिव योजनाएं हैं उन पर पैसा लगायें।

ग्राम पंचायतों के निर्माण की हम चर्चा करते हैं। हमारा अनुमान है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में देश में एक लाख ८० हजार पंचायतें हो जायेंगी। परन्तु जब तक उनका ठीक प्रकार से संगठन नहीं किया जाएगा उन से लाभ नहीं हो सकता।

मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि यह प्रदेश इतना बड़ा होने पर भी इसमें दूसरे प्रान्तों की अपेक्षा सड़कों की लम्बाई बहुत कम है। वहां पर सड़कों की इतनी कमी है कि डिवीजनल हैडक्वार्टर्स से प्रान्त की राजधानी नहीं मिली हुई है। भोपाल हमारे यहां की राजधानी है। आप देखें कि जबलपुर से भोपाल पहुंचने के लिये दो दिन चलना पड़ता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि हमारे प्रदेश में सड़कों की लम्बाई बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त हमारे प्रदेश की राजधानी भोपाल का निर्माण हो रहा है और उसके निर्माण पर जो रुपया खर्चा होगा उसको भी तीसरी पंचवर्षीय योजना के हमारे प्रदेश के रुपए में शामिल कर दिया गया है। ऐसा होने से हमारे प्रदेश के निर्माण के लिये बहुत कम रुपया बच रहेगा। यह तो इस प्रदेश के प्रति न्याय नहीं है। हमारे प्रान्त के साथ इस बारे में न्याय होना चाहिये।

हमारे देश में कुछ प्राबलम स्टेट्स हैं। उनके लिये हमें नेशनल दृष्टिकोण से सोचना चाहिये। इन स्टेटों में हम को ज्यादा रुपया लगाना चाहिये ताकि यहां पर देश घातक तत्व पैदा न होने पायें।

देश की सुरक्षा के सम्बन्ध में शासन ने ध्यान दिया है। लेकिन अगर पहले से इस ओर ध्यान दिया होता तो यह काम कम खर्च में हो सकता था।

इसके अतिरिक्त डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट टैक्सेशन का प्रश्न है। आज हम देखते हैं कि देश में चीजों की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं और बड़ा इनफ्लेशन हो रहा है। इसका कारण इनडाइरेक्ट टैक्सेशन मालूम देता है। मैं समझता हूं कि अब इनडाइरेक्ट टैक्सेशन सैचुरेशन प्वाइंट तक पहुंच

[श्री जांगड़े]

गया है। इसलिये अब इसको और नहीं बढ़ाना चाहिये। अगर आप को और टैक्स लगाना है तो वह डाइरेक्ट टैक्स होना चाहिये। हम समझते हैं कि इनडाइरेक्ट टैक्स का भार तो हजारों लाखों गरीब लोगों पर पड़ता है और उसकी वजह से गरीब और गरीब होते जाते हैं। उस का असर धनी लोगों पर नहीं पड़ता। इसलिये मेरी शासन से प्रार्थना है कि अब सरकार को डाइरेक्ट टैक्स पर ही ज्यादा ध्यान देना चाहिये।

अन्त में मैं टैक्स इवेजन के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। टैक्स इवेजन को रोकने के लिये एडमिनिस्ट्रेशन को टाइटिन करना जरूरी है यह इसमें कहा गया है। फिर भी मैं कहूंगा कि टैक्स इवेजन (कर अपवंचन) इतना ज्यादा हो गया है इसको रोकना सम्भव नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि टैक्स इवजन को रोकना सरकार का प्रथम कर्तव्य होना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : पंडित द्वा० ना० तिवारी।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** (छपरा) : श्रीमान् उधर से सात आदमी बोल चुके हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा के सभी दलों के प्रतिनिधियों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाता है। मैं माननीय सदस्य के दल के दो सदस्यों को अर्थात् श्री अशोक मेहता तथा आचार्य कृपलानी को १ घण्टे के करीब का समय दे चुका हूं। माननीय सदस्य को भी अवसर दिया जायगा परन्तु इस समय नहीं। हम आज साढ़े ६ बजे तक बैठेंगे। मैं श्री राजेन्द्र सिंह के अलावा केरल के एक सदस्य को भी बुलाऊंगा।

पंडित द्वा० ना० तिवारी (केसरिया) : अध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं योजना आयोग के परिवार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने तीसरी पंच-वर्षीय योजना की एक रूप-रेखा हमारे सामने प्रस्तुत की है। वह रूप-रेखा कैसी है, उस से क्या होगा, यह चर्चा का विषय है। लेकिन चर्चा करते वक्त जब कोई चीज़ सामने आती है, तो, उस में क्या खामियां हैं, क्या उस का रूप होना चाहिए, यह कहना ज़रूरी हो जाता है और इस क्रिटिसिज्म के लिए यदि कोई हमारे माननीय सदस्य, या गवर्नमेंट के सदस्य यह समझें कि यह मिस म्यो का काम है, इस बारे में चर्चा करना, या नुक्ता-चीनी करना, या सुधार बताना मिस म्यो का काम है, मैं समझता हूं कि ऐसी बात कहना उचित नहीं है। खासकर गवर्नमेंट के एक जवाबदेह मंत्री की तरफ़ से यह कहना कि जितने चर्चा करने वाले हैं, या छिद्रान्वेषण करने वाले हैं, या क्रिटिसाइज़ करने साले हैं, वे मिस म्यो का काम करते हैं, मेरे ख्याल में उचित नहीं है और हाउस के प्रति यह ठीक नहीं है।

एक माननीय सदस्य : किस ने कहा था ?

पंडित द्वा० ना० तिवारी : मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि यह व्यक्ति यहां नहीं हैं।

तीन रोज़ से यहां पर वाद-विवाद हो रहा है, लेकिन जिन विषयों पर कम से कम ज़िक्र हुआ है, उन को मैं आप के सामने रखना चाहता हूं।

हमारे यहां मवेशियों की समस्या बहुत गम्भीर है। संसार के पच्चीस सैंकड़ा मवेशी हिन्दुस्तान में हैं और उन को कम करने की बात की जा रही है। हमारे एक माननीय सदस्य की, जो कि

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अनफ़ार्चुनेटली हमारे प्रान्त को बिलांग करते हैं, यह राय है कि जितने ऐसे एशु हों, जो काम लायक न रह गए हों, उन को ख़त्म कर देना चाहिए ।

श्री राजेन्द्र सिंह : क्या वह माननीय सदस्य की पार्टी में हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : पार्टी से क्या मतलब है ?

पंडित द्वा० ना० तिवारी : यह एक बहुत भयानक सिद्धान्त है । मवेशियों के गौसदन या गौ-रक्षक संस्थायें खोली जायें या उन के लिए जंगलों में कुछ इन्तज़ाम किया जाये, यह तो उचित है, लेकिन जिन जानवरों ने हमारी सेवा की, जिन की वजह से हमारी खेती होती है, हमारे बच्चे पलते हैं, जब वे अनसर्विसेबल हो जायें, तो उन को ख़त्म कर दिया जाये, उन की हिफ़ाज़त न की जाये, यह एक बहुत ही भयानक बात कही गई है और मैं समझता हूं कि वह भारतीयोचित नहीं है ।

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि सब लोगों का इन्तज़ाम पंचवर्षीय योजना में है, लेकिन जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, उन का कोई इन्तज़ाम नहीं है ।

श्री खुशवक्त राय (खेरी) : अभी बूढ़े होने में बहुत दिन हैं ।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : दो वर्ष में माननीय सदस्य बूढ़े हो जायेंगे, इस लिए उन का प्रबन्ध करना है ।

मैंने देखा है कि और देशों में ओल्ड-एज पेन्शन का इन्तज़ाम है, और इन्ताज़ाम है । मुझे डर है कि कहीं ऐसी हालत न आ जाये कि चूंकि अन्न की समस्या गम्भीर है और अन्न बचाना ज़रूरी है, इसलिए मवेशियों की तरह बूढ़ों को ख़त्म करने की भी चर्चा चलने लगे । उन को भी ख़त्म करने की बात आ जाये, तो बहुत मुश्किल हो जायगा । इसलिए योजना आयोग को पंचवर्षीय योजना में इस विषय में एक चैप्टर देना चाहिए था कि जो लोग काम करने लायक नहीं रहे, जिन की उम्र साठ साल से ऊपर हो—ऐसे भी लोग हैं, जो अस्सी वर्ष तक काम करते हैं, लेकिन जो लोग काम नहीं कर सकते उन की तरफ़ तवज्जह देनी चाहिए और उन के लिए कोई इन्तजाम करना चाहिए । इस में यह एक ख़ामी है ।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

मैं आप के सामने यह नहीं कहना चाहता हूं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है । मैं उन बातों की तरफ़ आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिन की वजह से हमारी योजना और हमारी डेमोक्रेसी को ख़तरा है । आप ने सुना कि यहां पर चर्चा हुई कि अन-एम्पलायमेंट की प्राबलम बहुत एक्यूट होती जा रही है । मैं कहता हूं कि वह एक्यूट ही नहीं है, उस की वजह से हमारी डेमोक्रेसी को ख़तरा है । हमारे देश में लाखों लोग मैट्रिकुलेट, आई० ए० और बी० ए० होते जा रहे हैं । उन को कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है और वे बेकार हैं । जो व्यक्ति बेकार रहते हैं, उन के दिमाग़ में कुछ न कुछ फ़ितूर रहता है और वे तरह तरह की बातें सोचते हैं, जो देश को ग़लत रास्ते पर ले जा सकते हैं । वे लोग देहातों में रहते हैं और उन की बातों को लोग सुनते हैं । लोग देखते हैं कि हमारे लड़के पढ़े-लिखे हैं, काम करने लायक हैं, लेकिन उन को कोई काम नहीं मिला रहा है, तो वे क्या करें । प्रथम पंचवर्षीय योजना में एम्पलायमेंट के बारे में हम ने जो टारगेट रखा था, उस को हम अभी भी पूरा नहीं कर सके हैं । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी हमारी कमी रह जायगी, लाखों आदमी बेकार होंगे । तीसरी पंचवर्षीय योजना में

[पं० ह्रा० ना० तिवारी]

१५ मिलियन लोगों को काम देने की बात है। लेकिन कितने लोग बेकार रह जायेंगे, इस का अनुमान आप लगा सकते हैं। मैं क्वोट कर रहा हूं "इंडिया १९६१" से—

> "बेकारों की संख्या का ठीक ठीक अनुमान अभी लगाना है। एम्पलायमेंट एक्सचेंजों से केवल शहरी बेकारी का ही ज्ञान होता है। और अभी भी इन एक्सचेंजों में कम लोग ही नाम दर्ज कराते हैं।"

हमारे आंकड़े अधूरे हैं। करीब ५२, ५४ लाख लोग तृतीय पंच वर्षीय योजना के अन्त में बेकार रह जायेंगे। आप यह समझिए कि जिस देश में ५२, ५४ लाख लोगों का एक समूह रात-दिन इस सोच में लगा हुआ है कि हम क्या खायेंगे, उस देश में क्या होगा। वहां डेमोक्रेसी को खतरा है। आप अपनी योजना को चला सकते हैं लेकिन वह योजना सफल नहीं कही जा सकती है। इसलिए मैं लेबर मिनिस्टर साहब से यह प्रार्थना करूंगा कि वे इस बात पर ज्यादा ध्यान दें और एम्पलायमेंट अपरचुनिटीज़ बढ़ायें।

कैसे कैसे लोग बेकार हैं, यह भी मैं आपको बतलाना चाहता हूं। "इंडिया, १९६०" के पेज १८९ पर यह चीज़ दी हुई है। इसमें लिखा हुआ कि है :—

> "ग्रेजुएट बेकारों में से ९३ प्रतिशत पुरुष थे तथा ७ प्रतिशत नारियां। उनमें से ४८.५ प्रतिशत बी० ए०, २२.७ प्रतिशत बी० एस० सी०, तथा १२.८ प्रतिशत बी० कौम० थे।"

इसका मतलब यह हुआ कि ४८.५ प्रतिशत लोग जो अन-एम्पलायड हैं, वे ग्रेजुएट्स हैं, पढ़े लिखे हैं। अगर उनको काम नहीं मिलता है तो वे क्या करेंगे क्या आप यह जानते हैं? जब लोगों को काम नहीं मिलता है, पेट में अन्न नहीं पहुंचता है तो नैचुरली वे चाहेंगे, दूसरों को खा जाना। उस सूरत में आपकी डेमोक्रेसी कहां रहेगी और रहेगी भी या नहीं, इसको आप सोच लीजिये। इस तरह की बातों से डेमोक्रेसी को खतरा है, इंडिपेंडेंस को खतरा है।

अब मैं आपका ध्यान और एक बात की ओर ले जाना चाहता हूं जिस से कि आपके प्लान को और डेमोक्रेसी को खतरा है और वह डिसपेरिटी इन इनकम वाली बात है। हम एक तरफ बम्बई और दूसरे बड़े बड़े शहरों में महलों को देखते हैं और दूसरी तरफ गांवों में जायें तो हम वहां उन जगहों को देखते हैं जिन को हमारे यहां सुअर के खुबहार कहते हैं। ऐसे मकानों में लोग रहते हैं जिन में कि मनुष्य नहीं रह सकता है . . .

श्री मोहन स्वरूप (पीलीभीत) : दिल्ली में भी ऐसे मकान हैं।

पंडित ह्रा० ना० तिवारी : मैं गांवों की बात कह रहा हूं। गांवों में जो लोग रहते हैं, जिन के पास जमीन नहीं है, आमदनी का कोई जरिया नहीं है वे ऐसे मकानों में रहते हैं जिन में कि मनुष्य नहीं रह सकता है। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती हैं। एक तरफ लाखों रुपया महीना खर्च करने वाले लोग हैं और दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो पेट पर पट्टी बांध कर रात को सोते हैं। किसी स्टेशन पर आप जायें, आप पायेंगे कि वहां पर दाने दाने के लिए तरसने वाले लोग हैं। हम स्टेशन पर जाते हैं, खाना खाने लगते हैं तो शर्म आती है उस वक्त जब दो चार लड़के, नौजवान लड़के, हमारे नज़दीक पहुंच जाते हैं और खड़े हो जाते हैं और देखते रहते है कि कब हमारे मुंह में से कोई झूठी चीज़ गिरे और वे उठा कर उसे खा जायें।

हम पूरी खाते हैं और जो उसके साथ तरकारी होती है, वह भी अगर कहीं गिर जाती है तो उसे भी वे उठा कर खा जाते हैं। तो ये दोनों जो चीजें हैं, ये एक साथ नहीं चल सकती हैं और अगर दोनों चलती हैं तो डेमोक्रेसी नहीं चल सकती है ये डिक्टेटरशिप ही चल सकता और इनको लोगों को दवा कर ही चलाया जा सकता है। तो मेरा कहना यह है कि डिसपैरिटी इन इनकम इतनी न हो, कम हो।

मैं आज आपके सामने अपने प्रान्त की कोई बात नहीं कहने जा रहा हूं। मैं तो आज उन बातों को ही कहने जा रहा हूं जिनसे डेमोक्रेसी को खतरा है। मैं यह नहीं कहता कि आप फलां फलां चीजें मेरे प्रान्त को दें। उसके लिए आपने प्रायोरिटीज़ बना रखी हैं और उनके मुताबिक आप चलते है और जो नेशन के बैस्ट इंटिरैस्ट में होता है, वही आप करते हैं। जहां जिस चीज़ की सब से ज्यादा जरूरत है, उसको आप पहले करेंगे और यह सही भी है। मगर मैं आपको केवल इतना ही बताना चाहता हूं कि किन बातों से राष्ट्र को खतरा है। दो बातें मैंने बताई हैं जिन से खतरा है, एक तो अनएम्पलायमेंट से और दूसरे डिसपैरिटी आफ इनकम्स है। एक तरफ महल है और दूसरी तरफ झोंपड़े भी नहीं हैं। एक तरफ लोगों के पास इतना खाने को है और वे इतना खाते हैं कि उनको अपच की शिकायत होने लग जाती है और दूसरे वे लोग हैं जो दाने दाने को तरसते हैं। हमारे यहां ऐसे भी लोग हैं कि मवेशी जो अनाज खाते हैं और जो वे बाद में गोबर करते हैं, उस गोबर में से दाना दाना बीन कर वे खा जाते हैं। ऐसी हालत में आपका जो प्लान है वह सकसैसफुल नहीं हो सकता है। इस वास्ते आपको ध्यान देना होगा कि किस तरह से डेमोक्रेसी सफल बन सकती है और उसको सफल बनाने की आपको कोशिश करनी होगी।

आखिरी बात जिससे डेमोक्रेसी को खतरा है आपके सामने रख कर मैं समाप्त कर दूंगा। इस हाउस में और बाहर हम इंडस्ट्रियल लेबर के बारे में और सरकारी मुलाज़िमों के बारे में आवाज़ लोगों को उठाते हुए सुनते हैं। आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जायेंगे जो यह कहेंगे कि उनको वेतन बहुत कम मिलता है। लेकिन क्या उन लोगों ने यह अभी सोचा है कि देहात में खेती करने वाले जो लोग हैं, उनकी आमदनी क्या है और कैसे वे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। गवनमेंट सर्विस में कम से कम लोगों की आज आय ९० रुपये मासिक है। उनके वास्ते लड़ाई करने के लिये लोग तैयार हैं, स्ट्राइक करवाने के लिए लोग तैयार हैं। लेकिन एक पैजेंट जिसको साल भर खाने को नहीं मिलता है, एक एग्रिकलचरल लेबरर जिसके तन पर वस्त्र नहीं है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि कोई काम कर सके, उसके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। वह कहीं आ जा नहीं सकता है और अगर कहीं आता जाता है तो उसको अपनी लेबर को प्लेज करना पड़ता है, अपनी थाली और गिलास को प्लेज करना पड़ता है। उसके वास्ते कोई लड़ने वाला . . . .

श्री राजेन्द्र सिंह : मैं उनका साथ दूंगा।

पंडित० द्वा० ना० तिवारी : जो लोग इन मुलाजिमों के लिये लड़ते हैं वे इसलिए नहीं लड़ते हैं कि इनको कोई तकलीफ है बल्कि इसलिए लड़ते हैं कि वे सबल हैं। लेकिन जो सबल नहीं, जो गरीब हैं उनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। मैं आपकी बहादुरी तब जानूं अगर आप उनके वास्ते लड़ें। आप उनके वास्ते नहीं लड़ेंगे, आप लड़ेंगे उनके वास्ते जो ९० रुपये और १०० रुपये मासिक पाने वाले हैं। जो मज़दूर २० रुपये पाता है, उससे आपको खतरा है . . . .

श्री राजेन्द्र सिंह : आप अपने नौकरों को कितनी तनख्वाह देते हैं ?

पंडित द्वा० ना० तिवारी : मैं आप स अधिक देता हूं ।

मैं इस अपने प्लाइंट को इलेबोरेट करके छोड़ दूंगा । मैं ठीक कहता हूं कि आज जो खेती करने वाला है, जिसके पास दस एकड़ या पंद्रह एकड़ जमीन है, वह भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है, स्कूल में नहीं भेज सकता है । खेती की फसल ठीक से होती रहे तो वह यह सब कुछ कर सकता है अन्यथा नहीं । लेकिन आज हो क्या रहा है । आज नार्थ बिहार में सूखा पड़ा हुआ है, धान रोपा नहीं गया है । खेत को जोता, खाद दी, बारिश नहीं हुई, धान रोप नहीं सके । यही हाल मकई का है । मजदूर लगाये, पैसा लगाया, निरौनी कराई लेकिन आज सूखा पड़ रहा है । जो उसके घर में पैसा था उसको भी उसने खेती में लगा दिया और अब कुछ बचा भी नहीं है । इतने पर भी एक मुट्ठी अन्न नहीं पैदा हो रहा है । अब उनका क्या होगा ? उनकी तरफ से लड़ने वाला कौन है ?

जो खेतीहर मजदूर हैं, उनकी स्थिति कितनी खराब है, इस ओर भी किसी का ध्यान नहीं गया है । उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है । जब किसानों के पास कुछ नहीं है, तो वे इन खेतीहर मजदूरों को कहां से दें । किसानों ने अपने बच्चों को अगर पढ़ा भी दिया है तो उनको नौकरी नहीं मिलती है और आप देहातों मे किसानों से जा कर पूछें तो वे आप को बतायेंगे कि चूंकि कोई सोस नहीं है, इस वास्ते नौकरी मिले तो कहा से मिले । अब वे सोस कहा से लावें । वे खुद भूखे मर रहे हैं, मजदूरों को दें तो कहां से । इस वास्ते मैं अन्त में यही कहना चाहता हूं कि इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये क्योंकि इससे भी डेमोक्रेसी को खतरा है ।

†**श्री राजेन्द्र सिंह :** हम दस वर्षों से देश को ऊंचा उठाने का प्रयास कर रहे हैं किन्तु इसका यह मतलब नहीं कि हम से प्रशासनिक गलतियां नहीं हुईं ।

हम तीसरी योजना में पहली दोनों योजनाओं की अपेक्षा १००० करोड़ अधिक पूंजी लगाने जा रहे हैं। समाजवादी होने के नाते मैं विनियोजन की वृद्धि की प्रवृत्ति का समर्थन करता हूं और यह भी बता देना चाहता हूं कि यह सब काम हमारे प्रधान मंत्री के व्यक्तित्व के बल के आधार पर हो रहा है ।

हमारे देश में कृषि उत्पादन में ४० प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन में १२० प्रतिशत, बिजली में २०० प्रतिशत तथा रेलवे क्षमता में भी २०० प्रतिशत की वृद्धि हुई है । किन्तु इसी के साथ हमारी जनसंख्या में १५ प्रतिशत वृद्धि हो चुकी है तथा रुपये का मूल्य २० प्रतिशत तक घट गया है । कपड़े के मूल्य ४५ प्रतिशत बढ़ गये हैं । सामान्य चीजें भी महंगी हो गयी हैं । यह सब इस कारण हुआ कि योजना की प्राथमिकतायें ठीक से नहीं रखी गयीं । इसके साथ ही हमें अनुभव भी नहीं था ।

सभा के कुछ लोग यह आलोचना करते हैं कि हम अधिकांशतः विदेशी सहायता पर निर्भर करते हैं । इतनी बात तो नहीं है किन्तु इतनी बात मैं भी कहूंगा कि हमें इस सहायता का आश्रय जितना हो सके कम अवश्य करना चाहिए । हमें देश में मशीनों का निर्माण स्वयं करना चाहिए ।

†**सभापति महोदय :** माननीय सदस्य के दो मिनट शेष हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : इस तरह से मैं कुछ भी न बोल सकूंगा; इस कारण मैं बैठ जाता हूं ।

†**श्री कुट्टिकृष्णन् नायर** (कोजीकोड) :योजना की रूपरेखा को देखते हुए मैं यह कह सकता हूं कि इसे जनता पसन्द करेगी क्योंकि पहली योजनाओं की सफलता ने योजनाओं की सार्थकता प्रमाणित कर दी है ।

यह बहुत ही ठीक है कि इस योजना में अनाज के प्रश्न पर समुचित ध्यान दिया गया है । उद्देश्य यह है कि हमें इस मामले में आत्मनिभर होना चाहिए । इसके लिए अब ६.६ से ८.६ प्रतिशत तक अधिक व्यवस्था होगी । केरल राज्य को ही ७ लाख टन अतिरिक्त चावल की आवश्यकता रहती है । पहली योजनाओं में केरल की सिंचाई योजनाओं के लिए कम धन की व्यवस्था की गयी ।

सब से अच्छी बात तो यह है कि आगामी वर्षों में प्रादेशिक विकास संतुलित ढंग से किया जायेगा और पिछड़े हुए राज्यों को विशेष रूप से उन्नत करने का प्रयास किया जायगा । मैं आशा करता हूं कि इस बार केरल का विशेष ध्यान रखा जायगा । वहां बेकारी ज्यादा है । औद्योगिक दृष्टि से केरल पिछड़ा हुआ है । इन सब बातों पर योजना निर्माताओं को ध्यान देना चाहिए ।

केरल में मलाबार का इलाका विशेष रूप से पिछड़ा हुआ है । वहां पर संचार आदि की भी समुचित व्यवस्था नहीं है । मैं आशा करता हूं कि तीसरी योजना के दौरान वहां पर भी सारी व्यवस्था की जायेगी ।

जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है, केरल में केवल एक ही सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाला कारखाना है । मैं प्रार्थना करता हूं कि तीसरी योजना के अन्तर्गत देश के सरकारी क्षेत्रों में लगाये जाने वाले कारखानों में से एक बड़ा कारखाना केरल में भी लगाया जाना चाहिए ।

वैदेशिक व्यापार में भी वृद्धि होने जा रही है । हमारे देश से मसालों का काफी निर्यात होता है इस कारण मसालों के बारे में भी एक निर्यात बोर्ड बनाया जाना चाहिए ।

†**श्री बाल्मीकी** (बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : सभापति जी,

वयं राष्ट्रे जागृताय पुरोहिताः

हम राष्ट्र के प्रहरी बन कर जागरणशील रहें ।

व्यचिष्ठे बहुपाय्ये यतेमहि स्वराज्ये

सुविस्तीर्ण और बहुमत से रक्षित स्वराज्य की भलाई के लिए हम यत्न करते रहेंगे ।

आप के प्लान के व्योरे को देखने से मालूम होता है कि जो योजना योजना कमीशन के द्वारा देश में चलायी जा रही है उससे हमारा भविष्य बनेगा । देश ऊपर उठेगा और देश आगे बढ़ेगा, इस में कोई शक नहीं है । लेकिन आपने देश की जन शक्ति के सहयोग का लाभ नहीं उठाया है । पिछली दो योजनाओं में जनशक्ति के सहयोग का लाभ कम उठाया गया है । आगे अधिक उठाया जाये, इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बाल्मीकी]

जब तक आप सब से पिछड़े हुए और दबे हुए लोगों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तब तक प्लान से कोई लाभ नहीं हो सकता। इस देश के अन्दर देहातों की हालत बिगड़ी हुई है उस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। वहां पर छोटे छोटे उद्योग धन्धे लगाये जाने चाहिएं। चाहे आप बड़े उद्योगों की परवाह न करें लेकिन आपको छोटे उद्योगों को देहात में लगाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब भी देश में बेकारी की विभीषिका विद्यमान है। उसको दूर करने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। आपको ऐसे लोगों की तरफ खास तौर से ध्यान देना चाहिए जो गिरे हुए हैं, पिछड़े हुए हैं, जिनकी बहुत कम आमदनी है, जिनके पास कोई साधन नहीं हैं, जिनके रोजगार छिने हुए हैं। आप प्रयत्न जरूर कर रहे हैं लेकिन हम देखते हैं कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और धनी अधिक धनी होता जा रहा है। आपको गरीबों की अधिक परवाह करनी चाहिए और बेकारी को दूर करना चाहिए। आपने कहा है कि तीसरी योजना में आप डेढ़ करोड़ आदमियों को काम देने की कोशिश करेंगे।

उस थोड़े से समय में जो मुझे मिला है मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि अभी भी देश के अन्दर एक पिछड़ा हुआ वर्ग भंगियों के नाम से है, और उसी की बात को आपके सामने रखने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। उनकी दयनीय स्थिति के बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

पहली योजना के अन्दर, दूसरी योजना के अन्दर भंगियों के आवास के सम्बन्ध में, उन के हाउसिंग की तरफ ध्यान दिया गया था, लेकिन अब वह नाम हटा दिया गया है। यह केवल इसलिये किया गया है कि आप देश से जातीयता के नाम को हटा देना चाहते हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि जातीयता अभी हमारी मज्जा में, हमारी अस्थियों के अन्दर घुसी हुई है, इस पर भी आप विचार कर के देखें। अभी हमारी स्थिति सुधर नहीं गई है। इसलिये मेरा निवेदन है कि भंगियों की आवास पर ध्यान दिया जाना चाहिये। अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह काम बहुत पीछे रह जायगा और आप देश की पूर्णतया उन्नति नहीं कर सकेंगे। देश की उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि एक वर्ग मानवीय अधिकारों से वंचित है और ऐसे गन्दे पेशे मे लगा हुआ है कि अब भी सिर पर पाखाना ढोना पड़ता है और कमर झुका कर झाड़ू देनी होती है। हरिजन कल्याण बोर्ड के अन्दर उन की स्थिति पर विचार हुआ था और वहां यह चर्चा चली थी कि भंगियों के काम धंधे की हालत इतनी खराब अभी भी बनी हुई है कि उन को पैखाना सिर पर ढोना पड़ता है और कमर झुका कर झाड़ू देनी पड़ती है। इस लानत को समाप्त किया जाय। वह विचार मैं आप के सामने रखना चाहता हूं।

भंगियों की स्थिति परम शोचनीय है। १३ वर्ष की स्वतंत्रता के पश्चात् भी उन की स्थिति में तथा उन के काम करने की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उन्हें जिन भयंकरताओं में अमानुषिक ढंग से काम करना पड़ता है, वह उस मानव जाति के लिये जो सभ्यता तथा दर्शन में अपनी सानी नहीं रखतीं, अशोभनीय है। फिर भी प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री जी का ध्यान इस ओर गया है। यह प्रसन्नता का विषय है। छोटी मूठ वाली झाड़ू जिस से असम्मान पूर्वक झुकना पड़ता है, बदल कर लम्बी मूठ वाली झाड़ू में बदलने का सरकार का विचार है, जिस में एक शान तथा मानवीय सम्मान होगा। सिर पर से पाखाने का बोझ का टोकरा आदि भी खत्म होने जा रहे हैं, किन्तु इस दिशा मे राज्य सरकारें तथा म्युनिसिपैलिटियां व कारपोरेशन उदासीन हैं, और हमारे प्लानिंग कमिशन का भी इधर कम ध्यान गया है।

मैं प्रोफेसर घ्रुव के शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर देश के अन्दर उन्नति करनी है, तो एक ऐसे गन्दे पेशे में लगे हुए वर्ग के बारे में भी ध्यान देना चाहिये। मैं चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन के मस्तिष्क में भंगियों का सवाल आये। मैं चाहता हूं कि सदन थोड़ा सब्र करे। जो मेरे पास दो तीन मिनट का समय है उस में मैं इस योजना के बारे में कुछ थोड़ा सा पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। जिस तरह से हरिजन कल्याण बोर्ड के सामने यह प्रश्न आया है, उस को मैं बढ़ा कर नहीं कहना चाहता हूं। भंगी जांच कमेटी ने देश का दौरा कर के उन की स्थितियों को जांचा है। प्रोफेसर मल्कानी के मतानुसार जो विचार-धारा बनाई गई है और हरिजन कल्याण बोर्ड में जो विचार आया है, वह मैं आप के सामने रखना चाहता हूं। भंगियों के कामों की स्थितियों को देखते हुए, उन की हालत को देखते हुए कोई वजह नहीं है कि इस के लिये तृतीय पंच-वर्षीय योजना में कोई अनुदान न रखा जाये, कोई एलोकेशन न रखी जाये। मगर जो आंकड़े हैं और उनका जो रूपान्तर है, वह मैं आप के सामने रख देना चाहता हूं। हमारे जो योजना के मंत्री हैं, वह स्वयं इस बात को महसूस करता हैं कि देश में जब तक भंगियों की इस तरह की हालत है और उस को नहीं बदला जाता, तब तक हम यह नहीं समझ सकते कि हम नें पिछड़े हुए, दबे हुए, दलित लोगों के उत्थान के लिये अपना कर्तव्य पूरा किया है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि उन की हालत को बदलना परमावश्यक है।

इस थोड़े से समय में मैं ने आप का ध्यान उन के आवास के प्रश्न की ओर आकर्षित किया है, उनके काम करने की स्थिति की भयंकरता की ओर आकर्षित किया है। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से और विषयों पर चैप्टर दिये गये हैं, कोई वजह नहीं है कि इस बारे में भी एक चैप्टर का समावेश न किया जाय। यह जो तृतीय पंचवर्षीय योजना की एक रूप-रेखा है। मैं समझता हूं कि जब आगे समय मिलेगा, उस में विस्तृत योजना का रूप आयेगा। इस वक्त तो मैं ने मंत्री महोदय के मस्तिष्क को, उन की विचार-धारा को छूने की कोशिश की है। मैं चाहता हूं कि भंगियों के बारे में तृतीय पंच-वर्षीय योजना में एक समावेश होगा और उस समावेश के अनुसार उन को मौका मिलेगा यह कहने का कि हमारी सरकार और हमारा योजना आयोग हमारा ध्यान रखते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देता हूं, सभापति जी, कि आप ने मुझे मौका दिया कि मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूं, ताकि उन के मस्तिष्क में, उन की विचार-धारा में भंगियों की जो स्थिति है, उस की तस्वीर उतर जाये और उन के दिमाग में भंगी स्वयं इस तरह से चलें कि रात को उन को नींद न आये और वह उन की स्थिति को देख कर तृतीय पंचवर्षीय योजना में उन के बारे में समावेश कर सकें।

†**श्री बासप्पा** (तिपतूर) : जहां तक पिछड़े वर्गों का सम्बन्ध है, इस योजना की रूप रेखा के प्रकाशन से उस दिशा में गंभीर समस्या उपस्थित हो गई है।

पहली योजनाओं में पिछड़े वर्गों के लिये अनुसूचित जातियां तथा आदिम जातियां तथा अन्य पिछड़े वर्ग लिखा जाता था किन्तु अब अन्य पिछड़े वर्गों के स्थान पर "अनुसूचित आदिम जातियां" लिखा गया है तथा "अन्य पिछड़े वर्ग" ये शब्द हटा दिये गये हैं। इससे १५/२० लाख लोगों पर असर पड़ेगा। इस के बारे में स्पष्टीकरण होना चाहिये।

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : श्रीमान्, इस प्रस्ताव पर लगभग २० घंटे बहस हो चुकी है।

†**सभापति महोदय** : माननीय मंत्री अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, २६ अगस्त, १९६०/४ भाद्र, १८८२ (शक) के ग्यारह बज तक के लिये स्थगित हुई)।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, २५ अगस्त, १९६०
३ भाद्र, १८८२ (शक)]

विषय — पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या

७४९ अणु-शक्ति संयंत्र . . . . . २३६९—७१
७५० दंडकारण्य क्षेत्र में आदिवासियों का पुनर्वास . . २३७१–७२
७५१ उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ . २३७३
७५२ पटसन उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड . . २३७३–७४
७५३ बर्मा में भारती . . . . . २३७५—७७
७५४ इंडोनेशिया से भारतीय व्यापारियों का निर्वासन . . २३७७
७५५ मोटर गाड़ियों के टायरों की कीमतें . . . २३७८–७९
७५६ मोटर गाड़ी उद्योग सम्बन्धी समिति . . . २३८०–८१
७५७ बागान मजदूर २३८१–८२
७५८ नेपाल में भारतीय २३८२–८३
७५९ अच्छी किस्म की चीजों का निर्माण . . . २३८३–८४
७६० पेकिंग रेडियो द्वारा भारत विरोधी प्रचार . . . २३८४—८६
७६१ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये ऊनी खादी की वर्दियां . २३८६–८७
७६२ दंडकारण्य में नलकूप २३८७–८८
७६३ अंदमान द्वीप में कार्मिक संघ २३८८–८९
७६४ चाय उद्योग के लिये अनुसंधान संस्था . . . २३८९–९०
७६५ पत्तनों पर अखबारी कागज के कारखाने . . २३९०–९१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या

७६६ सीमेंट की कमी २३९१
७६७ रूस जाने वाले राष्ट्रपति के दल में पत्र-प्रतिनिधि . . २३९२

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
७६८	दिल्ली में छोटे पैमाने के उद्योग	२३९२–९३
७६९	सरकारी उपक्रम	२३९३
७७०	कांगों में भारतीय	२३९४
७७१	हिन्दी समाचार-पत्रों की कतरनें	२३९४
७७२	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	२३९४–९५
७७३	भविष्य-निधि से रुपया निकालना	२३९५
७७४	कार्यालयों का दिल्ली से स्थानान्तरण	२३९५–९६
७७५	बम्बई में प्रशिक्षित अध्यापक--प्रशासक	२३९६
७७६	कांगो की स्थिति	२३९६–९७
७७७	राजनयिक प्रतिनिधि द्वारा कार का विक्रय	२३९७
७७८	दंडकारण्य क्षेत्र में कारखाने	२३९७
७७९	पाकिस्तान में भारतीय डाकू	२३९८
७८०	कुटीर उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग	२३९८
७८१	सिक्किम मे रेडियो स्टेशन	२३९९
७८२	राज्य व्यापार निगम	२३९९
७८३	कोयला खान में दुर्घटना	२३९९
७८४	उर्वरकों का निर्माण	२४००
७८५	बर्मा से निष्क्रमण करने वाले भारतीयों के दावे	२४००
७८६	तिब्बत में ज़ोरावरसिंह की समाधि का विध्वंस	२४०१
७८७	योजना आयोग में कार्य-पद्धति का अध्ययन	२४०१
७८८	वृत्त-चित्र	२४०१
७८९	ग्यात्से में भारतीय व्यापार अभिकरण की इमारत	२४०२
७९०	रेयन-निर्मित वस्तुओं का निर्यात	२४०२
७९१	राजघाट मे महात्मा गांधी का स्मारक	२४०३
७९२	राज्य व्यापार निगम द्वारा मोटर गाड़ियों के टायरों का आयात	२४०३
७९३	तिब्बत के शरणार्थी	२४०३–४
७९४	निःशस्त्रीकरण	२४०४
७९५	तिब्बत में भारतीय व्यापारी	२४०४
७९६	हांडोधुआ कोयला खान मे दुर्घटना	२४०५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१४६१	जाली पासपोर्ट	२४०५
१४६२	पाकिस्तानियों द्वारा अपहृत भारतीय	२४०५—६
१४६३	लिखाई और छपाई के कागज का निर्माण	२४०६
१४६४	ऐलीफेंट-घास से कागज़	२४०६
१४६५	भूटांग घास के कागज	२४०७
१४६६	क्राफ्ट तथा लपेटने का कागज	२४०७
१४६७	लिखाई, छपाई और लपेटने का कागज	२४०७—८
१४६८	सरकारी उपक्रमों में कर्मचारी	२४०८
१४६९	आन्ध्र प्रदेश में रिलेइंग स्टेशन	२४०८
१४७०	तेलुगु में गांधी जी के ऐलबम का प्रकाशन	२४०८—९
१४७१	फैक्टरी कर्मकरों के लिये भविष्य निधि	२४०९
१४७२	सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों में धन विनियोजन	२४०९
१४७३	पंजाब में हाथ से बनाये कागज का निर्माण	२४०९—१०
१४७४	मध्यम आय-वर्ग आवास योजना	२४१०
१४७५	तांबा रीरोलिंग मिल	२४१०
१४७६	उत्तर प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां	२४१०—११
१४७७	मलाया में भारतीय	२४११
१४७८	दण्डकारण्य परियोजना का खर्च	२४११—१२
१४७९	बालिमेला में विस्थापित लोगों को बसाना	२४१२
१४८०	जेपुर (उड़ीसा) में औद्योगिक बस्ती	२४१२
१४८१	दण्डकारण्य क्षेत्र में मकानों के डिज़ाइन	२४१२—१३
१४८२	दंडकारण्य क्षेत्र में खेती	२४१३
१४८३	जनता कालेज त्रिपुरा	२४१३
१४८४	बिजली से चलने वाले अनधिकृत करघों का सर्वेक्षण	२४१४
१४८५	ऊंवी श्रेणी का नमक तैयार करना	२४१४
१४८६	घड़ियां तैयार करना	२४१४—१५
१४८७	एडवर्ड टैक्सटाइल मिल्स	२४१५
१४८८	दण्डकारण्य क्षेत्र	२४१५
१४८९	औद्योगिक बस्तियों की स्थापना	२४१६

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या		
१४९०	उड़ीसा में ग्रामीण आवास विभाग	२४१६
१४९१	केन्द्रीय सुगम संगीत परिश्रवण बोर्ड .	२४१६
१४९२	नई दिल्ली में कार्यालय भवन का निर्माण	२४१७
१४९३	सरकारी कार्यालयों के लिये स्थान . .	२४१७
१४९४	हिमाचल प्रदेश में विस्थापित व्यक्ति .	२४१७–१८
१४९५	दिल्ली में छोटे पैमाने के उद्योग . .	२४१८
१४९६	शिल्पिक कर्मचारी .	२४१८
१४९७	कागज़ का गूदा . .	२४१८–१९
१४९८	दिल्ली में खादी उद्योग का विकास .	२४१९
१४९९	दिल्ली में अम्बर चर्खा-केन्द्र	२४१९–२०
१५००	पश्चिमी प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये आयात लाइसेंस	२४२०
१५०१	पंजाब में कर्मचारियों की शिक्षा .	२४२०
१५०२	सिन्धी विस्थापित व्यक्ति	२४२०–२१
१५०३	लघु उद्योग सेवा संस्था .	२४२१
१५०४	मध्यपूर्व में एकीकृत कमान .	२४२१
१५०५	रेंड़ में अल्युमिनियम संयंत्र	२४२१–२२
१५०६	दिल्ली की योजना का प्रचार .	२४२२
१५०७	चाय पुनारोपण योजना .	२४२२
१५०८	पोलैंड में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला	२४२३
१५०९	पनीर का उत्पादन .	२४२३
१५१०	"गीत—रामायण" पुस्तक .	२४२४
१५११	ऊनी माल का निर्यात	२४२४
१५१२	अन्दमान द्वीपसमह में श्रम-विवाद	२४२४
१५१३	काफी बोर्ड के कर्मचारी .	२४२५
१५१४	छोटे पैमाने के उद्योग	२४२५
१५१५	हावड़ा में उत्पादन तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी नमूने का केन्द्र .	२४२५
१५१६	ताल कटोरा क्लब, नई दिल्ली .	२४२५–२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१५१७	उड़ीसा में नये रेडियो स्टेशन .	२४२६–२७
१५१८	शरणार्थी बस्तियों का विकास .	२४२७
१५१९	कृत्रिम क्लोरो फिल .	२४२७
१५२०	कपड़े का निर्यात . .	२४२७–२८
१५२१	औद्योगिक भवनों का तल क्षेत्रफल	२४२८
१५२२	बंसद्रोनी–चकदाहा योजना .	२४२८
१५२३	कोएक्सियल तार का उत्पादन .	२४२९
१५२४	तुकेरग्राम में भूमि . . .	२४२९
१५२५	जम्मू तथा काश्मीर के समाचारों का आकाशवाणी द्वारा प्रसारण	२४२९
१५२६	कनाडा-भारत रियेक्टर	२४२९–३०
१५२८	भारत-पाकिस्तान सीमांकन .	२४३०
१५२९	विशाखापटनम् में उर्वरक कारखाना	२४३०–३१
१५३०	चाय विकास योजना . .	२४३१
१५३१	भुसंडपुर की कटिलागोथ बस्ती में विस्थापित व्यक्ति	२४३१
१५३२	भुसंडपुर बस्ती, उड़ीसा .	२४३१–३२
१५३३	सरकारी क्वाटरों में 'वाश बेसिन' .	२४३२
१५३४	प्रकाशन शाखा, दिल्ली में हिन्दी पत्र-व्यापार	२४३२–३३
१५३५	प्रकाशन शाखा, दिल्ली में स्टेंडर्ड ड्राफ्टों का प्रयोग	२४३३
१५३६	सरकारी क्वाटरों में बिजली के अतिरिक्त प्वाइंट	२४३३–३४
१५३७	कार्यालयों के लिये स्थान	२४३४
१५३८	मद्रास में छोटे पैमाने के उद्योग .	२४३४–३५
१५३९	मद्रास में औद्योगिक विस्तार सेवा	२४३५
१५४०	सिरमूर के लिये लोहे और अन्य धातुओं का कोटा .	२४३५–३६
१५४१	कपूर का मूल्य	२४३६
१५४२	सिलाई की मशीनें .	२४३६–३७
१५४३	लाजपत नगर, नई दिल्ली में क्वाटर	२४३७
१५४४	दक्षिणी अफ्रीका के बारे में ज्ञापन	२४३७–३८

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखा गया पत्र २४३२

बागान सम्बन्धी औद्योगिक समिति के २७ अप्रैल, १९६० को गई दिल्ली में हुए नवें अधिवेशन के निष्कर्षों के विवरण की एक प्रति ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . २४३२–४२

श्री प्र० के० देव ने उड़ीसा में हाल की बाढ़ से पैदा हुई स्थित की ओर सिंचाई और विद्युत् मंत्री का ध्यान दिलाया ।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम) ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया ?

तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव . २४४२

तृतीय पंचवर्षीय योजना के रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव तथा तत्सम्बन्धी स्थानापन्न प्रस्तावों पर चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

शुक्रवार, २६ अगस्त, १९६० ४ भाद्र, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि––

तृतीय पंचवर्षीय योजना संबंधी प्रस्ताव पर आगे चर्चा तथा निष्क्रान्त हित (पृथक्करण) संशोधन विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार और उस का पारित किया जाना; गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर भी विचार ।

GMGIPND—LS III—1021 (Ai) LSD—J. C. No.12567-60-61—27-9-60—135.